राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का बावनवां दिवस [संख्या: 18

बुधवार,

15 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

पीपल्दा में चिकित्सा केन्द्रों का भवन निर्माण

378. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र व इटावा ब्लाक में ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) तथा छह शय्याओं का वार्ड बनाये जाने के लिए राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां व उक्त का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के लिए भूमि आबंटन हो चुका है? यदि हां, तो किस स्थान पर कितनी व नहीं, तो शेष के लिए कब तक भूमि आबंटित कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र व इटावा ब्लाक में ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) तथा छह शय्याओं का वार्ड बनाये जाने के लिए राशि स्वीकृत की गई, जिसकी सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्त संस्थानों के लिए भूमि आबंटन हो चुका है, जिनमें से उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोठड़ाकला; केशवपुरा; प्रेमपुरा; लक्ष्मीपुरा द्वितीय एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, बोरदा के भवन निर्माण हेतु विभिन्न कारणों से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्पष्ट रिक्त भूमि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। भूमि आबंटन की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गए)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाहता हूं, जब गोठड़ाकलां चिन्हित हो गया, फिर भी आपने भूमि अलाट नहीं की। गांव की सीमा में बनता है 50-500 फुट इधर-उधर। यह परिशिष्ट-अ में 47 पर है। 50 नम्बर वाले पर भी आपने अतिक्रमण बताया है। ऊपले थापने का काम हो रहा है। कोर्ट में 60 दिन की अवधि के बिना जारी नहीं होता। अध्यक्षजी, इनके वकील इतने निष्क्रिय क्यों हैं? मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरा मेरा अर्ज करना है, आपने कुछ स्थानों के बारे में लिखा है कि भूमि का पट्टा प्रतीक्षाधीन है। तीन साल तक भूमि का पट्टा नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? आप कितने दिन में भूमि का पट्टा दिलवा कर निर्माण करवा देंगे जिससे वहां के कर्मचारियों और आम जनता को लाभ मिल सके?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर पांच जगहों की भूमि पर अतिक्रमण है। माननीय सदस्य को भी पता है कि वहां पर अतिक्रमण है। जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही होगी, वैसे ही वहां पर हम काम शुरू कर देंगे। वर्क आर्डर है, सारी सैंक्शन हैं। केशवपुरा में काफी लम्बे से अतिक्रमण है। वहां का पट्टा दे दिया। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिकारियों, तहसीलदार को कह कर जहां अतिक्रमण नहीं हो, अगर आप भूमि उपलब्ध करवायेंगे तो हम जल्दी से जल्दी काम शुरू करवा देंगे।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्षजी, ऊपले थापने को अतिक्रमण मानते हो क्या? उसको अतिक्रमण मान कर इनके अधिकारी जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। गोठड़ाकलां बड़ा गांव है। वहां आप पट्टा कब तक दे दोगे? कब तक उसका काम चालू करवा दोगे? दो ही बात हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण होने की वजह से ही काम शुरू नहीं हुआ वरना हमको तो कोई आपत्ति ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दें जिससे अतिक्रमण हटे। वह कह रहे हैं कि खाली ऊपले लगा रखे हैं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम कलेक्टर को हमारी तरफ से पत्र लिख देंगे। कलेक्टर, कोटा को कहेंगे कि वहां से अतिक्रमण हटायें। ऐसी संभावना है कि वहां बहुत सालों से लोग बसे हुए हैं। 20-30 साल से बसे हुए हैं और उस जगह शौचालय बना हुआ है वहां पर बाड़े बने हुए हैं। वहां पर अतिक्रमण है। माननीय सदस्य उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और वैकल्पिक व्यवस्था करवायें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सरकार पत्र लिखने का आदेश देती है? आप आदेश दीजिए। मेरा तो यह अर्ज करना है कलेक्टर को।

श्री अध्यक्ष: अतिक्रमण तो एस डी एम ही हटा देगा। आप दुबारा कलेक्टर को लिख दीजिए कि माननीय विधायक महोदय चाहते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश से आज ही कलेक्टर को कह देंगे कि अतिक्रमण हटा कर वहां पर काम शुरू करवायें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीराराम।

बिलाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

379. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में वर्तमान में कृषि महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों के भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल) (कृषि मंत्री के स्थान पर):

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(1) जिला जोधपुर में विधान सभा क्षेत्रवार निम्नांकित कृषि महाविद्यालय संचालित हैं:-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विधान सभा क्षेत्र
1.	कृषि महाविद्यालय, जोधपुर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का संघटक महाविद्यालय)	सरदारपुरा
2.	राजकीय कृषि महाविद्यालय, ओसियां (कालेज शिक्षा विभाग द्वारा संचालित)	ओसियां
3.	मयूराक्षी कालेज आफ एग्रीकल्चर, जोधपुर (गैर सरकारी)	लूणी
4.	श्री जितेन्द्र गोदारा एसएलबीएस कृषि महाविद्यालय, जोधपुर (गैर सरकारी)	भोपालगढ़

(2) कृषि महाविद्यालय, जोधपुर के प्रथम चरण का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीय चरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजकीय कृषि महाविद्यालय, ओसियां वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा आबंटित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कबूतरों का चौक, ओसियां के भवन में अस्थायी रूप से संचालित है। उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि रुपये 8.80 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं तथा भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कृषि महाविद्यालय संचालित नही है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या सरकार जिले में संचालित भवनरहित राजकीय कृषि महाविद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु आधुनिक सुविधायुक्त भवन निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: यह दूसरा प्रश्न है या उसी का पार्ट है?

श्री हीराराम (बिलाड़ा): जिला जोधपुर में वर्तमान में कृषि महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न पूछा है, उसका सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): सप्लीमेंट्री पूछा न साहब, मैंने।

श्री अध्यक्ष: दुबारा पूछो आप उसको।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या सरकार जिले में संचालित भवनरहित राजकीय कृषि महाविद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु आधुनिक सुविधायुक्त भवन निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर दो कृषि महाविद्यालय संचालित हैं, एक तो सरदारपुरा और दूसरा ओसियां। सरदारपुरा में प्रथम चरण में 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई थी और उसका कार्य करीब-करीब पूर्ण हो गया है तथा अन्य सुविधाओं के लिए दूसरे चरण में 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई थी। 10 करोड़ से कुछ हॉस्टल बनने थे, कुछ प्रशासनिक भवन बनने थे। उसका भी अधिकतर कार्य पूर्ण हो गया, और जरूरत महसूस होगी तो कार्य पूर्ण होने के बाद में और स्वीकृति दे देंगे।

दूसरा, ओसियां महाविद्यालय है। उसके अन्दर भूमि अलाटमेंट का कार्य जारी है। कलेक्टर साहब के पास उसकी फाइल पड़ी हुई है। उसके लिए 8.8 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने जारी कर दी है।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या सरकार बिलाड़ा में कृषि महाविद्यालय की नितान्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजकीय कृषि महाविद्यालय, ओसियां की तर्ज पर ही नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: भाग संख्या 3 में इसका उत्तर आ चुका है।

अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाएं

380. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसे गांवों में पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसे गांवों में योजना स्वीकृत की जा चुकी है व किस-किस में कार्य प्रारम्भ हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र जालौर में उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) वर्ष 2011 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र जालौर में 102 गांव अवस्थित हैं। जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत इन 102 गांवों में से 72 गांवों हेतु वृहद् पेयजल परियोजना नर्मदा नहर आधारित एफआर क्लस्टर व 21 गांवों हेतु वृहद् पेयजल परियोजना नर्मदा नहर आधारित ईआर क्लस्टर एवं 09 गांवों हेतु 08 अन्य पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर के 72 गांवों को सम्मिलित करते हुए जालौर जिले के 277 गांवों एवं इनकी ढाणियों को जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत हर घर नल कनेक्शन से लाभान्वित करने हेतु नर्मदा नहर आधारित एफआर क्लस्टर वृहद् पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 29वीं बैठक दिनांक 09.11.2021 द्वारा राशि रुपये 535.88 करोड़ की जारी की जा चुकी है व तकनीकी स्वीकृति विभागीय तकनीकी समिति की 721वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 द्वारा एवं पुन: संशोधित तकनीकी स्वीकृति विभागीय तकनीकी समिति की 725वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 द्वारा राशि रुपये 434.66 करोड़ की जारी की गई है। परियोजना क्रियान्वयन हेतु निविदा दिनांक 10.07.2022 को आमंत्रित की गई थी, जिसे वित्त विभाग द्वारा दिनांक 02.01.2023 को जारी निर्देशों के क्रम में वित्त समिति की 834वीं बैठक दिनांक 18.01.2023 के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

द्वारा पत्रित कर दिया गया। वर्तमान में परियोजना की क्रियान्विति हेतु पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र जालौर के 21 गांवों को सम्मिलित करते हुए जालौर जिले के 306 गांवों एवं इनकी ढाणियों को जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत हर घर नल कनेक्शन से लाभान्वित करने हेतु नर्मदा नहर आधारित ईआर क्लस्टर वृहद् पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 28वीं बैठक दिनांक 08.10.2021 द्वारा राशि रुपये 927.20 करोड़ की जारी की जा चुकी है एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय तकनीकी समिति की 716वीं बैठक दिनांक 28.01.2022 द्वारा राशि रुपये 766.30 करोड़ की जारी की गयी है। परियोजना का कार्यादेश दिनांक 03.06.2022 को राशि रु. 833.49 करोड़ का मै. जीवीपीआर इन्जीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद के पक्ष में जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 13.06.2022 एवं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 12.03.2024 है। इस परियोजना के अन्तर्गत जालौर जिले के 306 गांवों एवं इनकी ढाणियों में कुल 1,13,251 नल कनेक्शन जारी किये जाने प्रस्तावित है। प्रोरेटा अनुसार वांछित 27 प्रतिशत प्रगति के विरुद्ध फर्म द्वारा अभी तक 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है एवं अभी तक किसी भी गांव एवं ढाणी को इसके माध्यम से लाभान्वित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण राशि रुपये 1.44 करोड़ की शास्ति के रूप में रोकी गई है।

उक्त वृहद् पेयजल परियोजनाओं से शेष रहे 09 गांवों हेतु 08 अन्य पेयजल योजनाएं राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 20वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 द्वारा कुल राशि रुपये 1179.04 लाख की जारी की गई है। इन योजनाओं में से 5 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर 6 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 3 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) उक्त 10 परियोजनाओं व योजनाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जालौर में कुल राशि रुपये 268.70 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआर प्रोजेक्ट में मेरे यहां 21 काम हैं और उसका टेंडर स्वीकार हो गया, काम शुरू हो गया। उसके लिए सरकार का धन्यवाद।

एफआर प्रोजेक्ट का टेंडर भी लगभग उसके साथ में हुआ था, एक महीने बाद सितम्बर-अक्टूबर, 2021 में। वह अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। क्या वह रिजेक्ट हो गया है? यदि हां, तो क्यों हुआ और उसकी जगह दुबारा अभी तक टेंडर क्यों नहीं किया गया?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जे जे एम के टेंडर्स के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था कि हमको 2022 की बी एस आर पर अनुमत करें, लेकिन हमें उसकी मंजूरी नहीं मिली। जो टेंडर 2020 और 2021 के बी एस आर पर किये हुए थे, उनको अधिक दर मानते हुए एफ डी ने भी रिजेक्ट किया और गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने भी अनौपचारिक रूप से यह माना था कि दरें ज्यादा हैं। हमारे जो टेण्डर्स थे, एफ डी ने उनको एप्रूव नहीं किया इसलिए हमें उनको निरस्त करना पड़ा। हमने एफ डी को नये प्रपोजल्स भेजे हैं। हम एफ डी से भी यह आग्रह कर रहे हैं कि 2022 के बी एस आर पर अगर हमें अनुमत करें तो टेडर हम लगा पायेंगे अन्यथा जो भी अनुमत करेंगे, एक बार फिर से टेंडर लगायेंगे और हमारी कोशिश यह रहेगी कि जो लक्ष्य प्रस्तावित हैं, हम समय सीमा के अन्दर ही काम के लिए टेंडर निकालेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, दोनों टेंडर्स में मुश्किल से एक महीने का अन्तर है। 2021 में टेंडर फ्लोट हुए थे तो आप 2022 की बी एस आर पर क्यों मांग रहे हैं? दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या इसमें क्लब हुआ था? जितने भी टेंडर लगाने वाले थे, उन सबने एक ही रेट भरी थी एफ आर वाले में? उसकी रेट 35 परसेंट अबव गई ई आर की तुलना में, एक महीने के गैप में। वह सारा पूल हो गया। पूल होने की वजह से 35 परसेंट अबव चला गया इसलिए हमने आब्जेक्शन किया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप भारत सरकार को क्यों बीच में ले रहे हैं? 2022 को क्यों बीच में ले रहे हैं? प्रश्न यही है कि इसको आप बीच में क्यों ले रहे हैं? पूल क्यों किया आपने?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, टेंडर की अपनी एक प्रक्रिया है। कमेटी बनी हुई है, वह सैंक्शन देती है। टेंडर को मंजूर करने वाली जो फाइनेंस कमेटी है, उसके अन्दर एफ डी का आदमी बैठता है। कहीं भी प्रक्रिया में विसंगति पायी जाती है या ऐसा लगता है कि दर अधिक है तो किसी भी कारण से एफ डी अनुमति नहीं देता। एक महीने का अन्तर था या दो महीने का अन्तर था, अगर किसी में रेट ज्यादा आयी है, हमारे पास रेट आयी, हमने एफ डी में प्रपोज कर दी, एफ डी ने मंजूर नहीं की। उसको कैंसिल कर दिया। दुबारा जब हम टेंडर करेंगे और जो रेट आयेगी, हम वैसा करेंगे। पूलिंग का कोई आरोप अगर आपके पास है तो आप दीजिए, हम उसकी जांच करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

बजरी खनन के पट्टों का आबंटन

381. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बजरी खनन के पट्टे किन-किन स्थानों पर कब-कब आबंटित किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजरी की दर प्रति टन तय की गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा बजरी की दर प्रति टन तय नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को राहत देने के लिए बजरी की दर दो सौ रुपये प्रति टन तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

382. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी कार्य कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायतों में विगत तीन वर्षों में उक्त कार्य करवाये गए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) सरकार द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में "समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।" (बजट घोषणा संख्या 39(V)) की घोषणा की गई थी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों पर व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायतवार सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गए)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, वह परिशिष्ट 'अ' पर है और उसमें जो राशि व्यय की गई है, उसके आंकड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बीकानेर, राजसमंद में सबसे ज्यादा पैसा आपने खर्च किया है। जालौर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, हमारा जिला तो वैसे आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर है तो उसमें राशि कम खर्च करने का क्या कारण रहा और इसका कौन जवाबदार है? इसका आप जवाब दीजिये।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत अपना एस.पी.एम. में, नरेगा में, स्वच्छता कार्यक्रम में काम कराना चाहते हैं तो डवलपमेंट प्लान में लिया जाता है, उसके बाद पंचायत समिति प्लान में, फिर जिला परिषद् में जो प्लान भेजे जाते हैं, उसके अनुसार विकास के कार्य होते हैं तो आपके कम प्लान आये, इस वजह से कम कार्य हो पाये हैं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब में दिया है कि जालौर जिले को 59.61 लाख और जालौर जिले में 326 ग्राम पंचायत हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लान के हिसाब से अलोकेशन होता है, कोई ऊपर से डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता है। आपके वहां की जिले की पंचायतों ने प्रस्ताव नहीं भेजा, तो उसका पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। आप ज्यादा प्रस्ताव भिजवाओ।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जमीन भी अलाट नहीं हुई। मंत्रीजी इसको देखने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी भावना ठीक है। पंचायतों को प्रस्ताव बनाकर भेजना है प्लान बनाकर, उसके हिसाब से पैसा स्वीकृत होता है तो आप प्लान बनाने का काम करें, पैसा अपने आप स्वीकृत होगा।

अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लाभार्थी

383. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अधिकारियों की लापरवाही तथा कुप्रबंधन के कारण विधान सभा क्षेत्र बामनवास के लाभार्थियों को नि:शुल्क गेहूं का वितरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार द्वारा उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आमजन को समय पर नि:शुल्क गेहूं का वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को नियमानुसार नि:शुल्क गेहूं का वितरण करवाया जा रहा है।

(2) सरकार द्वारा आमजन को समय पर नि:शुल्क गेहूं का वितरण सुनिश्चित करने हेतु गेहूं का आबंटन लगभग डेढ़ माह पूर्व (यथा माह अप्रैल, 2023 में वितरण हेतु माह फरवरी, 2023 में) प्रक्रियान्तर्गत किया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सप्लाई चैन मैनेजमेंट के तहत वितरण माह के पूर्व माह की अंतिम दिनांक तक गेहूं का उठाव कर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति की जा रही है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन में प्राप्त मात्रा का इन्द्राज किया जाकर वितरण माह के प्रारम्भ से ही लाभार्थियों को बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने हेतु पोस मशीन में आवश्यक संशोधन उपरान्त जिला रसद अधिकारियों को नि:शुल्क खाद्यान्न की प्रिन्टेड रसीद लाभार्थियों को उपलब्ध करवाने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब पेश किया, वह असत्य है और इसलिये है क्योंकि जनवरी माह के बाद में दो महीनों के अंदर लगभग 10 राशन डीलरों पर कार्यवाही हुई है, जिनके अंदर गेहूं एक डीलर के पास में 1,100 क्विंटल, एक के 400 क्विंटल और एक के 290 क्विंटल गेहूं का गबन पाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि सरकार की जो योजना है नि:शुल्क गेहूं का वितरण किया जायेगा, वह दे नहीं रहे हैं। उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नोटिस दिया भी गया है, जो कारण बताओ नोटिस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, प्रश्न।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सर, इस नोटिस में यह दिया गया है कि गेहूं के वितरण के लिए उपभोक्ताओं के द्वारा पूछा गया तो उसमें यह पाया है कि गेहूं का पैसा लिया गया है और 10 किलो की जगह 5 किलो गेहूं दिया गया है। यह नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। प्रश्न क्या है आपका? आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): प्रश्न यह है कि जिन अधिकारियों की वजह से क्षेत्र के अंदर यह गलत हो रहा है, उपभोक्ताओं को समय पर गेहूं नहीं मिल पा रहा है, उपभोक्ताओं से गेहूं के पैसे लिए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, फिर आप बोले जा रहे हैं।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): उन पर कार्यवाही होगी या नहीं होगी?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने बहुत गंभीर बात कह दी, असत्य है। मैं कलेक्टर की अध्यक्षता में अभी आज से ही जांच कमेटी की घोषणा करता हूं। पांच दिन में जांच कमेटी रिपोर्ट करके अध्यक्ष के सामने पेश करेगी। यह गरीब की योजना का गेहूं है। इसलिये तैयारी करके विधायक महोदय को यहां पर बोलना चाहिये और विधायकजी से मैं कहूंगा कलेक्टर और डी.एस.ओ. आपके घर पर आयेंगे, आकर आपसे पूरे तथ्य लेंगे और जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन आपको तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बात ऐसी उठा दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं। आपने अपनी बात कह दी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये यह बात कह रहा हूं कि यह ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर पोस मशीनों से वितरण होता है। मैं सब माननीय सदस्यों से कहूंगा, कांग्रेस या बी जे पी का जो भी विधायक हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन घोषणा की थी कि आपको कभी भी लगे कोई डी.एस.ओ., कोई इंस्पेक्टर यदि गलत काम कर रहा है तो डायरेक्ट मुझे फोन करें, मेरे अधिकारियों को फोन करें, ए.सी.एस. अभय कुमार सिंह जी लगे हुए हैं और बाकी हमारे अधिकारी हैं, मैं नाम भी बता रहा हूं, आप डायरेक्ट फोन करेंगे तो हम कार्यवाही करेंगे। यह गरीब का गेहूं है और यह ऐसी योजना है जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया तो उसके बाद इसको ऑनलाइन किया गया। 'पोस' मशीन के बिना बांट ही नहीं सकता। कोई बांटेगा तो जेल जायेगा और दुकानदारों की भी हालत यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गंभीर है, यदि कोई विधायक चार्ज लगा रहा है तो तथ्यों के साथ लगायें। मैंने कमेटी की घोषणा कर दी है। पांच दिन में रिपोर्ट आयेगी। आपके घर पर आयेंगे, आप तथ्य प्रस्तुत करेंगे, आप बतायेंगे कि आपने इतना बड़ा चार्ज लगाया तो उसको प्रूव करना अब विधायक जी की जिम्मेदारी है। मैं कार्यवाही करूंगा, कोई भी अधिकारी होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। यह सरकार ऐसी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

डूंगरपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पैकिंग पोषाहार वितरण

384. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में जिला डूंगरपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पैकिंग पोषाहार का वितरण किस-किस कम्पनी से करवाया जा रहा है तथा उसका सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त केन्द्रों पर कितने प्रकार का पोषाहार दिया जा रहा है? सरकार द्वारा उक्त पर वर्ष 2020 से 31 जनवरी, 2023 तक कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त वितरित किये जा रहे पैकिंग पोषाहार खाने योग्य नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति सहायता समूहों द्वारा पुनः पोषाहार वितरण प्रारम्भ कर उक्त अनियमितता की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) डूंगरपुर जिले में आंगनबाडी केन्द्रों पर पैकिंग पोषाहार वितरण का कार्य विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार किया गया है:-

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2022 तक दो वर्षों की अवधि में कोविड संकट के दौरान पूरक पोषाहार में साबुत सामग्री का वितरण किया गया है, जिसमें गेहूं एवं चावल भारत सरकार से अनुदानित दरों पर प्राप्त कर एफ.सी.आई. के माध्यम से क्रय किया गया है एवं चना दाल नैफेड के माध्यम से उपापन किया गया है। उक्त सामग्री गेहूं, चावल एवं चना दाल का आंगनबाड़ी केन्द्रों तक परिवहन का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से करवाया गया है।

अप्रैल, 2022 से पूरक पोषाहार में सूक्ष्म तत्वों से युक्त प्रोसेस्ड रेसिपियां उपलब्ध करवायी जा रही हैं, जिनका वितरण राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफैड) के माध्यम से किया जाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों तक डोर स्टेप डिलीवरी प्राप्त की जा रही है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्राप्ति का सत्यापन सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) वर्तमान में उक्त जिले में उक्त केन्द्रों पर वर्तमान में सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त सात प्रकार की प्रोसेस्ड रेसिपियां उपलब्ध करवायी जा रही हैं, जिनमें फोर्टिफाइड न्यूट्रीशन मीठा दलिया, फोर्टिफाइड मूंग, दाल, चावल, खिचड़ी, फोर्टिफाइड सादा गेहूं दलिया, फोर्टिफाइड बालहार प्रीमिक्स, मीठा मुरमुरा, नमकीन मुरमुरा एवं फोर्टिफाइड उपमा प्रीमिक्स शामिल हैं।

डूंगरपुर जिले में वर्ष 2020 से अब तक व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि (करोड़ों में)**
1.	2020-21 (रॉ राशन)	17.86
2.	2021-22 (रॉ राशन)	18.11
3.	2022-23 (अप्रैल, 22 से जनवरी, 23 तक) नवीन प्रोसेस्ड फूड	25.54

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त वितरित किये जा रहे पैकिंग पोषाहार खाने योग्य नहीं हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाला पूरक पोषाहार भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषणीय मापदण्डों के अनुरूप एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से फॉर्टिफाइड है। पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पोषाहार उत्पादन प्लांट स्तर पर एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति के पश्चात रेण्डम आधार पर नमूनों की जांच भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवायी जाती है। पूरक पोषाहार के प्रत्येक बैच के नमूनों की जांच राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफैड) द्वारा भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवायी जाती हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में पूरक पोषाहार भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देश दिनांक 13.01.2021 के अनुसरण में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए उपलब्ध करवाया जा रहा है, अत: किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कोविड से पूर्व राजकीय विद्यालयों और आंगनबाड़ियों के अंदर गरम पोषाहार दिया जाता था। कोविड आया तो फिर साबुत पोषाहार वितरण किया गया। कोविड चला गया तो राजकीय

(श्री राजकुमार रोत)

विद्यालयों में तो गरम पोषाहार वापस एज इट इज चल रहा है तो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर यह पैकिंग पोषाहार क्यों वितरण किया जा रहा है? क्या मंत्री महोदय दुबारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पोषाहार वितरण करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न का उत्तर आने दो।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, पहले एस.ए.जी. के माध्यम से पोषाहार का वितरण किया जाता था, लेकिन जब कोविड आया तो बहुत गंभीर समस्या के तहत पोषाहार वितरण की व्यवस्था को बदला गया और नैफेड और एफ.सी.आई. के माध्यम से खाद्य सामग्री, चना-दाल, चावल और गेहूं वितरित किये गए, लेकिन भारत सरकार ने 13 जनवरी, 2021 को अपने निर्देश प्रदान किये हैं कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पोषाहार का प्रीक्योरमेंट पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें सरकार के लेखा नियम, विजिलेंस दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें और रॉ-राशन बन्द करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पोषाहार के अंदर जो खाना दिया जाता है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन फोर्टिफाइड दिया जा रहा है, वह एक भोजन नहीं है। वह खाना नहीं है कि आदमी यह सोचे कि मेरा खाना है, उससे मैं पेट भरूं। वह सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन है, जो गर्भवती धात्री महिला, बच्चे को, जो बेसिक खाने के बीच में चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के तौर पर वह दिया जा रहा है तो भारत सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप रॉ-राशन बन्द करिये और फोर्टिफाइड माइक्रो न्यूट्रीयेंट भोजन की व्यवस्था को चालू करिये। इसके तहत ही हम लोगों ने व्यवस्था चालू की।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी पर जो पोषाहार वितरण हो रहा है, उसकी काफी बार शिकायत आयी है। मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि रेण्डमली आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नमूने लिए जाते हैं और उसकी जांच करायी जाती है। पिछले एक वर्ष के अंदर कितने नमूने लिए गए और उनकी क्या जांच रिपोर्ट आयी? यह सदन को अवगत करायें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हर परियोजना के तहत हर तीन महीने में छह बार रेण्डमली सैम्पल लिए जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उप निदेशक, डूंगरपुर द्वारा माह 22 अप्रैल से दिसम्बर, 2022 तक हमने जो पता किया, उसके अंदर 54

(श्रीमती ममता भूपेश)

नमूने आये हैं और 54 नमूनों को हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा जो लैब्स निर्धारित है, जिनमें भारत सरकार ने अपनी लैब हम लोगों को अलाट की है, उन लैब्स के माध्यम से जांच की गई। उन सैम्पलों के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आयी है और न ही कोई शिकायत आयी है। 54 सैम्पल हम लोगों ने पिछले 9 महीनों के अंदर लिए हैं। उनके अंदर किसी में कोई शिकायत नहीं पायी गई। यह सारी रिपोर्ट मैं सदस्य को पेश कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। श्री प्रताप सिंह।

छबड़ा के गांवों में सड़क सुविधा

385. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के गांवों को वर्तमान जनसंख्या के अनुसार सड़क सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के कई गांव वन विभाग की अनुमति के अभाव में सड़क सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की तरह उक्त विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में सौ से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सड़क सुविधा से वंचित 350 व अधिक आबादी के राजस्व गांवों को बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। शेष आबादी के राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के 500 से अधिक आबादी के 4 गांवों का रास्ता वन भूमि से गुजरने के कारण सड़क सुविधा से वंचित है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त 4 गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत 350 से अधिक के 4 अन्य गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है जिनमें से 2 गांवों का सड़क मार्ग वन भूमि से गुजरता है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में जनजातीय क्षेत्र के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 व अधिक आबादी के राजस्व गांवों को ही डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 100 से 349 तक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गए)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले गांव जहां सड़क वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने की वजह से नहीं बन पायी है, उन सड़कों का वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक ले लिया जायेगा और कब तक इन सड़कों का कार्य शुरू कर दिया जायेगा? नंबर एक।

श्री अध्यक्ष: एक का उत्तर आ जाए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): ठीक।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि ये जो 4 गांव हैं भटगांव, सिजन्या, जयनगर और नवाबपुरा, इनके प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति जैसे ही प्रदान हो जायेगी, आगे की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक तो अंडर प्रोसेस है। उसके बाद में हम लोग वन विभाग को, फोरेस्ट को यहां से प्रमाण-पत्र के लिए लिखेंगे। जैसे ही वह परमिशन देंगे तो हम इनका काम शुरू करा देंगे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि

(श्री प्रताप सिंह)

फोरेस्ट से आप इसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक ले लेंगे और कब तक चालू कर देंगे? नम्बर वन।

दूसरा, आपने जो 4 गांव बताये हैं, जिसमें भटगांव इस प्रकार का गांव है, जहां पर बीटी रोड बन चुका है, गिट्टी वहां पर बिछ चुकी है, गिट्टी का खाली डामर ही होना बाकी है। यह जब फोरेस्ट में थी तो इस पर गिट्टी कैसे हुई? यह भी आप बताने की कोशिश करें। दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है। पूछ लूं साहब?

श्री अध्यक्ष: तीसरा हो गया यह तो। पूछ लो आप।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बजट घोषणा के अनुसार 350 आबादी के गांव आपने जोड़ने का जिक्र किया है, जिनमें छबड़ा के ये 4-5 गांव आते हैं। इनका टेंडर प्रोसेस कब तक शुरू हो जायेगा? टेंडर कब तक लग जायेंगे और कब से यह शुरू हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: बजट घोषणा हुई है। अभी बजट पास होने दो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): राजस्थान का नहीं पूछ रहा हूं। खाली छबड़ा का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बजट घोषणा हुई है। बजट पास तो होने दो।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी इच्छा जाहिर की है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और सभी माननीय सदस्यों की जन भावना को समझा था। इसी कारण 526 गांवों को लगभग 710 करोड़ की लागत से जोड़ने का प्रावधान बजट में किया है। आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले शेष सभी 456 गांवों को लगभग 625 करोड़ की लागत से डामर सड़कों द्वारा जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

अब रही आपकी छबड़ा की बात, छबड़ा के अंदर मैंने आपको बताया है कि अभी बजट की घोषणा है, जब तक स्वीकृति प्रदान नहीं होगी, स्वीकृति आ जायेगी तभी तो आगे का हम प्रोसेस करेंगे। अभी से कैसे डेट निर्धारित कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मनीषा पंवार।

जोधपुर में विशेष योग्यजनों को स्कूटी का वितरण

386. श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में विशेष योग्यजनों को आवेदन करने के पश्चात् भी विभाग द्वारा अब तक विशेष वाहन वितरित नहीं किये गए हैं? यदि हां, तो उक्त हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त को स्कूटी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा 57 के अंतर्गत विभाग द्वारा दिनांक 29.07.2022 से 30.09.2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए थे। ऑनलाइन आवेदनों में विभागीय पात्रता रखने वाले 316 आवेदकों का चयन स्कूटी दिए जाने हेतु किया गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

पोर्टल प्रारम्भ होने से पूर्व एवं पश्चात् विभागीय गाइडलाइन अनुसार निर्धारित योग्यता नहीं रखने वाले 172 दिव्यांगों के आफलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों को स्कूटी वितरण किया जाता है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गईं)

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि काफी लंबे समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूटी वितरण कार्यक्रम नहीं हुआ है। मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि कब तक, सीमा निर्धारण तय करें कि इन विशेष योग्यजनों को आप स्कूटी वितरण प्रारम्भ करेंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, कुल 308 में से 231 स्कूटी जोधपुर की एकदम रेडी हैं। माननीय विधायक कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी से बंटवायेंगे। आप तारीख तय कर दें उसी दिन बंटवा देंगे। हम तो एकदम रेडी हैं। हमने तो पेमेंट भी डाल दिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरुपे के माध्यम से हम परचेज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तारीख विधायक से पूछेंगे या मुख्य मंत्री जी से पूछेंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अब विधायक ही मुख्य मंत्री जी से पूछकर कर देंगे। अगर विधायक जी बांटें तो इनकी तारीख यह दे देंगे, हम तो उसी दिन उपलब्ध करा देंगे।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुकेश भाकर।

लाडनूं में रीको की स्थापना

387. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में औद्योगिक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए वर्ष 2019-2020 से 2022-23 तक कुल 126 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की गई। उक्त 126 औद्योगिक क्षेत्रों में से 53 क्षेत्रों हेतु भूमि का आबंटन किया जा चुका है। शेष क्षेत्रों में भूमि चिन्हीकरण/आबंटन/अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में 45 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भेड़ प्रजनन फार्म बाकलिया लाडनूं के नाम दर्ज ग्राम बाकलिया के खसरा नंबर 376, कुल रकबा 344-11 बीघा भूमि में से 162-00 बीघा (26.2235 हैक्टेयर) भूमि को रीको के पक्ष में आबंटन के सम्बन्ध में पशुपालन विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जिला कलेक्टर, नागौर ने पत्र दिनांक 26.04.2022 से प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्रेषित किये। प्रकरण राजस्व विभाग में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जब पशुपालन विभाग और कलेक्टर महोदय ने एन ओ सी दे दी है तो अब राजस्व विभाग से यह एन ओ सी कब तक ले ली जायेगी व रीको सेक्टर की भूमि का जो आबंटन है, उस कार्य को कब तक आप शुरू करवा देंगे?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे जो भी प्रकरण हैं और माननीय सदस्य का लाडनूं का जो प्रकरण है, उसके बारे में और सभी के लिए जैसे ही विधान सभा सत्र खतम होगा, जितने भी राजस्व विभाग में प्रकरण लंबित पड़े हैं पूरे राजस्थान के, तो माननीय राजस्व मंत्री जी से बात करके, एक दिन डेट लेकर हम इन दोनों विभागों की मीटिंग करेंगे जिससे कि सारे केसों को अप्रेल माह में ही निपटाकर के हम आगे बढ़ा सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

जनजाति क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए विशेष लाभ की योजनाएं

388. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टी एस पी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति के योग्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी एवं विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए विशेष लाभ की योजनाएं बनाई गई हैं? यदि हां, तो उक्त सुविधाएं किन नियमों के तहत दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार टी एस पी क्षेत्र से बाहर रहने वाले जनजाति के युवाओं को नौकरियों एवं विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। यह सही है कि टी एस पी एरिया में रहने वाली जनजाति के योग्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी तथा विद्यार्थियों को पढ़ाई में एवं अन्य कार्यों के लिए विशेष लाभ की योजनाएं संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के योग्य बेरोजगार युवाओं को विभाग द्वारा विभिन्न स्वरोजगार हेतु कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे है। इन संस्थाओं द्वारा युवाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के मापदण्ड विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अभ्यर्थियों हेतु अनुसूचित क्षेत्र की सीधी भर्ती में कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना अनुसार आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में गैर अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 12 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा गैर-अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विद्याथिर्यों हेतु भी छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, ई एम आर एस विद्यालयों के संचालन एवं शैक्षणिक उन्नयन हेतु शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाएं चलायी जा रही हैं। विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए छात्रावासों में विद्यालय समय पश्चात् अनिवार्य व कठिन विषयों की विशेष कोचिंग कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ कैरियर काउंसलिंग व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गए)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक ही प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कपासन उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रावास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक उन्नयन के लिए कठिन विषयों की कोचिंग, कौनसे कोचिंग सेंटर्स पर दी जा रही है?

श्री अध्यक्ष: टी एस पी का पूछ रहे हो या कपासन का पूछ रहे हो?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हां, वह टी एस पी का छात्रावास है।

श्री अध्यक्ष: कपासन टी एस पी में है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): टी एस पी में नहीं है, लेकिन वहां छात्रावास बना रखे हैं। इनमें आया है। सब जगह छात्रावास हैं इनके बराबर।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। वहां जिन

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

सब्जेक्ट्स में कठिनाई आती है, हम उस सब्जेक्ट की कोचिंग कराते हैं। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि आगे से उनकी कोचिंग अगर नहीं हो रही है तो हम उनकी कोचिंग करा देंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा यह निवेदन है कि 8 साल से वह छात्रावास संचालित है। टी एस पी क्षेत्रों से बाहर जितने भी छात्रावास हैं, उनमें भी यह व्यवस्था है और जवाब में भी कहा है, लेकिन वहां पर आज तक किसी भी कोचिंग सेंटर पर उन विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता है और न ही कठिन विषयों को पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें कि किसी कोचिंग सेंटर वाले को हायर करके उन बच्चों को पढ़ायें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हॉस्टल में ही कोचिंग की व्यवस्था उन छात्रों को की जाती है, जिस सब्जेक्ट में वीक हैं। कोचिंग की व्यवस्था अलग से नौकरी के लिए की जाती है। उनकी वहां हॉस्टल में व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: आप दुबारा मंत्री से मिल लें। अगला प्रश्न। श्री अशोक लाहोटी।

जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण

389. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2022-23 में सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु जयपुर में सैनिक कल्याण भवन निर्माण की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भवन निर्माण हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की जा चुकी है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य की वर्तमान में क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (1) जी हां। बजट

(राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण)

घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या-121 में सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारजनों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध करवाने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण करवाये जाने हेतु घोषणा की गई थी। (परिशिष्ट 'क')

उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भवन निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.02.2023 को भूखण्ड (4000 वर्ग मीटर) आबंटन किया गया है एवं दिनांक 03.03.2023 को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया गया है। भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाएगा।

(2) उक्त बजट घोषणा में सैनिक कल्याण भवन के निर्माण हेतु 20 करोड रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(3) सैनिक कल्याण भवन हेतु उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर-प्रथम/2023/डी-149 दिनांक 15.02.2023 द्वारा आबंटन पत्र जारी किया गया है एवं दिनांक 20.02.2023 को भूखण्ड का पट्टा निष्पादित कर प्राधिकरण की गोकुल नगर योजना में 4000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है। (विवरण परिशिष्ट 'ख')

भवन निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (RSRDC) से व्यय का पूर्वानुमान (forecast of expenditure) हेतु दिनांक 08.03.2023 को पत्र लिखा गया है। उक्त कार्यवाही उपरान्त बजट प्रावधान के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गए)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शहीद सैनिकों और विधवाओं से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न लगते ही सब समाधान हो गया। अब क्या बचा?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 23 तारीख को प्रश्न लगा और बजट घोषणा 2022-23 की थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो फैक्ट पर हो गया, आपके प्रश्न लगने के बाद सारा उत्तर ढंग का आ गया, जमीन अलाट हो गई।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री अशोक लाहोटी)

माध्यम से केवल यह पूछना चाहता हूं कि इसमें बजटीय प्रावधान, बजट एलोकेशन 'जीरो', काम प्रारम्भ 'जीरो', जो लैंड अलाट की है वो इस 23 तारीख को क्वेश्चन लगने के बाद फरवरी-मार्च में की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यही तो कह रहे हैं कि 08.03.2023 को हुआ, अभी इंतजार करें। अगला प्रश्न पूछें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अगला प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है कि जो बजट की घोषणाएं हैं उनको पांच-छह सालों में पूरा करे और उस वित्तीय वर्ष में झांके भी नहीं क्योंकि यह 2022-23 की घोषणा थी और 2023-24 शुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बजट घोषणाएं एक वर्ष के लिए करती हैं या पांच-छह वर्षों के लिए करती है?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब माननीय सैनिक कल्याण मंत्रीजी नहीं देंगे।

अगला प्रश्न। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

स्टेट हाईवे पर नियम विरुद्ध शराब की दुकानों का संचालन

390. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि स्टेट हाईवे नम्बर 78 कठूमर से दौसा पर नियम विरुद्ध अवैध शराब की दुकानें संचालित हैं? यदि हां, तो क्यों? सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाइवे, स्टेट हाईवे पर 220 मीटर से कम दूरी पर शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है? यदि हां, तो जिला दौसा में से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्गों पर उक्त नियमों की अवहेलना कर अनेक शराब की दुकानें संचालित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध उक्त दुकानों की लोकेशन की स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। स्टेट हाईवे नंबर 78 कठूमर से दौसा पर वर्तमान में नियम विरुद्ध अवैध शराब की दुकानें संचालित नहीं हैं।

(2) यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल हाईवे/ स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों के लिए मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं। दौसा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों की अवहेलना कर शराब की दुकानें वर्तमान में संचालित नहीं हैं।

(3) मदिरा दुकानों की लोकेशन नियम विरुद्ध स्वीकृत किया जाना पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): मैं सीधा प्रश्न पूछ लेता हूं?

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया, माननीय मंत्रीजी। प्रश्न पूछ लें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसम्बर, 2016 और 31 मार्च, 2017 शराब की दुकानों की दूरी सड़क से कितनी हो, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि 220 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। राजस्थान सरकार उस निर्णय को मानती है या नहीं मानती? हां या न।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को राज्य सरकार मानती है या नहीं मानती है तो उसको मानने में राज्य सरकार बाध्य है। ऐसा मैंने उत्तर में भी बताया है कि ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहां एन एच या एस एच पर कोई शराब की दुकानें आज की तारीख में संचालित हैं। माननीय सदस्य का सवाल पूछने का जो आशय है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): है।

श्री अध्यक्ष: मदनजी, आपको कैसे मालूम है कि है कि नहीं है? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं माननीय सदस्यों को फिर कहना चाहता हूं कि अगर स्टेट हाईवे, एन एच पर 220 मीटर के अंदर दुकानें हों आप शिकायत कर दो, आज ही उसकी कार्यवाही करा देंगे। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि स्टेट हाईवे 78, दौसा से कठूमर है जिसका 5 सितम्बर, 2021 को स्टेट हाईवे के रूप में डिक्लेरेशन हुआ। मैं माननीय मंत्रीजी से दो तारीख पूछना चाहता हूं कि स्टेट हाईवे पर जितनी भी दुकानें हैं उनकी लोकेशन स्वीकृति पास करने की दिनांक और बन्द करने की दिनांक, जहां तक मुझे जानकारी है, 01 अप्रैल, 2022 इनकी लोकेशन पास करने की तारीख है और विधान सभा में प्रश्न लगने के बाद 09 मार्च, 2023 को वो दुकान होने का मामला है तो 11 महीने तक ये दुकानें क्यों चलीं? इस डेट के बारे में आप स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य ने पूछा, यह सही है कि एम डी आर 2021 में डिक्लेयर हुआ पर आज भी इसका नोटिफिकेशन, न तो उसकी कलेक्टर को कोई सूचना दी एम डी आर होने की, एम डी आर आज भी है, स्टेट हाईवे होने की, आज भी चारों तरफ के फोटोग्राफ मैंने मंगवाए हैं, आज भी वहां पर 'एम डी आर' लिखा हुआ है, बैजूपाड़ा हो या कठूमर हो, वहां पर कलेक्टर को सूचना देनी चाहिए थी जब यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसलिए ज्यों ही माननीय सदस्य ने सवाल को लगाया, मामला हमारी जानकारी में आया, कलेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। किसी विभाग में कोई सूचना नहीं है, फिर हमने इसकी सारी जानकारी करके जो दुकानें थीं उन सबको उसी दिन हटा दिया।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि 13 अगस्त, 2022, 27 दिसम्बर, 2022, 28 फरवरी, 2023, जिसमें 2 दिन मैं लगातार आबकारी आयुक्त महोदय के कार्यालय में पहुंचा हूं 27 दिसम्बर, 2022 को और 28 फरवरी, 2023 को, सातवें सत्र में मैंने क्वेश्चन लगाया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, 131 में इनका आया कि हमारे यहां स्टेट हाईवे पर और नेशनल हाईवे पर कोई भी दुकान अवैध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): हां, मैं वही पूछ रहा हूं। 131 में जवाब आया कि माननीय विधायक की स्टेट हाईवे के सम्बन्ध में फिर भी कोई शिकायत है तो हम जांच करेंगे। जांच में इन्होंने दिया कि दस महीने पहले जांच कमेटी बना दी है, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। जब मैं आबकारी आयुक्त महोदय को...

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न पूछना है कि उत्तर देना है?

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): यस। आबकारी आयुक्त महोदय को जब मैं 27 सितम्बर को मिल रहा हूं और यह कह रहा हूं कि यह स्टेट हाईवे है तो उनके संज्ञान में क्यों नहीं आया?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा।

श्री अध्यक्ष: उनके संज्ञान में वर्बली आया था, कागज नहीं आया था।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): कागज दिया है, मेरे पास...

श्री अध्यक्ष: बैठें आप, माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ज्यों ही हमारे संज्ञान में आया, हमने वहां से फोटोग्राफ मंगवाए। आज भी 'एम डी आर' ही लिखा हुआ है। न कोई काम हुआ, इन्होंने न कलेक्टर को सूचना दी, न किसी विभाग को दी, न गजट नोटिफिकेशन जारी किया, इसलिए वहां पर परमिशन मिली। ज्यों ही यह हुआ कि स्टेट हाईवे हो गया, हमने सब दुकानों को निरस्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसका मतलब यह है कि यदि कोई स्टेट हाईवे डिक्लेयर होता है विभाग के द्वारा उसकी कास्पोंडिंग सूचना कहीं नहीं जाती है जबकि आपके आबकारी नीति में लिखा हुआ है कि स्टेट हाईवे के सम्बन्ध में यह रहेगा, तो क्या पी डब्ल्यू डी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आबकारी विभाग को यह सूचना करे कि ये स्टेट हाईवे डिक्लेयर हुए हैं। यह जो गैप है उस गैप को करेक्ट करने के लिए आप उनको निर्देश दें कि जब-जब भी वो डिक्लेयर करें, उसकी सूचना आपके आबकारी विभाग को दें तो फिर यह कोंट्राडिक्शन नहीं आयेगा।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि ज्यों ही यह डिक्लेयर हुआ स्टेट हाईवे, पी डब्ल्यू डी की नेग्लीजेंसी है, उन्होंने न आबकारी विभाग को सूचना दी, न कलेक्टर को दी, न किसी और विभाग को दी। यह जानकारी तब आई जब माननीय विधायक ने यह सवाल लगाया। हमने तुरंत उन दुकानों को निरस्त कर दिया। मैं तो सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, माननीय मंत्रीजी, आप समझे नहीं। आबकारी विभाग पी डब्ल्यू डी विभाग को लिखकर भेजे कि जब-जब भी स्टेट हाईवे

(श्री अध्यक्ष)

डिक्लेयर करे तब-तब वो सूचना आबकारी विभाग को दे तो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। हम इस बारे में इंतजार क्यों करें?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लिख दिया गया है इनको जब यह जानकारी आई, आबकारी विभाग ने सब लिख दिया कि जब भी स्टेट हाईवे या एन एच हो तो आबकारी विभाग को जानकारी दें जिससे दुकानों की लोकेशन में परिवर्तन किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद

391. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पशु चिकित्सा अधिकारी की लम्बित भर्ती को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं व कितने पदों पर संविदा पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल) (पशुपालन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 22-10-2019 को 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसका प्रोविजनल परीक्षा परिणाम दिनांक 26.11.2020 को जारी किया गया। परिणाम पर दिनांक 08.12.2020 को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2022 को निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. स्पेशल वाद दायर किया।

वर्तमान में उक्त डी.बी. स्पेशल अपील पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2022 को निर्णय करते हुए फैसला/निर्णय सुरक्षित रखा

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

है। राज्य सरकार की ओर से प्रकरण में पैरवी कर अति शीघ्र निस्तारण के लिए महाधिवक्ता महोदय की नियुक्ति की गई है।

(2) वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत पद 2,307 हैं जिनमें से 991 पद रिक्त हैं। विभाग में संविदा पर कोई पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत नहीं है।

(3) पशुपालन विभाग में संविदा पर कोई पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछ लें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्पी से जूझते प्रदेश में 5 सालों से भर्ती पेंडिंग है, और 5 माह से तो फैसला रिजर्व है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि बजट घोषणा 2021-21 में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर घोषित 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा में कितने वेटेरिनरी डाक्टरों को और दूसरे स्टाफ को नियुक्ति दी गई है? अप्रेल, 2022 में केन्द्र में भी मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट चलाने की बात की, राजस्थान में 536 मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट शुरू करने की बात की। ए एस, एफ एस निकल गई, इन पर भी राजस्थान में कितने पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक स्टाफ लगाये गए? माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: 2019 से स्टे चल रहा है माननीय सदस्य, कहां प्रश्न पूछ रहे हो? माननीय मंत्रीजी।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर 593 पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं, ये यू टी बी बेसिस पर हैं, संविदा बेसिस पर कोई अधिकारी नहीं लगाया गया है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोर्ट में स्टे है और आप प्रश्न पूछते जाएंगे तो उत्तर निकलेगा नहीं।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में 5 महीने से फैसला सुरक्षित है।

श्री अध्यक्ष: तो कोर्ट को अपन डायरेक्शन थोड़े ही दे सकते हैं?

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रयास करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप।

अगला प्रश्न। श्री वाजिब अली।

नगर में जल जीवन मिशन के तहत चिह्नित गांव

392. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़) (श्री वाजिब अली (नगर) के स्थान पर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कितने व कौन-कौनसे गांव चिह्नित किये गए व कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में कितना कार्य किया जा चुका है व कितना कार्य शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वंचित गांवों को भी उक्त योजना के अन्तर्गत चयन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र नगर के सभी 230 ग्राम सतही जल स्रोत चम्बल नदी आधारित वृहद् पेयजल परियोजना चम्बल-धौलपुर-भरतपुर के अन्तर्गत सार्वजनिक नलों (पीएसपी) के माध्यम से लाभान्वित किये जा चुके हैं।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर क्रियाशील जल सम्बन्धों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विधान सभा क्षेत्र नगर के 230 ग्रामों में से 72 ग्रामों के लिए 47 अन्य योजनाओं (वृहद् परियोजनाओं के अतिरिक्त) की कुल राशि रुपये 88.73 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है।

शेष 158 ग्रामों में भूजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण इन ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सतही जल स्रोत चम्बल नदी पर आधारित धौलपुर एवं भरतपुर जिले के 743 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की वृहद् पेयजल परियोजना चम्बल-धौलपुर-भरतपुर के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त वृहद् पेयजल परियोजना के अन्तर्गत इन 158 ग्रामों को हर घर जल सम्बन्धों द्वारा लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यों सहित विधान सभा क्षेत्र नगर के सभी 230 ग्रामों एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

शहरी क्षेत्र नगर व सीकरी की जल मांग सहित धौलपुर एवं भरतपुर जिले के 743 ग्रामों एवं 8 शहरों को लाभान्वित करने के लिए राशि रुपये 3106.31 करोड़ के योजना प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की 32वीं बैठक दिनांक 25.02.2022 के द्वारा जारी की जा चुकी है। स्वीकृत कार्यों को चार पैकेजों में विभक्त किया गया है जिसकी स्वीकृति वित्त समिति की बैठक संख्या 817 दिनांक 27.09.2022 द्वारा जारी की जा चुकी है। नगर विधान सभा क्षेत्र के 158 ग्रामों को उक्त वृहद परियोजना के पैकेज संख्या 4 में शामिल किया गया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति तकनीकी समिति की बैठक संख्या 733 दिनांक 14.11.2022 द्वारा राशि रुपये 291.32 करोड़ की जारी की जा चुकी है। योजनाओं की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) 72 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लिए स्वीकृत 47 अन्य योजनाओं (वृहद् परियोजनाओं के अतिरिक्त) में से 20 ग्रामों हेतु 17 जल येाजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है, जिनमें अलग-अलग योजनाओं में 5 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन योजनाओं को चरणबद्ध रूप से माह नवम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष 52 ग्रामों हेतु 30 जल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन योजनाओं को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

वृहद् पेयजल परियोजना चम्बल-धौलपुर-भरतपुर के पैकेज संख्या 4 के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु निविदा दिनांक 17.11.2022 को जारी की गई जिसे वित्त समिति की बैठक संख्या 840 दिनांक 28.02.2023 में लिए गए निर्णयानुसार निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। वृहद् परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित 158 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। योजनावार प्रगति विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नगर के सभी 230 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं की स्वीकृतियां विभाग द्वारा जारी की जा चुकी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री क्वेचन हों तो पूछें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि जितने काम अभी तक जल जीवन मिशन में हुए हैं, उनकी क्वालिटी, चाहे पाइप हो, सीमेंट हो, नियमों के अनुसार हुए हैं?

दूसरा प्रश्न यह है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में 230 गांवों की स्वीकृति जारी हुई है, इसकी कापी आप उपलब्ध करवा दीजिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग में क्वालिटी कंट्रोल का अलग चीफ इंजीनियर है। क्वालिटी कंट्रोल सम्बन्धी कोई भी शिकायतें आती हैं, खराब काम की, खराब क्वालिटी की, उसकी जांच का एक सिस्टम है, वह लगातार चलता रहता है। किसी जांच विशेष के बारे में माननीय सदस्य पूछेंगे तो मैं उनको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे भी चूंकि प्रश्न के स्कॉप में नहीं था इसलिए इनको बाद में बता पाऊंगा जैसा ये चाहेंगी।

जहां तक 230 ग्रामों में काम की कापी उपलब्ध कराने के लिए कह रहे हैं, मैंने परिशिष्ट में पूरी जानकारी दी है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 230 ग्रामों में से 158 ग्रामों की जो हमने योजनाएं बनायी थीं एफ एच टी सी के लिए, उन्हें फाइनेंस ने रिजेक्ट कर दिया है। फाइनेंस ने परमिशन नहीं दी तो हमने टेंडर निरस्त कर दिए। निरस्त हुए टेंडरों की कापी उपलब्ध कराने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बाकी 72 ग्रामों को जो हम जल जीवन मिशन में लाभान्वित कर रहे हैं, उसकी जानकारी मैंने दी है। ओ टी एम पी (Other Than Major Projects), उसके हिसाब से हमने 72 ग्रामों को लिया हुआ है। उनमें से 20 में कार्य प्रगतिरत है और 52 में निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। जिस भी निविदा की कोई सूचना चाहेंगे, हम माननीय सदस्या को उपलब्ध करा देंगे।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन में 230 गांवों की सूचना दी है और अब आप संख्या कम बता रहे हैं तो इसका क्या कारण है? जल जीवन मिशन एक मिशन है कि जनता को पानी पिलाना है। इसमें इतनी देरी हो रही है। पानी का काम महिलाएं करती हैं। महिलाएं तो हर गांव में परेशान हो रही हैं। मैं तो चाहती हूं, गर्मियों से पहले जहां के टेंडर हो चुके, कम्प्लीट हो जाने चाहिये। जहां की एफ एस नहीं निकली है, जिन्हें इसमें कवर नहीं किया गया है, उन समस्त गांवों को तुरन्त प्रभाव से कवर करके टेंडर करने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, नगर का प्रश्न है, जनरल प्रश्न नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

पलसाना दुग्ध संघ द्वारा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर परिलाभ

393. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दुग्ध संघ पलसाना द्वारा वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों, सुपरवाइजर को उनके सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले परिलाभों को अब तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को कौन-कौन से परिलाभ नहीं दिए गए हैं व कौन-कौन से परिलाभ कब-कब दिए गए? कर्मचारीवार व राशि सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा भी प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फैडरेशन लि., जयपुर को वर्ष 2021 में एक माह में मामले का निस्तारण कर भुगतान करने हेतु पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हुए केवल मात्र एक कर्मचारी का परिलाभ रोका गया है। विवरण प्रदर्श-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। श्री देवीप्रसाद पुरोहित के प्रकरण में दुग्ध संघ, सीकर द्वारा संघ के विधि सलाहकार की विधिक राय के अनुसार श्री पुरोहित के नाम रुपये 67,15,215.18 लेखों में बकाया रहने, सेवा काल के दौरान जारी छह विभागीय जांचों पर प्रकरण लम्बित रहने, चार्ज का आदान-प्रदान नहीं करने, कमेटी को पुराना स्थाई रिकार्ड सुपुर्द नहीं करने व बकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण श्री पुरोहित को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(3) श्री देवीप्रसाद पुरोहित के प्रकरण में दुग्ध संघ, सीकर द्वारा संघ

(गोपालन मंत्री)

के विधि सलाहकार की विधिक राय के अनुसार श्री पुरोहित के नाम रुपये 67,15,215.18 लेखों में बकाया रहने, सेवाकाल के दौरान जारी छह विभागीय जांचों पर प्रकरण लम्बित रहने, चार्ज का आदान-प्रदान नहीं करने, कमेटी को पुराना स्थाई रिकार्ड सुपुर्द नहीं करने व बकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण श्री पुरोहित को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा सका है। अतः सीकर दुग्ध संघ प्रबन्धन द्वारा कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है कि विभाग की जांचें चल रही हैं। इन कर्मचारियों को रिटायर हुए चार साल से ज्यादा हो गए। आपकी ऐसी कैसी जांचें चल रही हैं कि चार साल तक पूरी नहीं हो रहीं? कृपया एक तो जांच की समय-सीमा तय करें। दूसरा, जब सेम प्रकरण में तीन कर्मचारी दोषी थे तो दो कर्मचारियों को तो सारी ग्रैच्युटी और उपार्जित अवकाश का भुगतान कर दिया और एक यह देवीप्रसाद पुरोहित को ही क्यों रोक रखा है आपने? इसका भुगतान कब तक करेंगे? डिपार्टमेंट इस आदमी के साथ ही क्यों दोहरा व्यवहार कर रहा है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के कई पक्ष होते हैं। स्वयं कर्मचारी का सहयोग, वांछित दस्तावेज आदि, फिर भी माननीय सदस्य की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं आश्वस्त करता हूं कि विभाग का पूरा प्रयत्न रहेगा कि दो माह में जांच पूरी कर ली जायेगी। साथ ही, माननीय सदस्य ने परिलाभ के भुगतान की जो बात कही है, जांच के चलते या जांच के बाद में दिए जा सकते हैं, उनका नियमानुसार भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: काम की बात हो गई, लम्बा खींचने से क्या मतलब है?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम प्रकरण दो आदमियों...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात बोल चुके हैं। मैं सुन चुका हूं। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास

394. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में माह जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक किस-किस ग्राम पंचायत में कितने आवासों का निर्माण किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पात्र व्यक्ति को आवास स्वीकृत नहीं किये गए हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त के लिए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में माह जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक 4,962 आवासों का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में वे लोग वनभूमि एवं गोचर भूमि पर रह रहे हैं। सरकार उन पर क्या विचार कर रही है? जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक 4,962 आवास बताये गए हैं। उनमें कितने पैंडिंग हैं? इसके साथ-साथ, उक्त पीएम आवास की सूची में कितने नाम हटाये गए? हर ग्राम में बहुत से पात्र व्यक्तियों को कम्प्यूटर सिस्टम से हटा दिया गया है। सरकार इस विषय पर क्या विचार कर रही है? वंचित व्यक्तियों के नाम अधिकारियों ने मनमर्जी से नाम हटाये हैं। क्या सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी?

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो टार्गेट था, कुल जो लक्ष्य दिया गया था हमें, 5,616 स्वीकृतियां हुई, जिनमें से 4,962 पूर्ण हुए और 654 प्रोग्रेस में हैं। उसके अलावा कुछ बकाया रह गए हैं। करीब 72 परिवार भूमिहीन हैं और 9 परिवार ऐसे हैं

(श्री रमेश चन्द मीना)

जिनके प्रक्रियाधीन हैं। आवास अपात्र किये गए 814 हैं, जो पात्रता में नहीं आते। रिजेक्टेड बाई सिस्टम 1,279 हैं। आवास अपलोड होने से रह गए वे 2,756 हैं।

इस तरह जो अपात्र व्यक्ति, अपलोड होने से रहने से या रिजेक्टेड बाई सिस्टम से बाहर चले गए, भारत सरकार राज्य सरकार को दिशा-निर्देश देती है कि पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाए। मैं खुद माननीय मंत्री महोदय गिरिराज सिंह से पर्सनली मिला हूं। मुख्य मंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास करें, जिससे गरीब व्यक्ति को आवास मिल सके। अभी 2023-24 का तो लक्ष्य भी निर्धारित नहीं हुआ है, वह भी आप दिलाने का प्रयास करें तो अच्छी बात होगी।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं, यह 2018 की सूची है। यह पंचायत समिति रावतसर की है। मुकेश कुमार सन आफ द्वारका प्रसाद। उसकी जगह खुद की है। किराये पर रह रहा है, पर ऐसे अनेकों प्रकरण हैं पंचायत समिति रावतसर में, पंचायत समिति पीलीबंगा द्वारा नाजायज हटा दिए गए हैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं। जो पात्र हैं पर नाजायज हटाये गए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब संख्या ऊपर से अलाउ करेंगे, तब कंसीडर करेंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): नहीं साहब, सूची में नाम है, उसमें से नाम हटा दिया। अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर नाम हटा दिया गया, उसकी बात कर रहा हूं।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो अपात्र व्यक्ति हैं, अधिकारियों द्वारा नहीं हटाये गए। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके माध्यम से वे नाम हटाये गए। किसी के पांच एकड़ से ज्यादा भूमि इर्रिगेटेड है या पहले से उसके पास मकान है या फिर उसके पास में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप तो मुकेश का जो नाम लिया गया है, उसके बारे में बता दें या उन्हें सूचना दे दें। माननीय सदस्य, आप तो लिखकर भेज दें, उसकी अपात्रता के बारे में बता देंगे वे।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को मान्यता

395. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या उपभोक्ता मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में प्रदेश में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तीकरण के लिए क्या-क्या कार्य किये गए? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कितने स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को मान्यता प्रदान की गई है व उक्त को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उपभोक्ता विवादों के समाधान में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका व अधिकार क्या है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उपभोक्ता मामलात मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) सरकार द्वारा प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के सशक्तीकरण के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियम-2021 के प्रावधानानुसार सदस्य मनोनीत किये गए हैं तथा राष्ट्रीय एवं विश्व उपभोक्ता दिवस पर राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को आमंत्रित किया जाता है।

(2) स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करना विभाग से सम्बन्धित नहीं है। स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है।

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35(1)(ख) के अनुसार कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम, चाहे वह उपभोक्ता, जिसे ऐसे मालों का विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या जिसे ऐसे मालों का विक्रय करने या परिदान करने की सहमति दी गई है या ऐसी सेवा प्रदान की गई है या प्रदान करने की सहमति दी गई है या जो ऐसे मामलों या सेवाओं के सम्बन्ध में अनुचित व्यापार व्यवहार पर अभिकथन करता है, ऐसे संगम का सदस्य है या नहीं; द्वारा विक्रय की गई किसी वस्तु या परिदत्त की गई या बिक्री की गई या परिदत्त की गई या उपलब्ध कराई गई किसी सेवा या उपलब्ध कराये जाने के लिए सहमति दी गई किसी सेवा के सम्बन्ध में परिवाद को जिला आयोग के पास फाइल किया जा सकेगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 49 के अनुसार धारा 35(1)(ख) राज्य आयोग पर भी लागू होगी। अत: उपभोक्ता विवादों के

(उपभोक्ता मामलात मंत्री)

समाधान में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और अधिकार परिवादों को जिला आयोग/राज्य आयोग में दर्ज करवाये जाने में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 के उत्तर में यह दिया गया है कि स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी कि कितनी पत्रावलियां प्रक्रियाधीन हैं, कब से प्रक्रियाधीन हैं और ये कब खतम हो जाएंगी?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि उपभोक्ता कल्याण कोष द्वारा वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को किन-किन प्रयोजनों के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी गई और उसका उपभोक्ता शिकायतों के निवारण पर क्या प्रभाव पड़ा?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नियम हैं, इनमें जो आवेदक संगठन होते हैं, ये जब हमारे यहां आवेदन करते हैं, उसकी पूरी नियमावली बनी हुई है। दो लोगों ने आवेदन किया था। उसमें से एक रिजेक्ट इसलिए हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी शीट प्रस्तुत नहीं की जो हिसाब-किताब की होती है।

दूसरा, कट्स का विचाराधीन है। समय-समय पर हम ऐसे संगठनों की मदद करते हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई संगठन चाहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। आप बता देना, उनकी भी हम मदद कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, एक बार बताना?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दूसरे क्वेश्चन में मैं बस यही जानना चाहती हूं कि अपन जो धनराशि इन्हें देते हैं या जो भी प्रतिवर्ष आपके पास इनके लिए धनराशि आती है, वह कितनी धनराशि आयी है? इनकी जो शिकायतें होती हैं, उनका निवारण कितने दिनों में, कितने समय में हो जाता है और उसका जो प्रभाव है, उससे वाकई में सही हो जाती हैं चीजें या नहीं? यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कंज्यूमर कोर्ट में जो लोग एप्लाई करते हैं, उनकी सहायता के लिए इस तरह

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)
के संगठन चल रहे हैं। उनमें से एक कट्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह के संगठनों की हम समय-समय पर मदद करते हैं जब वे मदद मांगते हैं। फिर भी यदि आपके पास कोई सुझाव है, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे। यदि फिर भी, ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं, उनमें मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ये जो उपभोक्ताओं से जुड़े मामले हैं, आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए काम करना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं अध्यक्ष महोदय के जरिये आप सबसे कहूंगा, उपभोक्ताओं के साथ जब अन्याय होता है तो हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं। एम आर पी से ज्यादा कोई पैसे नहीं ले सकता, शुद्ध बेचने के लिए सब अधिकृत हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन आवर में टाइम लिमिट है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): फिर भी आपके पास यदि कोई शिकायत आये तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए हमारे डिपार्टमेंट को जो भी सुझाव देंगे, वे सब सुझाव हम लागू करेंगे। आपके पास कोई भी सुझाव हों तो आप हमें अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

प्रतापगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय

396. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर) (श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़) के स्थान पर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) जिला प्रतापगढ़ के अरनोद, दलोट एवं सुहागपुरा तहसील में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों पर कितने-कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं तथा उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने पद रिक्त हैं? कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्यात्मक पदवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों को कितना मानदेय दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त का प्रतिमाह मानदेय बढ़ाकर स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त को सेवानिवृत्ति उपरान्त पेन्शन देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) प्रतापगढ़ जिले की अरनोद, दलोट एवं सुहागपुरा तहसील में क्रमश: 90, 117 व 125 कुल 332 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त तीनों तहसीलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 310 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्यरत हैं व 22 पद रिक्त हैं तथा 313 आंगनबाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं व 19 पद रिक्त हैं।

संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों, कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिका की संख्या एवं रिक्त पदों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तीनों तहसीलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 271 आशा सहयोगिनियां कार्यरत है व 4 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ में समाहित है।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों को दिए जा रहे मानदेय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों को राज्य निधि मद से दिए जा रहे मानदेय में दिनांक 01.04.2023 से 15 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की घोषणा की गई है। उक्त कार्मिकों को स्थाई करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गए)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी के लिए जो अभी 01.04.2023 को 15 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि की गई है, क्या 50 प्रतिशत और वृद्धि करने की कोई मंशा रखते हैं या सेवानिवृत्त होने पर उन्हें पेंशन देने का विचार रखते हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमारे मानदेय कर्मचारियों की जो चिंता की है उसमें लगातार पिछले तीन वर्षों से राज्य सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट के अन्दर 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, कुल 45 प्रतिशत मानदेय बढ़ा दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो

(श्रीमती ममता भूपेश)

मानदेय कर्मचारियों का मानदेय है यह 60:40 के अनुपात में चलता है, 60 केन्द्रांश और 40 राज्यांश होता है, लेकिन आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि राज्यांश तो 70 प्रतिशत हो चुका है और केन्द्रांश सिर्फ 30 प्रतिशत है तो केन्द्र को हमने कई बार पत्र लिखा कि जिस आधार पर यह विभाग चल रहा है जिसकी मूलभूत भावना दोनों सरकारों की मिलकर कार्य करने की है तो केन्द्रांश को बढ़ायें, लेकिन केन्द्रांश बढ़ नहीं रहा, वहीं का वहीं है और एक रुपया पिछले 6-7 साल के अन्दर केन्द्र सरकार का मानदेय कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया है। सद्भावनाएं तो सभी सदस्य प्रकट करते हैं....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पेंशन की बात कही है तो ये मानदेय कर्मचारी हैं इसलिए इनकी पेंशन हम नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री जी ने इनके कार्य को, इनके जज्बे को सलाम करते हुए जब ये रिटायर होंगे तब इनको एकमुश्त दो और तीन लाख रुपये देने की बजट घोषणा इसी बजट के अन्दर की है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लाखन सिंह।

करौली में सड़क किनारे से झाड़ियां एवं बबूल हटाने की कार्ययोजना

397. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सड़क के दोनों तरफ आने वाली झाड़ियों एवं बबूल को हटाने के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र करौली में उक्त कार्य कब-कब स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): जी नहीं। सड़क के दोनों ओर आने वाली झाड़ियों एवं बबूल को हटाने के कार्य हेतु अलग से कोई स्वीकृति जारी नहीं की जाती, अपितु साधारण वार्षिक मरम्मत कार्य के दौरान उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में आवश्यकतानुसार झाड़ियों एवं बबूल हटाने का कार्य भी किया जाता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विभाग द्वारा गारण्टी अवधि में चल रही सड़कों पर झाड़ियों एवं बबूल हटवाने का कार्य सम्बन्धित संवेदकों से कराया जाता है एव अन्य सड़कों पर साधारण मरम्मत कार्य के तहत झाड़ियां एवं बबूल आदि हटाने का कार्य करवाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: डाइरेक्ट प्रश्न पूछ लें। उत्तर पढ़ा हुआ मान लें।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र डांग क्षेत्र है और इसमें सड़क के किनारे जो झाड़ियां हैं उनके लिए उत्तर में दिया है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में आवश्यकतानुसार झाड़ियां एवं बबूल हटाने का कार्य किया जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि झाड़ियां हटाने का टेंडर कब-कब किया गया और कब ये झाड़ियां हटाई गई हैं?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उनका मूल प्रश्न था, उसके उत्तर में मैंने जवाब दिया है कि अलग से झाड़ियां, बबूल हटाने का टेंडर नहीं किया जाता है। साल में एक बार जब बारिश होती है उस समय पर सतत प्रक्रिया है कि सड़कों के साइड में झाड़ियां और इस तरह के जो पौधे उग जाते हैं उनको जब एस आर के तहत मरम्मत का कार्य होता है तो और हम लोग जब टेंडर निकालते हैं तो उसी में झाड़ियां साफ करने का काम करते हैं। हम लोगों ने 2019-20 में 58.53 लाख रुपये, मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: उनके विधान सभा क्षेत्र की झाड़ियां हटाने का काम करो। धन्यवाद।

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जेलों में आपत्तिजनक सामग्री

398. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की जेलों में मोबाइल हैण्डसैट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटनाएं निरन्तर हो रही हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में जेलों का कब-कब निरीक्षण किया गया एवं उक्त अवधि में जेलों में कैदियों के पास कौन-कौनसी वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में पाई गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) सरकार द्वारा उक्त घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जेल मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) प्रदेश की कारागृहों में मोबाइल हैण्डसैट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने के प्रकरण आ रहे हैं, जिनके निम्न कारण हैं:-

1. कारागृहों के आसपास ऊंची इमारतों का निर्माण होने के कारण आसानी से निषिद्ध वस्तुओं को कारागृहों में फेंक दिया जाता है।
2. कारागृहों की दीवार (मेनवाल) से निषिद्ध सामग्री बंदियों के परिजनों/साथियों द्वारा अन्दर फेंका जाता है।
3. कारागृहों के अन्दर प्रतिदिन बंदी/सामान की आवक-जावक होती है।
4. कई अवसरों पर सुरक्षा उपकरण भी निषिद्ध सामग्री को पकड़ने में सफल नहीं होते है।
5. बंदी पेशियों पर कारागृह से बाहर जाते हैं एवं बाद पेशी वापस कारागृह पर आते हैं।

(2) गत तीन वर्षों में प्रदेश की जेलों के निरीक्षण सम्बन्धी वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ एवं इस अवधि में जेलों में कैदियों के पास से बरामद वस्तुओं एवं उनकी मात्रा का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) कारागृहों में आपत्तिजनक सामग्री के मिलने की घटनाओं को रोकने के लिए निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई है:-

1. जिला पुलिस एवं जेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर संयुक्त रूप से कारागृहों की तलाशी ली जा रही है।
2. कारागृह प्रभारियों द्वारा कारागृहों की नियमित रूप से तलाशी ली जा रही है।
3. कारागृहों की तलाशी हेतु आधुनिक उपकरणों को क्रय किया जाकर, उनका उपयोग किया जा रहा है।
4. कारागृहों में आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने पर कार्मिकों की मिलीभगत पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई है।
5. जिन बंदियों के पास से निषिद्ध सामग्री बरामद होती है, उनके विरुद्ध

(जेल मंत्री)

एफ आई आर दर्ज करायी जाती है। साथ ही उन्हें नियमानुसार दण्डित किया जाता है।

6. बंदियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गए)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या यह सही है कि प्रदेश की अधिकांश जेलों में जैमर नहीं लगे हुए हैं और यदि जैमर लगे हुए हैं तो वे बन्द पड़े हैं? यदि हां, तो जहां जैमर नहीं लगे, वहां कब तक लगवायेंगे और जहां जैमर बन्द पड़े हैं, उनको कब तक ठीक करवायेंगे?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो जैमर खरीदे थे उनमें कुल 9 जेलों के अन्दर 64 जैमर ही उस समय लगे थे और वे भी 3जी के खरीद लिए। उसके बाद 4जी आ गए और अब 5जी आ गए तो हम इसको अपग्रेड करा रहे हैं और अपग्रेड कराकर नई टेक्नोलोजी के जैमर हम लगा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि ज्यादातर जेलें आबादी के अन्दर आ गईं और उनमें जैमर की फ्रिक्वेंसी अगर ज्यादा बढ़ाते हैं तो आसपास के लोगों के मोबाइल भी काम नहीं करते हैं और कम रखते हैं तो जेल के अन्दर मोबाइल काम करते हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनकी डी पी आर बनाने की घोषणा की है। वह हम बना रहे हैं और जो आबादी के अन्दर जेल हैं इनको बाहर शिफ्टिंग करने का प्लान हम इसके अन्दर कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अजमेर सेंट्रल जेल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी तलाशी के दौरान मोबाइल और सिम बरामद हुए? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई और जांच में कौन दोषी पाये गए तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जेल का ही बार-बार पूछते हैं और ऐसे ही सारे प्रश्न पूछते हैं, समाज कल्याण का एक भी नहीं पूछते हैं। यह केन्द्रीय कारागृह, अजमेर का कौनसे साल का पूछ रहे हो आप?

श्री अध्यक्ष: अजमेर जेल का कौनसे साल का पूछा है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह 2020 का है। त्रिस्तरीय व्यवस्था होने के बाद भी 12 मोबाइल और सिम बरामद हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तर तो आने दें। मंत्री जी स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि कौनसे साल का है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): केन्द्रीय कारागृह, हाई सिक्योरिटी?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां।

श्री अध्यक्ष: जेल इतनी ज्यादा हैं कि उसमें करना पड़ता है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 100 से ज्यादा जेल हैं और किसी में मोबाइल मिलता है...

श्री अध्यक्ष: आप तो अजमेर का बतायें, प्लीज। माननीय सदस्य, आपको ज्यादा जानकारी है क्या?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लोरेंस विश्नोई नहीं है, इसमें बंदी नाईद है, बंदी पुष्कर नारायण है, बंदी सलमान है, बंदी नाजिम है, सदासुख है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, खाली जवाब दें कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद वे कैसे आये।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई सिक्योरिटी, अजमेर के अन्दर जो प्रकरण आये हैं...

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): जवाब नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जवाब पूरा है।

श्री अध्यक्ष: आपके पास जवाब है न, आक्या जी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप तो लोरेंस विश्नोई का पूछना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बतायें कि आपके पास है क्या?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): है जवाब।

श्री अध्यक्ष: तो फिर बोलो न आप। सरकार को जवाब देने का पूरा मौका दिया जा रहा है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हाई सिक्योरिटी जेल के अन्दर 10 मोबाइल बरामद हुए हैं 2020 के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: वे पूछ रहे हैं कि क्यों हुए। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उसका कारण यह है कि एक तो लगातार बंदी पेशियों पर बाहर जाते हैं। दूसरा, आबादी के अन्दर जेल बनी हुई है और पड़ोस के मकानों की छत से मोबाइल रात को....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह जवाब तो आपने दे दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं प्रश्न समाप्त कर रहा हूं। मंत्री खड़ा हो और सीनियर आदमी खड़ा हो जाए, आई डोंट लाइक।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इनको पूछ लेने दो, जो पूछेंगे उसका जवाब मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप जवाब दें। टाइम देखें प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसका कारण यह है कि आसपास के आबादी के क्षेत्र में से फेंक देते हैं या राशन सामग्री के रोजाना ट्रक आते हैं तो उसके अन्दर ले आते हैं या कोई तो मोबाइल निगल कर ले आता है। इसमें कई प्रकार की स्थिति रहती है, लेकिन मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि हमने पिछले एक साल के अन्दर एक विशेष अभियान चलाया है और इस अभियान की वजह से आप यह देखेंगे कि 2019 में तो 3,700 जांच हुई थी और 2022 में बढ़ाकर हमने 20 हजार जांचें की हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एनीथिंग, कुछ पूछना है माननीय सदस्य?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने प्रश्न यह पूछा है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद वहां पर 12 मोबाइल और सिम मिले तो इसकी जांच की क्या और जांच की तो कौन दोषी पाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? मैं पूछ क्या रहा हूं और आप जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इतना जोर से बोलोगे तो वे भूल जाएंगे।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): टोटल जांच की गई है साहब।

श्री अध्यक्ष: अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की या जांच की, यह बात

(श्री अध्यक्ष)

है। प्लीज। माननीय मंत्री जी, जवाब बोलें। माननीय सदस्य, प्लीज। नहीं, नहीं, माननीय सदस्य। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की। कागज पलटने पड़ते हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई तकलीफ है आपको? आप स्वयं भी मंत्री रहे हैं, अपने को मालूम है।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक सैकण्ड। इसमें रामनिवास थोरी, मदन देवन्दा, सुरेश यादव, राकेश चौधरी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): विभागीय कार्यवाही में 16 सीसीए, 17 सीसीए की कार्यवाही होती है। हमने अब तक 22 चार्जशीट दी हैं 17 सीसीए की और 13 चार्जशीट 16 सीसीए की दी हैं और जो भी प्रकरण होते हैं उनमें एफ आई आर दर्ज कराते हैं बंदी या जिसके पास भी मिलता है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अगला प्रश्न। श्री ललित कुमार ओस्तवाल। आप प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

जनजाति क्षेत्र में मेलों हेतु राशि

399. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ एवं जिला प्रतापगढ़ में भरने वाले मेलों में विभाग द्वारा राशि दी जाती है? यदि हां, तो माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कहां-कहां पर कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में भरने वाले मेलों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक मेले हेतु कोई राशि नहीं दी गई है। अतः सूचना शून्य है।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि 2019 से पूर्व दिया जाता था क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सबसे सिंसियर एम एल ए हैं उनको प्रश्न पूछने दें न आप। आपसे सर्टिफिकेट लेंगे चित्तौड़ का? (व्यवधान)

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा हूं कि 2019 से पहले मेलों में आर्थिक सहायता विभाग द्वारा दी जाती थी क्या?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी मेले लगते हैं वहां के स्थानीय जन-प्रतिनिधि जब भी आवेदन करते हैं या डिमांड रखते हैं तो हम उनको मेले के हिसाब से राशि देते हैं।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): सरकार भविष्य में देने का विचार रखती है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): बिल्कुल रखती है। आप मांगना, हम देंगे।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): ठीक है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सम्बन्धित सिंचाई परियोजना के पानी का आबियाना काश्तकारों से समय पर न लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों से आमजन को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में स्थित बी.ओ.टी. रोड का पुनः निर्माण करवाकर आमजन को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में ए डी

(श्री अध्यक्ष)

एम कार्यालय एवं छीपाबड़ौद में कैम्प कोर्ट नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद में स्थित खारी डैम पर बने विश्रान्ति गृह का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से एमबीएम यूनिवर्सिटी, जोधपुर में पार्ट टाइम तथा फुल टाइम कोर्सेज की कक्षाओं का संचालन एक ही समय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के विभिन्न पटवार मण्डलों को जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में टोपीदार बंदूक के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को जटिल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में अतिवृष्टि एवं शीतलहर से हुए फसल खराबे की गिरदावरी कर किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याता के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में।

(12) श्री बाबुलाल (झाडोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल में विद्युत लाइन के फाल्ट से हुई जान-माल की क्षति का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का पर्याप्त मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में बन्द पड़े ट्यूबवैलों के स्थान पर नये ट्यूबवैल खुदवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में ओलावृष्टि, तेज अंधड़, बेमौसम बरसात से हुए फसल खराबे का किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से धानका जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्या के सम्बन्ध में।

(17) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में स्टाम्प वेण्डर्स को मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय करने के पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के गांवों में सरकार द्वारा राजस्व रिकार्ड को डिजिटल किये जाने की प्रक्रिया लम्बे समय से प्रक्रियाधीन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी खनन माफियाओं द्वारा आमजन एवं शासकीय कार्मिकों की हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से गोलकी पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली में हुए हत्याकाण्ड को आत्महत्या में तब्दील करने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री छगनसिंह, श्री प्रताप सिंह, श्री रामप्रताप कासनियां एवं श्रीमती संतोष को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित ई-मित्र संचालकों की समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झालावाड़ (न्यू ब्लाक) के सामने स्थित खेल मैदान से अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से शिव तहसील, बाड़मेर के गिरल गांव से बाडखा तक मजबूत सड़क बनाई जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से रीट भर्ती 2016 के रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की पूरक/संशोधित चयन सूची जारी करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से हुए फसल खराबे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से माण्डलगढ़ के सामुदायिक अस्पताल में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से राष्ट्र की एकता, अखंडता, गौ रक्षा व सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाले महापुरुषों का पैनोरमा व डिजिटल लाइब्रेरी बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले में डी.एम.एफ.टी. के मद से राशि गैर खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यय करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में चिकारडा, निकुम तथा बोहेड़ा ग्रामों में बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले में ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का मुआवजा आपदा राहत कोष से दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, वचितों एवं गरीबों के उत्थान हेतु महर्षि बालीनाथ विकास बोर्ड का गठन करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में यूनानी औषधालय एवं आयुष चिकित्सालय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री अमर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद में अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में परिवहन निगम की बसों का सुचारु संचालन कराकर आमजन को राहत दिलवाए जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यगण, आज दो इम्पोर्टेंट डिमांड्स हैं, फोरेस्ट एवं स्वायत्त शासन विभाग, इसलिए सब 295 पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के तहत पढ़ी गईं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

माननीय सदस्य श्री छगनसिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आहोर स्थित बी.ओ.टी. रोड का पुन: निर्माण

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर, जो जालौर का मुख्य मुद्दा है, उस पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में और पूरे जालौर जिले के लिए रोहट बी.ओ.टी. सड़क की 2012 में घोषणा हुई। वर्ष 2013 से टोल वसूली शूरू हुई। वर्ष 2020 में उस रोड का नवीनीकरण करना था, लेकिन 2021 तक बार-बार सूचना देने के बाद भी पेचवर्क भी नहीं किया। बार-बार सूचना देने के बाद भी ठेकेदार मैसर्स चेतक मित्रा टोलवेज लिमिटेड ने पेचवर्क भी नहीं किया और नवीनीकरण की तारीख थी, वह भी एक वर्ष तक नहीं किया। हम लोगों ने और जालौर

(श्री छगनसिंह)

विधायक ने 22 दिन तक वहां पर धरना दिया, वहां 22 दिन तक बैठे रहे। उस दरम्यान 22वें दिन कलेक्टर, डी एल ओज के नेतृत्व में, हमारे तीन विधायक रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह जी देवल, जालौर विधायक जोगेश्वर जी और मैंने, तीनों ने मिलकर हमारा समझौता किया कि 100 दिन में यह सड़क बनाकर दे देंगे। 100 दिन के बाद हम लोगों ने कहा कि अभी तक रोड नहीं बनी है और रोड नहीं बनी तो हमने उनको वापस सूचना दी तो उन्होंने रोड बनाने से वापस इन्कार किया। ये समझो कि बना रहे हैं, बना रहे हैं, बस।

फिर वहां की जनता हाईकोर्ट में गई कि इस रोड से आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना से कई मौतें हुई हैं जिससे हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया कि जब तक रोड नहीं बनेगा, तब तक टोल नहीं लिया जायेगा। आज एक साल होने के बाद भी मैसर्स चेतक मित्रा टोलवेज लिमिटेड, वहां पर रोड नहीं बना रही है। उसके बाद में हाईकोर्ट में यह कह रहे हैं कि उस रोड की क्वालिटी 2012 में जो रोड बना था, अभी वह रोड खराब।

श्री अध्यक्ष: कोर्ट के बारे में रैफर नहीं, प्लीज हो गया।

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। परसों भी मेरे सामने रविवार की घटना बताता हूं। मेरे सामने बलाराम देवासी की मौत हो गई। इस रोड पर खड्डों की वजह से, खड्डों से बचने के चक्कर में, वह जब मोटर साइकिल से टर्न ले रहा था। उसके साथ दो सवारी थीं, एक के तो 12 फ्रेक्चर हुए और एक की आन दी स्पाट डैथ हो गई और करीब 10 मौतें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow it.

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मेरा यह वास्तव में बहुत गम्भीर मुद्दा है। मैं कह रहा हूं कि इस सड़क को बनाया जाए। मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं। इस टोल रोड पर वास्तव में 100 मौतें हो चुकी हैं। वहां ग्रेनाइट उद्योग है, उसको भी खतम कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. घर बैठे आपकी बात मान ली, आपकी बात को सुन रहे हैं, आप जिस गम्भीरता से कह रहे हैं, वह बात समझ में आ रही है।

श्री प्रताप सिंह। (व्यवधान) There is no point of information. You can share it with the Minister.

छबड़ा में एडीएम कार्यालय एवं छीपाबड़ौद में कैम्प कोर्ट की स्थापना

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। छबड़ा, छीपाबड़ौद विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग को आपके जरिये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि मेरी इस मांग को पूरा करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा और छीपाबड़ौद से बारां जिले की दूरी करीब 65 से 70 किलोमीटर है और पंचायत समिति छीपाबड़ौद और छबड़ा में जो पंचायतें आती हैं, उनकी दूरी को अगर हम देखें तो किसी पंचायत की दूरी बारां से 120 किलोमीटर, 125 किलोमीटर इस प्रकार वहां से दूरी है। पंचायतों से सीधे बारां पहुंचने का कोई साधन नहीं है। पहले छबड़ा आना पड़ता है और फिर छबड़ा से बारां जाना पड़ता है। इसमें समय की भी बर्बादी होती है और किसानों के पैसे की भी बर्बादी होती है। छबड़ा और छीपाबड़ौद दोनों उप खण्ड हैं और करीब 2091 केस वहां पर लम्बित हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय जोगेश्वर जी, this is not the way. आप ऐसे नहीं, यह गलत तरीका है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि छबड़ा में ए डी एम कार्यालय खोला जाए, ताकि वहां के निवासियों को वहां के किसानों को जो राजस्व के केस चल रहे हैं और उनको बारां में आकर दर-दर भटकना पड़ता है उससे निजात मिले और थोड़ा न्याय भी जल्दी और शीघ्र मिल सके। इसलिये छबड़ा में ए डी एम कार्यालय और छीपाबड़ौद में कैम्प कोर्ट कार्यालय खोला जाए। इस प्रकार का मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

मैं माननीय धारीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि इन्होंने पूरे छबड़ा और छीपाबड़ौद की पंचायत-पंचायत जिला प्रमुख के नाते घूमी है। बहुत बुरी स्थिति है, गरीब लोग हैं इसलिये निश्चित रूप से यह ए डी एम कार्यालय और कैम्प कोर्ट छीपाबड़ौद में खुलवाने में मेरी मदद करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामप्रताप कासनियां।

धानका जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्या

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, धानका जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जो अड़चन राजस्थान के अन्दर है उसमें पिछले 20-22 वर्ष से यह विषय ज्यों का त्यों ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि पूर्व में जिन लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी कर दिए, बाप के और दादा के तो प्रमाण पत्र जारी कर दिए और उनके पुत्र-पुत्रियों को आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि या तो आप जो पूर्व में प्रमाण पत्र जारी किये हैं वो निरस्त करें अन्यथा वो 420 के भागीदार बन गए। उनकी संतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर नहीं रही है, सरकार दे नहीं रही है प्रमाण पत्र और 22-23 साल से लोगों ने नौकरियां प्राप्त कर लीं, चुनाव लड़ लिए तो इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक पत्र जारी कर यह पुष्टि की है कि धाणका शब्द हिन्दी राजभाषा में गलत है जिसका शुद्ध रूप धानका है। यह केन्द्र सरकार का आदेश है, इसको आप लागू अवश्य करें। बहुत बड़ा रोष है इस समाज के अन्दर। जनजाति नायक जाति के...

श्री अध्यक्ष: हो गया। माननीय सदस्य, आप वो कागज दिया वो ही बोलने लगे, please wind-up. यह गलत बात है। हो गया, धन्यवाद। गलत बात है यह।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का सरकार समय रहते हुए कोई न कोई समाधान करे। 22-23 वर्षों से यह विषय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। रिपीट हो गया। आप बैठें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बहुत दयनीय हालत है उन लोगों की। सरकार इस पर ध्यान अवश्य दे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में स्टाम्प वैण्डर्स को मोबाइल एप से स्टाम्प विक्रय करने का लागू पायलट प्रोजेक्ट

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्टाम्प विक्रेताओं को मोबाइल एप से स्टाम्प विक्रय करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट सरकार लेकर आयी है। वास्तव में स्थिति यह है कि स्टाम्प विक्रेता हैं उनको जो सौ रुपये का स्टाम्प होता है उस पर मात्र एक रुपये का लाभ प्राप्त होता है। नाम मात्र के इस लाभ में वो कार्य करते हैं और सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के आने से उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए उनको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया और न ही उनसे कोई राय ली गई और जो मैं बात कर रही हूं हनुमानगढ़ वृत्त के अन्दर गंगानगर जिला आता है और जो मेरा क्षेत्र है वह पूरा बोर्डर पर स्थित है और वहां पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है और सर्वर भी खराब रहता है तो इस वजह से उनके सामने यह समस्या है कि वो किस प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार जो मोबाइल एप है उसके अनुसार वो स्टाम्प विक्रय करेंगे। इस बात को देखते हुए मैं सरकार से यह निवेदन करती हूं कि उनकी समस्या को समझते हुए उनको प्रशिक्षण देकर के, उनसे सुझाव लेकर के फिर इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाए, क्योंकि इससे पहले दस दिन तक कार्य भी स्थगित उन्होंने रखा और धरना-प्रदर्शन भी करने को मजबूर हैं। उनकी इस समस्या को समझा जाए। मेरा यही निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 131 में। श्री निर्मल कुमावत।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

दो से अधिक संतान के कारण पदोन्नति से वंचित किये जा चुके कार्मिकों को पदोन्नति उपरान्त मूल वरिष्ठता की प्रदायगी

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत दो से अधिक संतान के कारण पदोन्नति से 3 अथवा 5 वर्ष वंचित किये जा चुके कर्मचारियों को पदोन्नति उपरान्त मूल वरिष्ठता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मैं कार्मिक मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दो से अधिक संतान के कारण पदोन्नति से 3 अथवा 5 वर्ष वंचित किये जा चुके कार्मिकों को पदोन्नति उपरान्त उनकी मूल वरिष्ठता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पहले इन कर्मचारियों को ए सी पी का प्रावधान था जो अक्टूबर, 2015 से पहले तक था मगर अब ये वंचित हैं और इतने दिनों में माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको आर्थिक नुकसान भी काफी हो गया और जूनियर से और ज्यादा जूनियर हो गए ये कर्मचारी। इनके जितने भी जूनियर थे वो इनसे सीनियर होकर रिटायर होने की नौबत पर आ गए तो यह मानसिक वेदना में भी कहीं न कहीं कर्मचारी रहते हैं। लगातार ये प्रताड़ित, अपने-आपको गिल्टी महसूस करते हैं कि हम लोग इतने जूनियर रह गए केवल इसलिये कि हमारे सर्विस में आने के बाद एक संतान और हो गई। कई तरह के कानून आप ले आये। आप चुनाव नहीं लड़ सकते पंचायती राज में या वो है मगर जब सर्विस में आने के बाद अगर कोई आदमी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात के बाद सरकार संशोधन कर रही है, इससे बड़ा और क्या चाहते हैं?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपने ध्यानाकर्षण लगाया सभी कर्मचारियों के हित में।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय मंत्री महोदय, कब तक कर देंगे? यह प्रक्रियाधीन तो आपने ले लिया मगर थोड़ा जल्दी इसका समाधान कर दें तो मानसिक वेदना से कर्मचारी बाहर निकलें। इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अन्तिम स्टेज पर है। अभी कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अगला 131, श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के नवीन पद का सृजन

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का नवीन पद सृजित करने के सम्बन्ध में माननीय विधि और विधिक कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिलानी जिला झुंझुनूं में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का नव सृजन कर स्थापित करने के सम्बन्ध में जो चन्देलिया साहब ने ध्यानाकर्षण किया है, मेरा निवेदन उनसे यह है कि किसी स्थान पर नवीन अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श या प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार उस क्षेत्र के 1,200 प्रकरण लम्बित होने तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है तथा कैम्प कोर्ट की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श और उनके प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से यह सम्भव हो सकेगा।

पिलानी जिला झुंझुनूं में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना का मामला पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा दिनांक 4.2.2015, 15.9.2016 और 6.7.2020 को खारिज कर दिया गया है। अब पुन: वर्तमान में पिलानी जिला झुंझुनूं में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना एवं कैम्प कोर्ट का मामला माननीय उच्च न्यायालय की माननीय न्यायालय सृजन कमेटी के समक्ष विचाराधीन है।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 2015 का प्रकरण आपने यहां उद्धृत किया, 2022 के प्रारम्भ में 2,900 फौजदारी और 450 दीवानी मामले पिलानी में पेंडिंग हैं और पिलानी जहां मैं यह पद सृजित कराना चाहता हूं या कैम्प कोर्ट कराना चाहता हूं, वहां पर एक आबकारी थाना, दो पुलिस थाने पिलानी और मंड्रैला, तीन पुलिस चौकियां पिलानी बस स्टैण्ड, पीपली और बेरी इन सबके प्रकरण पिलानी में आते हैं। अत: जब तक ये स्थाई न्यायालय सृजित नहीं हो तो कम से कम पुन: माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में आप इन तथ्यों को लाकर के वहां कैम्प कोर्ट तो स्थापित करवायें। थैंक यू।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो तथ्य माननीय सदस्य ने बताये हैं, निश्चित तौर पर यहां का विधि विभाग उन तथ्यों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय को लिखेगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि इस पर अविलम्ब विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

131, श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (अनुपस्थित)।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 3)

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति 'ख' 2022-23 के आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. राजकुमार शर्मा।

स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 13 से 30)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गए उल्लेख के अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति, 2022-23 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.1 से 1.8, 1.10, 2.1 से 2.4) पर समिति का 13वां प्रतिवेदन;

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.1 से 1.6, 1.8, 1.10 से 1.12, 2.4 एवं 2.6) पर समिति का 14वां प्रतिवेदन;

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)

(डा. राजकुमार शर्मा)

वर्ष 2015-16 में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.1 से 1.6, 1.8 से 1.12 एवं 2.4 से 2.7) पर समिति का 15वां प्रतिवेदन;

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.5.3, 1.7, 1.8.3.2, 1.8.7.2, 1.9, 2.5 एवं 2.6) पर समिति का 16वां प्रतिवेदन;

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.6 से 1.7, 1.9, 1.11.1.2, 1.11.4, 1.12, 2.2 से 2.3 एवं 2.5) पर समिति का 17वां प्रतिवेदन;

(6) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.1 से 4.11) पर समिति का 18वां प्रतिवेदन;

(7) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.7, 1.9.2, 1.11.1.2, 1.11.5.3 एवं 2.1 से 2.3) पर समिति का 19वां प्रतिवेदन;

(8) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.13 एवं 4.1 से 4.8) पर समिति का 20वां प्रतिवेदन;

(9) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट नगरीय विकास (नगर सुधार न्यास) विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 6.9.1, 7.5.1 से 7.5.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 एवं 7.7.2) पर समिति का 21वां प्रतिवेदन;

(10) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट नगरीय विकास (नगर सुधार न्यास) विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 7.6.1, 7.6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 एवं 7.5.5) पर समिति का 22वां प्रतिवेदन;

(डा. राजकुमार शर्मा)

(11) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट नगरीय विकास (नगर सुधार न्यास) विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.6.1, 7.6.2 एवं 7.7.1 से 7.15.2) पर समिति का 23वां प्रतिवेदन;

(12) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.5.1 से 10.2) पर समिति का 24वां प्रतिवेदन;

(13) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 4.5.1 से 10.2) पर समिति का 25वां प्रतिवेदन;

(14) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1 से 10.2) पर समिति का 26वां प्रतिवेदन;

(15) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.1 से 10.2) पर समिति का 27वां प्रतिवेदन;

(16) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट राजस्थान आवासन मण्डल से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1 से 8.6.2) पर समिति का 28वां प्रतिवेदन;

(17) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट कृषि विपणन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1 से 1.3.4 तथा 9.1 से 9.7) पर समिति का 29वां प्रतिवेदन; एवं

(18) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट कृषि विपणन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 1.3.1 से 1.3.4 तथा 9.1 से 9.7) पर समिति का 30वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्या-11) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023, श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान कारागार विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: राजस्थान कारागार विधेयक, 2023, श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कारागार विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023, श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 103,72,84,38,00 (एक सौ तीन अरब बहत्तर करोड़ चौरासी लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 40 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 02 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी, वन मंत्री।

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण की प्रस्तुति

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,78,24,36,000/- (सोलह अरब अठहत्तर करोड़ चौबीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 45 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 03 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिबेट को रेगुलेट करने के लिए मैंने समय कम किया है 10-10 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के 7-7 मिनट कर दिए हैं। समय पर डिबेट हो और वाइंडअप ठीक ढंग से हो। माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि आधे घंटे में अपना रिप्लाई देने का काम करें, ताकि समय पर हम चर्चा को समाप्त कर सकें और कल की डिमांड में ठीक ढंग से डिस्कस कर सकें। श्री ज्ञानचंद पारख।

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन एवं मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने देश की सूरत और सीरत, दोनों को अति सुंदर बनाने में अपनी पूरी जान लगा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

दी। हमारे शहर, हमारे कस्बे, हमारे गांव भी अति सुंदर हो जाएं और वहां भी बड़े शहरों जैसी सुविधा मिल जाए तो चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा मदद दे सकें, उसकी शुरुआत भी उन्होंने की। विकास में यदि किसी आर्थिक योगदान की जरूरत है, भारत सरकार की ऐसी पहल कि नीति आयोग की नीतियों में बदलाव करके केन्द्र की कुल आय का 5 परसेंट सीधी लोकल बॉडीज को या रूरल डवलपमेंट के लिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसका परिणाम देखो कि केन्द्र से कितनी बड़ी राशि हमारे शहरों के विकास के लिए भारत सरकार दे रही है, लेकिन जो परिणाम मिलने चाहिये, उसमें कहीं न कहीं कमी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग के माध्यम से भी हमारी लोकल बॉडीज को कितनी बड़ी राशि भारत सरकार से मिल रही है। चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो, भारत सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान। अमृत योजना के माध्यम से भी भारत सरकार अपनी ओर से कहां-कहां कितनी-कितनी राशि देनी है, जैसे प्रस्ताव आते हैं उनका अध्ययन करके वह वहां से देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र राम मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। इस देश में रामराज की स्थापना करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। भारत हमारा स्वर्ग से सुंदर बन जाए, ऐसे में केन्द्र सरकार को जो करना है, वह हर काम केन्द्र सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र अपने काम करेगी और राज्य सरकार को भी जो काम करने हैं, उसमें भी केन्द्र सरकार का एक अच्छा योगदान है, लेकिन जो काम शहरी सरकारों को करना है, उसके लिए कहीं न कहीं हमारी प्रोपर मॉनिटरिंग होना जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में शहरी सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी जो परिणाम आने चाहिये, वे परिणाम मिल नहीं रहे। शहरी सरकारों को कितना पैसा मिलता है? केन्द्र पैसा दे रहा, राज्य वित्त आयोग पैसा दे रहा, उनकी खुद की अपनी इन्कम, लेकिन कहीं न कहीं निगरानी की कमी है और उसके चलते जितना पैसा धरातल पर लगना चाहिये, वह लगता नहीं है।

(समय: 12.27 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

आप कहीं चले जाओ तो वही टूटी सड़कें, वही गंदगी। स्थानीय

(श्री ज्ञानचंद पारख)

निकाय का काम क्या है? शहर की सफाई, गंदगी, कचरे से जनता को निजात दिलाना, लेकिन खुद लोकल बॉडी यदि भ्रष्टाचार के कीचड़ में सनी हुई हो तो उनसे और सफाई की उम्मीद आप कर नहीं सकते। जब तक सरकार भ्रष्टाचार का कीचड़ साफ नहीं करेगी, तो जनता जो असुविधा पहले भोग रही है, उसको निरन्तर भोगनी पड़ेगी। हमारे कितने सारे काम लोकल बॉडीज के जिम्मे हैं, सड़कें अच्छी हों, ड्रेनेज सिस्टम पुख्ता हो, घूमने-फिरने के लिए गार्डन हो, गार्डन में बच्चों के लिए झूले आदि हों, जिम हो, खेल के लिए मैदान हो, शादी-ब्याह अन्य कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक सुविधा हो, सुंदर चौराहे, सुंदर सर्किल, वाहनों की पार्किंग और यहां तक कि कोई मेला-त्योहार हो तो वह भी लोकल बॉडी के जिम्मे है। जब इतने सारे काम लोकल बॉडी के जिम्मे हो और उसके ऊपर हमारी निगरानी नहीं हो तो लीकेज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार की जानकारी में बार-बार आता भी है, ऐसा नहीं है कि सरकार की जानकारी में नहीं आता है। सरकार की जानकारी में बार-बार आता है, पर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाते हैं। उससे भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलन्द होते हैं, वे बेखौफ हो जाते हैं। जनता के हित का पैसा जनता के काम आना चाहिए, उसकी जगह वह पैसा कुछ लोगों की जेब में चला जाता है। माननीय मंत्री महोदय मेरा आग्रह रहेगा कि जहां से भी भ्रष्टाचार के समाचार मिलें, आपको रोकना पड़ेगा। आपको कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी, तब जाकर स्वर्ग से सुन्दर भारत बनाने की जो कल्पना हमारे प्रधान मंत्री जी की है, वह साकार होगी।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के पैसे से ही नगर परिषद् चलती हो। चुंगी पुनर्भरण की राशि भी आपके माध्यम से मिलती है। कृषि भूमि का नियमन हो, भवन निर्माण की इजाजत हो, भूमि व भवन कर हो, भूखंडों की नीलामी हो, ये सारी राशि आप जोड़ देंगे तो आज के समय में कोई भी लोकल बॉडी ऐसी नहीं, जो आर्थिक दृष्टि से तंगी को झेल रही हो। आपने खुद ने इन्कम के इतने जरिये बढ़ाये हैं। नियमों में छूट व शिथिलता देकर पट्टा अभियान चलाकर, कोई परिषद् अगर ईमानदारी से काम करे तो उसके पास पैसे की कमी नहीं हो सकती है। पैसा अगर ईमानदारी से लग जायेगा तो यह जो बदसूरत शहर है, आने वाले कल में खूबसूरत शहर में तब्दील हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय शहरी सरकार को अधिकार

(श्री ज्ञानचंद पारख)

दें। अधिकार दो, मना नहीं है, पर अधिकारों का अगर वे दुरुपयोग करते हैं तो उसके लिए लगाम अपने हाथ में रखें, उसकी नकेल भी कसो। आप सबसे होशियार, तेज तर्रार, दबंग मंत्री हैं। 137 वर्ष पुरानी कांग्रेस के इतिहास में यदि किसी नेता ने दबंगता दिखायी, वे आप हैं। +++ तो आपके नीचे जो छोटे-मोटे कर्मचारी हैं, जो आज की तारीख में बेखौफ हो गए हैं। मात्र इतना ही नहीं, जब-जब आपके आका की कुर्सी पर संकट आया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विषय पर आयें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं माननीय मंत्री जी को उनकी ताकत का अहसास करा रहा हूं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, मैं उनको ताकत का अहसास करा रहा हूं। जब-जब भी सरकार के ऊपर संकट आया, मैं गवाह हूं। मैंने आपके तीन काल देखे हैं। आपने सरकार को जिस प्रकार से हमेशा प्रोटेक्ट किया है, उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कांग्रेस की राजनीति में अगर आपकी रुचि है तो कृपया इधर आ जाएं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं तो आपको आपकी ताकत का अहसास कराने के लिए बात कर रहा हूं। आपने अपनी होशियारी से, अपने अनुभव से विधान सभा के अन्दर भी कहीं कांग्रेस कठघरे में खड़ी हुई तो आपने कितनी सफाई से उसको बाहर निकाल दिया पर, आपका अपना कर्मचारी, आपका अपना अधिकारी, क्या कभी आकलन किया कि आपके आदेशों की पालना करता है या नहीं करता है? यहां से आप आदेश देते हैं, निर्देश निकालते हैं, वहां कितनी पालना होती है? कभी उसका एक बार आकलन करवा लेना तो आपको खुद को अहसास हो जायेगा कि वह आपके कहने के अनुसार नहीं, उसका मन हो तो काम करेगा। 'प्रशासन शहरों के संग' जो अभियान है, वह इस बात की गवाही देता है कि आपने कैसे-कैसे निर्देश जारी किये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य ने जो यह बात कही, +++ को यह दिखा दिया, वह दिखा दिया, वह सब डिलीट होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कारण क्या है? क्या इन्होंने कोई असंसदीय बात कही? (व्यवधान)

श्री सभापति: यह विषय से हटकर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय यह मर्दों का प्रदेश कह दें, मंत्री महोदय चाहें कुछ भी कह दें। इन्होंने क्या असंसदीय कह दिया? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उप नेता जी, देखिये विषय से हटकर था। विषय से हटकर था, इसलिए डिलीट कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम आसन का सम्मान करते हैं। हमारे मुंह में शब्द न लें आप, ऐसा नहीं होगा। असंसदीय हो तो बतायें। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में कभी बोला नहीं जाता है। बोला जाता है तो पहले नोटिस दिया जाता है। हम आपके +++ की पोल खोलेंगे तब कि आपके यहां कितना झगड़ा चल रहा है? कितने मुख्य मंत्री के कैंडीडेट हैं?

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय, आज स्वायत्त शासन और वन एवं पर्यावरण के बारे में चर्चा है। प्लीज बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) अगर एक शक्तिशाली व्यक्ति को शक्तिशाली कह दिया तो क्या गुनाह कर दिया? पास में ही बैठे लोग इनसे जल रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरे द्वारा किये गए काम को यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अन्दर की स्टोरी आपको मालूम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमें हैं न। मेरे को तो है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, गलत बात है। आप गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे मत चुनौती दो। वहां हाई कोर्ट में मिल रहे हैं न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेहरबानी करके साहब कटवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: डिलीट हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरह से डिलीट होंगे तो हम क्या बोलेंगे? इन्होंने क्या कह दिया?

श्री सभापति: प्लीज, स्वायत्त शासन, वन एवं पर्यावरण के बारे में बोलें।

एक माननीय सदस्य: फिर उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, वे भी नहीं बोलेंगे। वे फिर भारत सरकार नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति: आसन द्वारा दी गई व्यवस्था सब पर लागू होती है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, 'आपने प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाने का काम किया। कितनी छूटें, कितनी रियायतें, कितनी शिथिलता आपने प्रदान की? आप चाहते थे कि जनता का काम हो जाए, आपको भी वाहवाही मिले। एक बार समीक्षा करायें कि कितनों को लाभ मिला और कितनों को मिल रहा है। यह भी जांच करा देना कि कैसे मिल रहा है और कितने समय से मिल रहा है। आपने अवधि निर्धारित कर रखी है। हालात यह हैं कि माननीय मंत्री चाहते हैं, वह काम नहीं होगा, अधिकारी चाहते हैं तो ही काम होगा। इस शर्मनाक स्थिति से हमको बाहर निकलना होगा।

माननीय सभापति महोदय, आप नियम बना दें, निर्देश दे दें। नियम और कानून यह सदन बनाता है 200 एम एल ए मिलकर। इन 200 एम एल ए के बनाये गए नियम और कानून पर भी आपका बाबू जिस प्रकार से चौकड़ी लगाता है, ऐसे एक नहीं अनेक नमूने हैं जो आपको उन पत्रावलियों के जरिए महसूस हो जायेंगे। इसलिए जो भी आपके निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कहता हूं, जो आपके आदेश-निर्देश और आपकी मंशा के अनुरूप काम नहीं करता, आप जब तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो आपके इस अभियान को जितनी सफलता मिल रही है, वह नहीं मिलेगी। चाहे कितने ही सही हो, गलत हो, सही को गलत कर रहे हैं और गलत को सही कर दे, वह उनकी इच्छा पर निर्भर है।

माननीय सभापति महोदय, किस-किस काम के लिए कौन-कौनसी पत्रावली कब-कब जमा हुई, आपने उस काम के लिए कितनी अवधि निर्धारित कर रखी थी, कौनसा काम कितनी अवधि में हुआ, कौनसा काम किन-किन कारणों से कितनी-कितनी अवधि के बाद में नहीं हुआ, यह सारी पिक्चर क्लियर हो जायेगी। आपका यह टोकन सिस्टम कि फाइल जमा हो गई, टोकन

(श्री ज्ञानचंद पारख)

देंगे, यह रद्दी की टोकरी में है। कहीं फाइल गायब तो कहीं फाइल में से दस्तावेज गायब। आप टोकन दें तो उसके साथ दस्तावेजों की चैक लिस्ट भी कि ये-ये पेपर इसमें संलग्न हैं और इस पेपर की कमी है। इससे उस व्यक्ति को राहत मिलेगी। कितने दिनों में यह काम हो जायेगा, उसकी तारीख भी। एक निश्चित अवधि के लिए उस बाबू और अधिकारी को बांध दो। फाइल का जो मूवमेंट रजिस्टर है, उसके लिए नियमों में है कि संधारण होना चाहिए, पर होता नहीं है। ये छोटे-छोटे काम हैं, जो आपके आदेशों से निश्चित रूप से हो जायेंगे और हो जायेंगे तो लोगों का आसानी से काम निकल जायेगा। इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं। उसके बाद भी वह काम लेट करे तो दो-चार को थोड़ा टांगने की हिम्मत दिखायें, ताकि कोई दूसरा काम लेट करने का दुस्साहस नहीं कर सके।

आप जो ढिंढोरा पीटते हैं, पारदर्शी सरकार का। आपकी पारदर्शिता के नमूने बताता हूं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने सूचना के अधिकार की गारंटी के तहत नियमानुसार राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाही, एक-एक साल बीत गया, कोई सूचना नहीं, क्योंकि अगर सूचना दे देंगे तो अनियमितता की है, जो बेईमानी की है, जो भ्रष्टाचार किया है, वह सारा का सारा जगजाहिर हो जाएगा। आप एक बार इसकी जांच करायें, क्यों नहीं दिया, किसने नहीं दिया, किन कारणों से नहीं दिया और कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें, वरना पार्षद भी अपने आपको असहज समझ रहा है। जब चाहें फाइल गायब कर दें। मतलब कोई घर का राज हो, ऐसे हालात बना रखे हैं और जिम्मेवार लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय, यह +++ से पार पड़ने वाली नहीं है। अपने बाबू और अधिकारियों को आंख दिखायेंगे तब पार पड़ेगी और तब जाकर कहीं काम होगा।

म्युनिसिपैलिटी एक्ट में तो कई सारे प्रावधान हैं। आपने तो चुने हुए जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों के ऊपर भी इस 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान में कटौती कर दी। आपकी निर्वाचित समितियां चाहे वह पट्टा कमेटी हो, चाहे वित्त कमेटी हो, आपने एम्पावर्ड कमेटी बनाई, बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि काम बिना किसी रोक-टोक के जल्दी हो जाए, कम से कम इसमें जो इस कमेटी से सम्बन्धित पत्रावली है, उसके अध्यक्ष को सम्मिलित कर देंगे तो इसमें जन सहभागिता हो जायेगी कि कहीं न कहीं इसमें जनता की भी भूमिका है। चुने हुए जनप्रतिनिधि की भी भूमिका है। मेरा आग्रह रहेगा कि एम्पावर्ड कमेटी में थोड़ा संशोधन कीजिए। समिति के चेयरमैन हैं, उनको

(श्री ज्ञानचंद पारख)

भी लगे कि हमें समिति का चेयरमैन बनाया है, संविधान के तहत बनाया है, हमारे जिम्मे भी कुछ काम है, वरना उनके जिम्मे कुछ नहीं, बैठे रहते हैं वे।

माननीय सभापति महोदय, ये निर्माण शाखा, कैसे हालात हो गए? करोड़ों की देनदारी, फिर भी करोड़ों के टेंडर लग रहे हैं लगातार। पाली में तो ऐसी नौबत आ गई कि पेमेंट के चक्कर में, आपको जानकारी है मंत्री महोदय, एक ठेकेदार ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट लिखकर मरा है कि लम्बा कमीशन मांगने की वजह से, मैं कमीशन नहीं दे पाया, इस वजह से मेरा दो करोड़ रुपया अटका हुआ है। एक व्यक्ति ने जान दी। भविष्य में किसी व्यक्ति को जान देने की नौबत नहीं आये, इस नाते ये जो भारी कमीशन का खेल है, जो-जो इस भ्रष्टाचार के तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, मेहरबानी करके उनको वहीं डुबो दीजिए। उनको बाहर मत निकलने दो आप, वरना एक जान गई और भी जानें जायेंगी।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचारी कितने बेखौफ हो गए हैं? सरकार का कोई भय नहीं है। पता है कि कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। काम नहीं फिर भी बिल। काम एक, बिल दो-दो उठ जाते हैं। काम रूडिप ने किया और बिल बना रहा है म्युनिसिपैलिटी का ठेकेदार। उसका पेमेंट उठा रहा है। काम घटिया, कोई जांच नहीं। पाली में मिल गेट से हाउसिंग बोर्ड, सबसे व्यस्त रोड, कहीं कोई झाड़ी तक नहीं और ठेकेदार ने 35 लाख का अधिकारियों के साथ और जन-प्रतिनिधियों के साथ बिल बना दिया और 35 लाख रुपये का पेमेंट हो गया। शिकायत करने वाले शिकायत करते रह गए, लेकिन उसका पेमेंट हो गया।

नया गांव रोड, जिसको लेकर पाली चार महीने से भुगत रहा है। मैं भी चेयरमैन रहा हूं पांच साल तक। मुझे पता है मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। जब मैं पहली बार 1998 में एम एल ए बना था, आप उस समय स्वायत्त शासन मंत्री थे और मेरे ऊपर तलवार लटक गई थी, चूंकि मैं एम एल ए बन गया, इसलिए मुझे चेयरमैनशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने आपसे आग्रह किया था। आपने मेरी बात मानकर जो बिल विधान सभा में आ गया था, उस सत्र के लिए टाल दिया था, ताकि मैं एक साल और पूरा कर सकूं। मैं भी चेयरमैन रहा हूं। मैंने हालत देखी है म्युनिसिपैलिटी की। अगर चेयरमैन चाहे तो चाहे जैसे फर्जी बिल नीचे अधिकारियों से कहकर बनवा दे। कहीं न कहीं रोकना होगा। ये पाली की नया गांव रोड जिसको लेकर चार

(श्री ज्ञानचंद पारख)

महीने से वहां की जनता परेशान हो रही है। माननीय कलेक्टर महोदय पूरा प्रयास कर चुके। करोड़ों का पेमेंट हो गया और वहां जो सड़क की दुर्दशा है, एक बार जांच करवा दीजिए। एंटी करप्शन में जांच चल रही है। एक आपके विभाग की भी जांच करवा दीजिए, किसी अच्छे अधिकारी को भेजकर। कितनी राशि उठी और कितना काम हुआ, ये सारी पिक्चर सामने आ जायेगी।

सभापति महोदय, नाली निर्माण होता ही नहीं है और पेमेंट हो जाता है। यह जनता का पैसा है। जनता के हित में काम आना चाहिए। कहीं न कहीं इसके लिए सरकारों को ऐसे नियम कानून बनाने ही होंगे, ताकि जनता के पैसे का कोई व्यक्ति अपने हित में दुरुपयोग नहीं करे। हमने पार्षदों की हालत क्या कर दी? पार्षद बन गया। जनता के बीच में रहता है। जनता का कोई भी काम हो, सड़क हो, नाली हो, सफाई हो, लाइट नहीं आ रही तो पार्षद, पानी नहीं आया तो पार्षद, अपने वार्ड के काम के लिए कहीं न कहीं गिड़गिड़ाना पड़ता है। दुर्दशा कैसी? काम के पीछे पड़ता है, निविदा जारी करवाता है। अख़बार में निविदा आती है, जाकर मोहल्ले वालों को दिखाता है कि देखिए आपके काम का टेंडर लग गया, कुछ दिन बाद काम हो जायेगा। उसके बाद वर्क आर्डर जारी हो जाता है। फिर जनता को दिलासा, फिर टाइम पास कि ये देखो वर्क आर्डर हो गया, तुम्हारा काम भी हो जायेगा। वर्क आर्डर होने के बाद भी महीनों तक काम नहीं। कहीं काम चालू हो गया तो आधा-अधूरा काम किया और साल से, दो साल से वह काम बन्द।

सभापति महोदय, ये जो पार्षदों की दुर्दशा है, इसके लिए भी हमको कहीं न कहीं सोचना होगा कि हम पार्षदों को किस प्रकार कितने अधिकार दे सकें, ताकि वह इस शर्मनाक स्थिति से बच सकें। हमें बिलकुल विधायक कोष की भांति पार्षद कोष, उसका भी हमें चिंतन करना होगा कि एक पार्षद को कम से कम इतनी राशि, एक साल में उसके वार्ड के विकास के लिए। इसमें अगर आपको लगता है कि शहर की भौगोलिक स्थिति भिन्न-भिन्न है, कई वार्ड छोटे हैं, कई पुराने हैं, कई नये हैं, कई शहर के अंदरूनी भाग में हैं तो शहर का आप कुछ भागों में वर्गीकरण करवा दीजिए। उस वर्गीकरण के अनुरूप जितनी आवश्यकता महसूस होती है और आपके पास कितना बजट उपलब्ध है, उसमें राशि बांट देंगे तो निश्चित रूप से पार्षद अपने काम करवा पायेगा। जो जन-प्रतिनिधि के नाते उसका फर्ज बनता है, उसमें खरा उतरेगा।

माननीय सभापति महोदय, पार्षद का मानदेय कितना? माननीय मंत्री महोदय, वह हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बढ़ा दिया है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): और बढ़ाइये। मेरा आग्रह रहेगा कि नगर परिषद् में कम से कम पार्षद को 25 हजार रुपये मासिक भत्ता मिले, ताकि वह अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। जेब का खर्च भी करता है और काम होता नहीं है। सम्मानजनक मानदेय पार्षदों को मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की एक बजट घोषणा, अगर शहर को स्वच्छ रखना है तो सफाईकर्मियों के जहां-जहां भी पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को हमको भरने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, परन्तु घोषणा में क्या किया आगामी दो सालों में? मैं बार-बार जिक्र नहीं करता, क्योंकि आपका 6 महीने बाद का भरोसा नहीं है। चुनाव के पहले-पहले जिन-जिन नगरपालिकाओं में सफाईकर्मियों के जितने भी रिक्त पद हैं, उनकी भर्ती के आदेश कर दीजिए। चुनाव के पहले वह भर्ती हो जाए तो हो सकता है कुछ लाभ उसका आपको भी मिल जाए।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेरा 20 मिनट का है।

श्री सभापति: हो गया। दो मिनट ऊपर चले गए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ये बार-बार इस तरह की बात करते हैं। इसको कार्यवाही से निकलवाइये। हमारे +++ से इनको क्या मतलब? हम +++ के पूरे भक्त हैं, उनका सब कहना मानते हैं।

श्री सभापति: डिलीट कर रहे हैं। बोल दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जय हो, भक्तों की जय हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, पाली में मुख्य मंत्री जन आवास योजना की शुरुआत। जुलाई, 2017 में यह भवन बनना चालू हुआ, नवम्बर, 2020 तक पूरा होना था। 2023 हो गया, अभी तक ये काम हुआ नहीं और सैकड़ों लोग जिन्होंने पूरी राशि जमा करा दी, उसके बावजूद भी उनका मकान का कब्जा इसलिए नहीं दिया जा सका, क्योंकि वह काम अपूर्ण है। वह आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है। उनके ब्याज भी लगता है, जो लोन लिया और किराये पर जो मकान लेकर रह रहा है, उसका किराया भरना पड़ता है। रेरा का कानून भी भारत सरकार ने बनाया है। जो कोई भी इस देरी के लिए दोषी है, उसको रेरा के कानून के तहत कार्यवाही में लाकर, उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, पाली आये थे। ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र, इस पर 17 करोड़ की राशि खर्च हुई। माननीय मंत्री महोदय, आपने उद्घाटन किया और आपने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि ये देश का मॉडल बनेगा। यहां कम्पोजिट खाद भी होगी। दो साल से ये 17 करोड़ की राशि से बना हुआ आपका ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र बन्द पड़ा है और वहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं। थोड़ा दिखाइए आप। किस प्रकार से यह जल्दी चालू हो सके, इसकी व्यवस्था कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, सीवरेज का कुछ काम शेष बचा है। पहले वाला काम रूडिप ने किया, बजट खतम हो गया। अमृत योजना में डी पी आर बनाकर भिजवाने का काम नगर परिषद् का था। कुछ पाइप लाइन का काम भी बाकी बचा था। उसकी योजना बनाकर, उसकी डी पी आर बनाकर पी एच ई डी ने भिजवा दी। वह राशि अमृत योजना में मंजूर हो गई, परन्तु आपके जो सीवरेज का काम है, उसकी डी पी आर अभी तक नहीं भिजवाई गई है। थोड़ा निर्देश दीजिए ताकि डी पी आर जल्दी से जल्दी चली जाए और जिन बस्तियों में सीवरेज का काम बाकी है, वह पूरा हो जाए।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज। पांच मिनट ऊपर गए आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट साहब। जो बी पी एल क्वार्टर हैं, बी पी एल क्वार्टर में भी, मैं आपको लिखकर दे दूंगा सब। जो बी पी एल क्वार्टर हैं, उनमें कुछ लोगों ने राशि देरी से जमा कराई थी। जो आपकी अवधि थी, उससे विलम्ब से जमा करायी।

श्री सभापति: आपका और कोई आइडिया हो तो माननीय मंत्री महोदय को बता देना आप। प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जिन्होंने देरी से राशि जमा कराई है, उनको आप थोड़ा पट्टा दिलवाने के लिए, नियमों में आपने इतनी शिथिलता दी है, आप शिथिलता दे दीजिए। जल्दी से जल्दी उनको पट्टा मिल जाए, वह काम कर दीजिए।

सभापति महोदय, अन्तिम एक बात कहता हूं। मैं एक मिनट लूंगा। जब भगवान कृष्ण पाण्डवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे कि

(श्री ज्ञानचंद पारख)

महाभारत का युद्ध टल जाए, तो दुर्योधन ने उस समय कैसी मानसिकता का परिचय दिया, उसने भगवान को मारने का प्रयास किया। उस समय भगवान ने कहा था, जब काल मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। यही हालत कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हो गई +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रफीक खान।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): +++

श्री सभापति: श्री रफीक खान। डिलीट करिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): +++ ...(व्यवधान) नरेन्द्र मोदी भगवान कृष्ण का प्रतिरूप हैं।

श्री सभापति: डिलीट। डिलीट करिए। थैंक यू, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): +++ (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, इसको डिलीट किया जाए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): +++

श्री सभापति: डिलीट।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रफीक खान। (व्यवधान) बैठिए। प्लीज बैठिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको पिछली बार सदन में सर्वोच्च सदस्य चुना गया था। मेहरबानी करके, आपको जो इनाम मिला है, उसको तो कम से कम बरकरार रखो। उसकी ईमानदारी पर तो मत करो। कम से कम यहां गलत तथ्य तो मत दो। (व्यवधान) आप गलत तथ्य दे रहे हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापतिः बोलिए।

सूचना

राजाखेड़ा में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल एवं उसकी गिरदावरी

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, कल ओलों की बारिश से राजाखेड़ा विधान सभा की तीन पंचायतों में फसल पूरी तरह तबाह हो गई। खुरला पंचायत, समोना पंचायत, नादोली पंचायत, तीनों में आधा घंटे तक इतने बड़े-बड़े ओले गिरे, पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर को कहें, स्पेशल गिरदावरी के आर्डर करें, जिससे स्पेशल गिरदावरी हो सके।

श्री सभापतिः श्री रफीक खान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 व 45 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापतिः सुनिये। प्लीज सुनिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी पारख साहब बोल रहे थे, ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बार-बार हमारे यू डी एच मंत्री जी से उलझ रहे थे। इनका एक रीजन है। रीजन यह है, पहले ओम बिरला जी उलझते थे, वे लोक सभा में चले गए। फिर कटारिया जी उलझते थे, वे आगे चले गए। ये अपने प्रमोशन पर बोल रहे हैं खाली।

श्री सभापतिः आप विषय पर आइये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इनका नजरिया सिर्फ यह है कि मैं भी प्रमोट हो जाऊं किसी तरह।

श्री सभापति: विषय पर आइये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): स्वायत्त शासन विभाग पर जब भी डिबेट हो, इस पर चर्चा हो, जयपुर के बारे में बात करें और विद्याधर जी की बात नहीं करें, मिर्जा इस्माइल की बात नहीं करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं जयपुर से विधायक हूं।

जयपुर शहर को 1727 में महाराज जयसिंह जी ने विद्याधर जी को एक काम दिया कि जयपुर को एक नई सिटी के रूप में बसाया जाए। सात दरवाज़ों के साथ, जयपुर शहर का चार साल तक काम चला। इस तरह की सिटी का निर्माण हुआ कि बाद में 19वीं शताब्दी में आकर लोगों ने कहा कि पूरे हिन्दुस्तान में यदि कोई देखने लायक शहर है, तो वह जयपुर शहर है। नौ ब्लाक में, जिसमें दो ब्लाक में राजभवन महल के रूप में और सात ब्लाक बचे हुए थे, उसमें आम आदमी के लिए जयपुर में नया शहर बनाकर उन्होंने प्रस्तुत किया। उस वक्त जयपुर शहर की जनसंख्या एक लाख थी।

उसके बाद 1827 में मिर्जा इस्माइल जी को काम दिया गया। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर का एक्सटेंशन किया। जयपुर की चारदीवारी के बाहर जयपुर शहर को बसाया गया, जिसमें यहां की कालोनियां ए, बी, सी, डी, ई के रूप में डवलप की गईं। इनको एक नया रूप दिया गया। 1940 में महाराजा कृष्ण राजा की मृत्यु के बाद महाराज धर्मराज वडियार जो मैसूर के राजा थे, उन्होंने वहां से मिर्जा इस्माइल को दीवान के रूप में जयपुर लाकर स्थापित किया। पूरे जयपुर का नया रूप देखने को मिला।

मैं आज यह कह सकता हूं कि जयपुर या राजस्थान के अन्दर लोकल बॉडी, यू डी एच डवलपमेंट, रेजिडेंशियल डवलपमेंट, शहरी निकाय के विकास के लिए, आजादी के बाद कोई काम यदि किसी ने किया है तो हमारे यू डी एच मंत्री शान्ती कुमार धारीवाल ने किया है। चाहे वह जयपुर का मसला हो, कोटा का मसला हो, जोधपुर का मसला हो, उदयपुर का मसला हो। जयपुर शहर को आज जो नये आयाम मिले हैं, हम अच्छे से देखते आये हैं, पिछले टेन्योर से पहले जब आगरा रोड पर आवागमन करते थे तो आवागमन की स्थिति बहुत भयावह थी। रोज जाम लगते थे। एक टनल बनाई गई और जयपुर शहर को एक नया आयाम दिया गया। रोड व ट्रांसपोर्ट विकसित हुआ। आजादी से लेकर 1998 में हमारी सरकार बनी तब तक जयपुर शहर के अन्दर इस तरह जाल

(श्री रफीक खान)

डवलप हो गया, सोसाइटियां डवलप हो गईं, कोई उनको रेगुलराइज करने की बात नहीं कर रहा था। जयपुर शहर को मॉडर्न जयपुर शहर की शक्ल देने का काम किसी ने किया तो हमारे यू डी एच मंत्री ने किया।

सभापति महोदय, 1998 से पहले अगर किसी आदमी के मकान की एक करोड़ रुपये की लागत है, दो करोड़ की लागत है, चार करोड़ की लागत है, कोई फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन एक रुपया देने को तैयार नहीं था। जे डी ए का पट्टा नहीं था। भवन रेगुलराइज नहीं थे। जयपुर शहर में आवश्यकता इतनी थी, उससे पहले आठ सालों तक हमारा शासन नहीं था, शहर बहुत जबरदस्त तरीके से विकसित हो चुका था, विराट रूप ले चुका था और हर जगह एन्क्रोचमेंट थे। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि जयपुर शहर में, राजस्थान में पहली बार, अगर आवासीय पट्टों का सरलीकरण किया गया तो कांग्रेस शासन में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में और शान्ती धारीवाल जी के नेतृत्व में किया गया। पहली बार आम आदमी को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक अगर मिला तो 1998 से 2003 के टेन्योर में मिला।

जब-जब हमारी सरकार आई, चाहे वह 1998 का टेन्योर हो, चाहे 2008 का टेन्योर हो, चाहे 2018 का टेन्योर हो, हर टेन्योर में 'प्रशासान शहरों के संग', 'प्रशासन गांवों के संग', आम आदमी को किसी टेन्योर में राहत मिली तो हमारे कांग्रेस के टेन्योर में मिली। इनके टेन्योर में शहर का विकास नहीं हुआ, शहर में सम्पत्तियों पर कब्जे हुए। सेन्ट्रल पार्क जीता जागता नमूना है यहां पर। ऐसे कोशिश की गई कि सेन्ट्रल पार्क जैसी जमीन के टुकड़े करके बेच दिया जाए, जौहरियों के हाथों में डाल दिया। मैं यू डी एच मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उस समय इंटरवीन किया और जयपुर शहर को एक ऐसी सौगात मिली जिसको पूरी दुनिया याद रखती है। आज जयपुर शहर में अगर आक्सीजन है तो सेन्ट्रल पार्क के रूप में। साढ़े चार किलोमीटर का ट्रेक बना हुआ है, जिससे पूरा जयपुर शहर लाभान्वित होता है।

सभापति महोदय, 2018 में जैसे ही हमारी सरकार आई तब से लेकर अब तक 2300 बीघा भूमि हमने एन्क्रोचमेंट से मुक्त कराई। मुक्त कराकर उसको रेवेन्यू जनरेट का माध्यम बनाया। पिछले टेन्योर में जगह-जगह कब्जे, सोसाइटियों के झगड़े, हर तरीके का एन्क्रोचमेंट पिछले टेन्योर में होता गया। 24 पार्क कब्जा मुक्त कराये गए, 29 सुविधा क्षेत्र मुक्त कराये गए।

सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि जयपुर शहर के अन्दर जितना भी डवपलमेंट हुआ, वह कांग्रेस के टेन्योर में ही हुआ। मैं जब कांग्रेस

(श्री रफीक खान)

के टेन्योर की बात करूंगा तो एक शेर धारीवाल साहब के लिए जरूर बोलूंगा। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, ऐतिहासिक कार्य करने पड़ते हैं। चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो या उदयपुर हो, जब आप किसी उद्देश्य के साथ किसी काम में लगते हो तभी कामयाबी मिलती है।

"जो खैरात में मिलती कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता

फिर क़दर न होती किसी हुनर की, न कोई शख्स लाजवाब होता।"

मैं कह सकता हूं कि हमारे यू डी एच मंत्री लाजवाब आदमी हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कोई काम कराना हो तो वैसे ही बता दो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी आ रहा हूं काम पर भी। सभापति महोदय, मैं मेरी कांस्टीट्यूएंसी की दो-तीन डिमांड करना चाहता हूं। जयपुर शहर के अन्दर बहुत सारी कच्ची बस्तियां हैं।

(समय: 13.00 बजे)

जब भी यू.डी.एच. के अन्दर यह डिबेट होती है तो आज तक के इतिहास में जब भी जयपुर शहर में कच्ची बस्ती में काम हुआ है तो कांग्रेस के राज में काम हुआ है। चाहे राजीव गांधी आवासीय योजना हो, चाहे 'प्रशासन शहरों के संग' हो, चाहे 'प्रशासन गांवों के संग' हो, आम आदमी को उसकी सम्पत्ति का मालिकाना हक अगर किसी ने दिया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने दिया है।

मैं यह कह सकता हूं कि हमारे जयपुर शहर में जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, माननीय सभापति महोदय, मेरे आने से पहले, जब मैं वहां से विधायक चुना गया, तो आप इस बात का ताज्जुब करेंगे कि जवाहर नगर कच्ची बस्ती के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध नहीं था और वहां पर करीब पचास हजार की आबादी थी। मैं चुनाव लड़ने गया तो वहां पर नालियों के अन्दर पानी की लाइन थी और पानी की लाइन काट-काट कर लोग-बाग उसमें से पानी भर लेते थे। पूरे शहर में जाम लगता था, जवाहर नगर कच्ची बस्ती का रास्ता हमेशा जाम रहता था। आम आदमी, जब पानी आता तो नाली का गंदा पानी पहले से उस लाइन में मौजूद मिलता था और वह लाइन पानी जाने के बाद उस गंदे पानी को suck कर लेती थी और पानी आने के समय दस मिनट तक तो गंदा पानी ही आता था और दस-पन्द्रह मिनट में ही वह पानी चला जाता, तो वहां पर रोज झगड़े होते थे। मैं जब चुनाव लड़ने गया विधान

(श्री रफीक खान)

सभा का तो जवाहर नगर कच्ची बस्ती में एक औरत ने मुझे यह कहा कि मैं आज पड़ोसन से एक मटका पानी का उधार मांग कर लाई हूं और कल भरकर वापस दूंगी। नहाने-धोने के पानी की तो दूर की बात है, वह बोली कि कल भरकर वापस दूंगी, मेरे पास में पानी नहीं है। नहाने-धोने की तो दूर की बात है, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था, पर मुझे आज सदन को यह बताते हुए खुशी है कि दो-दो मंजिल की टंकियां लगी हुई हैं, दूसरी कालोनी में पानी आये या नहीं आये पर वहां पर चौथी मंजिल में पानी चढ़ता है, टीले के आखिरी छोर पर पानी चढ़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा यू.डी.एच. मंत्री महोदय को कि सिटी की जो प्लानिंग की जा रही है, उसमें हर आदमी का, हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है।

बगराना कच्ची बस्ती। कच्ची बस्ती पर ये कोई भी नहीं बोलेंगे। दस तरह की बातें तो करेंगे, लेकिन कच्ची बस्ती पर कोई नहीं बोलेंगे। बगराना कच्ची एक ऐसी कच्ची बस्ती है कि वहां के लोगों को पहले स्टेशन से उठाकर वहां पर बसाया गया कि आपको यहां पर फ्लैट बनाकर देंगे और हमारे टेन्योर में राजीव गांधी आवासीय योजना के नाम से एक योजना लांच की गई और उस योजना के तहत उसमें 1,800 से ज्यादा फ्लैट बनाये गए। फ्लैट बनने के बाद में जब उनके अलाटमेंट की स्थिति आयी तो उस स्थिति को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि वह राजीव गांधी के नाम से है। इस मामले में हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौनसी योजना किसके नाम से है बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि गरीब के हक को हम छीन रहे हैं, उसको अपने घर में जाने से रोक रहे हैं, तो इन्होंने उसको डिले कर दिया। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि हमने पिछले साल एक हजार फ्लैट अलाट किये हैं और अभी भी इनके आदमी जगह-जगह, कहीं पर कोर्ट केस कर रहे हैं, कहीं दिल्ली से चिट्ठियां भिजवा रहे हैं, कहीं पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड में उसकी रुकावट डाल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि उनको अलाटमेंट तो हमने दे दिए, जिस तरीके से हमने अलाटमेंट दे दिए तो जल्दी से जल्दी पजेशन देकर उनको आशियाना उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वे जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उस तरह की जिंदगी से मुक्त हों।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी समस्या जयपुर शहर के अन्दर अनफार्च्युनेटली डवलप हो गई है कि बहुत सारी कालोनियां ईकोलोजिकल क्षेत्र में डवलप हो गईं और हम और हमारे अधिकारी कोर्ट की नजीर देकर बार-बार

(श्री रफीक खान)

उससे बच जाते हैं और स्थितियां यह हैं कि जे.डी.ए. उस पर कार्यवाही करती है। किसी आदमी की जेन्युइन खातेदारी की जमीन में कोई आदमी प्लाटिंग करता है, वह उसमें प्लाटिंग नहीं कर सकता। वहां चारों तरफ आबादी बसी हुई है और एक-एक लाख, दो-दो लाख लोग बसे हुए हैं। जेडी.ए. वहां पर जाती है और जाकर यह दावा करती है कि यह ईकोलोजिकल में है इसलिए हम यहां बनने नहीं देंगे जबकि स्थिति यह है कि वहां पर एग्रीकल्चर जैसा कोई एटमास्फेयर नहीं है, एग्रीकल्चर के कोई हालात नहीं हैं, तो हमें यह चाहिए कि हम वहां, जहां पर एग्रीकल्चर जमीन नहीं है, जहां पर आवासीय कालोनी हो चुकी है, हम कोर्ट में उसकी प्ली करें और उसमें इस बात को एंश्योर करें कि जहां पर यह कालोनियां बस गई हैं, जहां पर आदमी बस गए हैं उनको भी, जब हम सरकारी जमीन पर भी रेगुलराइज करने का मौका दे रहे हैं, सरकारी जमीन पर आम आदमी को पट्टा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आदमी, हमने पालिसी इतनी सरल बना दी कि 2021 तक रहने वाला आदमी, हम उसको उसका मालिकाना हक दे रहे हैं और हम सिर्फ उन लोगों को रोक दें कि जो ईकोलोजिकल पर बसे हुए हैं और अपने पैसे देकर जमीन ली हुई है और बहुमूल्य पैसा देकर उन्होंने मकान बनाया है। माननीय सभापति महोदय, यह कमोबेश स्थिति पूरे राजस्थान में है, जहां-जहां पर ईकोलोजिकल का मामला है, तो मेरी सदन के मार्फत यह गुजारिश है कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, ताकि ईकोलोजिकल में जो कालोनियां कट गईं, उनका रेगुलराइजेशन किया जाए, उनको पट्टे दिए जाएं, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हमने राहतों का पिटारा खोल दिया। इस साल जिस तरीके से हमारे कैम्प लगे, जब हमने इस टेन्योर में घोषणा की तो मुझे सदन को बताते हुए यह खुशी है कि हम 20 लाख से ज्यादा लोगों को पट्टे अब तक दे चुके हैं, तो ऐसे लोग जो अपनी जमीन पर अपने पैसे से मकान बनाकर रह रहे हैं उनको भी हम रेगुलराइज करने का मौका दें, ताकि वे भी आराम से उसमें गुजर-बसर कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसी टेन्योर के अन्दर जब हमने यह जरूरत समझी कि नरेगा की अपार सफलता और नरेगा की अपार सफलता पूरी दुनिया में है। नरेगा को न केवल दुनिया में एक्नालेज किया, न केवल भारत में एक्नालेज किया बल्कि पूरी दुनिया ने एक्नालेज किया और मैं

(श्री रफीक खान)

धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने यह पीड़ा समझी कि जो शहर में आदमी आता है और वह बाहर से आता है, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता, शहर की तरफ आकर्षित क्यों होता है आदमी? शहर की तरफ आकर्षित इसलिए होता है कि मेरे को बेटर लाइफ मिले, मेरे को रोजगार मिले और जब तक उसको रोजगार नहीं मिले, तब तक क्या किया जाए? बेरोजगार घूमे? तो एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया गया जिसमें 100 दिन का रोजगार शहरी रोजगार क्षेत्र में उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मुझे खुशी है कि इसी बजट में वह 100 दिन से बढ़ाकर आपने 125 दिन का दिया। इससे न केवल आम आदमी को बल्कि हर उस बेरोजगार को सहारा मिल रहा है जो यहां रोजगार की तलाश में आता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो आदमी चौखटी पर आते हैं, हास्पिटल में इलाज करवाने आते हैं, मजदूर आते हैं तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि एक ऐसा, इंदिरा रसोई के नाम पर आपने एक ऐसी योजना चालू की कि ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अन्नपूर्णा का नाम बदल दिया, साहब।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठो-बैठो। अभी आपकी बात पर भी आ रहा हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अन्नपूर्णा का नाम बदल दिया **+++** करके। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह **+++** शब्द डिलीट कर देना।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इंदिरा रसोई की योजना लागू की और यह ऐसी योजना है जिसमें आपको बिठाकर खाना खिलायेंगे। थड़ी पर खड़े करके खाना नहीं खिलायेंगे, खड़े करके यह नाश्ता नहीं देंगे, साफ टेबल-कुर्सी पर वह बैठेगा। दो सब्जी, रायता मिलेगा और आठ रुपये में यह खाना खिलायेंगे। पूरी दुनिया में ऐसी स्कीम नहीं है। जयपुर और राजस्थान एक मात्र ऐसी जगह है जहां पर आदमी यह उम्मीद कर सकता है कि मैं राजस्थान में अगर जाकर रहता हूं तो न केवल मुझे भत्ता मिलता है बल्कि मुझे रोजगार भी मिलता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सुनिये तो सही। प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): और मुझे खाने के लिए इंदिरा रसोई जैसी फैसिलिटी भी मिलती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब शहरीकरण की बात कर रहा हूं तो मैं चिरंजीवी योजना की बात नहीं करूं, इलाज की बात नहीं करूं तो यह बेमानी होगी शहरीकरण के ऊपर। आज हमारे एस.एम.एस. अस्पताल के अन्दर राजस्थान के जो पेशेंट का इलाज होता है, करीब दस से पन्द्रह हजार लोग, पूरे एशियन कंट्रीज में जयपुर का एस.एम.एस. अस्पताल प्रथम स्थान पर है, जो न केवल इलाज कर रहा है बल्कि फ्री दवाई भी दे रहा है और फ्री इलाज भी कर रहा है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि पहले पांच लाख रुपये तक की बीमारी का सोल्यूशन था और फिर दस लाख रुपये किया, पिछले बजट में और अब तो पच्चीस लाख रुपये का दिया। आज किसी भी आदमी को अपनी सम्पत्ति बेचने की जरूरत नहीं है, वह अगर राजस्थान में जयपुर इलाज करवाने आ गया तो। पहले क्या होता था? मकान बिक जाते थे, जमीन बिक जाती थी, जायदाद बिक जाती थी। आप लोगों के भी बहुत से आदमी आते हैं। यह कहते थे कि अशोक गहलोत ने यह काम तो बहुत ही जोरदार किया। मुख्य मंत्रीजी ने हमें जीने लायक छोड़ दिया वरना घर में कोई आदमी बीमार हो गया तो हम उसका इलाज नहीं करवा पाते थे। हम उसका यह सोच लेते थे कि अब तो जो भगवान करेगा वह ही होगा और आज मुझे खुशी है कि आज धरती के ऊपर मुख्य मंत्री अशोक गहलोत हैं और उन्होंने यह तय किया कि मैं ऐसे दवाई के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बातें मैं आपके माध्यम से जयपुर नगर निगम के बारे में और बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जयपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्दर हमने क्या किया, वह मैंने आपको बताया और जे.डी.ए. ने क्या किया वह भी मैं थोड़ा-सा आपको प्रकाश डाल देता हूं। न केवल टनल, एलिवेटेड रोड, सेंट्रल पार्क तो पिछले टेन्योर में किया और अब सिटी पार्क डवलप किया है। ये जो विधायक बैठे हैं न, इनके सबके मकान हैं वहां, वहां पर ये उतर कर जाते हैं तो इनको यह अहसास होता है, घूमते वक्त मन और दिमाग तो यह कहता है कि धारीवाल साहब ने काम तो बहुत जोरदार किया है, ऐसी फैसिलिटी दे दी हमको, लेकिन जब ये सदन में बोलते हैं तो इनकी जुबान नहीं निकलती और जुबान और दिमाग में तालमेल बिगड़ जाता है, क्योंकि सुबह ही घूमकर आ रहा है वहां पर। उस सेंट्रल पार्क में जो

(श्री रफीक खान)

पूरी दुनिया के अगर किसी पार्क से तुलना करोगे तो आपको प्रथम स्थान पर मिलेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है, न केवल सेन्ट्रल पार्क, न केवल सिटी पार्क, कोटा के पार्क, पूरे राजस्थान में अगर संख्या का हिसाब लगाओगे तो आपको पता चलेगा, डवलपमेंट का क्या हिस्सा है। तीन चीजों से शहरीकरण होगा। लोकल बॉडी तीन जगह काम करती है। एक होती है बेसिक नीड, जहां हम बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दूसरा होता है इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट और तीसरा होता है डवलपमेंट जहां हम पार्क, जिम और सब फैसिलिटीज बनाते हैं। मुझे खुशी है कि यह पहला टेन्योर है जिसमें सैकड़ों की तादाद में पूरे राजस्थान में बने। पार्क न केवल मानसरोवर में, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य गायब हैं, उनको सदन में खड़े होकर कहना पड़ेगा कि सिटी पार्क ऐसी सौगात दी जो पूरी दुनिया के अन्दर एक मिसाल है। जब ये सुबह-सुबह घूमने के लिए निकलते हैं तो वापस आकर इस बात का जवाब देते हैं, फोन करते हैं कि पार्क तो बहुत जोरदार बनाया है लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ इसलिए है कि एक वर्ल्ड क्लास पार्क इन्होंने यहां एक सौगात के रूप में दिया।

चाहे सोडाला वाली एलिवेटेड रोड हो, चाहे मैट्रो का मसला हो, चाहे रामनिवास बाग़ की भूमिगत पार्किंग हो, चाहे राजभवन में संविधान पार्क हो, राजभवन का काम भी जे डी ए का काम है। धन्यवाद देना, बोलो तब। चाहे बी टू बाईपास हो, चाहे जवाहर सर्किल हो, चाहे गांधी म्यूजियम हो और जो आई पी डी टावर बन रहा है, पूरी दुनिया के अन्दर मिसाल बनेगा। एक ऐसा लक्ष्य लेकर खड़े हुए हैं जिसमें आज एस एम एस के अन्दर जो प्रोब्लम है, वह सब समस्याओं का समाधान एक फ्लोर पर होगा। अगर हार्ट का मामला है, तो उसका समाधान एक फ्लोर पर होगा। गेस्ट्रो की प्रोब्लम है तो गेस्ट्रो की सारी फैसिलिटी एक फ्लोर पर होगी। न्यूरो की प्रोब्लम है तो न्यूरो की सारी फैसिलिटी एक फ्लोर पर होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इनसे एक सवाल और करना चाहता हूं। जब हेल्थ पर चर्चा हो रही थी तब इन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया। सवाल यह करना चाहता हूं इनसे कि अगर राजस्थान की फैसिलिटी को लेकर मेडिकल हेल्थ में प्रोब्लम है तो क्यों हरियाणा के पेशेंट यहां आते हैं? क्यों यू पी के पेशेंट यहां दिखाने आते हैं? क्यों गुजरात के पेशेंट यहां दिखाने आते हैं? दो लाख से ज्यादा सालाना पेशेंट एस एम एस के अन्दर इनकी शासक स्टेट्स से आते हैं। इसका मतलब वहां हेल्थ की व्यवस्था चरमराई हुई है और जयपुर शहर सब चीजों को सर्व कर रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रफीक खान)

आपने घंटी बजा दी, लेकिन दो-तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं। जयपुर शहर के अन्दर हमने क्या किया, यह मैंने आपको बताया। और भी बहुत्सी बातें बता सकता हूं, लेकिन इन्होंने क्या किया, वह बता दूं।

श्री सभापति: एक मिनट में बता दीजिए आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, एक काम नहीं किया जयपुर शहर के लिए इन्होंने। ये द्रव्यवती योजना लेकर आये, कीचड़ से भरी हुई है। उसकी कोई प्लानिंग नहीं की। उस योजना को अधूरा छोड़ दिया। ठेका प्रणाली की। सिर्फ ठेकों का काम किया। शहर के अन्दर बिजली बचत के नाम पर एल ई डी की एक स्कीम लेकर आये। पूरे राजस्थान को एक ही फर्म का ठेका दे दिया। दुनिया भर का करप्शन हुआ। लोकल बॉडीज के पास देने के लिए पैसा नहीं है। चाहे जोनल डवलपमेंट प्लान का मसला हो, चाहे मसला हो एल ई डी का, इन्होंने ठेका प्रणाली का काम किया। ठेके दिए और हद तो जयपुर शहर के नगर निगम में कर दी, बी वी जी को ठेका दे दिया। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं यहां पर, ये मेयर थे तब। पिछली बार ये कह रहे थे जब मैंने बी वी जी की चर्चा की, कि पूरा शहर सड़ रहा है और जब-जब बी वी जी की चर्चा होगी, आपकी विफलताओं की चर्चा होगी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इनसे एफिडेविट लो कि मैं उस समय मेयर था क्या। सदन में कोई बात कही है तो एफिडेविट टेबल करें कि मैं मेयर था।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुझे खुशी है यह बताते हुए कि बी वीजी 100 करोड़ रुपये लेकर जा रही थी। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, इनसे एफिडेविट लो।

श्री सभापति: आपका टर्न आये तब बोल देना आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उससे 20 करोड़ रुपये सालाना... (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह कह रहे हैं कि मैं उस समय मेयर था। मैं उस समय मेयर था ही नहीं, मैं तो मेयर बाद में बना। इनसे एफिडेविट लो पहले।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनकी मेयर...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ये रामगंज चौपड़ पर खड़े होकर बोल रहे हैं क्या? यह सदन है। इनको शर्म नहीं आती असत्य बोलते हुए? रामगंज की तरह नौसिखिया बात करते हैं यहां पर। एस एम एस हास्पिटल में यह हो गया, वह हो गया। आप तो एफिडेविट दो न कि मैं मेयर था क्या। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका टर्न आये तब बोलना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नौसिखिया तरीके से बात कर रहे हो। रामगंज चौपड़ है क्या यह? यहां खड़े होकर सदन में बोल रहे हैं। इनसे एफिडेविट लो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): रामगंज शुरू किस नाम से होता है? (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इन्होंने पिछली बार भी कहा जब मैं सदन में नहीं था, आज भी ये कह रहे हैं। मैं मेयर बाद में बना हूं। ये उससे पहले के लिए बोल रहे हैं। यह रामगंज चौपड़ नहीं है। (व्यवधान) एफिडेविट दो यहां पर। (व्यवधान) यदि इतने सच्चे हो तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका टर्न आयेगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या बात कर रहे हो आप? यह पक्षपात नहीं। हम खड़े होते हैं तो आप बिठा देते हो। नौसिखिया तरीके से बोलने लग गए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में बोलने के लिए एफिडेविट नहीं दिया जाता है। आप प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों से बंधे हैं। यहां एफिडेविट देने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): एफिडेविट नहीं देंगे तो असत्य बोलेंगे क्या?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप नौसिखिया कैसे बोल सकते हो?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नौसिखिया बोल रहा हूं न मैं।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आप नौसिखिया कैसे बोल सकते हो?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिलकुल बोल रहा हूं नौसिखिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य का नाम लेकर आरोपित किया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नाम लेकर नहीं, 'सांगानेर से आने वाले' बोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो इनका अधिकार बन जाता है कि स्पष्टीकरण दें, वरना रिकार्ड पर वह बात चली जायेगी। इनके पास तैयारी नहीं है तो इनको अनर्गल आरोप लगाने का अधिकार भी नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बिलकुल तैयारी है। पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): निम्बारामजी भी उसमें आरोपी हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी थोड़ी देर पहले सदन में इस बात की चर्चा चली थी कि जो सदस्य नहीं है उसके नाम से कोई आरोपित नहीं करेगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। जो मामला न्यायालय में है। (व्यवधान) ये सनसनी फैलाना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नाम क्यों नहीं लेंगे उनका। वह आरोपी है। मुकदमा दर्ज है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इस तरह से किसी का गला नहीं घोंट नहीं सकते आप। (व्यवधान) पूरा देश जान गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह जिनका नाम ले रहे हैं ग्राम प्रधान का ...(व्यवधान) वे साधु प्रवृत्ति के लोग हैं। वे सेवाभावी लोग हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंहजी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जो मामला न्यायालय में है, उस पर कुछ भी बोल रहे हो आप। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या बात है यह? बहुत अनर्गल बात करते हैं। बिना तथ्यों की बात करते हैं। यहां गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम।

श्री सभापति: बैठिये आप। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, दो मिनट कन्क्लूड करने दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गई बात। थैंक यू वैरी मच। बैठिये आप। आप चालू करिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): निम्बारामजी भाई साहब जैसा कोई आदमी नहीं है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: आप बोलिये प्लीज।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, शहरी अरबन डवलपमेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं। उनके एसेंशियल्स क्या-क्या हैं? सोसायटीज की जो मशरूम ग्रोथ हुई है टाउनशिप एक्सपेंशन, पापुलेशन एक्सपेंशन, बीस वर्षों में सेंसस होती है और उसमें जो एवरेज निकल रहा है उससे 10 परसेंट एक्स्ट्रा हर जगह डवलपमेंट होता है।

राजस्थान की सरकार चाहे आपकी पार्टी की हो, चाहे दूसरी हो, we had failed और इसीलिए को-आपरेटिव सोसाटीज को यह मौका दिया 1981 में, जब मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर साहब विराज रहे थे। सीलिंग लॉ लागू हुआ था, उसको बाईपास भी करना था। इस डवलपमेंट में सी-स्कीम हुई है या विद्याधर नगर हुई है, जो सरकार ने की है, वैसी स्कीम तो डवलप नहीं हो पायी, लेकिन छोटे-छोटे करते हुए 30 फीट की सड़क पर बहुमंजिला मकान बना सकते हैं। वह सब आपने सत्यानाश करके रख दिया। जहां पापुलेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आपने डवलप किया, आर यू आई डी पी में चार इंच की पाइप लाइन पूरे जयपुर में बिछायी है। मालवीय नगर और विद्याधर नगर में 24 घंटे पानी देंगे, उस आधार पर हमारे आने के बाद हम लोगों ने की है, क्योंकि वह सिस्टम लागू नहीं हो सकता था।

बी आर टी एस लागू किया गया। आज आप भी जानते हैं कि बी आर टी एस कितनी सक्सेसफुल हैं और उसको भी अब चेंज करना पड़ेगा। रेन वाटर डिस्चार्ज का परकोटे में जितना सिस्टम है, हमने 70 साल की आजादी के बाद जितना विकास किया है, मकान तो खूब बन गए लेकिन रेन वाटर के डिस्चार्ज का सिस्टम हम डवलप नहीं कर पाये। मैंने देखा है त्रिपोलिया के सामने किशोर निवास के पास एक जगह से कोई पट्टी टूटी थी, वह चूने से बनी हुई है। वहां पर घोड़े पर बैठकर सवार निकल जाए, लेकिन वह पानी सीधा जलमहल की तरफ जाता था। अब लोगों ने वहां पर बीच में ध्यान नहीं रखा। बेसमेंट्स बना लिए, पानी अवरुद्ध हुआ, वह बात एक अलग है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

माननीय सभापति महोदय, सीकर रोड पर रैन वाटर डिस्चार्ज, अब 14 नंबर की सड़क जो पुलिया है, वहां से चौमूं पुलिया तक 7.2 किलोमीटर है, 100.32 फीट का फर्क है, जब 100 फीट का पानी बहकर आयेगा तो नेचुरल है कि वह कहीं न कहीं तो डिस्चार्ज होगा ही। वह घरों के अंदर जाता है और इस कारण परेशानी होती है। लेकिन आपने इतने वर्षों में क्या किया?

बी.आर.टी.एस. बना दिया तो उससे और ज्यादा पानी भरने लग गया। आपके खुद के JDA में रिपोर्ट्स पड़ी हैं। इसका निस्तारण करने के लिए MOU आप लोगों ने किया और एक नाला निकाला भवानी निकेतन से 11 फीट चौड़ा है और 7 फीट गहरा है, लेकिन उस नाले में पानी जाने के लिए रास्ता बनाना आप भूल गए। मैंने पत्र लिखा है। प्लाट नंबर 17, जो अलाट नहीं हो सकता था, उसके अंदर नाला लिखा हुआ है, अप्रूवल में कैंसिलेशन लिखा है, नोट अप्रूव्ड, वह नाला वहां से निकाल देते तो सीकर रोड का आधे से ज्यादा पानी उधर डाइवर्ट हो जाता, लेकिन आपने नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, झोटवाड़ा पुलिया बनी। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया का पानी झोटवाड़ा का उधर से ही आता था। आज थाने के आगे पानी भरा रहता है आधा किलोमीटर में पानी और हर साल सड़क का निर्माण रीको को वापस करना पड़ता है। वह पानी कहां जायेगा? अभी फिर वहां पर झोटवाड़ा का हो रहा है। जो भी इंजीनियर्स हैं, मैंने उनको कहा कि आप पानी की निकासी की बात करो। अब जब यह एक्सप्रेस-वे 200 फीट का अजमेर रोड से दिल्ली रोड बनाया, ब्लैंकिट दिया हुआ है NOC, वहां से अब दो मीटर का है। अगर निवारू रोड में से बिजली का 132 के वी का निकल गया दो मीटर के पास, वहां पर कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते पानी के लिए। 25 फीट गहरा लेकर आर्मी को सप्लाई करने के लिए लाइन निकाली है। अगर यह अधिकारी पहले सोच लेते तो मेरे ख्याल से यह कठिनाइयां नहीं आतीं।

1981 में जिन लोगों ने पैसे जमा कराये, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहता हूं, बड़ा अच्छा उदाहरण रहेगा। मदनबाड़ी-राजीव नगर, अब ये ऐसी दो कालोनियां हैं, जिनमें 1981 में पैसे जमा हो गए, पैसे जब उस समय जमा होते थे, वह कलेक्ट्रेट में होते थे और उस समय उसको लिखते थे रकबा राज, क्योंकि उस समय UIT थी, JDA बना नहीं था। रकबा राज में तहसीलदार जी को कुछ लेन-देन नहीं किया सोसायटी वाले ने, तो उसने एक लैटर लिख दिया 6 महीने बाद, कि विद्याधर नगर के

(श्री नरपत सिंह राजवी)

एक्वीजिशन में से रह गए यह खसरा नंबर, इसलिये इनको एक्वायर किया जाए और दुबारा एक्वीजिशन के नोटिफिकेशन निकले। जब नामांतरकरण दर्ज होता है तो उसमें पहले का नोट लगा होता है। उसी को आप देखने की कोशिश कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अभी आप ही के हस्ताक्षर से एक और कालोनी है नृसिंह आर्केड। अब भूमाफिया का मन बदल गया, पहले एग्रीमेंट्स कर लिए, दे दिया और नक्शा भी पास हो गया। अमाउंट जमा नहीं कराया। अमाउंट अब सोसायटी ने जमा कराया तो सब अलाटीज से लेकर करवाये हैं। अब उसमें अगर मन बदल जाए काश्तकार का, क्योंकि एग्रीमेंट के आधार पर ही कर रहे हैं, चेंज कर दो लॉ कि अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो लागू नहीं होगा या रजिस्टर्ड डीड नहीं है तो लागू नहीं होगा ताकि कम से कम यह बेईमानियां होना तो बन्द हों। आज जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और प्लाट ले लिया और काश्तकार वापस कह रहा है 20 साल बाद, कि मैं तो मेरे हिस्से की नहीं बेचना चाहता तो पहले काश्तकार ने खुद ने दिया है, यह भी एक एग्जाम्पल है, आप स्टडी करवायें। ऐसे अगर छोटे-मोटे केसेज निकलेंगे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है।

आप परकोटे के अंदर का ले लें। स्टेट टाइम के जो पट्टे मिलते थे, वह बाई एंड लार्ज मिक्स यूज़ के भी थे। दरवाजे कितने निकलेंगे, किस साइड में निकलेंगे, वह उसके अंदर अंकित होता था। लेकिन अगर दरवाजे लिखे हैं, वह है फ्री होल्ड और दो पीढ़ी बाद में, आज आपने यह चेंज किया है कम्प्यूटर में दर्ज होना चाहिये कि यू.डी. टैक्स या दूसरा टैक्स कौन देगा? वह म्यूटेशन एक तरह से नामांतरण लोकल बॉडीज में होता है। पट्टे के ऊपर पट्टा तो जारी नहीं कर सकते? वह होता है। मैंने खुद ने मेरा जो पुश्तैनी मकान है, उसके बारे में कई चक्कर लगाये और कई लोगों को कहा। मुझे क्या कहा? आप अचम्भा रखेंगे कि पट्टे के ऊपर पट्टा नहीं दे सकते। फिर मैंने कहा कि आप तो कैंसिल कर दो कि नहीं दे सकते, मैं हाई कोर्ट से करवा लूंगा। मेरा तो कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत-से लोग होंगे प्री-पार्टीशन के, जहां पर लैण्ड कन्वर्टेड है, उनको अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए, आबादी तो बढ़ी है जितने लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके शेयर्स होंगे, क्योंकि ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट में तो आपने अमेंडमेंट किया नहीं है, तो लोकल बॉडीज में आपने अधिनियम में डाल दिया तो कहीं न कहीं उलझाकर रखते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नरपत सिंह राजवी)

माननीय सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। टाउन प्लानिंग जितना गड़बड़ है, उसमें बहुत अच्छा संशोधन करने की आवश्यकता है। आप भी यह महसूस करते होंगे कि टाउन प्लानिंग में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो आपको सब-स्टेशन के लिए जगह चाहिये। जगह फिर पार्क में से चेंज करके देते हैं। सामुदायिक केन्द्र है, पानी की टंकी है, पानी की टंकी के लिए JDA से अभी 5 टंकियों का निर्माण हो रहा है। वर्क आर्डर जारी कर दिए हैं, लेकिन सिस्टम में उसको अगर डाल दिया जाए तो नुकसान कहां है? आज बड़ा ट्रांसफार्मर है, 100 किलोवाट का है या 100 किलोवाट से ज्यादा का है, उस ट्रांसफार्मर को घर वाले अपने घर के आगे लगाने नहीं देते। लोड बढ़ेगा तो आपको उसका डिवीजन करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था हो। कचरा एक जगह इकट्ठा करने के लिए हर कालोनी की कुछ नोमिनेटेड जगह ऐसी होनी चाहिये, जहां पर यह तय हो कि यहां पर कचरा इकट्ठा होगा, यहां से उठाकर लेकर जायेंगे। वह कहीं नहीं है। आप अगर हसनपुरा में देखेंगे तो सड़क के बीच में डिवाइडर के ऊपर दोनों तरफ फैला हुआ है। NBC की दीवार की तरफ फैला हुआ है। डेडिकेटेड स्थान रखा हुआ होता, चाहे वह 33 की जगह 30 प्रतिशत ज्यादा होता, 4-5 प्रतिशत ज्यादा उसमें चली जाती, तो बैटर प्लानिंग होती। आने वाले 50 साल तक जिन सेक्टर रोड्स की जरूरत है, मकान तोड़ने की बात तो दूर रहती है, मुकदमेबाजी भी होती है। आप प्लान बना दीजिये न कि यह सेक्टर रोड रहेगी, यह कन्वर्टेबल नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, विद्याधर नगर, सीकर रोड पर एक प्लाट है, जिसका मैंने अभी आपसे निवेदन किया। मैंने लैटर भी लिखे हैं, आपको भी भेजा है। प्लाट नंबर 17 है परसराम नगर का, स्कीम नंबर 3, वह 35 फीट का है, उसको तोड़ें, थोड़ा वह रोड के नीचे से जायेगा, सारा पानी उधर जा सकता है, लेकिन कोई इसमें कोशिश नहीं कर रहा। आपको आश्चर्य होगा कि आपके डी.सी. आफिस में जो फाइल है, उसमें से वह नक्शा गायब है, जिसमें कैंसिल्ड लिखा है। इतना मैनिपुलेशन हो सकता है। यह थोड़ी चिंता वाली बात है।

माननीय सभापति महोदय, आपसे एक और निवेदन करता हूं। अभी हमारी ही नगरपालिका, नगर निगम, होली के दिन एक बच्ची घर के नीचे, मल्टीस्टोरीड है, नीचे दुकानें हैं, बच्ची आयी, नीचे एक बुजुर्ग रुका, वह पार्किंग

(श्री नरपत सिंह राजवी)

वालों के साथ खड़ा था, कार रोकी और गुलाल लगायी और उसको फिर ह्यूमिलिएट किया। बच्ची चिल्लाई तो मल्टीस्टोरी से लोग नीचे उतरकर आये, कार का नंबर रख लिया। सबको पता लग गया और उन्होंने FIR दर्ज करायी। हमारे वहां पर पार्किंग मिक्स्ड यूज है। 20 रुपये पार्किंग का देकर 50 रुपये का सामान खरीदने वाला नहीं आयेगा। वह जौहरी बाजार नहीं है। वहां पर अगर इस प्रकार का होगा तो वहां पर फुटफाल कम होने लग गया है। पार्किंग चार्ज वहां पर नहीं होना चाहिए। गलत निर्णय है। नगर निगम ने जो निर्णय लिया है, उसमें चेंज करना चाहिए। मैं इसमें आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था...

श्री सभापति: अब आप लोगों से निवेदन है कि जब आप बोलते हैं तो यह अलाउड नहीं है बीच में इंटरप्ट करने के लिए। कृपया आप सुनें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। प्लीज, सहयोग करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस उम्मीद में किया था कि हम स्थानीय निकायों को स्वशासी बनायेंगे और लोगों को सुशासन देने में सफल होंगे, लेकिन आज करीब 3 दशक बाद भी हम इन स्थानीय निकायों को देखें तो हम और गर्त में चले गए।

यह सदन जहां पर हम बैठे हुए हैं, मेंडेटरी है कि 6 महीने के अंतराल में सदन आहूत किया जायेगा और सदन आहूत किया जाता है। आज स्थानीय निकायों की क्या स्थिति है? बोर्ड की 2 महीने में बैठक होनी चाहिए। क्या हालात बना रखे हैं? कौन देखने वाला है? कौन पूछने वाला है? किसको परवाह है? 2-2 साल निर्वाचित बोर्ड की बैठकें नहीं होतीं।

सभापति महोदय, मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये जब-जब भी सत्ता में आते हैं तों प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाते हैं। अपनी ओर से श्रेष्ठ प्रयास करते हैं। जो नियम बाधा बने हुए होते हैं, उन नियमों को हल्का करते हैं, लेकिन यह अभियान इतना लंबा चल जाता है, आप एम्पावर्ड कमेटी बना देते हैं। चेयरमैन, ईओ, जे ईएन आदि, उन पार्षदों का क्या जिनको

(श्री संयम लोढ़ा)

जनता चुनकर के भेजती है? 2 साल तक, जब तक आपकी यह एम्पावर्ड कमेटी काम कर रही है, उनको पता तक नहीं चलता कि किस मामले में इस एम्पावर्ड कमेटी ने क्या काम किया है। उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभियान आप चलायें, तो एक निर्धारित अवधि के लिए चलायें।

जनता ने जिन लोगों को चुन कर नगरपालिका या दूसरे बोर्ड में भेजा है, उनके अधिकार इस तरीके से, स्थाई रूप से तिरोहित कर दिए जाएं, उनको निराशा में, अवसाद में धकेल दिया जाए, यह भी बिलकुल उचित नहीं है। पार्षद एक लाचार स्थिति में नीचे खड़े हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल एक्ट की धारा 49, 332 सपठित 337 में 18 मई, 2017 को जो तत्कालीन सरकार ने अमेंडमेंट किया था, जिसमें चेयरमैन, मेयर या सभापति को ये सारे अधिकार दिए थे कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका होगा। नीचे क्या स्थिति है? कोई सभापति को पूछ रहा है? कोई मेयर को पूछ रहा है? उसी ढर्रे पर स्थानीय निकायों का तंत्र चल रहा है। वही अधिकारी आज भी, उसी रूप में उन नगरपालिकाओं को चलाने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह जो सीवरेज के प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, चल रहे हैं, पहले भी हुए हैं, मैं, माननीय मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि सीवरेज में आपकी क्या नॉलेज है? सीवरेज का आपको क्या एक्सपेरियंस है? विश्व बैंक, एशियन डवलपमेंट बैंक हमारी समस्याओं को समझकर उसके लिए पैसा देने को तैयार होता है, लेकिन हमने सीवरेज की समस्या को हल करने के लिए क्या तंत्र विकसित किया है? पैसा मिल रहा है। हम पैसा लेकर के आ जाते हैं, पैसा नीचे खर्च करने लग जाते हैं, नीचे काम देखने वाला कौन है? कैसा काम हो रहा है?

बड़ी कंपनी को आप ठेका दे देते हैं। वह कंपनी नीचे नाकारा किस्म के लोगों को पेटी कांट्रेक्ट दे देती है। किस तरीके का काम कर रहे हैं? आप जाकर के देखेंगे, सीसी रोड बना हुआ है, थोड़ा-सा करके देखेंगे तो आपको नीचे 1 फुट का खड्डा मिलेगा। मंत्री जी भी लाचार हैं।

मैं अनेक बार बता चुका हूं, लिखित में दे चुका हूं। यह रूडसिको, आर यू आई डी पी आप क्यों बनाते हैं? जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को

(श्री संयम लोढ़ा)

इन संस्थाओं के ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो इस तरह की कंपनी बनाकर के राजस्थान के जन जीवन को तबाह करने का काम आप क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वह वर्ल्ड बैंक आपको पैसा दे रहा है? एशियन डवलपमेंट पैसा दे रहा है? कितने लोगों को आपने त्रास में धकेल दिया है? इस सीवरेज कंपनी के काम से कितनी मौतें हुई हैं? कितने लोग घायल हुए हैं?

सभापति महोदय, माउंट आबू का आप देखिये, वहां तो काम पूरा हो गया। अभी बरसात आयी थी, सारा मल बाहर आ गया। बदबू फैलने लग गई। कौन देखने वाला है? जब आपके पास सिस्टम नहीं है तो सिर्फ विदेशी बैंकों का पैसा लेने के लिए आप यह क्यों करते हैं?

सभापति महोदय, सदन को जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे सिरोही में सीवरेज प्रोजेक्ट चल रहा है। लंबी-लंबी एक-एक जगह की शिकायत, 3-3 पेज की, 4-4 पेज की चिट्ठियां कई दे चुका हूं पर कुछ नहीं हुआ। मैं मंत्री जी को दोष नहीं देता, ये तो मंगा ही सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि यह रूडसिको, आर यू आई डी पी खतम करिये इनको और सीधे आपके नियंत्रण में काम रखिये, जिससे कम से कम उसको चैक किया जा सके और ठीक काम कराया जा सके।

आपने एल एंड टी कंपनी को ठेका दे दिया। नीचे आपको खुद को पता है, जनता जब आपको वोट देकर सत्ता में लाती है तो लाचारी के लिए नहीं लाती है, अपने लोगों को खड्डे में गिराने के लिए नहीं लाती है। बुजुर्ग आपके काम से मर जाएं, उसके लिए नहीं लाती है। माननीय सभापति महोदय, कोई घायल हो जाए, मर जाए, आबू रोड में एक जना मर गया, कोई सुनने वाला नहीं है। अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक काम किया है। इस सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। इस तरीके की चीजों पर स्टैंड नहीं लेकर के आप उस अच्छे काम पर पानी फेरने का काम मत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सुधारिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को याद दिलाऊंगा। यही वसुन्धरा राजे थीं, आपको जेल में डालना चाहती थी एकल पट्टे पर। आपको जबरदस्ती फंसाना चाह रही थीं। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हम ही लोग थे जो नारे लगा रहे थे, हाड़ौती का एक ही लाल, शान्ती धारीवाल, शान्ती धारीवाल।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की उस वसुन्धरा की सरकार ने पूरे राजस्थान में जमीनों की +++ की। आपने बहुत आरोप लगाये 2013 से 2018 के बीच में ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जो सदस्य यहां नहीं हैं, उनका नाम कैसे ले सकते हैं आप? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): किस पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नदी में 200 करोड़ का घोटाला ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? (व्यवधान) एक्सपंज कराइये आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कर दिया। +++ शब्द को डिलीट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसको एक्सपंज करायें आप ... (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया। बैठिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) बैठिये तो सही, हो गया। आप बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आपका ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसको एक्सपंज करें आप।

श्री सभापति: हो चुका। बैठिये। आपको पता ही नहीं है। बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सिरोही में पी डब्ल्यू डी का एस ई का कार्यालय बनना था।

श्री सभापति: कर दिया, कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इनको आप प्रताड़ित भी करो। सनसनी फैलाना इनकी आदत बन गई। अगर इनके पास

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई प्रमाण हो तो चुपचाप क्यों बैठे हैं, कराओ न जांच। मतलब आप तो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं और पूरे राजस्थान का पता है। .(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय, यह नहीं चलेगा। इनको प्रताड़ित कीजिए आप। मजाक बना रखा है विधान सभा को ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): बिना प्रमाण बोलने की मेरी आदत नहीं है। मिस्टर राठौड, आप इस तरीके से मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए। अभी आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं बने हैं, अभी टाइम है आपके बनने में। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप इधर मेरी तरफ देखिए और सुनिए, स्वायत्त शासन, वन और पर्यावरण पर बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उसी पर बोल रहा हूं। (व्यवधान) उसी पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां, कंटीन्यू कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सुन तो लीजिए, सिरोही में पी डब्ल्यू डी का कार्यालय बनना था जिस जमीन पर, यह जमीन एक टेलीफोन से वसुन्धरा राजे ने सरेंडर करवाई। कलेक्टर ने नगर परिषद् को दी, नगर परिषद् ने बी जे पी के कार्यालय के लिए 50 करोड़ की बेशकीमती जमीन अलाट कर दी। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्षद, हमारा प्रतिपक्ष का नेता हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से स्टे लेकर आया, आज पांच साल हो गए, मंत्रीजी, आपका बी जे पी से क्या याराना है? क्या याराना है आपका? आज पांच साल हो गए, आपने उस जमीन को निरस्त क्यों नहीं किया अभी तक? नगर परिषद् ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया। सब कार्यवाही हो गई। क्यों कोर्ट में आपने जवाब पेश नहीं किया? हम लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में उस बी जे पी की सरकार के फैसले के खिलाफ, 50 करोड़ की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं और आप तो गलबहियां कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जो प्रकरण न्यायालय में लंबित हो, उस पर इस सदन में बहस नहीं हो सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही: लंबित नहीं है। मिस्टर राठौड़, लंबित नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नियमों और प्रक्रियाओं में आप देख लीजिए, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप आपस में बात मत कीजिए, मेरे माध्यम से बात कीजिए न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनको तकलीफ क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जो मामला न्यायालय में लंबित हो ... (व्यवधान) या फिर हमें भी खुली छूट दे दीजिए। (व्यवधान) या फिर खुली छूट दीजिए हमें भी। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): तकलीफ है।

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, पैसे देकर जमीन ली है बी जे पी कार्यालय के लिए। (व्यवधान) सरकार ने फ्री में जमीन नहीं दी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): भाजपा कार्यालय के लिए पैसे देकर जमीन ली है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 50 करोड़ की जमीन हड़पी है आपने, 50 करोड़ की।

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: बोलिए।

श्री संयम लोढा (सिरोही): आपको अलाउ नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किया है न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई पाइंट आफ आर्डर के लिए अलाउ नहीं किया है आपको। (व्यवधान) आप जबरदस्ती खडे हो रहे हैं।

श्री सभापति: आप प्लीज कम्प्लीट कीजिए। (व्यवधान) आप बोलिए, अपना कम्प्लीट कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये बार-बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा टाइम नोट कीजिए आप ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये ऐसे कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये कौन होते हैं, आर्डर करने वाले? ऐसे तो कोई भी आर्डर कर देगा फिर? आप इन पर कार्यवाही क्यों नहीं करते?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए ..(व्यवधान) बैठिए आप पहले।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इनको बिठाइए पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो असंसदीय लगा उसको विलोपित किया जा चुका है। माननीय सदस्य अपनी बात तो कहेगा। (व्यवधान) सुनिए तो सही उनको।

श्री संयम लोढा (सिरोही): आप सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री थे। आप खुद उसमें शामिल थे।

श्री सभापति: आप इधर देखिए।

श्री संयम लोढा (सिरोही): और आपने खुद ने यह 50 करोड़ का घोटाला करवाया है। आप खुद शामिल थे इसमें। (व्यवधान) आप प्रभारी मंत्री थे वहां।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू कीजिये। आप विषय पर आइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप खुद इसमें शामिल थे। बोलिए, थे या नहीं थे? (व्यवधान) आप इस तरीके के काम करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी छाती पर मूंग दळ रहा हूं।

श्री सभापति: आपस में नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, मेरा अधिकार है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा चुका हू। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हू आपसे कि यह गरीबों की (व्यवधान)

श्री सभापति: चुप रहिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू): मुझे अनुमति? धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कौनसा व्यवस्था का प्रश्न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बताता हूं न।

श्री संयम लोढा (सिरोही): कोई प्रश्न ही नहीं है। यह रिकार्डेड फैक्ट है। मैं रिकार्डेड फैक्ट पर बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू): आप खुद थे उस दिन।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) माननीय सभापति महोदय, आपके आदेश की अवहेलना हो रही है।

श्री सभापति: इनको कम्प्लीट करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आपने ही व्यवस्था दी है।

श्री सभापति: इनके भाषण के बारे में है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिकार्ड पर सारी बातें चली जाएंगी तो फिर मैं क्या बोलूंगा?

श्री संयम लोढा (सिरोही): ये मुझको इसलिए नहीं बोलने दे रहे कि प्रभारी मंत्री के रूप में राजेन्द्र राठौड़ शामिल है उसमें और यह पचास करोड़ का घोटाला इनकी मिलीभगत से हुआ है।

श्री सभापति: बैठिए। (व्यवधान) क्या है? बोलिए। (व्यवधान) आप अपने नेताजी की बात तो सुनो। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायपालिका में लम्बित विषयों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में उन बातों को उद्धृत किया जो इनके खुद के कथन के अनुसार न्यायालय में चल रही है। मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 53 न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा, इस प्रकार से अनुसंधान और न्यायालय में लंबित है, उन पर चर्चा नहीं की जा सकती। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, ये जो नियम बने हुए हैं नियमों के नियम 20, साधारणत: ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा या चर्चा नहीं होगी जो न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहत न्यायाधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष अनुसंधान या जांच में होंगे। सभापति महोदय, यही नहीं, नियमों के नियम 109, इसके अंदर भी ग्राह्यता जो है उसमें है कि किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में न्याय निर्णयत के अंतर्गत हो। मतलब आपने उन विषयों को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उद्धृत किया और उद्धृत करते हुए पूर्व मुख्य मंत्री सहित मुझ पर आरोप लगाया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि या तो ये मुझे नोटिस दें, नोटिस देकर आएं तो मैं उस पूरी बात का जवाब दूं या इसको एक्सपंज फरमाएं आप।

श्री सभापति: बैठिए, प्लीज।

आपके जो प्रश्न हैं उस पर हमने सुन लिया। जो इनका कथन है, जो आज ये कुछ बोल रहे हैं, उसका पूरा वर्बेटम देखकर आसन निर्णय दे देगा उस पर। थैंक यू। आप, कम्प्लीट कीजिए।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन एवं माग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूरा मामला माननीय मंत्रीजी जी के संज्ञान में है, पर मैं उम्मीद करता हू कि यह जो याराना आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किये हुए हो, उस याराना से आप बाहर आओगे, वैसे आप लोग तो महान हो।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, 'याराना' शब्द असंसदीय है। (व्यवधान) आप 'महबूब नेता', 'याराना' जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): महबूब नेता हैं। 'हमारे महबूब' शब्द के अर्थ का पता नहीं है आपको तो हमारा दोष है क्या? यह हमारा दोष है क्या? महबूब आदमी नहीं हो सकता है क्या?

श्री सभापति: 'याराना', 'प्रेम' और भाईचारा' ये असंसदीय कैसे हुए? .. (व्यवधान) आप पूरा कीजिए प्लीज। (व्यवधान) लेट हिम कम्प्लीट प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो महान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि किसी पूर्व मुख्य मंत्री को सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा पर आप तो बी जे पी पर इस तरीके से मेहरबान हैं कि वसुन्धरा राजे का मकान आपने यहां से निकलाकर विधान सभा के उसमें डाल दिया और वो रहेंगी पूर्व मुख्य मंत्री के बंगले में, तो मेहरबानी करके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनिए। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, स्वायत्त शासन, वन और पर्यावरण पर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं वही तो कर रहा हूं।

श्री सभापतिः आप अधिक फोकस करें। मंत्रीजी की तरफ आप सब्जेक्ट पर आइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैने संविधान से चालू किया है. आपके यशस्वी, लोकप्रिय नेता, राजीव गाधीजी को याद करते हुए चालू किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिए आप। जब मैं पैरों पर खड़ा हूं तो बैठना चाहिए आपको।

अरबन डवलपमेंट, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, फोरेस्ट, एन्वायर्नमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। आप फोकस कर रहे हो इसको आरोपित करने पर, उसको आरोपित करने पर ...(व्यवधान) प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किसी शहर की जमीन को खुर्द-बुर्द करेंगे तो वो स्वायत्त शासन में नहीं आएगा तो किसमें आएगा? उसके लिए क्या पी डब्ल्यू डी की डिमांड पर चर्चा करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए। सुनिए। बोलिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, साढ़े चार साल हो गए, वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप उत्तर दें तो बता दीजियेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति या और लोग, जैसे सिरोही में सरगरा समाज है, राजपूत समाज है, पुरोहित समाज है, सगरवंशी समाज है, सब ने छात्रावास धर्मशाला के लिए आपसे भूमि मांगी हुई है चार साल से आप लेकर बैठे हुए हैं। क्यों आप आबंटित नहीं कर रहे हैं? मेहरबानी करें, उन्हें आबंटित करें। अडाणी को 75 हजार बीघा दे रहे हैं, वे तो एक-एक बीघा, दो-दो बीघा भूमि मांग रहे हैं। उन्हें देने में आपको क्या दिक्कत है?

माननीय सभापति महोदय, आपने अभियान चलाया ''प्रशासन शहरों के संग''। आपने कई रिटायर्ड आई ए एस को लगाया आब्लाइज करने के लिए। दूसरे भी आपने अधिकारी भेजे। क्या कभी आपने पूछा कि आप वहां पर जाकर आये हैं, क्या काम करके आये? शिवगंज में खुशबू कालोनी है, लोग बसे हुए हैं। उसमें पूरा ब्रीफ कर दिया। वहां से जैसा उस समय बताया, वैसा लिखकर आपके यहां भेज दिया, लेकिन आज तक उस मामले का कोई निस्तारण नहीं हुआ कि खुशबू कालोनी के पट्टे कैसे दिए जाएंगे, तो फिर इस ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा?

(श्री संयम लोढ़ा)

2017 में सिरोही में मुख्यमंत्री जन आवास के आपने सैंक्शन किये, शिवगंज में सैंक्शन किये, 2020 तक पूरे होने चाहिये थे, आज 2023 आ गया, उसके बाद भी लोगों को उनके फ्लैट नहीं मिले हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, मेहरबानी करके आप इस पर ध्यान दें। दो बातों के लिए मैं अशोक गहलोत और धारीवाल जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की, यह एक ऐतिहासिक कदम है। कोरोना के उस काल में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए।

मैंने स्वयं ने प्रधान मंत्री को सात बार चिट्ठियां लिखीं। ओम बिरला खुद मेरे साथ यहां विधायक रहे पहले। उनसे मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया कि शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोगों की हालत खराब है। कोई सुनवाई नहीं हुई लेकिन आपने स्टेट फंड से इस योजना को शुरू किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपसे विनती है कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें। जितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया, 4 लाख 66 हजार जॉब कार्ड आपके इश्यू हुए। आज काम पर कितने लगे हुए हैं? 1 लाख 26 हजार इस पखवाड़े के अन्दर। पैसे भी कई कामों पर सौ रुपये से भी कम आये हैं। इन तीन बिन्दुओं की आप मॉनिटरिंग करें। जो अशोक गहलोत की भावना है कि गरीब लोगों को रोजगार मिले, उन्हें पूरा पैसा मिले, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप इसमें सुधार करेंगे।

एक इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आप लेकर आये। कितने आवेदन आये आपके पास? 3 लाख 25 हजार। लाभ कितनों को मिला? 45 हजार 530, जो आंकड़ा आपने अपने प्रगति प्रतिवेदन में दिया है। ऐसा नहीं है कि नगर परिषदें भेजती नहीं हैं। नगर परिषदें भेजती हैं पर बैंकों को उसमें कोई रुचि नहीं। हाइएस्ट लेवल पर आपको बैठक करके यह एंश्योर करना चाहिये कि जितने लोगों ने इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में 50 हजार रुपये के लिए आवेदन किया है, उसका उन्हें लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, 103 अरब का बजट आज यह सदन मंजूर कर रहा है इनका। इनका मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है? एक अधिशासी अधिकारी, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के भरोसे पूरी नगरपालिका। पूरे जिले में मॉनिटरिंग करने वाला कौन? कौन देखने वाला है? एक डी डी आर आपने जोधपुर बैठा रखा है, जयपुर बैठा रखा है, उदयपुर बैठा रखा है, बीकानेर बैठा रखा है। क्या वह 30-30, 40-40 नगरपालिकाओं की मॉनिटरिंग कर सकता है?

(श्री संयम लोढ़ा)

मेरी आपसे विनती है, जैसे पंचायत समिति में जिला स्तर पर एक पद होता है, वैसे ही हर जिले में स्वायत्त शासन में भी कोई जिला स्तर का पद आप क्रिएट करें। कमिश्नर से प्रमोटी को या आर ए एस को आप बैठाएं उसमें, जिससे जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हो सके और जो मनमानी चलती है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। क्या हालत है आपके पदों की? स्वास्थ्य अधिकारी के 41 में से 39 पद आपके खाली पड़े हुए हैं। एडिशनल चीफ इंजीनियर सिविल के 6 में से 5 पद आपके खाली पड़े हुए हैं। ई ओ फोर्थ ग्रेड के 132 में 116 पद खाली पड़े हुए हैं। राजस्व अधिकारी II के 87 में से 69 पद खाली पड़े हुए हैं। कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? मेहरबानी करके इस पर ध्यान दीजिये।

मंत्री जी, पिछली बार आपने माउंट आबू के लिए इसी सदन में एंश्योर किया था कि वहां के एस डी एम को असाधारण रूप से ताकतवर बना देंगे। उसके बाद में आपने मॉनिटरिंग कमेटी माउंट आबू की गठित की। उसमें चेयरमैन बना। एक मीटिंग हुई। उसके बाद फिर मीटिंग की सूचना भेजी। पिछले तीन महीने से माउंट आबू की मॉनिटरिंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हो रही है। सौ-सौ साल पुराने भवन, जो जर्जर हो चुके हैं, उनकी भी अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको जितने फैसले लोगों के लिए करने थे, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, बिल्डिंग बाय-लॉज हों, नोटिफिकेशन हों, रूल्स हों, सारे आपने कर दिए, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है।

यह जो टोकन सिस्टम है, मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन जिसे भी आपने बनाया है, जो कमेटी बनायी है, उसके अप्रूवल से आप वहां पर सिस्टम करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है, एक सीनियर लेवल के आफिसर को भेजिये, जिससे माउंट आबू की व्यवस्था को ठीक किया जा सके।

श्री सभापति: Thank You.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में फोरेस्ट पर कहूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी, आसन का आदेश है, लम्बी बात तो नहीं कहूंगा। यह जो धरती है, क्या यह सिर्फ हमारी है? उन वन्य जीवों का कोई अधिकार नहीं है इस पर? आपने खेतों के ऊपर ही तारबन्दी करवा दी। हिरण कुत्ते से बचता हुआ भागता हुआ आता है और उस तार से टकराकर

(श्री संयम लोढ़ा)

कुत्ते की चपेट में आ जाता है, कुत्ता नोंच लेता है उसे। या जो भुटके करते हैं, उन भुटकों से घबराकर वह मर जाता है। मेहरबानी करके जहां-जहां पर वन्य जीव हैं, उन खेतों में इस तरह की तारबन्दी आप मत करवाएं, जिससे वन्य जीवों का जीना दूभर न हो।

अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके जो एम्प्लायीज हैं, जो जंगल में घूमते हैं, क्या देते हैं आप उन्हें? क्या कोई हार्ड ड्यूटी अलाउंस देते हैं? क्या उसका पे-स्केल है? दो हजार रुपये। पहले 1970 में कान्स्टेबल और वन रक्षक का पे-स्केल बराबर था, लेकिन एक के बाद एक वेतनमान आते हुए वह बहुत पीछे छूट गया। आज आप उसे 50 रुपये का भत्ता दे रहे हैं साइकिल का भत्ता। क्या संसाधन हैं उसके पास? अभी मेरे क्षेत्र में जो शिकारी पुलिस ने पकड़े थे, 14 बन्दूकें उनके पास से जब्त की गई हैं। मेहरबानी करके, भले ही आप एक साल वृक्षारोपण न करें, पर अपने फोरेस्ट डिपार्टमेंट का तंत्र मजबूत करें। इनके संसाधन मजबूत करें।

माननीय सभापति महोदय, सिरोही में बाड़ाखेड़ा को आपने कन्जर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। मैं आपसे विनती करूंगा कि उसके लिए जो डी एफ ओ ने प्रस्ताव भेजा है, आप 5 करोड़ उनके स्वीकृत करें, जिससे उसे विकसित किया जा सके। कुम्भलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, उसकी भी आप घोषणा करवाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं सन् 1985 से इस विधान सभा का सदस्य हूं और थोड़ी-बहुत मुझे भी नियमों की जानकारी है। मैं आपका ध्यान नियम 272 की तरफ दिलाना चाहूंगा, बोलते समय पालनीय नियम। बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य/विषय का निर्देश नहीं करेगा, जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।

श्री सभापति: देखिये माननीय सदस्य, इसके बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के उप-नेता जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठिये। अभी आसन पैरों पर है, आपको बैठना पड़ेगा। बैठिये आप।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया, उस पर आप व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति: उस पर मैं बता रहा हूं न क्या किया आसन ने। आप सुन नहीं रहे थे। माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उस पर आसन के द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है कि इन्होंने जितना, जो भी कुछ बोला वह प्रोसीडिंग देखकर अगर उसमें जो हमारे नियम बने हुए हैं उनके विपरीत कोई बात होगी, कोई असंसदीय बात होगी, कोई अवांछनीय बात होगी तो उसको हम देखकर डिलीट करेंगे। थैंक यू। बात खतम। आप अपनी बात कहिये।

(समय: 14.00 बजे)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय पूर्व चीफ मिनिस्टर तो इस हाउस की मैंम्बर हैं और उनके खिलाफ कैसे बोल दिए? जो बोला है उसको एक्सपंज करायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप शुरू करें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एफ आर लग गई। (व्यवधान) जांच कराओ अभी तो आप। इंटेलीजेंस से कराओ, सी आई डी से कराओ। जांच कराओ आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह क्या तरीका है? मैं दूसरे वक्ता का नाम बोलूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिये प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। जो मुंह में आये वही बोल रहे हो। बिना अनुमति कोई भी इस हाउस में बोल रहा है। (व्यवधान) सुनिये प्लीज। आपके लिए है यह। बिना अनुमति इस हाउस में कोई भी बोलेगा तो उसका अंकन नहीं होगा। आप अपने टर्न पर बोल रहे हैं या मैं दूसरा नाम बोलूं?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बोल रहा हूं, साहब।

श्री सभापति: बोलिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सबसे पहले तो मैं धारीवाल साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोटा में इस प्रकार का विकास करवाया कि आज पूरा देश कोटा की वाहवाही कर रहा है। जो भी कहता है, जिसके मुंह से भी सुनते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि कोटा में बहुत विकास हुआ है और देश में कोटा का विकास उदाहरण बन गया है। रेड लाइट फ्री शहर हो गया है, पर मेरा थोड़ा-सा इनसे कोटा के बारे में यह भी निवेदन है कि वहां पर आवारा पशुओं

(श्री प्रताप सिंह)

की बहुत प्रॉब्लम है। उनसे आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और साल में सैकड़ों जानें आवारा पशुओं से एक्सीडेंट होने की वजह से जाती हैं।

नालों की सफाई हम जून में करवाते हैं। 15 जून से बरसात मानते हैं। नालों की सफाई का कचरा पूरा भी नहीं निकलता उसके पहले बरसात आ जाती है और नालों से जो कचरा बाहर निकाला है वह वापस नालों में जम जाता है, जिसके गलत बिल बनते हैं और पेमेंट उठा लिया जाता है, इसलिए इस पर भी आप गौर करें।

तीसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जहां छोटी नगरपालिकाएं हैं, जैसे मैं छबड़ा का जिक्र करूं तो छबड़ा की आबादी आज के समय 50 हजार से अधिक की है और बारां जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर, कस्बा है, पर वहां पर सीवरेज लाइन नहीं है, इसलिए आप आर यू आई डी पी के माध्यम से फोर्थ फेज में या अन्य किसी संस्था से वहां पर सीवरेज बनवाने का कार्य करें, इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है।

साथ ही, निर्माण कार्यों की स्वीकृति बिना बोर्ड मीटिंग के एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का अध्यक्ष को पावर है कि वह दे सकता है। अब यह पुराने टाइम से था कि छोटी नगरपालिकाओं में 5 लाख, बड़ी में 10 लाख और उससे बड़ी में 15 लाख की लिमिट थी, तो आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह भी जनहित में आवश्यक रहेगा, क्योंकि कई काम इस प्रकार के होते हैं कि हमको तुरन्त सैंक्शन देनी पड़ती है। टेंडर वगैरह लगाने में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, इसलिए इस राशि को आप जितना भी उचित समझें, निश्चित रूप से बढ़ायें।

दूसरा, कोटा में एक-दो प्रॉब्लम और हैं जो आपके सामने भी आई हैं और मैंने अखबारों में आपका बयान भी पढ़ा है। एक तो एरोड्रम चौराहे से अपन डी सी एम की तरफ जाते हैं तो वहां पर काफी लम्बा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। दूसरा कोटड़ी से अगर डी सी एम की तरफ जाएंगे तो भी हमको छावनी और छावनी से आगे चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। इन दोनों सर्किल को आपने बनाया तो सुन्दर है और इसमें डाउट नहीं है, पर उनका री-डिजाइन करवाकर उनकी इस प्रकार से व्यवस्था करायें कि आने-जाने वालों को दिक्कत नहीं आये तथा यातायात भी सुगम हो सके। आज स्थिति इस प्रकार की है कि पहले तो घोड़े वाले बाबा की तरफ जाओ, फिर डी सी एम की तरफ

(श्री प्रताप सिंह)

जाओ और इधर छावनी से आने वाले लोगों की भी स्थिति यह है कि पहले एयरपोर्ट की तरफ जाओ, फिर घोड़े वाले बाबा की तरफ जाओ और फिर डी सी एम की तरफ जाओ। कोटा से आप भली-भांति वाकिफ हैं और आप समय-समय पर उनको देखते भी हो, अभी गवर्नर साहब का भी आपने वहां दौरा करवाया है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि निश्चित रूप से आपने रिवर फ्रंट वर्ल्ड क्लास बनाया है। वह जो आक्सीजोन है, वह भी वर्ल्ड क्लास बनाया है और मैं समझता हूं कि यूरोप में भी इस प्रकार का नहीं होगा, पर उसकी मेंटिनेंस का क्या होगा? जिस प्रकार की आपने टाइल्स लगायी हैं, कार्विंग करवाकर मार्बल लगवाया है तो इसकी मेंटिनेंस का क्या होगा? रिवर फ्रंट को मेन्टेन कैसे करेंगे? आज तो आप मंत्री हो, प्रभावशाली मंत्री हो, उसी विभाग के मंत्री हो, आप पैसे का भी इंतजाम कर लेते हो और न किसी की परवाह करते हो तथा कोटा का ध्यान रखते हो, उसके लिए तो आपको साधुवाद, पर आने वाले समय में खुदा न खास्ता कल आप नहीं रहें तो इसको मेन्टेन कौन करेगा? इतनी बुरी स्थिति में कोटा हो जाएगा कि लोग आने को तरसेंगे।

दूसरा, मैंने पहले भी विधान सभा में यह बात उठायी है और यह हॉस्टल्स का मामला है। सब जीरो सेट-बैक पर बने हैं। वहां पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है और किस प्रकार की स्थिति वहां बच्चियों के साथ होती है, वह आपसे छिपी हुई नहीं है, इसलिए इसमें भी मेरा आपसे निवेदन है।

मैं यहां जयपुर का निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, चाहे पुराने जमाने का निरोज, नटराज, एल एम बी देख लो या आज के जमाने के नये-नये रेस्टोरेंट बने हैं इनको देख लो, कहीं पर भी इन्होंने फुटपाथ को नहीं बख्शा है और फुटपाथ तक पर कब्जा कर लिया है। पार्किंग की समस्या लोगों के सामने है। कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो तीन बार उठकर उसको बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को इधर से उधर लगाना पड़ता है, इस प्रकार की स्थिति है। मैं समझता हूं कि यह आपके लिए भी कठोर निर्णय होगा, क्योंकि कई रेस्टोरेंट वाले आपके मिलने वाले भी होंगे, जानकार भी होंगे, पर सख्ती से ड्राइव चलाकर ये फुटपाथ आप खाली करवा देंगे तो निश्चित रूप से जयपुर के लोगों को उसका बहुत-बहुत फायदा मिलेगा। इतना ही मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था।

दूसरा, सी.एम. रेजिडेंस और राज भवन आप-आते जाते रहते हैं, आज

(श्री प्रताप सिंह)

नहीं, वर्षों से आते-जाते रहते हैं। उसके एक किलोमीटर के रेडियस में होटल की परमिशन डी एल बी देता है या जे डी ए देता है। उसकी चैकिंग के पावर भी हैं और अगर कोई कामर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसको रोकने की कार्यवाही भी डी एल बी के द्वारा या यू डी एच, अरबन डवलपमेंट द्वारा की जाती है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हवा सड़क से चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस वाली रोड, जिसमें चीफ मिनिस्टर का निवास है, जिसमें राज्यपाल का निवास है वह कैसे कामर्शियल होती जा रही है? उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, नहीं तो अभी तो यह रोग पैदा हुआ है और धीरे-धीरे नासूर बन जाएगा। इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस और राज भवन के एक किलोमीटर के रेडियस में आज इस प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, जहां रात भर हुक्का-बार चलता है, रात भर स्मैक पीते हैं, रात भर शराब चलती है और अंट-शंट काम वहां पर होते हैं और इस प्रकार की स्थिति है। यही नहीं, गवर्नर हाउस के पीछे का जो पार्क है, उसकी किस प्रकार की स्थिति है, कि दिन के दो बजे आप वहां अकेली बहन-बेटी को नहीं भेज सकते। वहां पर लड़के लोग आकर बैठ जाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। इस प्रकार की स्थिति तो जो हाई सिक्योरिटी जोन है, उसकी स्थिति है और यह सब आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से आप इन बातों पर ध्यान देकर यह सब काम करवाने की कोशिश करेंगे, इन पर ध्यान देंगे और जितना बन सके उतना इनसे लोगों को निजात दिलायेंगे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता था।

अब मैं मांग संख्या 45-फोरेस्ट पर निवेदन करना चाहूंगा। मानव जीवन में झीलों, नदियों, वन, पर्यावरण इत्यादि की अहम भूमिका है, लेकिन देश की बढ़ती जनसंख्या व वनों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा है। साहब, आपने मुझे टाइम कम दिया है इसलिए मैं थोड़ा पढ़कर बोलूंगा।

श्री सभापति: टाइम आपके सचेतक देते हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जंगलों की अवैध तरीके से अंधाधुंध कटाई की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप मौसम परिवर्तन, गर्मी आदि में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में वनों की कटाई से सबसे ज्यादा पानी की कमी आई है। ऐसी स्थिति में जंगल की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। प्रदेश के सभी वन क्षेत्रों की पैमाइश करवाकर उनमें नम्बरवाइज पिलर बनाये जाएं।

(श्री प्रताप सिंह)

अगर विभाग के पास फण्ड की कमी है तो यह काम नरेगा से भी किया जा सकता है।

वन विभाग में वन रक्षक, वनपाल, रेंजर की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। सरकार को फील्ड स्टाफ की भर्ती करनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया तो प्रदेश में जंगल नहीं बचेंगे। आपके पास कैम्पा के एक हजार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं किन्तु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस बची हुई राशि का उपयोग आप वन, नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी, जंगली जानवरों को बचाने के लिए कर सकते हो।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन की घोषणा की है, किन्तु इस घोषणा को पूरा करने के लिए विभाग के पास न तो साधन हैं, न सरकार के पास समय है। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है, या तो इसको लागू किया जाए या इसको समाप्त किया जाए।

एक तरफ सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोयले पर आधारित थर्मल एवं अंधाधुंध बढ़ रहे औद्योगीकरण, बढ़ते यातयात दबाव के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। वन विभाग की लापरवाही से गैर कानूनी तरीके से वन विभाग की भूमि पर खेती की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2020-21 की बजट घोषणा में जलवायु परिवर्तन नीति बनाकर सार्थक कार्यवाही करने की घोषणा की थी, परन्तु दो वर्ष में इस पर सिर्फ नीति ही बनी है, इस नीति पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। इस प्रकार की नीति बनाने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्य मंत्री जी की बात को अधिकारी ही नहीं रखें तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती।

अरबन हीट आइलैंड, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके लिए वर्तमान में कोई नीति नहीं है। वेटलैंड जमीन एवं जल बचाव, जल के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। वेटलैंड वर्षा जल को सोखने में और भूजल को रिचार्ज करने में मदद करता है, बाढ़ को रोकने का कार्य करता है। वर्ष 2017 में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स बने थे। इसके आधार पर वर्ष 2020 में एक वेटलैंड अथोरिटी बनायी गई है, लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि

(श्री प्रताप सिंह)

इसकी अभी तक दो ही मीटिंगें हुई हैं। पहली मीटिंग 24 फरवरी, 2020 को और दूसरी मीटिंग 15 सितम्बर, 2020 को हुई है। इतने समय में मात्र दो मीटिंगें ही हुईं, यह भी सरकार और विभाग की कार्यशैली को दर्शाता है।

भारत सरकार द्वारा 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2021 से प्रतिबन्ध लगाया गया था एवं राज्यों को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान में भी टास्क फोर्स बनी है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इसको रोकने के उपाय नहीं किये जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा गायें ही खाती हैं और जब गायें मरती हैं तो पोस्टमार्टम करने के बाद गायों के पेट में से 30-30, 40-40, 50-50 किलो थैलियां निकलती हैं। इसको रोकने की व्यवस्था जरूर करें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में करीब 62 प्रतिशत रेगिस्तान है और रेगिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कोई नीति बनायें, जिससे रेगिस्तान आगे नहीं बढ़े। जो रेगिस्तान अभी वर्तमान में है, इसमें कमी किस प्रकार से लागू करें।

सभापति महोदय, यही नहीं स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलोजी कम्पनी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भिवाड़ी विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। यह हम सबके लिए शर्म की बात है। यहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं है। वहां के लोग भी हमारी तरह जीना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं। आप स्पेसिफिक भिवाड़ी के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार का कार्य करेंगे या कोई इस प्रकार का वहां मैकेनाइज्ड सिस्टम लगायेंगे, ताकि वहां पर प्रदूषण कम हो सके।

सभापति महोदय, मैं मेरे वन क्षेत्र की ओर आता हूं। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां के डी एफ ओ के बारे में। वहां का डी एफ ओ न होफ की सुनता है, न सैक्रेटरी की सुनता है। सरकार का सैक्रेटरी है। उस डिपार्टमेंट का चीफ होफ है। मेरे सामने 10-10 बार खुद ने आगे रहकर फोन करवा दिए, पर वह इनकी एक बात मानने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। या तो फोरेस्ट सैक्रेटरी को या होफ को, अपनी सीट से हट जाना चाहिए या इन्होंने इनके मुंह से जो

(श्री प्रताप सिंह)

शब्द कहे हैं, उस डी एफ ओ से उनकी पालना करवानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, वह 17 साल से वहां है। वहां रेंजर रहा, वहां ए सी एफ ओ रहा। वहां डी एफ ओ रहा। ऐसी उसमें क्या खूबी है? और अगर खूबी है तो राजस्थान के दूसरे स्थानों पर उसका फायदा लें। वह दूसरी जगह अच्छा काम करेगा। उसका बारां में ही ऐसा क्या लोभ है? आप 10 हजार रुपये में एक बीघा जमीन कर सकते हो। मैं विधान सभा क्षेत्र छबड़ा रेंज की बात करूंगा। अल्लाहपुरा में खसरा नम्बर 8991124 पर, वहां पचास बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है, तीन चार ट्यूबवैल लगवा लिए हैं। विभाग में शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे सामने इस मामले में फोरेस्ट सैक्रेटरी ने भी फोन किया है और होफ ने भी फोन किया है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): पर उस डी एफ ओ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसी प्रकार से ककरवां, छबड़ा रेंज में, सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, बिलकुल मध्य प्रदेश की बोर्डर पर पार्वती के किनारे यह गांव है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दो फीट मोटा पुराना सागवान का पेड़ काटकर करीब दो से पांच करोड़ रुपये का सागवान बेचकर, 120 बीघा जमीन पर खेती की जा रही है। फोरेस्ट विभाग वाले कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और छबड़ा से ककरवां की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। यह मैं दावे से कह सकता हूं। आप भी जानते होंगे, मंत्री जी भी बैठे हैं, ये मंत्री जी भी जानते हैं कि इतनी जल्दी बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, या तो ऊपर तक पैसा पहुंचता है, ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचता तो नीचे बिना अधिकारियों की मिलीभगत के यह काम नहीं हो सकता।

श्री सभापति: थैंक यू। माननीय सदस्य, समय हो गया है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इसलिए इस पर भी विशेष काम करेंगे। आपको एक उदाहरण और दूंगा।

श्री सभापति: यह लास्ट है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन का मामला है। एक हल्का भाग्चां में रारोन गांव में गोपी लाल हेरवाल की जमीन है। गोपी लाल हेरवाल की जमीन एक बाबूलाल रैगर के नाम करवाई गई, जो मौजूद ही

(श्री प्रताप सिंह)

नहीं है। उसका एड्रेस दिया गया है, कोटा की घोडयावाल्या बस्ती का। उससे रजिस्ट्री कराई एक लक्ष्मीबाई नाम की कोई लेडी है। वह खातेदारी की जमीन थी तो उसकी रजिस्ट्री हो गई, पर रजिस्ट्री की जमीन में तो पार्क लगा लिया और चिपकी हुई जमीन, जो फोरेस्ट की है, उसमें मकान बना लिया और आज पांच लाख रुपये महीने की कीमत पर थर्मल वाली कम्पनियां, जो बाहर का काम करती हैं, उनको किराये पर दिया गया है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री रोहित बौहरा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): उनको किराये पर दिया गया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। क्या फोरेस्ट वालों की आंखें फूट गई हैं? तीन मंजिल का मकान बन गया, उसे किराये से दे दिया। वहां वह फोरेस्ट की जमीन से पांच लाख रुपया महीना कमा रहा है। मैं समझता हूं इन फोरेस्ट वालों को डूब कर मर जाना चाहिए। इस सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। अब अंकित नहीं होगा। टाइम हो गया, प्लीज। बोलने वाले बहुत हैं, आपने अपनी सारी बात कह दी है। अब अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: आप माननीय मंत्री जी को कागज दे दीजियेगा। अभी बोलने वाले 40 वक्ता हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी और स्वायत्त शासन मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इस राज्य में जो पट्टों का अभियान चला, उसमें अभी तक साढ़े सात लाख पट्टे देकर एक नया कीर्तिमान इस सरकार ने बनाया है और आज हमको करीब-करीब 7 लाख पट्टे मिल चुके हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो आपका 10 लाख का टार्गेट है। उस

(श्री रोहित बौहरा)

पर थोड़ी सी मॉनिटरिंग और चाहिए। जो हमारा जयपुर में नगर निगम है, वहां आपको पट्टे मिलते ही नहीं हैं। आपके जूते घिस जाते हैं, पट्टे लेने के लिए। आपने ग्रेटर में ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया है। आपके ऑनलाइन सिस्टम को कोई फोलो नहीं कर रहा है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रेटर नगर निगम भी जयपुर का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, उसको थोडा सुधरवायें। वहां पर पट्टों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान करके करना पड़ेगा।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने रेजिडेंशियल पर तो सब छूटें दे दीं, आपने लोगों को इतने अच्छे से एम्पावर कर दिया कि लोग अपना पट्टा आराम से ले पा रहे हैं, आपने इतनी छूटें दे दीं इन लोगों को। लोगों को अपने प्लाट का आपने मालिक बनवा दिया। बट, मैं आपसे यह विनती और करना चाहता हूं कि कई जगह नगरपालिकाओं में ऐसी कामर्शियल प्रोपर्टीज हैं जिन पर लोग 70-70, 80-80 साल से उस पर काबिज हैं। यह ऐसा मौका है कि आप उनसे भी पैसा लेकर उनको भी ठीक कर सकें, उनको भी पट्टा दे सकें। बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, 70-70 साल से लोगों के कब्जे हैं, उनका काम और कारोबार वहां चल रहा है तो क्यों नहीं उनके भी पट्टे दे दिए जाएं। यदि आप यह और करते हैं तो इससे राजस्थान की जनता को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। यह मेरा आपके लिए एक सुझाव है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली बार मनरेगा शुरू किया सिटी के लिए, जिसमें 800 करोड़ रुपये आपने दिए और करीब-करीब 3.19 लाख परिवारों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया और मेरे ख्याल से अच्छा काम चल रहा है। छोटी-छोटी नगरपालिकाएं, जैसे मेरी नगरपालिका है राजाखेड़ा, एवरेज में पांच सौ लोगों को वहां पर आज हम एम्प्लायमेंट दे पा रहे हैं और इसमें आपको यह जानकर खुशी होगी कि जो छोटी नगरपालिकाएं हैं, उसमें नारी शक्ति ज्यादा काम करने के लिए आयेगी तो हमें नयी-नयी चीजें ईजाद करनी पडेंगी। सफाई-सुथराई ये सब काम तो चल ही रहे हैं। बट, यह भी एक चीज के बाद स्टॉप हो जायेंगे खतम हो जायेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्यों नहीं ऐसा काम और ईजाद किया जाए जैसे स्कूलों का रखरखाव है, जो शहर में स्कूल हैं उनका रखरखाव है, उसको भी नरेगा से डवटेल कर दिया जाए, जिससे कि कम से कम हम लोगों के लिए एम्प्लायमेंट जनरेशन कर सकें। हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन पर रंगाई-पुताई का काम

(श्री रोहित बौहरा)

भी नरेगा से डवटेल कर दिया जाए तो कम से कम शहर को हम और सुन्दर और अच्छा बना सकेंगे। यह इतना सा मेरा छोटा सा सुझाव था।

सभापति महोदय, एक जो इन्दिरा रसोई आप लोगों ने शुरू की, लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं, वह हमारी जगह यू पी बोर्डर से लगी हुई है और यू पी से काफी लोग राजाखेड़ा में काम करने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि हमारी सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं कर रखा जैसा हमें बिठा कर आप आठ रुपये में खाना खिला रहे हो। यू पी की सरकार ने ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं कर रखी है। वहां तो क्या चलता है, बुल्डोजर चलता है या आदमी को मार दिया जाता है। यही काम चलता है, और कोई काम नहीं चलता, तो कम से कम आज इस सरकार में, पहले चलता था, इन्हीं की पार्टी के नेता थे, जो यह कहते हैं न कि रोटियां बांटते थे, वे छोटे-छोटे घोड़े जो कहते हैं न 407, जो टाटा के घोड़े आते थे, उसी पर एक लगा देते थे और वहीं खाना देते थे और खाना खाते भी नहीं थे लोग, खाना भी वह गाय-भैंसें खाती थीं।

सभापति महोदय, आज कम से कम इस सरकार ने, इन्दिरा रसोई खोल कर एक रेस्पेक्टफुली आपको बैठा कर खाना खिला रहे हैं। दो सब्जियां दे रहे हैं और अलग-अलग सातों दिन का आपका मेन्यू कार्ड पर फिक्स्ड है। यदि यह सरकार ने काम नहीं किया होता तो दस लाख थालियां सरकार ने पूरे साल में लोगों को खिलाई नहीं होतीं। आज एक बच्चा जो शहर में जाता था पढ़ने के लिए, उसको खुद खाना बनाना पड़ता था, उसको उससे निजात मिल गई। उसके डेढ़-दो घंटे जो वेस्ट होते थे, उसका काम बिलकुल आसान हो गया, वह जाता है वहां पर खाना खाता है। कई ऐसी संस्थाएं हैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई लोग तो आठ रुपये भी नहीं देते, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कूपन बांट देती हैं। उनके आठ रुपये भी वह संस्था वहन कर लेती है। लोग फ्री में खाना खा रहे हैं, जो गरीब हैं बिलकुल जो भिखारी हैं, जो खाना अफोर्ड भी नहीं कर पाते, उनके लिए भी कई संस्थाएं आगे आयी हैं। उन लोगों ने कूपन सिस्टम बांट कर उन लोगों के लिए फ्री खाना किया, तो यह एक बहुत अच्छी पहल है। गरीबों को कम से कम हमने एक ऐसा मौका दिया कि वे शान से अपना जीवन जी सकें।

सभापति महोदय, अब जो आप बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की, तीन या चार सिटीज में हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। आपको और हमको सबको जानकर खुशी होगी कि मंत्री

(श्री रोहित बौहरा)

जी की मेहनत से हम भारत में नम्बर एक पोजिशन पर स्मार्ट सिटीज में हैं। हमारे करीब-करीब 76 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 19 प्रतिशत काम हमारे बचे हुए हैं, तो यह बहुत अच्छा है और मैं सोचता हूं कि मार्च तक ये काफी काम आपके पूरे हो सकेंगे।

सभापति महोदय, इसी तरह से जो अमृत योजना है। 29 शहरों में अमृत योजना चल रही है और इसमें करीब-करीब 1945 करोड़ रुपये आप खर्च कर रहे हो। अब आपने अमृत II भी शुरू कर दी और अमृत II में जो आप काम करने जा रहे हो, जो कि काफी सालों से नहीं हुआ था, जो गांवों में पोखरें होती हैं, जो नगरपालिका में पोखर हैं, उनको खुदा कर उनका पानी नीचे, क्योंकि मिट्टी चिकनी हो जाती है, पानी नीचे नहीं जाता। पोखरें क्यों होती थीं कि पानी सीपिंग कर जाए, जिससे कि वाटर टेबल उस सिटी का बचा रहे तो यह जो आपने पोखरों की खुदाई करके और उनका ब्यूटिफिकेशन करने का काम किया, यह बहुत ही एक सराहनीय कदम है। मेरे यहां भी एक अमृत II का काम हो रहा है जिस पर हम साढ़े पांच करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मेरी, राजाखेड़ा की तीन या चार पोखरें हैं उनको हम सफाई करके और उनका पानी जो नीचे जायेगा उससे हम अपनी वाटर टेबल को काफी बचा सकेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा काम मेरे हिसाब से किया है।

(समय: 14.26 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, एक यह जो हमारी पचास हजार वाली स्कीम है जो हम अपने वेण्डर्स को दे रहे हैं, इसमें आप देखें इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसको आपको एक बार ठीक करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिए, बट, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आपकी जो कामर्शियल बैंक्स हैं जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट उन कामर्शियल बैंक्स को होल्ड करती हैं, उसमें हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत से लोगों ने, करीब पांच लाख लोगों ने आवेदन किये और उसमें से सिर्फ 1 लाख 82 हजार लोगों को ही हमारे यहां पैसा मिला है और करीब 534 करोड़ रुपये ही मिला है। मैं यह चाहता हूं कि एक ऐसा सिस्टम बैठे, कलेक्टर के यहां एक सिस्टम बैठे कि ये जो करीब-करीब तीन लाख लोग हैं, जिनको हम यह पचास हजार रुपया नहीं दे पाये हैं, वेण्डर्स को पैसा नहीं दे पाये हैं, उनको कम से

(श्री रोहित बौहरा)

कम पैसा किस रूप में मिल सके, यह आपको एक फेसिलिटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि हम गरीब लोगों को पैसा दिला सकें, जिससे कि वे अपने बिजनेस में पैसा लगा सकें।

सभापति महोदय, दूसरी चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो म्युनिसिपैलेटीज को लास्ट तीन साल में रोड्स दीं, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कई छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में तो रोड भी नहीं बची हैं कि वह रोड क्या बनायें, क्योंकि यह तीन सालों में एक साल आपने चार करोड़ रुपये दिया, अगले साल फिर आपने साढ़े चार करोड़ रुपये दिया और इस साल छोटी नगरपालिकाओं में आपने 6 करोड़ रुपया दिया। छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में तो रोड बची नहीं है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उसमें क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो कम से कम यह जो सीसी रोड्स हैं वे कम से कम दस से पन्द्रह साल चल सकेंगी। यह मैं आपको कहना चाहता हूं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बाकी आपने आर यू आई डी पी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स ले लिए, सीवर के ले लिए, आपने जलप्रदाय योजना के ले लिए, आपने इसमें 3,076 करोड़ रुपये जो लिए हैं, जिसमें 14 सिटीज को ड्रेनेज सिस्टम और जलप्रदाय योजना में जोड़ा है उसमें से 2,250 करोड़ रुपये आप खर्च कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि इस साल बिफोर द इलेक्शन यह वाला आर यू आई डी पी का ट्रेंच एक तो आप खतम कर सको, जिससे कि 14 शहरों का पूरा काम हो सके। इतना-सा मैं आपसे चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो फोरेस्ट की है। चूंकि रणथम्भौर में टाइगर्स ज्यादा हो गए हैं। The population of tigers have increased in Ranthambore और रणथम्भौर में टाइगर इन्क्रीज होने से वहां पर जो टाइगर्स की पापुलेशन है वह बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि ज्यादा टाइगर्स हो गए। फोरेस्ट मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने करौली से लेकर धौलपुर तक उसको डालने की तो बात की है, सेंक्चुअरी को बढ़ाने की तो बात कर दी लेकिन धौलपुर वाली सेंक्चुअरी में पेड़ लगाने का जब तक आपका यह काम पूरा होगा, आप आब्जेक्शन इन्वाइट करोगे, मेरी आपसे इतनी सी विनती है कि इस बारिश में वहां और ट्रीज लगाये जाएं, जिससे कि वहां और ज्यादा फोरेस्ट कवर हो सके। आपको भी पता है कि वहां ट्रीज कैसे लग रहे हैं। वहां छोटे-छोटे एन जी ओ को यह नहीं दिया जाए, this work should be in the hands of the forest department. वहां जो समितियां

(श्री रोहित बौहरा)

बनाकर आप काम करा रहे हो, उसमें घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। आप अभी भी चैक करा लो, मेरे को पता है आप चैक नहीं कराओगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, सैक्रेटरी साहब भी यहां बैठे हैं, उसको चैक कराएं, वह घोटालों से भरपूर है। वहां कम से कम ये घोटाले तो नहीं हों, ट्रीज तो लगें। साइड में ट्रीज ही नहीं लग रहे हैं, वहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। वहां पर जो काम टेंडर के प्रोसेस से होना था, टेंडर के प्रोसेस से वे काम ही नहीं हो रहे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं, हमारे यहां चम्बल के आल अराउंड घड़ियाल क्षेत्र बना दिया है। घड़ियाल क्षेत्र बनने से हमारे यहां बजरी के दोहन पर बिलकुल रोक लगा दी गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि कई घाट ऐसे हैं जहां पर घड़ियाल हैं ही नहीं एक-एक, दो-दो किलोमीटर तक घड़ियाल नहीं हैं। हम कम से कम ऐसा सिस्टम लगा दें कि उसका डाइवर्जन बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें, क्योंकि एम पी सरकार ने भी इसी तरह से डाइवर्जन बनाकर भेजे हैं। यदि एम पी सरकार डाइवर्जन बनाकर भेज सकती है, तो हम भी डाइवर्जन बनाकर भेज सकते हैं। इससे गरीब लोग, जो और कोई धंधा नहीं कर सकते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, वे बजरी दोहन का काम कर सकें, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगी और हम एम्प्लायमेंट जनरेट करेंगे। बजरी के बिना कोई सिविल वर्क हो नहीं सकता है। इतनी सी विनती है, इस पर भी ध्यान दें, ट्रीज पर भी ध्यान दें।

सभापति महोदय, धौलपुर की सेंक्चुअरी में 5-7 भालू हैं। यहां मंत्री महोदय भी बैठे हैं, सचिव महोदय भी बैठे हैं। क्यों न ऐसा सिस्टम किया जाए कि भालुओं का भी हम संरक्षण करें और उनकी पापुलेशन को भी बढ़ा सकें, क्योंकि अब आप सेंक्चुअरी में तो डाल ही रहे हो। आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, जिससे कम से कम इनकी संख्या बढ़ा सकें और इनको सेंक्चुअरी में डाल सकें।

हमारे यहां आपने एक घड़ियाल सेंक्चुअरी बना रखी है। हम वहां पर प्रजनन का ऐसा सिस्टम जनरेट करें और ऐसा एक क्रोकोडाइल पार्क बना सकें जो कि धौलपुर में एक टूरिस्ट अट्रेक्शन बन सके, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके लिए मैं आपसे यह डिमांड करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 40-स्वायत्त शासन एवं 45-वन विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी शहर की आधारभूत व्यवस्था का जिम्मा नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम पर होता है। पिछले चार साल से जिस प्रकार की नगरपालिकाओं में कमियां रही हैं, मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं, इन्होंने काफी काम सुधारने की कोशिश की, लेकिन निचले लेवल पर जो ढांचा बिगड़ा है, उसको भी मंत्री जी को और सरकार को सुधारने की जरूरत है। आपने 'प्रशासन शहरों के संग' में पट्टा बांटने का अच्छा काम किया, आपने गरीबों को पट्टे भी बांटे हैं। लेकिन वहां भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। वहां भी यह कांग्रेस का है, यह बी जे पी का है, इसको दिया जाना चाहिये, इसको नहीं दिया जाना चाहिये। इसमें प्रत्येक जिम्मेदार आदमी को मिले, अभी भी आपके पास दो-चार महीने का समय है, इसमें आप उस गरीब आदमी को पट्टा दिलायें। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन गरीब लोगों का भला कैसे हो सकता है, यह सोचकर आप उसको करवाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं वहां से एम एल ए था, शहर को चारों तरफ से जोड़ने के लिए हमने फोरलेन सड़के बनाई थीं, उन सड़कों में आज टूट-फूट हुई है। उनका वापस नवीनीकरण कैसे हो, पूरे शहर में सड़कें टूटी हुई हैं। आपने पी डब्ल्यू डी के थ्रू भी पैसा दिया है, उसके थ्रू भी दिया है, उन सड़कों को व्यवस्थित कैसे करें, अच्छा काम कैसे हो और वे सड़कें वापस अच्छी कैसे बनें, इस बारे में भी आपको देखने की जरूरत है।

यू आई टी की बात करूं, चित्तौड़गढ़ में 12-13 साल से यू आई टी है। मंत्री महोदय, दो मिनट आप सुन लें। यू आई टी में आज वहां कमिश्नर के अलावा पूरे रिटायर्ड अधिकारी काम कर रहे हैं और सभी कागजों पर रिटायर्ड अधिकारियों के साइन हो रहे हैं। किसी को रिटायर्ड हुए 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए और वे अधिकारी काम कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि रिटायर्ड अधिकारी उन पट्टों पर साइन करेगा या दूसरा कोई काम करेगा तो वह उसमें कितनी ईमानदारी से काम कर पायेगा। इसके

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

बारे में मैंने पहले भी कहा है, दो मिनट, मंत्री महोदय, इसके बारे में भी आप एक बार सोचें। यू आई टी के सभी काम पेंडिंग हैं। यू आई टी के भ्रष्टाचार के बारे में मैंने आपको लिखकर भी दिया है, मंत्री महोदय, मैं आज भी आपको और लिखकर दूंगा। जमीन कन्वर्ट करवाने के नाम पर 50 रुपये स्क्वायर फीट, 100 रुपये स्क्वायर फीट, जिस प्रकार की वहां बू आ रही है, इसके बारे में आप सोचकर उसको व्यवस्थित करें और वहां रिटायर्ड अधिकारियों की जगह सरकार के अधिकारी/कर्मचारी लगें। जब तक सरकार के कर्मचारी नहीं लगेंगे, तब तक जिम्मेदारी से काम हो नहीं पायेगा। यू आई टी में काफी पैसा पड़ा हुआ है, वह जनता का पैसा है, वह पैसा व्यवस्थित हो सके, इसके बारे में आप सोचें।

सभापति महोदय, नगरपालिका में पिछले दो चार साल से जो काम हो पाया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां कुत्तों की नसबंदी का मामला आया। सभापति महोदय, मैं भ्रष्टाचार का आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। पशुपालन विभाग के सर्वे में कुल 2,000 कुत्ते बताये गए और उन्होंने कागजों में 3,000 कुत्तों की नसबंदी करके पैसे ले लिए और उसके बिल बन गए। मंत्री महोदय, आपके अधिकारी भी बैठे हैं, इस बारे में आप सोचें। 3,000 कुत्ते कहां से आये? सभापति महोदय, पशुपालन विभाग ने 2,000 कुत्तों की रिपोर्ट दी और 3,000 कुत्तों की नसबंदी कर दी, इस बारे में सोचें।

माननीय सभापति महोदय, वहां शहर में पौधारोपण की बात हुई, मैं यहां ओथेंटिक कह रहा हूं, वहां एक-एक पौधा 3-3, 4-4, 5-5 हजार का लगा है। उसमें भी इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच भी अधिकारी करवा लें, नहीं तो दो-चार-छह महीने बाद तो जांच होगी ही। अभी आप जांच करा लें तो उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, वहां हमारी जितनी भी धार्मिक जमीनें पड़ी हैं, धार्मिक जमीनें हर शहर में होती हैं, हमारे द्वारकाधाम की जमीन है, ठाकुर जी, चारभुजा जी, लक्ष्मीनाथ जी, देवनारायण जी, हजारेश्वर महादेव की, इस प्रकार की मैं सोचता हूं कि 100 हैक्टेयर के आस पास की जमीन शहर में है। उन सभी जमीनों पर भू-माफियाओं ने चारों तरफ लूट खसोट की है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। हमारे वहां के जन-प्रतिनिधि हार तो गए हैं, लेकिन आज भी वे धार्मिक जमीनें उनके मिलने वालों के द्वारा, दूसरों के द्वारा बेची जा रही हैं।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, इधर आप देखें, क्योंकि वहां लक्ष्मीनाथ जी की जमीन के लिए मैंने राजस्व मंत्री जी को भी कहा। लक्ष्मीनाथ जी की जमीन का लम्बा-चौड़ा मामला भी आया। माननीय सभापति महोदय, उस जमीन को भी आप दिखवायें, क्योंकि इस जमीन के बारे में भी, द्वारकाधाम की जो जमीन थी वहां नुवा सराई के सामने, वह नदी के बीचों-बीच थी, वहां निजी पैसों से पुलिया बना दी, सब कुछ कर दिया। रात के टाइम जो कच्ची बस्ती में गरीब लोग रह रहे हैं, उनको हटाने की एफ आई आर मैंने दर्ज करवायी है। माननीय सभापति महोदय, इस चीज को आप देखकर कोशिश करें और इनको रोकें। कहीं न कहीं इन चीजों पर लगाम लगायें।

माननीय सभापति महोदय, भाजपा के शासन में जो चामेटी खेड़ा की पुलिया बनायी थी, उसका काम चल रहा है। उसका 2018 में जो काम बन्द हुआ था, वह काम आज दिन तक नहीं हुआ है। कम से कम 7-8 करोड़ का काम है। वह पुलिया बन जाती है तो शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। वह काम यू आई टी के द्वारा चल रहा था पर वह काम आज दिन तक रुका हुआ है। पिछले पांच साल से जो काम पहले था वह वहां का वहां पड़ा हुआ है। वह काम एक बार चल जाए, उसके बारे में भी आप लोग देखें, क्योंकि यू आई टी का काम है, पैसा पड़ा हुआ है। उस काम के बारे में सोचें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक मिनट।

शहर में किले के पास निर्मल वन की आप लोगों ने घोषणा की और वहां करोड़ों रुपये यू आई टी के द्वारा लगाये गए। वह निर्मल वन भी आज तहस-नहस अवस्था में है। जो पुराना पैसा लगा हुआ है उसकी वही की वही स्थिति है। उसके बारे में भी काम नहीं हो पाया है, उसके बारे में आप सोचें और एक बार उसको करवायें। माननीय सभापति महोदय, जैसे एम एल ए फंड और एम पी फंड मिलता है, ऐसे ही वहां के पार्षद को ढंग की तनख्वाह भी मिले और उनको फंड भी मिले। वहां डवलपमेंट कैसे हो सकता है, जब तक हम पार्षद को पैसे के अधिकार नहीं देंगे, जब तक वार्ड की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। वहां भी कांग्रेस-बी जे पी होती है। बी जे पी के वार्डों में विकास नहीं होता है, कांग्रेस के वार्डों में होता है। इसके बारे में आप खुलकर देखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ के मध्य गंभीरी और बेड़च नदियां हैं, उनकी पहले साफ-सफाई की व्यवस्था हुई थी। आज की तारीख में वह साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं हो पायी। उसके लिए साफ-सफाई की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसके बारे में सोचें। शहर के बीच में यू आई टी के द्वारा रिवर फ्रंट का बहुत बड़ा प्लाट बनाया था। वह रिवर फ्रंट का प्लाट भी आज अधूरा पड़ा है। रिवर फ्रंट शहर के बीचों-बीच है, उसको आप लोग देखें। हम लोगों की एक मांग थी। मानपुरा से कपासन के बीच में करीब सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है। दो पुलियाएं बनें और कोटा से नाले से हम जुड़ जाएं। उस कोटा रोड से डायरेक्ट मानपुरा से, कपासन रोड से कोटा को जोड़ने की हम लोगों की मांग है। उसको भी आप लोग जोड़ने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों का मामला बार-बार आता है। हर बार होता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग उसकी साफ-सफाई की व्यवस्था को सुधारते हैं। जहां कर्मचारियों की कमी है, वहां भर्ती भी करें। साफ-सफाई वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। हम लोग दूसरी समाज के लोगों की भर्ती कर लेते हैं, वे साफ-सफाई नहीं कर पाते हैं।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक मिनट। वहां वाल्मीकि समाज को भी करें, ज्यादा से ज्यादा भिश्ती लोगों को जोड़ लें। साफ-सफाई में कर्मचारी के लिए वाल्मीकि समाज से लेंगे, उनका लम्बे टाइम का काम है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। सुश्री दिव्या मदेरणा। आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्लीज विराजें। सहयोग करें। सभी माननीय सदस्य, जो यहां वक्ता के रूप में हैं, आपकी पार्टी के सचेतकों द्वारा मुझे समय दिया गया है, सात मिनट का और दस मिनट का। मेहरबानी करके आप समय की पालना करें। काफी वक्ता बोलने वाले हैं। दो-दो मिनट करके, आप सभी इस तरह से व्यवधान डालेंगे और नहीं बैठेंगे तो सदन कैसे चलेगा? प्लीज सहयोग करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 40-

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

स्वायत्त शासन विभाग पर, ओसियां विधान सभा की 17 ग्राम पंचायतें करीबन एक पंचायत समिति के बराबर, जे डी ए विकास प्राधिकरण के अधीन आती हैं। करीबन सात हजार हैक्टेयर करोड़ों की राशि की भूमि जे डी ए के अधीन आती है। रोजमर्रा के काम में जे डी ए क्षेत्र में आने वाली इन ग्राम पंचायतों को बहुत सारी कठिनाइयों को रोजाना देखना पड़ता है। उसके कुछ बिन्दुओं के बारे में मैं इस पटल पर बात रखना चाहूंगी।

ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक कार्य तथा भवन निर्माण के लिए जे डी ए से एनओसी लेनी पड़ती है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है, कम्पेरेटिव टू जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो एन ओ सीज लेते हैं। इसको भी तेजी देने की जरूरत है। काश्तकार द्वारा अपनी कृषि भूमि का रूपान्तरण कराने में जितनी कठिनाइयां जे डी ए द्वारा आती हैं, उन नियमों के तहत भी हमें सरलता देने की आवश्यकता है, क्योंकि काश्तकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आता है। सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए जो बजट आता है, उसके लिए भूमि प्रदान करने के लिए सीधा कलेक्टर को न होकर जे डी ए द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद ही आबंटन किया जा सकता है, जिससे बजट घोषणा में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में बहुत ज्यादा विलम्ब होता है। जे डी ए की ग्राम पंचायतें, जिसमें नाली, तालाब, नाले, एनिकट आ रहे हैं, वहां डिमार्क करके पंचायत को आबंटन नहीं कर रहे हैं। नरेगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृति में भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं। जे डी ए से एन ओ सी की आवश्यकता पड़ती है और यह एन ओ सी टाइम पर नहीं मिलती है जिससे नरेगा के काम भी विलम्ब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भी सरल करने की आवश्यकता है या फिर हम यह कर दें कि नरेगा से सम्बन्धित जितनी भी हैं, वे पंचायती राज के अधीन हैं, उनसे एन ओ सी लेने की आवश्यकता न हो, क्योंकि आठ-आठ, दस-दस महीने एन ओ सी के जिए भटकते रहते हैं।

दूसरी चीज, जे डी ए के अधीन आने वाली इन ग्राम पंचायतों में जो विद्यालयों के पट्टों की समस्याएं हैं, स्कूल की बिल्डिंग का पट्टा तो जे डी ए जारी करता है, लेकिन अन्य खेल मैदान, चारदीवारी, शौचालय, इन चीजों के पट्टे जे डी ए जारी नहीं करता। खेल मैदान भूमि आबंटन पर बहुत जबर्दस्त टकराव यहां पर होता है। जे डी ए इनको एस डी एम के लिए कहता है, जबकि यह भूमि जे डी ए की सीमाओं में आती है और जे डी ए को उनके अधीन आबंटन करना होता है। निरन्तर यह टकराव चलता रहता है और इस

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

तरीके से फाइलें घूमती रहती हैं। जे डी ए के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में श्मशान भूमि के आबंटन में बहुत बड़ी समस्या देखने में आयी है। जे डी ए द्वारा पूरे गांवों में श्मशान भूमि में एक सार्वजनिक पट्टा जारी किया जा रहा है, जबकि हमारे यहां इन ग्राम पंचायतों के अन्दर सभी जातियों की अलग-अलग श्मशान भूमि होती है। इसलिए कृपया उनका समाजवाइज अलग पट्टा जारी करने का प्रावधान करने के लिए जे डी ए में रिलेक्सेशन होना चाहिए। जे डी ए के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में पुराने कदमी रास्तों को चिह्नित करके कटान रास्ता करवाने में भी बहुत बड़ी समस्याएं हमारे को देखने को मिल रही हैं। सदियों से जो कटानी रास्ते गांवों में चल रहे हैं, जे डी ए द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जा रहे हैं, न ही कटान मार्ग दर्ज हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि इन रास्तों पर धीरे-धीरे अतिक्रमण हो रहा है और ये रास्ते बन्द किये जा रहे हैं।

जो मुख्य मांग, स्वायत्त शासन के जिस बिन्दु पर बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं ये जो 17 पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं, ये जे डी ए के अधीन आती हैं, इन 17 पंचायतों के 44 सड़कों के प्रस्ताव जे डी ए के अन्दर पिछले कई सालों से धूल फांक रहे हैं। पांच साल का यह कार्यकाल है। आखिरी बजट सत्र है। एक सूत सड़क जे डी ए के यहां से ओसियां के अन्दर आबंटित नहीं की गई है। कागजों में भी लीपापोती करने का काम नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा पीछे पड़ने पर, 2020 में जे डी सी इन्द्रजीत यादव थे, उनको परश्यु किया गया तो उन्होंने कहा कि मार्च तक का तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इन सड़कों को ले लें। आने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर कंसोलिडेटेड फंड में लेकर इसे हम करवा दें। मेरा कहना था कि इतने साल तक आपने नहीं दी है। बीच के ईयर में दे दीजिये। इलेक्शन ईयर के अन्दर तो एक तलवार लटक जायेगी, आप टेंडर कर पायेंगे, नहीं होगा, हमको इतनी सड़कें चाहिए। आप कम से कम बीच के इस 2021-22 के वर्ष में दे दीजिये। उन्होंने इन 44 सड़कों की एस्टीमेट की राशि को कंसोलिडेटेड फंड के अन्दर लेकर पारित कर दिया, but meanwhile he was transferred out, posted out as a Collector in one of the districts. जे डी सी बदलते रहे, नये जे डी सी आते रहे। कह रहे हैं, करवा रहे हैं, अब करवा रहे हैं, प्रस्ताव चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी वर्तमान में नये जे डी सी मिस्टर नवीन आये हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इसकी ए एस.एफ

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

एस निकलवाकर और बहुत जल्दी, आप मुझे एक महीने का समय दीजिये, मैं इसको करवा दूंगा। हम निरन्तर इसकी रिव्यू मीटिंग लेते रहे। दो महीने से एक महीने, एक महीने से पन्द्रह दिन, पन्द्रह दिन से एक हफ़्ता, आज तक वह एक हफ़्ता नहीं आया। चुनाव के छह महीने बचे हैं। नोर्थ और वेस्ट जोन के इन एक्स.ईएन. से हम निरन्तर बात करते रहे, जे डी ए का वहां पर चेयरमैन नहीं है, जे डी सी है। He is a government servant and I have no shame in saying that he has no commitment for local people of these 17 Panchayats; and no value for his words either. He will be posted out. उनका तो ट्रांसफर हो जायेगा। कोई सैलेरी नहीं रुक रही है। जे डी सी बदल रहे हैं और हम यहां पर बैठें कि हमारी सड़कें स्वीकृत नहीं हुईं। मैं निरन्तर उन जे डी सी से बात कर रही हूं। मेरे मोबाइल को अगर देखेंगे तो हर 15-20 दिन से बात करते हैं, वे मुझे रिव्यू रिपोर्ट वाट्सएप करते हैं कि मैडम अब इतनों की ए एस हो गई है, अब इतनों की एफ एस हो गई है। यह प्रगति रिपोर्ट है। अब लेटेस्ट दो दिन की स्थिति आपको बताना चाहती हूं कि मैंने लेटेस्ट में रिव्यू मीटिंग की। मैंने नोर्थ और वेस्ट जोन के दोनों एक्स.ईएन. को बताया है। मैं दोनों नोर्थ-वेस्ट की, इनको यहां पर टेबल करूंगी। यह बात हुई कि 70 प्रतिशत से ज्यादा जो रोड हैं, उनमें पटवारी की रिपोर्ट बाकी थी। कुछ ए एस हो गईं, कुछ एफएस हो गईं, कुछ ए एस से एफ एस के लिए प्रगति पर थीं। I called up the JDC and मैंने जे डी सी से कहा कि दोनों के अन्दर 70 प्रतिशत से ज्यादा एक पटवारी की रिपोर्ट लंबित है। कितना टाइम लगता है एक पटवारी को जाकर एक रिपोर्ट लेकर आकर देने के लिए? आप साल भर से एक पटवारी की रिपोर्ट लेकर नहीं आ पा रहे हैं। क्या कमिटमेंट आप मुझसे रोज एक हफ़्ता, एक दिन का कर रहे हैं? जे डी सी मुझे उत्तर देते हैं कि हम ओसियां को एक भी रोड नहीं देंगे। मैंने कहा कि कैसे नहीं देंगे तो फिर आपने ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों कराई? हर शाख पर उल्लू बैठा है, मुझे लगता है उन्होंने इस शेर को बहुत सीरियसली एडोप्ट कर लिया और उल्लू बनाने की ये प्रक्रिया करते रहे हमारे साथ, मीठी गोलियां देते रहे।

ये सरकारी अफसरशाही जन-प्रतिनिधियों को गोली देने का काम कर रही है। ओसियां से आपकी कोई आय नहीं है, पास में ओसियां से जे डी ए को स्वीकृत हुई हैं सड़कें। वे कैसे हुई? मैं तो जानना चाहती हूं कि ये जो पूरी एक एक्सरसाइज चल रही थी, यकायक सडन यू टर्न दो दिन में कैसे हुआ कि नहीं

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

देंगे? क्यों आप हमसे वार्ता कर रहे थे? क्यों आपने अपनी टीम्स वहां गांवों में भेजा? क्यों आपने रास्ते के पूरे रूट देखे? क्यों आपने उनका ए एस कर दिया? क्यों आपने एफ एस किया? ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों करवाई? गांवों में उन सबको पता है कि यहां पर प्रस्ताव बने हैं, इस रोड के लिए। वे निरंतर आते हैं, वे जे डी ए में भी जाते हैं। हमारे यहां पोलिटिकल चेतना बहुत है। वह पूछते रहते हैं कि टेंडर कब होगा? क्यों आपने किया? अगर जो कंसोलिडेटेड फंड 44 रोड का लिया गया उस वित्तीय वर्ष में, वह अगर इन रोड पर एग्जास्ट नहीं किया जायेगा तो किधर एग्जास्ट किया जायेगा? उस फंड को किसी और जगह क्यों यूटिलाइज किया जायेगा? This is because एक जे डी सी से दूसरे जे डी सी, इस टोपी से उसकी टोपी, उसकी टोपी, उसके ऊपर। अरबों-खरबों की सम्पत्ति है वहां पर, but I believe that this decision by the JDC to tell me that not a single road will be given to Osian, is a manipulated behavior according to political revengeful attitude. ऐसा क्या हो गया दो दिन में? प्रगति रिपोर्ट 15 दिन पहले-पहले, आज आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। आपको सालभर पहले नहीं पता था? आप हमें दो साल पहले कह देते तो हम उसके लिए कोई और रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करते। 6 महीने पहले, आज आप मार्च में हमें कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। उधर, आप 10 करोड़ के प्रस्ताव ले चुके हैं हमारे से मिसिंग लिंक में। कहां से हम इन 44 रोड को एडजस्ट करेंगे?

सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया, सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। मैंने देखा कि क्या हुआ यकायक इन दो दिनों में, वो सनम जो खुदा बन गए, उनका दीदार करना मना है, वो सनम जो खुदा बन गए, उनका दीदार करना, मंत्री जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा। उनकी महफिल में जब कोई आये तो पहले अपनी नजरें झुकाकर आये। समझ वालों, समझ लेना, समझ से काम लेना, समझ में काश आ जाए, समझना, समझना, तो इतना ही कहना, इस्तीफा देना। मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी, उस दिन। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए। मैं तो 2020 में भी अपनी जगह थी, 2023 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। Somebody who is a convict, begging for mercy, can be the minister. फिर मैंने सोचा कि चलिए पोलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड इन्हीं दो दिन में क्यों? इसी दो दिन के अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

"मैंने पूछा, अर्ज करी बंदा परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर,
बात सुनकर हंसकर, मुस्कुरा कर वह बोले, हमसे टकराना मना है।
मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया,
गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है।"

प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसात कर रही हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। द्रोपदी नहीं हूं बाहरी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए। मैंने दस साल जब्र के अंधेरों में जिन्दगी गुजारी है, मैंने दस साल दोजख के सजदे किये हैं। इस धरती पर दोजख का नाम कारागृह को कहते हैं। उसी कारागृह पर मैंने दस साल सजदे किये हैं। मैंने कांटों से नहीं, फूलों से धोखे खाये हैं। मैं सहारों से धोखा खायी, अब सहारों से बचकर चलती हूं। मैं, राजस्थान इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और वीरांगनाओं की दबंग आवाज बनकर गूंज रही हूं। मेरा दोष क्या है? मेरा दोष क्या है? मेरी वारदात क्या है? मेरी वारदात कुछ भी नहीं।

श्री सभापति: बीच में नहीं बोलिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सब बजा लेंगे। मेरी वारदात कुछ भी नहीं। हां, हां थी, नहीं, नहीं मेरी वारदात कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं, हां हां थी, मैं पार्टी के प्रति फरमाबरदार थी। मंत्री महोदय, +++ को भी चुनौती दे सकते हैं। मैं तो छोटी-सी कार्यकर्ता हूं। बावफा फरमाबरदार हूं अपने दल के प्रति। मुझे इस दो दिन के घटनाक्रम पर अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं। क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आयी थी। राठौड़ साहब ने बिलकुल कर दिया, मैं तो +++ को धन्यवाद देना चाहती हूं जो रिट्रेक्ट कराये सारे के सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता। मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। गुर्जर, कितनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं, यह सर्वविदित है। मीना समाज के कद्दावर नेता को आप +++ के समान उपाधि देते हैं। जाट समाज की बेटी मंजू को +++ करते हैं। ये तीनों गुर्जर, मीना और जाट, खेतिहर हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45 परसेंट से ज्यादा राजस्थान में इनका हिस्सा है। गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

"यहां सितमगरी के तरीके सिखाये जाते हैं,

निगाहें उठती नहीं, खम उठाये जाते हैं।"

मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि this revengeful attitude क्योंकि मैंने आपके +++ की उस उपाधि की और +++ की उस वक्तव्य की निंदा की तो वहां पर जे डी सी मेरे ओसियां की 44 सड़कों को रातों-रात मना कर देता है। This political revengeful attitude; let the Rajasthan see it कि अगर मैं सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है वह वीरांगना, अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरह की प्रथा। यह सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए हैं। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं, यह सरकार का वक्तव्य नहीं था। सरकार का वक्तव्य इतना था कि कब-कब एफ आई आर हुई और कब-कब हमने अरेस्ट किया। मैं मुख्य मंत्री जी की इस बात का समर्थन करती हूं कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी दी तो जो हमारा पीछे रूरल बैकग्राउण्ड है, उसके अंदर हो सकता है कि पीहर में ब्लैकमेल कर लें कि जाइए नौकरी लेकर आइए किसी की, नहीं तो हम घर में नहीं रखेंगे। It can be used as a tool against these women. इसलिए हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए।

वह बच्चे, शहीद के बच्चे डाक्टर, इंजीनियर, आई ए एस बनने चाहिए, लेकिन किसी कारण अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और वह पढ़ाई नहीं ले पाए तो नौकरी उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए। यह कह कर आप मत टालिए कि वह +++ में गई और आपने कभी देवर को दिया है क्या? मत करिए इस तरह से +++।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं फिनिश कर रही हूं।

ये सरकार का वक्तव्य है, मैं इससे एग्री करती हूं, लेकिन आपने वक्तव्य को कैसे पेश किया? आप कहिए कि उन्होंने मैन हैंडलिंग हुई, कांच तोड़े, ये किया, +++ के समान कैसे कह देंगे और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि आपने पहले उनके नेता को कहा, और दूसरे दिन इन्होंने हमारे प्रभारी को +++ कह दिया। ये कौनसा उदाहरण हम सैट करेंगे।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आज मैं इतना ही कहना चाहती हूं, मैं मुख्य मंत्री से अर्ज करूंगी, यकायक जो 44 रोड्स को रोक दिया गया है, उसमें आप सीरियसली इंटरवीन कीजिए और मंत्री जी, जो कि आजकल जिद पर आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नत-मस्तक हो जाते हैं। वह अगर जिद पर अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसियां में नहीं देंगे तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसियां की जनता के लिए धरने पर बैठूंगी। आप में दम है तो तीन बजे उठा लेना मेरे को। मेरे खून-ए-आरजू को वह समझ रहे हैं पानी, मेरी सड़कें रोक कर नहीं मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं। जनप्रतिनिधि हूं, उसमें कभी मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। 6 महीने की अवधि है। हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से यह दस्तखत करते हैं, इस पर इतना मत इतराइए। यह भी उधार की है और ऐसे दरिया तो बहुत चढ़कर उतर जाते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः जो शब्द पूर्व में विलोपित किये जा चुके हैं, उन्हें दोबारा अंकित नहीं किया जाए। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40 और 45 के ऊपर मेरे विचार रखना चाहती हूं। आपने मुझको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जोधपुर के नगर निगम दो बना दिए गए, सरकार आपकी है, जो आप चाहे वैसे कर दिया। कोई बात नहीं।

(समयः 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में सफाई न के बराबर है। सफाई का नामोनिशान नहीं है। जोधपुर नगर निगम है, वहां के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इंस्पेक्टर होता है, वह ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। मुझे यह समझ आया है कि एक भी इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है जो ट्रेनिंग किया हुआ हो। ट्रेनिंग किया हुआ एक भी इंस्पेक्टर नहीं है, एक तो मेरी समस्या है।

दूसरी बात, एन्क्रोचमेंट इंस्पेक्टर। एन्क्रोचमेंट हटाने वाले इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग होनी चाहिए। मर्जी आये वैसे लगा देते हैं। जोधपुर में सबसे बड़ी तकलीफ हेल्थ आफिसर की आ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि हेल्थ आफिसर का मतलब क्या है? हेल्थ

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

आफिसर वह लगना चाहिए जो डाक्टर हो। मर्जी आये, जिसको हेल्थ आफिसर लगा दिया। अब जोधपुर में क्या काम होगा, कैसे काम होगा? जोधपुर के अन्दर अव्यवस्था होगी।

सभापति महोदय, जोधपुर में नाले की सफाई करने वाला अलग होता हैं, गटर सफाई करने वाला अलग होता है, परन्तु कोई भी नजर नहीं आता है। हर वार्ड कम से कम 100-200 का तो होता ही है। हर वार्ड के अन्दर चार या पांच कर्मचारी लगेंगे। अब चार-पांच कर्मचारियों से कैसे सफाई होगी? जब मैंने इनसे यह पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारे बीट नहीं है। बीट नहीं है तो सफाई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी 1970 व 1980 में म्युनिसिपैलिटी मैम्बर रही हूं। दो बार मैं रही हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि बीट नहीं होती है। इंस्पेक्टर जयपुर से ट्रेनिंग करके आता है, फिर वह सेनेटरी इंस्पेक्टर कहलाता है, वह नहीं है। यह अव्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है हेल्थ आफिसर। जो डाक्टर होता है वह हेल्थ आफिसर होता है। इन्होंने मर्जी आये वैसे कर दिया है। मंत्री महोदय से चाहूंगी कि इसके लिए अपने जवाब के अन्दर विचार करे, इस तरीके से कैसे किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'प्रशासन शहरों की ओर' लगाया और पट्टे जारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पट्टे जारी होने चाहिए और पट्टे मिलने भी चाहिए। मगर पट्टे किसको मिल रहे हैं? जिनको पट्टे मिलने चाहिए उनको तो पट्टे मिल ही नहीं रहे हैं। 25-25, 40-40 साल से बैठे हैं, उनको किसी को भी पट्टे नहीं मिल रहे हैं। पट्टे फुटपाथ वालों को मिल रहे हैं। फुटपाथ वालों को पट्टे मिल रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में एक समस्या और है। भारत सरकार से अरबों रुपये की धनराशि आई। धनराशि किसलिए आई? इसलिए आई कि प्रदूषण को हटाना चाहिए, पेड़-पौधे लगने चाहिए, सफाई होनी चाहिए पर वह नहीं हो रही। सिर्फ इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने के लिए ही सारी धनराशि खर्च कर दी। मंत्री महोदय यह बता दें कि कितने पौधे लगाये, यह नहीं बता सकते।

माननीय सभापति महोदय, सूरसागर में एक कुत्तों का बाड़ा है। कुत्तों के बाड़े की ऐसी स्थिति है कि वहां कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। उधर मंदिर

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

भी है, लोग सुबह दर्शन करने जाते हैं। बस्ती बस गई। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी मेहरबानी करके या तो कुत्तों के लिए कोई व्यवस्था करें, नहीं करें तो वहां से कुत्तों का बाड़ा हटा दे। हटाकर जो आपकी मर्जी आए उस काम में ले। पब्लिक को अच्छा संदेश जाएगा और वहां रहने वाले लोग आराम से रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर नगर निगम में उत्तर और दक्षिण का क्षेत्राधिकार आया हुआ है। हर गली-मोहल्ला गंदगी से भरा हुआ है। वहां रंग का पानी जाता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): उसमें है, बकरा मण्डी, खांडाबलसा, चडवा की गली, सिवांची गेट, नागौरी गेट, कलाल कालोनी, ऊपरी क्षेत्र के अवैध रंगाई-छपाई के पानी की वजह से, गंदा पानी होने से, पाइप लाइन के अन्दर चला जाता है। नालियों के अन्दर चला जाता है। आस-पास कुएं व बावड़ियां हैं उनके अन्दर चला जाता है, उससे जनता को बहुत परेशानी होती है। जब पाइप के अन्दर पानी जाता है तो लोगों की यह शिकायत रहती है कि गंदा पानी आ रहा है। गंदे पानी को रोकने के लिए सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि किस तरीके से अच्छी व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह चाहूंगी कि ऐसी जगहों को तुरन्त ठीक करे। अच्छी तरह से करे। आपने टाइम दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 व 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि मैं नोन अरबन क्षेत्र से आता हूं, तो मैं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर ही अपनी बात रखूंगा।

राजस्थान प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से विविध एवं समृद्ध प्रदेश है। प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढ़ते जैविक दवाब के बावजूद वर्तमान सरकार ने गत चार वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भारतीय वन संरक्षण विभाग की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार गत 2019 के सापेक्ष वृक्षारोपण में कुल 646.45 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले चार साल का रिकार्ड है।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

सभापति महोदय, फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोरोना के समय भी जान-माल बचाने के लिए लोगों को खूब सहयोग किया। कोरोना काल में नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर-घर औषधि योजना प्रारम्भ करके तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने नि:शुल्क उपलब्ध कराये, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

हमारी सरकार द्वारा राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने तथ आम-जन को वनों का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों में दो करोड़ की लागत से लव-कुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई लव-कुश वाटिका की घोषणा की है। राजस्थान में हरियाली बढ़ाने तथा वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट में राजस्थान ग्रीनिंग एवं रिवाइल्डिंग मिशन प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की है, जिसमें 80 हजार हैक्टेयर में वन भूमि, वन क्षेत्रों के बाद टाइगर रिजर्व, लेपर्ड कन्जर्वेशन, चरागाह आदि कार्य किये जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले चार साल में फोरेस्ट डिपार्टमेंट में माननीय मुख्य मंत्री जी इच्छानुसार, आदेशानुसार खूब सारे काम हुए हैं। चाहे राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा कृत्रिम गोडावण प्रजनन प्रारम्भ किये जाने की बात हो।

राज्य सरकार द्वारा वन विभाग में रेंजर की भर्ती। 1997 के बाद पहली बार, 25 साल बाद, माननीय मुख्य मंत्री जी ने रेंजर, ए सी एफ, वन रक्षक की भर्ती की है और कई भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। 25 साल के बाद भर्ती होने जा रही है, जिससे फोरेस्ट का विंग मजबूत होगा। प्रदेश में पेड़ों की रक्षा हेतु, मुझे इस सदन में कहते हुए गर्व है कि मैं जिस समुदाय से आता हूं उस समुदाय में आज से करीब 270 साल पहले वृक्षों की रक्षा के लिए, केवल हरे वृक्ष बचाने के लिए, हरे वृक्ष की कटाई रोकने के लिए, जोधपुर के खेजड़ली में मां अमृतादेवी के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो गए, लेकिन हरे वृक्षों को नहीं कटने दिया। माननीय सभापति महोदय, यह 270 साल पहले की बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं उस समुदाय से आता हूं, हमारी सामाजिक आस्था है हरे वृक्षों के प्रति, हमारी धार्मिक आस्था है जीवनों के प्रति इसलिए इस सदन में यह कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि गुरु महाराज जाम्भोजी ने भी यह कहा था कि हरे वृक्ष नहीं कटने चाहिए। 'जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे', जीवों के प्रति दया करो और वृक्ष को घाव नहीं लगाना चाहिए। उस

(श्री किसनाराम विश्नोई)

धार्मिक आस्था और उस सामाजिक आस्था से जोड़ा और उसके बाद में भी कई लोग शहीद हो गए हरे वृक्षों के लिए, जीवों के लिए।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): मैं उस समुदाय से आता हूं इसलिए जोधपुर के खेजड़ली में 363 लोग अमृता देवी के नेतृत्व में शहीद हो गए हरे वृक्षों के लिए इसलिए खेजड़ली को विश्व धरोहर में शामिल करने की मेरी मांग रहेगी।

साथ ही साथ आज सोलर प्लांट जो हमारे जोधपुर जिले के लिए, बाप क्षेत्र के अन्दर सोलर प्लांट भड़ला जो विश्व का सोलर हब है, सोलर प्लांट के प्लांटेशन के लिए हरे वृक्ष काटने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपके मार्फत से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी खेजड़ली के हरे वृक्ष हैं, इनको कल्पवृक्ष के रूप में माना जाता है। खेजड़ली को काटने की जब आवश्यकता पड़ती है तो उसके दूसरी जगह शिफ्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कई तरह के वन्यजीव, फोरेस्ट के लिए कई बार एजिटेशन हो जाते हैं, कई बार इस तरह का माहौल हो जाता है कि उन हरे वृक्ष को बचाने के लिए लोग वहां पर आतुर हो जाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इस खेजड़ली को शिफ्ट किया जाए, शिफ्टिंग की एक योजना लायी जाए ताकि हरे वृक्ष दूसरे स्थान पर, खाली स्थान पर और रेगिस्तानी भू-भाग में उनको शिफ्ट किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय से यह मांग रहेगी।

दूसरी मांग मैं आपके माध्यम से यह करना चाहूंगा और पहले भी कई मंचों पर यह मांग आ रही है कि जोधपुर में सिविल हवाई अड्डा बनने जा रहा है मैं आपके मार्फत यह मांग भारत सरकार से करूंगा कि उसका नाम मां अमृता देवी हवाई अड्डा रखा जाए, ताकि सदियों-सदियों तक यह याद रहेगा और नयी पीढ़ी को यह प्रेरणा मिलेगी कि लोग देश की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करूंगा। लोग देश की सीमा की रक्षा के लिए गए हैं और मेरे क्षेत्र की दो मिनट में मांग रखूंगा, माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र लोहावट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। आप विराजें। अंकित नहीं होगा। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): 000

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन एवं मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। सरकार स्वायत्त शासन विभाग को चलाने के लिए, नगरपालिकाओं को चलाने के लिए ध्यान दे और इनके आर्थिक संसाधनों की तरफ ध्यान दे, नहीं तो ये नगरपालिकाएं बन्द हो जायेंगी। इस पर एक आयोग बैठाया जाए कि कैसे इन्कम के स्रोत पैदा हों। आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तो वहां कर्मचारियों को तनख्वाह के लाले पड़ जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में जब चुंगी की आय होती थी तब सरकार ने एक समझौता करके चुंगी वसूली से जो पैसे आते थे, उसकी राशि जारी करके नगरपालिकाओं को दी जाती थी और उसमें यह स्पष्ट आदेश थे। उसमें यह कहा गया था कि नगरपालिकाओं की तनख्वाह व अन्य भत्ते देने के बाद अन्य कार्यों के लिए पैसे काम में लिए जायेंगे, परन्तु आज जो पैसे सरकार द्वारा सीधे भेजे जाते हैं, पीलीबंगा नगरपालिका में तो यहां तक हो गया कि नगरपालिका कर्मचारियों को वहां पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। वे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं और जिसके कारण से आज उन कर्मचारियों ने जो लोन लिया हुआ है, उनके मकान गिरवी हैं और हर प्रकार के लोन में उनके पेनल्टी लग रही है, ऐसी अव्यवस्था हो रही है, इसलिए नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। सरकार द्वारा जो राशि भेजी जाती है तो उससे पहले नगरपालिका के कर्मचारियों की तनख्वाह के पेटे पेमेंट किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका पीलीबंगा हेरिटेज सिटी घोषित हुई थी और 2017-18 में सरकार द्वारा काफी बजट वहां के लिए अनाउंस हुआ था। वहां सड़कों के लिए, पेयजल के लिए, सीवरेज के लिए, पानी के लिए और गंदे

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

पानी की निकासी के लिए आर.यू.आई.डी.पी. की तरफ से उन काम के टेंडर तो हुए, परन्तु आज तक वे काम शुरू ही नहीं हुए। मेरा आपसे यह निवेदन है कि तत्कालीन सरकार द्वारा और आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा जो योजना बनाई गई थी, वह काम शुरू किया जाए।

इसी प्रकार, इसी सदन में पिछले वर्ष मैंने एक प्रश्न लगाया था गोलूवाला निवादान और सिहागान जिनकी आबादी 17 हजार से ऊपर है और मंत्री महोदय ने यहां पर यह स्वीकार किया था कि आपकी इन दोनों पंचायतों के नगरपालिका के मापदंड पूरे हो रहे हैं और गोलूवाला सिहागान एवं निवादान को नगरपालिका घोषित कर देंगे, परन्तु जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा लैटर आने के बाद में हम यह व्यवस्था देंगे। पूरा साल बीत गया, बजट भी पेश हुआ, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी की, परन्तु आज गोलूवाला की जनता इस सरकार के मुंह की तरफ देख रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कलेक्टर महोदय का वह पत्र आ चुका है और हर प्रकार से मापदंड पूरे यह नगरपालिका बनने के लिए कर रही है इसलिए गोलूवाला निवादान और सिहागान को नगरपालिका घोषित किया जाए ताकि वहां के लोगों को न्याय मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र के नजदीक 90-ए और बी के नाम से कालोनियां काटी जाती हैं। नगरपालिका वहां पर पट्टा भी बनाती है, परन्तु न तो वहां पर पेयजल की व्यवस्था होती है और न ही अन्य प्रकार की सफाई की व्यवस्था है। नगरपालिका तो पट्टे बनाने के पैसे तो जरूर लेती है, परन्तु कोई व्यवस्था नहीं करती।

इसके साथ-साथ, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रावतसर शहर पिछले दिनों बरसात में डूब गया था, परन्तु पानी निकासी की तरफ आज तक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर से वापस यह बरसात का मौसम आ रहा है तो मेरा आपसे यह निवेदन है और मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि रावतसर शहर को बचाने के लिए जहां पर नाला बना हुआ है, वहां पर पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण और मरम्मत की जाए।

इसके साथ-साथ एल.आई.जी. सेक्टर, जो रावतसर के अन्दर पुराना था, पर वहां लोगों ने अपने मकान बना लिए और पचास वर्षों से लोग वहां

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

बसे हुए हैं परन्तु तत्कालीन सरकार ने 21.12.2012 को आदेश करके उक्त क्षेत्र को डी.एल.सी. दर से नियमन करने के आदेश दिए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर मेला ग्राउंड भी नहीं है, पचास वर्षों से लोग बस रहे हैं और गरीब लोग वहां रह रहे हैं, इसलिए सामान्य दर के हिसाब से एल.आई.जी. सेक्टर के पट्टे बनाने के लिए सरकार ध्यान दे...।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): ताकि वे सामान्य राशि भर सके और लोगों को राहत मिल सके और एल.आई.जी. सेक्टर के पट्टे मिल सकें।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका के अन्दर ई.ओ. के पद खाली पड़े हुए हैं। वहां पर जो जे.ईएन. है, उसी को ए.ईएन. का चार्ज देकर मतलब कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता का चार्ज दिया गया है और जो व्यवस्था उन्होंने टेंडर की की है, वह ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन करते हैं तथा एक ही बार में वहां माप-पुस्तिका भरकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसा मामला नगरपालिका पीलीबंगा में हुआ है जहां पर कई प्रकार के काम अनियमितताओं के कारण, पांच लाख रुपये से कम की राशि के नाम से उन्होंने टेंडर किया, क्योंकि एक ही आदमी वहां माप-पुस्तिका भरता है, एम.बी. भरता है जिसके कारण से आज भ्रष्टाचार पीलीबंगा नगरपालिका में खूब हो रहा है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा में माप-पुस्तिका गायब हुई थी तो तत्कालीन एस.डी.एम. द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी और एम.बी. फिर मिल गई। वापस जो एम.बी. आयी तो उसको पानी में भिगो दिया और यह बता दिया कि यह खुर्द-बुर्द हो गई। ऐसा काम एक ही आदमी के पास दोनों चार्ज होने के कारण हो रहा है, इसलिए मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नगरपालिका के अन्दर टेंडर भेजते हैं वह ऑनलाइन किया जाए और जो भ्रष्टाचार के माध्यम से काम हो रहे हैं, उनकी जांच करवायी जाए, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

हाल ही में जो ऑनलाइन टेंडर किये जा रहे हैं, उसी प्रक्रिया पर मैं यह कह रहा हूं कि ऑनलाइन ईटेंडर किया जाए। आज मैं यह देख रहा हूं कि नगरपालिका के अन्दर ई.ओ. के पद खाली पड़े हुए हैं और एल.डी.सी., यू.डी.सी. को चार्ज दिया जा रहा है। एल.डी.सी., यू.डी.सी. सम्बन्धित चेयरमैन

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

के दबाव में आकर गलत काम करते हैं जिसके कारण से नगरपालिका रावतसर में गलियों के पट्टे बना दिए और कीमती भूमि दबाव में आकर खांचा भूमि के नाम से दे दी।

श्री सभापति: विराजिए। श्री मेवाराम जैन।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या बात हुई साहब? दो ही मिनट नहीं हुई साहब।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): 000

(माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा) के सदन पटल पर रखे गए शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन एवं मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण विभाग पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, शहरों का विकास कैसे हो। ग्रामीण एरिया के लोग शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिससे शहर दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से वहां की सीवरेज व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और पट्टों की व्यवस्था हो तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत साहब और मंत्री धारीवाल साहब ने इन चार सालों में इस ओर काफी ध्यान दिया है। उन्होंने विकास की ओर भी ध्यान दिया है। आप देखेंगे कि पट्टों के लिए लोग तरस रहे थे। 2008 से 2013 में जब हमारी सरकार थी, उस समय पट्टे बांटे। उसके बाद लोगों को बिलकुल भी पट्टे नहीं बांटे गए, बल्कि रोके गए। माननीय सभापति महोदय, अभी पट्टे जारी करने के लिए सरकार ने नियमों में सरलीकरण किया है, संशोधन किया है। लोग कई सालों से सरकारी भूमि पर बैठे हुए हैं उनको पट्टा मिले, कृषि भूमि पर बैठे हैं, उनको पट्टा मिले, शहरों में पुरानी आबादी में स्टेट ग्रांट का उनको पट्टा मिले, 1969 का पट्टा मिले, यानी हर तरह से संशोधन किये गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को पट्टे देंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि 7 लाख लोगों को पट्टे मिल चुके हैं और बाकी के लोगों को पट्टे देने की प्रक्रिया जारी है। जल्दी ही उन लोगों को पट्टे मिलेंगे, ताकि जो लोग सालों से मकान

(श्री मेवाराम जैन)

बनाकर रह रहे हैं और उनके पास पट्टे नहीं थे और इन्तजार कर रहे थे कि हमने पैसा कमा कर मकान बनाया। उसका हमें हक मिलेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार शहरों को साफ-सुथरा और सुन्दर बनाने के लिए सीवरेज की व्यवस्था, ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था, 41 शहरों में 800 करोड़ रुपये की सीवरेज की योजना लागू हुई। सैंक्शन की गई। उसमें हमारे बाड़मेर को भी लिया गया। उसके लिए एक करोड़ रुपये आर यू आई डी पी के तहत सैंक्शन हुए। शहर में पानी की व्यवस्था के लिए भी 46 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इन्दिरा रसोई योजना चालू की। यह ऐसी योजना है कि जैसे गांवों के लोग शहरों में जाते हैं, शहरों में हास्पिटल्स के काम से जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं, बस स्टैण्ड पर जाओ, सामान लेने जाओ, कहीं भी जाओ, चारों ही तरफ यह योजना मिलती है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भूखा नहीं रहे। आठ रुपये में अच्छा खाना मिलता है। हास्पिटल के बाहर भी वह स्वादिष्ट खाना मिलेगा। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान) पहले किस तरह से होता था, वह सब आपको पता है।

माननीय सभापति महोदय, शहरी रोजगार योजना मनरेगा की तर्ज पर शुरू की गई है। यह एक शानदार योजना है। शहरों के अन्दर जो लोग मजूदरी करना चाहते हैं, उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसकी घोषणा की। मुझे खुशी है कि काफी लोग मजदूरी करके आपना जीवन-यापन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह भी शानदार योजना लागू की है। कई परिवार ऐसे हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता थी। उनको रोजगार मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, शहरों में अच्छी सड़कें हों, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था हो, सौन्दर्यीकरण हो, उसके लिए नगरपालिका को सड़कें दीं, नगर परिषद् को दीं। बड़े शहरों में जिस तरह से 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक सड़कें देकर शहर की सड़कें अच्छी कैसे हों, वह दीं। इस प्रकार से शानदार योजना लागू की और सैंक्शन की। उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत

(श्री मेवाराम जैन)

धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज शहरों में बहुत अच्छी सड़कें हो रही हैं सौन्दर्यीकरण हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बाड़मेर के बारे में कहना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर में तीन आर ओ बी बन रहे हैं। अण्डरब्रिज बन गया है। बाईपास बड़े-बड़े बन रहे हैं और सड़कें भी शानदार बन रही हैं, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाड़मेर में शानदार टाउन हॉल बन रहा है। किस तरह से शहर का विकास होना चाहिए, किस तरह से लोगों को पट्टा मिले, कच्ची बस्तियों का कैसे विकास हो, वह सब सरकार द्वारा किया जा रहा है। कोई धन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर के अन्दर 15 हजार पट्टे दिए गए और 75 करोड़ रुपये की आय हुई। 75 करोड़ की आय से सारे शहर में, कच्ची बस्तियों में जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, वह सराहनीय है। मैं हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शानदार कार्य शहरों में हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, नन्दीशाला की बात चली। शहरों में आवारा पशु जो हैं, उनके लिए नन्दीशाला खोलने का निर्णय लिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्शन जारी करें कि सभी नगरपालिकाओं में नन्दीशाला खोली जाए जिसके लिए 12 महीने का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। रोड पर आवारा पशु नहीं घूमना चाहिए। सभी आवारा गायों को नन्दीशाला में भर्ती करें। रोड पर घूमने वाली जो गायें हैं, उनका समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी। कोटा, जोधपुर और जयपुर की बात हो रही थी। कोटा पूरे भारत के अन्दर उदाहरण बन गया है। जाकर देखें कि कितनी शानदार सिटी बनी है। हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए थे। किस तरह से कोटा शहर कैसा शानदार शहर बन गया, इसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यू आई टी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बाड़मेर में यू आई टी को स्वीकृत हुए 12-13 साल हो गए, लेकिन उसके अन्दर जो कार्य होने चाहिए थे वे कार्य नहीं हो रहे हैं। पता नहीं जो भी आफिसर आता है वह इन्ट्रेस्ट ही नहीं लेता है और कालोनियां बसती जा रही हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आज सवा सौ से ज्यादा कालोनियां हैं जिनका नियमन नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, दो तीन मिनट ही लूंगा। मेरी खुद की बात करना चाहूंगा। यू आई टी को या तो काम कराने के लिए बाध्य करो या फिर यू आई टी को भंग कर दो। मैंने तो इसके लिए लिख कर भी दे दिया है कि भंग कर दो ताकि कम से कम लोगों के रोजमर्रा के काम तो हों। न तो वहां नियमन हो रहा है और न किसी प्रकार की वहां कालोनी का कन्वर्जन हो रहा है। सारे काम रुके पड़े हैं। अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर बढ़ रहा है। वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है। लोग बार-बार मांग कर रहे हैं। सरकारी जमीन पास में है, अतिक्रमण हो रहा है। उस पर आप ट्रांसपोर्ट नगर के लिए घोषणा कर दें, ताकि सरकार को आय भी होगी और भीड़ भी शहर से बाहर चली जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में हमने आबादी विस्तार की बात कही। वह प्रस्ताव तैयार होकर आ गया। शहर में जो आबादी बढ़ी है, उसके विस्तार के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण पर तो मैं इतना ही कहूंगा कि मंत्रीजी हमारे वहीं के हैं इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्रीजी। वन भूमि के अन्दर बाड़मेर के लिए जरूर आपने एक आश्वासन दिया है कि गरड़ा रोड से अरिहंत नगर होता हुआ सोहन नाड़ी तक सड़क बना दी जायेगी। मैंने सड़क के लिए निवेदन किया था। फार्मेलिटी जो आपने मांगी थी वह सारी दे चुके हैं। कृपया उस सड़क को शुरू करवायें। यह बाड़मेर शहर में सौंदर्यीकरण और वहां की आवश्यकता है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। बाकी जो कम्पनियां बाड़मेर के अंदर जिस तरह से काम कर रही हैं, तेल है, गैस है, रिफाइनरी है, यह आवश्यकता है कि प्रदूषण किस तरह से कम हो, इस पर आप ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, जो लोग काफी सालों से वन भूमि पर बैठे हैं, पचास-पचास साल से वे वहां बैठे हैं, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए एक अभियान चलाकर जो कई सालों से उसके अंदर बैठे हैं, वे हट नहीं

(श्री मेवाराम जैन)

सकते, कहीं और बस सकते नहीं, तो उनके लिए आप पट्टे दिलाने की व्यवस्था करावें। यही कहता हुआ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित)। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

हमारे प्राचीन समय से नगरों का बहुत सांस्कृतिक महत्व रहा है और हमारे प्रातः स्मरण में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिकापुरी द्वारवती ज्ञेया: सप्तेता मोक्ष दायिका। इतनी गंभीरता से शहरों का महत्व प्रदर्शित किया गया है।

आज पूरे राजस्थान में शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। वह मेरे भीलवाड़ा शहर की भी है और पूरे राजस्थान की भी है कि प्राइवेट कालोनाइजर मनमाने तरीके से प्राइवेट कालोनियां बसा रहे हैं और उन प्राइवेट कालोनियों में डवलपमेंट चार्जेज UIT लेती है या नगर परिषद् होती है तो वह नगर परिषद् लेती है। जब प्राइवेट कालोनाइजर मकान बनाकर हैण्डओवर करके वहां से निकल भागता है, फिर उसके बाद वहां न तो सफाई होती है, न पानी की व्यवस्था होती है, न बिजली की व्यवस्था होती है, न सड़कों की मरम्मत का काम होता है। यह हर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और बहुत ही विकट समस्या बनती जा रही है। मेरे भीलवाड़ा शहर में कम से कम 80 ऐसी कालोनियां हैं जो प्राइवेट कालोनियों के नाम से बनी हुई हैं। हमारा पूरा शहर चम्बल का पानी पीता है, लेकिन उन कालोनियों में चम्बल का पानी इस नाम से नहीं दिया जाता है कि ये प्राइवेट कालोनियां हैं, इनकी व्यवस्था कोलोनाइजर करेगा। यह जो समस्या है सफाई की, बिजली की, सड़क की, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव जीवन के लिए और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप चाहे नियमों में संशोधन करें, चाहे किसी भी तरीके से व्यवस्था करें, लेकिन आम शहर में जो व्यवस्थाएं चलती हैं, चाहे पीने के पानी की हो, सड़कों की हो, चाहे बिजली की हो, नालियों की हो या साफ-सफाई की, वे व्यवस्थाएं वहां कैसे सुचारु रूप से चलती रहे, यह जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। आज प्राइवेट कालोनाइजर की उन कालोनियों

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

में एक-एक लाख, डेढ़-डेढ़ लाख की आबादी निवास करती है और वे रोज आन्दोलनरत रहते हैं कि आज हमारे यहां सफाई नहीं हुई, हमारे पीने के पानी की बरसों से समस्या है, बिजली का कोई लट्टू लगाने वाला नहीं है, सड़क टूट जाती है तो कोई ठीक करने वाला नहीं है। केवल प्राइवेट कालोनाइजर के नाम से कभी अगर काम करा भी देते हैं तो अख़बार में छप जाता है कि साहब प्राइवेट कालोनियों में काम किया जा रहा है। इस समस्या का सही समाधान किस तरह से हो, आज के दिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरी भीलवाड़ा UIT में जिस तरह से काम चल रहा है, तीन साल में आज पहली बार अभी बजट पारित हुआ है। बिना बजट पारित कराये दो साल तक कैसे मनमाने तरीके से वहां पैसा खर्च किया और किस तरह की व्यवस्थाएं कीं कि पूरा शहर तो उपेक्षित रहा और एक नेता के इशारे पर पेरिफेरी के क्षेत्र में सारा पैसा लगाया गया। करोड़ों रुपये लगाया गया और वह शहर उपेक्षित रहा। भीलवाड़ा शहर में आज भी सड़कों पर गड्ढे हैं, पीने के पानी की व्यवस्थाओं में कमी है, बिजली की कमी है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से आपने यह व्यवस्था की है, अगर कोई जन-प्रतिनिधि UIT में बैठता तो एक जिम्मेदारी से काम करता, लेकिन आपने उनको भी नहीं बैठाया, कोई चेयरमैन बनाये नहीं। अफसरशाही की मनमानी चल रही है और मनमाने तरीके से लूटा जा रहा है UIT को। इसकी व्यवस्था किस तरह से सुधर सके, इस पर ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग का भी आज मांग का दिन है। मेरा एक निवेदन है कि पेड़ों का महत्व कितना है, यह हम सब जानते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है -

"दशकूपसमा वापी, दशवापीसमो ह्रदः।

दशह्रदसमो पुत्रो, दशपुत्रसमो द्रुमः।"

इसका अर्थ यह है कि दस कुएं खुदवाओ और एक बावड़ी खुदवाओ, बराबर पुण्य मिलेगा। दस बावड़ी खुदवाओ और एक तालाब बनवाओ तो उसके बराबर पुण्य मिलेगा। दस तालाबों के बराबर एक पुत्र को माना गया है और दस पुत्रों के बराबर एक पेड़ को माना गया है। इतना महत्व इन पेड़ों का बताया गया है। हमारे भीलवाड़ा जिले में 227 बीघा वन भूमि को, जिसमें लाखों पेड़ लगे हैं, राजस्व विभाग ने वन भूमि, जो 1965 में वन विभाग की

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

थी 227 बीघा और इतनी कीमती जमीन है, वहां सैण्ड स्टोन निकल रहा है और 15 करोड़ रुपये बीघा जमीन की कीमत है। वहां 1965 से वन विभाग के नाम से वह दर्ज थी। उसको राजस्व विभाग ने व्यक्तिगत रूप से अलाट कर दिया। इसमें निश्चित रूप से कोई न कोई बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसा सुना जाता है कि 80-80 बीघा जमीन की बंदरबांट हो चुकी थी। लोगों ने अपने-अपने तरीके से ठेठ जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक इसकी बंदरबांट कर ली थी। इस जमीन को वन भूमि के नाम वापस दर्ज किया जाए और लाखों पेड़ों को कटने से बचाया जाए, यह मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। 3,400 करोड़ रुपये का घोटाला है यह और इसकी पूरी जांच होनी चाहिये। आज एक हैक्टेयर भूमि हम वन विभाग से निकलवाना चाहते हैं तो उम्र निकल जाती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती। हमारे बदनौर ग्राम में जो माइनिंग विभाग में जमीन दर्ज थी, वह जमीन आज वन विभाग को चली गई। हमें 20 साल हो गए लड़ते-लड़ते, लेकिन आज तक वापस नहीं आयी, पर राजस्व विभाग ने एक दिन में फैसला करके 227 बीघा भूमि को वन विभाग से छीन ली है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी सम्पूर्ण जांच करके व्यवस्था की जाए और वापस वन विभाग के नाम दर्ज की जाए। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन विभाग और मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। दोनों बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर आज सुबह से चर्चा चल रही है। आज शहरी क्षेत्रों के अंदर जो लगातार आबादी बढ़ रही है और भारत में नगरीय विकास की प्रक्रिया में जहां एक ओर नगरों की भौतिक संरचना एवं जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध किया है, वहीं दूसरी और विविध समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। मसलन अपराध, मलिन बस्तियों की वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या का संचय, निर्धनता, कूड़े-कचरे के निस्तारण की समस्या इत्यादि।

माननीय सभापति महोदय, आज नगरों की तरफ लोगों का रूझान तेजी से बढ़ा है तो नगरीय क्षेत्र में भू-माफिया भी ज्यादा हावी हुए हैं। कई

(श्री नारायण बेनीवाल)

खसरों पर कालोनियां काट दीं जहां पर अनिवार्य सुविधाओं को दरकिनार कर दिया गया। कालोनियों में पार्क की जगह पर कालोनियां काट दी गईं तो कई रास्तों को भी प्लाट के रूप में बेच दिया। कई जगह नगरीय निकायों में बैठे जिम्मेदारों ने उन भूखण्डों को रूपान्तरित कर दिया, वहीं गरीबों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 10 लाख पट्टों का एक वादा प्रदेश के लोगों से किया था। माननीय मंत्रीजी भी बैठे हैं, नागौर नगर परिषद् के अंदर 500 ऐसे पट्टे पिछले कई समय से, जिन पर आयुक्त के साइन हो रखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उनकी सैटिंग हो नहीं पायी, जिसके कारण उन लोगों तक पहुंच नहीं पाये। इस मामले को आप बहुत गंभीरता से दिखायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करूंगा कि कस्टोडियन लैण्ड का जो मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर भी सरकार को जल्दी कोई न कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिये वरना कस्टोडियन लैण्ड पर नजरें भू-माफियाओं की हैं। आज नागौर की बात करें तो सैकड़ों बीघा जमीन कस्टोडियन लैण्ड के रूप में दर्ज है। वहां पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए। वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर भी ठोस निर्णय सरकार करे।

माननीय सभापति महोदय, आज यदि राजस्थान जैसे प्रदेश की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग और खनिज विभाग, दो ऐसे विभाग हैं जिनमें ईमानदारी से काम किया जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान वापस सोने की चिड़िया बन सकता है, लेकिन जैसे अभी भीलवाड़ा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य जी ने बिलकुल ठीक कहा कि यह बंदरबांट डिफोरेस्ट हो जाता है। माइनिंग के अंदर लूटपाट मची है। हमें कहीं न कहीं इन सब मुद्दों पर कोई ऐसी ठोस कार्ययोजना बनाकर, विधिवत रूप से इसका सही उपयोग सरकार करे तो सरकार का खजाना पैसों से भर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि नागौर शहर में बसी अम्बेडकर आवासीय कालोनी में भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। पिछला जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का

(श्री नारायण बेनीवाल)

था उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने वहां जाकर एफ आई आर के आदेश दिए, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

हम सब लोग विधान सभा के अंदर, पवित्र सदन के अंदर नैतिक बातें जरूर करते हैं, लेकिन यह सही बात है कि चाहे पंचायती राज की संस्थाएं हों और चाहे नगरीय निकाय, वहां से जो जन प्रतिनिधि चुनते हैं, वही आगे जाकर एम एल ए, एम पी बनते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग जरूर करूंगा कि आप बार-बार नियमों में अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा अमेंडमेंट आप जरूर करें कि दलबदल कानून जब तक नगरीय निकायों में नहीं आयेगा, तब तक बड़े पैसों वाले व्यक्ति हैं, वह कांग्रेस से जीता है लेकिन बड़ी खरीद-फरोख्त करके बी जे पी से चेयरमैन बन जाता है, बी जे पी से जीता है, वह कांग्रेस से चेयरमैन बन जाता है। उन व्यक्तियों की जो राजनीति की एक शुरुआत है, वहीं हमने यदि नैतिकता नहीं रखी तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि बड़े पदों पर पहुंचकर वे लोग नैतिकता दर्शायेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस मसले पर बहुत गंभीर होकर ठोस काम करें। हम सब गंभीर बात जरूर करते हैं। हम जब पढ़ते थे, तब हमें पता है, जब विधान सभा को एक-दो बार देखने का मौका मेरे पिताजी के साथ भी मिला। अभी कल परसों जब बहस हो रही थी, बाहर कई व्यक्ति कह रहे थे, हमारे शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक बहुत एथिक्स की बातें करते हैं बात करना बड़ा आसान है। माननीय सभापति महोदय, आज तो यह सही बात है कि राजनीति के अंदर सच बोलना, नैतिक बात बोलना बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। हर व्यक्ति यह चाहता है कहीं न कहीं दबी जुबान में कि मैं नैतिक बात बोलूं, लेकिन उस बात के मायने क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अभी मैंने पीड़ा कांग्रेस के कई माननीय विधायकों की सुनी। सड़कों के लिए, पानी के लिए अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को आपके सामने ऐसी बातें बोलनी पड़ें तो प्रदेश के क्या हाल होंगे, यह आप खुद समझ सकते हैं।

जब मुझे विधान सभा में आने का मौका नहीं मिला था, तब शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा अख़बार के फ्रंट में मैंने पढ़ा था, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थीं भारतीय जनता पार्टी की, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि साढ़े 5 हजार करोड़ का घोटाला किया। आज

(श्री नारायण बेनीवाल)

यही बात है। आज वही मुख्य मंत्री उनके खास हो गए तो नैतिकता कहीं नहीं बची। नैतिकता खाली किताबों के अंदर बची है। हम यदि ईमानदारी से नैतिक बात करें, हमारी कथनी और करनी में यदि अंतर नहीं रहे, तब तो ब्यूरोक्रेट्स भी हमारी मानेंगे।

आज माननीय मंत्री जी बैठे हैं। माननीय मंत्री जी जब खड़े होते हैं तो सब विधायक आपसे डरते हैं, लेकिन आपके ब्यूरोक्रेट्स आपसे नहीं डरते हैं। आप बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, इस सदन की परंपराओं के बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं। आज स्वायत्त शासन के जो हालात हैं, जो आपके ई ओ से लेकर नगरपालिकाओं में लोग बैठे हैं, आप कहेंगे तो मैं अलग से भी आपसे मुलाकात करके सारी बताऊंगा, लेकिन हालात जो हैं वह कहीं न कहीं स्वायत्त शासन विभाग के ठीक नहीं हैं।

सभापति महोदय, खांचा भूमि को ले लो, चिपती भूमि को ले लो, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित इस बात की ओर कराना चाहूंगा कि नागौर के अंदर जो अब्दुल रहमान का प्रकरण है, आज पूरा का पूरा नागौर तालाबों के अंगोरों के अंदर बस गया। आप चाहे कलेक्ट्रेट ले लो, एस पी का दफ्तर ले लो, सारे सरकारी विभाग उसके अंदर बस गए। अब लोगों ने भी वहां मकान बना लिए, उनको पट्टे भी मिल गए, लेकिन आज भी उन पर अब्दुल रहमान की तलवार लटक रही है। कहीं न कहीं ऐसी नीति बने, हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऐसी एस एल पी चल रही हैं, उनका निराकरण भी अगर हम लोग कहीं न कहीं प्रयास करें तो हो, ताकि लोगों के मन में यह रहे कि सरकार भी हम लोगों की सुरक्षा का पूरा प्रयास कर रही है।

आज एक तरफ अब्दुल रहमान प्रकरण में आप पट्टे नहीं दे रहे हो और दूसरी मैं नागौर नगरपालिका की बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे पट्टे हैं जिन पर मौका रिपोर्ट में लिखा गया कि यह अंगोर की भूमि है। बावजूद इसके वहां की चेयरमैन और आयुक्तों ने मिलकर सैकड़ों ऐसे पट्टे जारी कर दिए जो अंगोर भूमि के अंदर हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे सारे प्रकरणों को बहुत अच्छी तरह से दिखाकर इस पर कहीं न कहीं ठोस कार्यवाही करें। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप एक मैसेज सरकार में दें।

हमारे मुख्य मंत्री जी हमेशा जीरो टोलरेंस की बात करते हैं। जीरो टोलरेंस जब तक अधिकारी दीर्घा के अंदर अधिकारी बैठे हैं, आपसे 25 मीटर

(श्री नारायण बेनीवाल)

की दूरी पर जो लोग बैठे हैं, उनको आप जब तक जीरो टोलरेंस की बात नहीं सिखाओगे तब तक आम व्यक्ति, साढ़े 7 करोड़ इस प्रदेश की जो जनता है, उसको जीरो टोलरेंस की बात सिखाने से कोई फायदा नहीं है।

मंत्री महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में आने वाली समस्या की ओर ध्यानाकर्षित करूंगा। कुचेरा के नागौर बाईपास सड़क से भैंरों जी के मंदिर होते हुए बस स्टैंड से पुलिस थाना होते हुए बुटाटी की तरफ सड़क पर डिवाइडर लगाकर चौड़ा किया जाए। उस पर रोड लाइट लगाई जाए। कुचेरा की लाइफ लाइन माने जाने वाला सबसे पुराना रामसर, कोटला व नीमला तालाब जो कि उपेक्षित पड़े हैं, उनकी दशा सुधारकर सौंदर्यीकरण करने के लिए सरकार अतिरिक्त बजट जारी करे। लाल गिरी बाबा का स्थान जहां कि लाल गिरी बाबा की जीवित समाधि है, पूरे कुचेरा के लिए आस्था का स्थल है। उनके मंदिर के लिए वन विभाग से जमीन अलाट कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुचेरा और मूंडवा नगरपालिका क्षेत्र में बड़े कम्युनिटी सेंटर, आडिटोरियम तथा खेल स्टेडियम के निर्माण की सरकार से मांग करता हूं। बाजार में आवारा घूमते पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए मूंडवा और कुचेरा में नन्दीशाला खोली जाए। कुचेरा के विश्व प्रसिद्ध भैंरों बाबा मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। अंगोर और प्रतिबंधित भूमियों पर जो पट्टे नगर परिषद्, नागौर के अधिकारियों ने जारी किये, उनकी विस्तृत आप जांच करायें। मूंडवा के ज्ञान तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए। जहां तेजाजी महाराज गायें चराते थे, उसकी दशा सुधारी जाए, क्योंकि इसके अधिकांश क्षेत्र को अंबुजा कंपनी ने अपने अधीन ले लिया है।

नगरपालिका व नगर परिषद् क्षेत्र में बनी डामर सड़कों की अभी बात की, लेकिन माननीय मंत्री महोदय यह मेरी पीड़ा है, आप इसको व्यक्तिगत दिखायें कि नागौर के अंदर नगर परिषद् के क्षेत्र में जो सड़कें बनी हैं, इसमें अखबारों के अंदर बड़ी-बड़ी खबरें छपीं कि घटिया सड़कों का निर्माण, गड्ढ़ों में बिना डामर डाले, कंकर उखड़े तो उसे भी ट्रोली में भरकर ठेकाकर्मी ले गए। यह सही बात है कि सरकार की बड़ी मंशा रहती है कि विकास के अच्छे काम हों, लेकिन एग्जीक्यूशन यदि सही नहीं हो तो उसका जनता के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। उसमें हमारी और आप सबकी, कहीं न कहीं जन-

(श्री नारायण बेनीवाल)

प्रतिनिधि की बदनामी होती है। हम चाहे कितने ही पाक साफ हों, लेकिन वहां बैठा व्यक्ति यह सोचता है कि ब्यूरोक्रेट्स और जन-प्रतिनिधि मिलकर यह करप्शन कर रहे हैं। इस चीज से आप हमें जरूर निजात दिलायेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा।

नागौर शहर के बाहरी ओर बसी कालोनियों में भी सीवरेज लाइन डलवाने का कार्य शुरू करवाया जाए। गत वर्ष बरसात के दिनों में नागौर नगर परिषद् द्वारा शहर के बीच में खाली पड़ी जमीन पर गड्ढे कर दिए, जिनमें 3 मासूमों के फंस जाने के कारण मृत्यु हो गई। आपातकालीन अग्निशमन सेवाओं में विस्तार करते हुए नागौर नगर परिषद् को 2 अतिरिक्त अग्निशमन वाहन दिए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करूंगा कि मुख्य मंत्री जन आवास योजना गरीबों को घर देने के लिए थी, लेकिन बिल्डरों द्वारा गलत फायदा उठाते हुए अपनी जेब भरने का काम किया। सीकर रोड पर स्थित राजावास में श्याम अपार्टमेंट जे डी ए और रेरा से अनुमोदित कराकर आज तक अपने निवेशकर्ता को फ्लैट नहीं दिए हैं। आज भी श्याम अपार्टमेंट का काम रुका हुआ है। अनुमोदन से ज्यादा फ्लैट्स बुक कर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कैंसिलेशन के नाम पर 20 प्रतिशत तक राशि काट ली जाती है, जबकि उन्हें फ्लैट दिए ही नहीं गए। जे डी ए ने पूर्व में मांगे गए सवालों के जवाब हमें अभी तक नहीं दिए। जो सवालों के जवाब दिए, उसके अंदर भी अधिकतर आंकड़े असत्य हैं। मैं आपसे मांग करूंगा कि ऐसे प्रकरणों को बहुत गंभीरता से दिखाकर प्रदेश की जनता को न्याय दिलायें।

माननीय सभापति महोदय, जो वन विभाग की बातें हैं, माननीय वन मंत्री जी विराजमान हैं, वन मंत्री जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं लेकिन कभी-कभी आप थोड़ा करंट भी निकाला करो। मैंने जब अंबुजा सीमेंट का जिक्र किया तो आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी और आपने मुझे एक प्रश्न के उत्तर में दिया। क्या यह सही है कि किसी भी नगरीय, उप नगरीय या अन्य शहरी निकाय आदि स्थानों पर बड़े उद्योग या सीमेंट प्लांट आदि की स्थापना, पर्यावरण अनापत्ति शहरी क्षेत्र से निहित दूरी के अनुसार देने का प्रावधान है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सहित दें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, 2 मिनट में करता हूं। इसके अंदर आपने लिखा है, जी नहीं। जबकि जो हमारा गजट नोटिफिकेशन है, इसके अंदर यह पर्यावरण और वन मंत्रालय का सारा है कि उपाबंध फर्स्ट के अंदर जो दिए गए हैं, जिसमें सीमेंट का प्लांट है, इसमें है कि कतिपय उद्योगों को लगाने के लिए स्थान का प्रतिबंध, नगर पंचायत और 10 लाख से अधिक आबादी के नगर के चारों ओर 25 किलोमीटर के क्षेत्र में यह प्रतिबंध रहेगा। आपने मुझे आश्वस्त भी किया, अखबारों में भी खबर छपी कि यदि किसी अधिकारी ने गलत जानकारी दी है तो मैं उनको ठीक करूंगा, लेकिन आज तक वह आपसे ठीक नहीं हुए। यह आपसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि ऐसे मामलों में थोड़ा बहुत मैसेज दें तो कहीं न कहीं सुशासन की बात होगी, जनता में बहुत बड़ा मैसेज जायेगा। मैं मंत्री महोदय इतनी मांग आपसे करूंगा।

वन विभाग के क्षेत्र की यदि हम गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ की बात करें तो जिप्सम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र के नाम से है, लेकिन वहां न तो कोई फसल हो सकती है और न ही कोई पेड़, पौधे हो सकते हैं। भू-सुधार के रूप में यदि आप जिप्सम की एस टी पी जारी कर दें तो जिप्सम निकलने के बाद उस जमीन को यदि आप किसी को अलाट करेंगे या वन भूमि में रखेंगे, वन क्षेत्र आप बढ़ायेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। ऐसे लोगों को आप एस टी पी जरूर जारी करें।

मैं हमारे नागौर के वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि पिछले 3 साल में जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो बढ़ा है जो वह नागौर के अंदर बढ़ा है। बाकी तो मंत्री महोदय, यह आपका आंकड़ा है, आपने ही मुझे उपलब्ध कराया है, सरकार ने कराया है, जिसके अंदर यह लिखा है कि 0 पर्सेंट, 0.1 पर्सेंट ऐसे बढ़े हैं। मैं तो आपसे यही मांग करूंगा कि वन क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। कल जब कृषि पर चर्चा चल रही थी तो उसमें था कि अंग्रेजी-विलायती बबूल हैं, उन विलायती बबूल को नष्ट करके वन भूमि का सही सर्वे करवाकर हमें पता करना है कि वन क्षेत्र वास्तव में कितना बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपा राम (मकराना): म्हारो ही है न नम्बर? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप विराजिए। रूपा राम मुरावतिया बोलूंगा पूरा आपको। विराजिये आप।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, जंग लोहे को, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): रूपाराम जैसलमेर है।

श्री सभापति: इधर वाले रूपा रामजी हैं। (व्यवधान) प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन विभाग, मांग संख्या 45- वन और पर्यावरण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मानव की जब से उत्पत्ति हुई, उस समय अधिकतर लोग गांवों और ढाणियों में खेती, पशुपालन के हिसाब से रहा करते थे और शहरीकरण कम था। समय के साथ-साथ शहरों की बढ़ोतरी हुई। पूरे भारत में अभी करीब 5 हजार 100 शहर हैं, 6 लाख 64 हजार 369 गांव हैं। 1941 में भारत में शहरों की आबादी करीब 14 परसेंट थी, 1951 में बढ़कर ये 17.5 परसेंट हो गई और 2011 के अनुसार अभी करीबन 27.5 परसेंट है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में करीब 194 शहर हैं और 44 हजार 672 गांव हैं। राजस्थान में भी समय के साथ-साथ गांवों से जैसे-जैसे आबादी बढ़ी खेती के लिए जमीन कम पड़ने लगी, पशुधन में भी कमी आने लगी। मजदूरी नहीं मिलने से लोग शहरों की तरफ बढ़े। राजस्थान में भी 1941 में 15.27 परसेंट शहरी आबादी थी, 1951 में 18.50 परसेंट हो गई और 2011 में 24.87 परसेंट है। अभी निरंतर शहरीकरण बढ़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विभिन्न 194 संस्थान जिनमें पालिका, परिषद्, निगम के द्वारा पूरे शहरों का मैनेजमेंट किया जा रहा है। देश में आजादी से पूर्व भी सिन्धु घाटी सभ्यता में भी बताते हैं कि उस समय भी ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद शहरों में, राजस्थान में अलग-अलग सरकारें रहीं, अभी 15वीं सरकार है, सभी सरकारों ने काम किया और निरंतर काफी इस डाइरेक्शन में आगे बढ़े। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि शहर के अंदर अब जो स्थिति है, जैसे जैसलमेर में है, हमारे 45 वार्ड हैं, करीब 21-22 वार्ड इंटरनल शहर में हैं और इतने ही वार्ड बाहर हैं। हर शहर में कच्ची बस्ती बहुत स्पीड से बढ़ रही है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि जो विकास की

(श्री रूपाराम)

योजनाएं बनें, वहां पर लोकल बॉडीज का जो बजट बने तो उसमें वहां जितने भी लोग कच्ची बस्ती में बसते हैं उनका भी आनुपातिक रूप से जो टोटल डवलपमेंट में प्रावधान होना चाहिए। साधारणतया कच्ची बस्तियों में जब कभी कोई अभियान चलता है पट्टे वगैरह देने का, तब तो जरूर ध्यान दिया जाता है, बाकी उनका पानी का, बिजली का, ड्रेनेज का, सड़क का, लाइट का, जो भी होता है वह आनुपातिक रूप से नहीं होता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे अरबन टाउन्स का जब भी ईयरली प्लान बने तो उसमें स्ट्रिक्टली देखा जाए कि उसमें जो कच्ची बस्तियां हैं उनके डवलपमेंट के लिए जो प्रावधान किये हैं वे आनुपातिक रूप से लिए हैं या नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में सफाई का सिस्टम है, जैसे एक शहर के अंदर कंजस्टेड एरिया है, दुकानें हैं, काफी और व्यवसाय के संस्थान हैं और कच्ची बस्ती वगैरह हैं, दोनों ही जगह सफाई, कई जगह दिन में ही करते रहते हैं तो जो कंजस्टेड एरिया है, अपने पास यदि मैनपावर उपलब्ध है, उसके अलावा जो आउटसोर्सिंग करते हैं उसका आकलन भी वित्तीय वर्ष के शुरू में ही करके कि कितने तो अपने पास सफाई के मजदूर उपलब्ध हैं और कितने की आउटसोर्सिंग करनी है। जो आउटसोर्सिंग करनी है उसमें वह एरिया जो कंजस्टेड है वहां पर सफाई रात को होनी चाहिए जब रात को व्यावसायिक संस्थान बन्द हो जाएं। सुबह वे खुले तो वहां पर सफाई की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कच्ची बस्तियों वगैरह में हो सकता है कि मजदूर वगैरह मजदूरी के लिए जाएं तो दिन को भी सफाई की जा सकती है। इसका पूरे राजस्थान में चाहे वाटर सप्लाई का हो, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सफाई का हो, इसका एक मॉडल जैसे डूंगरपुर में काफी अच्छा बताते हैं, तो एक मॉडल ऐसा बनाएं जो सभी जगह लागू हो, एकरूपता रहे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, सभी शहर सुन्दर हों, इसकी व्यवस्था की जाए। शहर के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वे सब सुरक्षित रहें और जितनी भी जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज हैं, चाहे बिजली है, पानी है, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, वे कई जगह ऊपर-नीचे हैं। पहले सड़क बन जाती है, फिर पाइप लाइन लगती है, फिर

(श्री रूपाराम)

पावर लाइन लगती है जिससे टूट-फूट होती रहती है तो इसका भी एक मॉड्यूल बनाएं कि एक ट्रेंच रिजर्व हो जाए जिसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज का मेंटीनेंस भी हो, ताकि रोड की तोड़-फोड़ नहीं हो, एक्सीडेंट की घटनाएं नहीं हों।

माननीय सभापति महोदय, बजट के लिए जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निरंतर, पिछली सरकार में 2014 में भी हुआ और अभी जो घोषणाएं की हैं, वे सभी माननीय सदस्यों ने बतायी हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जैसे शहरों के अंदर कोविड के समय थोड़ी दिक्कत थी, मनरेगा की सुविधा शहरों में नहीं थी, तो अब गांवों की तरह 125 दिन की मजदूरी की है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, विशेषकर जो सफाई का काम वाल्मीकि समाज करता है उनके लिए बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया है और लम्बे समय के बाद में लोगों की मांग थी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए तो उसमें 30 हजार भर्ती की घोषणा की है। इसमें मेरा निवेदन रहेगा कि जो विभाग का मापदंड है शहर की साइज को देखते हुए कि एज-पर-नोर्म्स रिक्वायरमेंट है कर्मचारियों की, उनकी रिक्वायरमेंट निकालकर आज की तारीख में एक्जीक्यूशन कितनी है, जैसे कोई उसकी कैडर स्ट्रेंथ सैंक्शन हुई आज से 15 वर्ष पहले, तो अभी उसको रिवाइज करते हुए और जितनी आवश्यकता है उतनी भर्ती करनी चाहिए और बाकी का काम एक साथ आउटसोर्सिंग पर किया जाना चाहिए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री बाबुलाल खराड़ी।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): एक मिनट साहब, थोड़ा वन पर भी बोल लेता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में जो टोटल एरिया 3 लाख 42 हजार हैक्टेयर है, इसमें 25 हजार हैक्टेयर के आसपास वन का है जो 10 परसेंट है। राजस्थान एरिया भी भारत का 10 परसेंट है। मैं वन विभाग के बारे में माननीय मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा, बजट में बहुत कुछ दिया है।

श्री सभापति: टेबल कर दीजिए इसे। टेबल करिये इसको। श्री बाबुलाल खराड़ी।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विभाग जो वन विभाग है, आज वन एवं पर्यावरण-मांग संख्या 45, इस विभाग का बहुत बड़ा महत्व है। सभापति जी, देश और दुनिया पर्यावरण

(श्री बाबुलाल)

को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर मानव जीवन को बचाना है तो पर्यावरण बहुत आवश्यक है। इस कारण से दुनिया के सारे लोग और सारे वैज्ञानिक इस बात पर लगे हैं कि हम दुनिया के पर्यावरण को किस प्रकार से ठीक करें और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा सकता है तो वह वन विभाग है क्योंकि जितना जंगल होगा, जितने पेड़-पौधे होंगे, तभी जाकर पर्यावरण सुधर सकता है, इसलिए विभाग महत्वपूर्ण है।

(समय: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वास्तव में पुराने भी हैं, अनुभवी भी हैं, अच्छे भी हैं और आपके साथ जो टीम है, शेखरजी हमारे वहां कलेक्टर भी रहे हैं, अनुभवी अधिकारी हैं, आप मिलकर कुछ काम करें क्योंकि यहां पर आप लोग पौधे लगाते हैं। अब पौधे हर साल वन विभाग कहीं न कहीं लगाता है। आज एक-एक मगरा नंगा होता जा रहा है। जो पेड़-पौधे थे, वे खतम हो गए हैं। वन विभाग पेड़-पौधे लगाता कहां है, यह तो हमें सोचना पड़ेगा न। आपने कितने पौधे लगाये, कितने जीवित रहे, कितने नहीं रहे। यदि नहीं रहे तो किस कारण से नहीं रहे। इसके पीछे दो-तीन कारण मैं समझता हूं। मेरा जहां तक अनुभव है, पौधे लगाते हैं तो उनकी देख-रेख नहीं हो पाती है इसलिए आप बहुत ज्यादा एरिया न लें, छोटा एरिया लें। इसे डवलप करना है तो एक साल तक जब तक वह पौधा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसे पानी पिलाने की व्यवस्था आप करेंगे तो वह जीवित रहेगा, अन्यथा ये जल जाएंगे, खतम हो जाएंगे और पहाड़ियां ऐसी की ऐसी रहेंगी। मैं बचपन का उदाहरण दे सकता हूं। बचपन में जो मेरे आमने-सामने मगरे थे, वहां बहुत घना जंगल था, जो खतम हो गया। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वन्य क्षेत्र के आस-पास में लोग रहते हैं, उनके कब्जे हैं। अब बाउंड्रीवाल बनी हुई है। पहले आपने बाउंड्री बनायी तो आपने पूरा सीमांकन करके बनायी होगी, लेकिन वहां अधिकारी अपनी मनमर्जी से कहता है कि बाउंड्रीवाल का एरिया वहां तक है, यह तो पुरानी बाउंड्री है, हम वहां तक बनाएंगे। अब उन लोगों ने वहां कब्जे किये हुए हैं, वे खेती कर रहे हैं, उन्हें हटाकर वहां बाउंड्री बनायी जा रही है जिससे लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है। कहीं-कहीं तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट के

(श्री बाबुलाल)

अधिकारियों ने, उन्होंने अपनी खेती बो दी, खेती बोने के बाद वे गए, अब खेती पकने लायक हो गई और उसे उखाड़कर फेंक दिया। यह बहुत बड़ी समस्या है। या तो पहले उन्हें बोने मत दें और आपका एरिया है तो उन्हें पहले ही मना कर दें बोने के लिए। शुरुआत में रोकेंगे तो ठीक है। अगर वहां खेती कर दी और आप वहां जाएंगे तो तकलीफ उन्हें भी होगी और हमें भी होगी। वह बड़ी मुश्किल से उस खेती को करता है, मेहनत करके पैदा करता है और उसे आप बर्बाद करके आते हैं, यह ठीक नहीं है।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि एक दातीबाई योजना है। भगवान भरोसे है। कहां काम करते हैं, कहां नहीं, कुछ पता नहीं। अगर इसका आप सर्वे करा देंगे, जांच करा देंगे तो पता लगेगा कि इन्होंने पूरा गोल-मोल कर रखा है। एक बार इसे दिखवाना चाहिये।

दूसरा, वन्य क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो राजस्व ग्राम हैं, आज से नहीं बरसों से हैं। फोरेस्ट आने के पहले से वे लोग रह रहे हैं। अब उनका तो कोई दोष है नहीं। अब उसमें आपकी एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर, कहीं तो इससे भी कम जमीन है। कहीं-कहीं तो कहते हैं न साहब, हमारी एयर रेंज जाती है, इसलिए सड़क नहीं बन सकती। हमें तो पता नहीं कि आपकी एयर रेंज क्या है। आप मिलकर यह रास्ता निकालें। उन लोगों के लिए जाने-आने हेतु सड़क की व्यवस्था हो सके, ऐसा रास्ता निकालें। यह मेरा आपके लिए सुझाव है। करिये, क्योंकि उनकी बरसों से मांग है। वहां बिजली नहीं जा सकती है, पेयजल नहीं हो सकता है, इस प्रकार का संकट है। सारी सुविधाओं से वे वंचित हैं। आज 75 साल में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वे लोग सारी सुख-सुविधाओं से वंचित हैं। मुझे ये दो-तीन बातें कहनी थीं, इसलिए मैंने सचेतक जी से कहा कि मुझे इस पर बोलना है। आप यदि इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ कर पाएंगे। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मांग संख्या 45 पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। मुझे सात मिनट दिए गए हैं, कोशिश करूंगा कि सात मिनट में अपनी बात समाप्त करूं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे राज्यपाल का जो अभिभाषण पढ़ा गया, उसमें एक बात बड़ी रोचक थी। उसमें The formation

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

of Rajasthan का जिक्र किया गया। उसमें लिखा था कि अब हम शून्य से शिखर पर पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से हमने इन 75 सालों में बहुत तरक्की की है और पूरे विश्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, मगर 75 साल बाद एक विषय ऐसा है, जिस पर चर्चा आज हो रही है, जिसमें हम शिखर से शून्य पर पहुंच चुके हैं और गर्त में जा रहे हैं।

हमारे देश में जब हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो बच्चे नारा लगाते हैं, ''भारत माता की जय!!'' मैं विधान सभा में बहुत दिनों बाद आया हूं। कल मैं एक कार्यक्रम में था। वहां भी बच्चों ने कार्यक्रम में ''भारत माता की जय!!'' नारा लगाया। उन्होंने जो कार्यक्रम रखा, उसमें 'पंचभूत', जिससे हमारा शरीर बना है, उस पर उन्होंने ध्यान दिलाया।

पं. जवाहरलाल नेहरू जब नागौर में पंचायती राज की नींव रखने आये थे तो उन्हें सुनने के लिए वहां लगभग 20-25 हजार लोग मौजूद थे। वहां ''भारत माता की जय!!'' का नारा लगा। इस पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने पूछा, आखिर यह भारत माता है क्या, किसे बोलते हैं आप भारत माता? बच्चों को नक्शा हमारे देश का पढ़ाया गया, एक नारी देवी के रूप में झण्डा लेकर खड़ी है, वह है भारत माता। यह धरती, जिसे हम माता कहते हैं, उसका हमने किया क्या है? इस 75 साल में तहस-नहस कर दिया।

हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी उस समय, आज 135 करोड़ हो गई है। हमारे प्रदेश की आबादी डेढ़ करोड़ थी, आज 8 करोड़ है। कोटा शहर की आबादी 1951 में 65 हजार थी, आज ढाई लाख तो वहां विद्यार्थी हैं। जनसंख्या कितनी है, वह धारीवाल साहब पूरा फिगर जानते होंगे, क्योंकि जनसंख्या रोज बढ़ रही है तो मैं फिगर कोट नहीं करूंगा। मुझे माफ करियेगा, मगर बचपन में सब ने एक गाली सुनी है मां के ऊपर। हमारी जो धरती मां है, उस पर वह गाली लागू कर दी हम लोगों ने।

हमारी नदियों का हम पानी नहीं पी सकते। लगातार पूरा दबाव हमारे जंगल पर है और आज स्थिति यह है कि जो आपके जंगल हैं, उनके बाहर किसी भी प्रकार के वन्य जीवों के लिए, पक्षियों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। उस जंगल से भटककर अगर पैंथर बाहर निकलता है तो टकराकर मरेगा। विकास के नाम पर जो भी हुआ है, उसका सीधा विनाश वन एवं पर्यावरण को झेलना पडा है। माननीय सभापति जी, क्योंकि इस विषय में मेरी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

बचपन से रुचि रही है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि हमारी 90 परसेंट पक्षियों की संख्या गायब हो गई है।

हम जो टैक्स लगाते हैं, अभी गाय के नाम पर एक हजार करोड़ रुपया वसूल कर रहे हैं और गाय मरती है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है? आप किसी भी सड़क पर निकलें, कुत्ते खा रहे हैं उसे। प्रकृति ने गिद्ध दिए थे। आज आकाश खाली हो गया है। गिद्ध, बाज वगैरह सब खतम। हमें चिन्ता नहीं। कुछ साल पहले, अभी दो साल पहले टिड्डियां आ गई थीं, टिड्डियों ने फसलों का नुकसान किया तो 45 हजार करोड़ इस सदन में खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आयी, मगर पूरे गिद्ध लुप्त हो गए, 45 पैसे खर्च नहीं किये आपने। इसका दु:ख प्रकट नहीं किया कि हम एक हजार करोड़ रुपये गाय के नाम पर ले रहे हैं, गाय माता कहते हैं जिसे, उसे कुत्ते खाते हैं सड़क पर। कुछ पैसा, सौ करोड़, पचास करोड़, पांच करोड़ गिद्ध के संरक्षण पर ही खर्च कर दें। हरियाणा सरकार कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सभापति जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य हूं, उसकी बैठक में जाता हूं, वहां होता क्या है? केन्द्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है? वाइल्ड लाइफ संरक्षण का काम शून्य। पूरा काम है कि डवलपमेंट के नाम पर वन विभाग को जितनी हानि पहुंचायी जा सकती है, उसे इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड के उसमें पास किया जाए।

मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी डिक्लेयर्ड है, उसमें लोग-बाग़ पत्थर फोड़ते थे। भरतपुर की जो सैंक्चुअरी है, जो पहाड़ हैं, धौलपुर का स्टोन, जिसका राम मन्दिर बन रहा है, उसमें लोग-बाग़ चोरी छिपे पत्थर तोड़ते थे। हमने, केन्द्र सरकार ने बिना हिचकिचाहट, बिना हम जैसे सदस्यों से सलाह लिए, राय लिए, नोटिफिकेशन निकाल दिया। पूरा एरिया निकाल दिया। वाइल्ड लाइफ का एरिया आता था एयरपोर्ट के लिए कोटा में, तत्काल काम, हाथों-हाथ छह महीने में पूरे क्लियर कर दिए।

माननीय सदस्य, आपके विकास के नाम पर अगर छोटी सी सड़क है जंगल के एरिया के अन्दर, वहां न बिजली लगा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। जो रक्षक है, मां सौतेली है, वह तो मान लिया, मगर अपने स्तन पर जहर लगा ले और पूतना बन जाए और बच्चे को ही मार दे। जब सब-कुछ ही नष्ट हो जायेगा तो बचेगा क्या?

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

इस प्रदेश के अन्दर हमारे कोटा में, जहां से मैं आता हूं, सैकड़ों की संख्या में सारस क्रेन थे, मैं साइबेरियन क्रेन की बात नहीं कर रहा, वे तो लुप्त हो गए, इस साल ये सारस क्रेन भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस बार जो बर्ड्स का माइग्रेशन हुआ, ध्यान से सुनियेगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। 50 परसेंट चिड़िया जो वेटलैण्ड में आती है वह बाहर से माइग्रेट करके आती है। सांभर में पक्षी मरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वे तो मरे हैं, मगर 70 परसेंट माइग्रेशन डाउन है। क्या हो रहा है दुनिया में कि अनेक प्रजाति के पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। माननीय सभापति जी, मुझे खुशी है कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि आप वेटलैण्ड बचाइये, ग्रासलैण्ड बचाइये और उसके लिए कुछ राशि दी है मगर यह राशि पर्याप्त नहीं है।

मैंने जो कटौती प्रस्ताव लगाये हैं उनका जिक्र करूंगा, क्योंकि आप घंटी बजाओ उसके पहले मैं बोल दूं। मैंने चीता की बात की थी, कटौती प्रस्ताव में लगाया है। चीता की बात भरत सिंह ने इसलिए की कि देहरादून के जो एक्सपर्ट थे, साउथ अफ्रीका से जो लोग-बाग़ आये थे उन्होंने मुकुन्दरा के जंगल को दक्षिण अफ्रीका के जंगल से भी बेहतर माना। उन्होंने कहा कि मुकुन्दरा के जंगल में अगर चीते छोड़ते हैं तो वे निश्चित रूप से यहां पर प्रजनन करेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां भी राजनीति होगी और यहां कांग्रेस की सरकार है तो चीते अभी नहीं लायेंगे। बब्बर शेर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जहां से शेर आ रहा है वही शेर तो दिल्ली में बैठा है। हिन्दुस्तान में साढ़े आठ हजार किलोमीटर से चीता लाना तो सम्भव है मगर गुजरात से बब्बर शेर को दूसरे जंगल में बसाना सम्भव नहीं है। कोटा में 300 साल पहले बब्बर शेर हुआ करते थे।

मैंने इसमें प्लास्टिक का जिक्र किया है जो शहरों से भी सम्बन्धित था। माननीय सभापति जी, ध्यान देने की बात है....

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): 12 साल पहले से इस प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। बैन लगाकर अखबारों में खबर बन जाए और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सारे शहर के अन्दर सारी नालियां भरी रहती हैं और 1100 मैट्रिक टन प्रतिदिन यहां पर एक दिन की राजस्थान में खपत है। जब मुख्य मंत्री जी बाढ़ का अवलोकन करने कोटा आये थे तब

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

इटावा तक उनके साथ जाने का मुझे अवसर मिला। जब हेलिकॉप्टर में हम उड़ रहे थे तो मैं देख रहा था, क्योंकि इलाके को देखने का मौका मुझे मिल रहा था और एक जगह मुझे खुशी हुई तथा मुझे लगा कि नदी के सहारे बहुत बगुले बैठे हुए हैं, पर जब ध्यान से देखा कि बगुले होते तो हवाई जहाज की आवाज से उड़ जाते और वे बगुले नहीं थे, प्लास्टिक चिपका हुआ था। हमारी सारी नदियों में जगह-जगह प्लास्टिक चिपका हुआ है। उसके ऊपर 12 साल पहले कानून आया और अब भारत सरकार कह रही है कि हम जून में नियम लायेंगे तो नियम तो लाओ पर उनकी पालना कौन करेगा? क्योंकि इच्छाशक्ति का अभाव है इसलिए पालना नहीं हो पा रही।

मैंने मांग की है और सदन में मैं इस बात को उठा रहा हूं कि आपने माइनिंग पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग कमेटी बनाकर टैक्स वसूल करते हैं जिसमें पैसा वसूल होता है और उसके नियम हैं कि यह पैसा जो इससे प्रभावित होता है वहां खर्च किया जाए। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो वह फोरेस्ट का एरिया है। मैं आपको बताता हूं कि जितनी रेवेन्यू माइनिंग डिपार्टमेंट राजस्व कलेक्ट करता है, माननीय वन मंत्री जी, उस राजस्व से कहीं ज्यादा आपके फोरेस्ट एरिया में चोरी होकर माल जा रहा है। यह पहले से ही जा रहा है। इसका नापने का कोई तरीका नहीं है मगर यह हकीकत है। सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि हम उस स्थिति में आ गए कि हमारी हवस, जो पहाड़ हैं उनको हमने नोंच लिया। प्रभावशाली लोग, मेरे जैसे लोग जो इस सदन में बैठते हैं, अनेक होंगे जिनकी खानें चल रही हैं, क्रेशर चल रहे हैं और पहाड़ नोंच-नोंच कर खा रहे हैं, प्रकृति से हम छेड़खानी कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, हमारी जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उसका दुष्प्रभाव इस जंगल पर ही पड़ना है। तो क्या किया जा सकता है? किया यह जा सकता है कि इसकी जो रखवाली करते हैं, वे बड़े अधिकारी नहीं, वे जो जंगल में बैठकर कुछ लोग-बाग़ हैं उनको मैं इस हॉल में सैल्यूट करता हूं कि उनकी वजह से जंगल बचा हुआ है, मगर उनकी मांगों को पूरा किया जाए तथा उनको परेशान नहीं किया जाए। जो फोरेस्ट को देखते हैं उनका एरिया कम किया जाए। मेरे ख्याल से आप विचलित हो रहे हैं। बैठ जाऊं?

श्री सभापति: सहयोग करना पड़ेगा।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): वे जो फोरेस्ट की रखवाली करते हैं, जिनकी वजह से आपको ये फोरेस्ट दिख रहे हैं उनका एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर से घटाकर 4 स्क्वायर किलोमीटर करें, क्योंकि आज कोई भी जंगल में नौकरी करना पसंद नहीं करता है। वे जहां भी जाएंगे, वर्दी पहनकर निष्ठा के साथ जो उन्होंने जंगल बचा रखा है तो उन लोगों की मांग पर ध्यान दें, उनका एरिया कम करें और उनको हार्ड ड्यूटी एलाउंस दिया जाए। उनको चार महीने की अतिरिक्त सैलरी देंगे और उनका सम्मान करेंगे तथा कोई मरता है तो वही सम्मान करें जो शहीदों को दिया जाता है, तब जाकर आपके जंगल बचेंगे और जंगल नहीं बचेंगे तो हमको तो मिट्टी में मिलना ही है, पूरी पृथ्वी की व्यवस्था चरमरा जाएगी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दबाव जंगलों पर है। जो हमारी सेंक्चुअरीज हैं उनके चारदीवारी बनाइये। वसुन्धरा जी जब मुख्य मंत्री थीं, दर्रा, जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूं वह 82 स्क्वायर किलोमीटर है जिस पर केवल 30 करोड़ रुपये खर्च हुए और उन्होंने क्या सोचकर चारदीवारी बनाई मगर चारदीवारी बनने से इतना बेहतरीन जंगल खड़ा हो गया। ये गोशालाओं पर लूट करने के बजाय अगर आप जंगलों की चारदीवारी करें और 200 करोड़ रुपये इनके ऊपर ही खर्च कर आजमा लें तो आपको नतीजे मिलेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 40 एवं 45 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। आप मुझे समय की वजह से टोक देंगे, इसलिए मैं सीधे अपने क्षेत्र के बारे में बात करती हूं इसलिए प्लीज, मुझे टोकना मत।

श्री सभापति: बढ़िया रहा कि आप अशोक लाहोटी जी के स्थान पर बोल रहे हैं तो तीस मिनट तक नहीं रोकूंगा आपको।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): ठीक है, तीस मिनट। थैंक यू।

श्री सभापति: अशोक लाहोटी की जगह बुला रहा हूं मैं। नेता महोदय, अशोक लाहोटी की जगह बोल रहे हैं वे, तो फिर अशोक लाहोटी नहीं बोलेंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि आज भी हम वही मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, सड़क के लिए मांग रख रहे हैं। इतने साल बाद उन्हीं चीजों के बारे में, शहर में भी यही हमारी मांगें हैं। मैं मेरे क्षेत्र में पानी को लेकर शुरू करती हूं। कोटा में हार्ट आफ द

(श्रीमती कल्पना देवी)

सिटी है कोटड़ी। यह जो गोरधनपुरा, कोटड़ी, रामचन्द्रपुरा है, यहां हर साल पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचती है। अमृत योजना के तहत वहां पाइप लाइन डाली जा रही है, परन्तु बहुत ही विलम्ब से कार्य हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अधिकारियों को बोलें कि थोड़ा जल्दी से कार्य करें। जिस तरीके से वे दो गली में तो पाइप लाइन डालते हैं फिर एक गली छोड़कर किसी के कहने पर किसी और गली को ले लेते हैं, इसलिए एक सिस्टेमेटिक-वे में एक तरफ से चालू करके अगर काम करेंगे तो उनका काम भी जल्दी होगा और अच्छे से होगा।

दूसरी ओर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फ्लोराइड का पानी अभी तक लोगों को पीना पड़ रहा है, जिससे वे बीमार होते हैं और उनको कई परेशानियां आती हैं। खासतौर से जो कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर लैण्ड पर कालोनियां कटी हैं, वहां पर अभी भी बहुत फ्लोराइड का पानी आ रहा है क्योंकि वहां तक आपने पाइप लाइन अभी तक नहीं डाली है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दें। ऐसे ही पूनम कालोनी, सोगरिया वगैरह में भी फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है, इसलिए जल्दी उनका कार्य करें तो लोगों को इससे राहत मिलेगी।

सड़क के ऊपर आयें तो लगभग सारी सड़कों पर या तो गड्ढ़े हैं या सड़क खुदी हुई है। सीवरेज के नाम पर कार्य इतने विलम्ब से चल रहे हैं कि जगह-जगह सड़कें खोदकर छोड़ दी हैं तथा वापस ठीक नहीं कर रहे हैं। कई जगह तो लोग अपने घर से निकल भी नहीं पाते और लम्बा चक्कर लेकर उनको कहीं जाना पड़ता है। एक तरफ सड़क खुदी हुई है तो दूसरी तरफ चैम्बर सड़क से इतने ऊंचे आये हुए हैं कि जैसे ये किसी हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं कि किसी को कुछ हो जाए। रात में दिखता नहीं है क्यों कि स्ट्रीट लाइट्स का भी अभाव है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें।

इन्हीं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो बोरखेड़ा, बजरंग नगर, डी सी एम क्षेत्र, श्रीरामनगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब बहुत सारी आबादी बस चुकी है और यहां श्मशान घाट का अभाव है। मैं आपसे मांग करती हूं यहां पर आप श्मशान के लिए जमीन अलॉट करा दें जिससे लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। अभी क्या हो रहा है कि इनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है और सब लोग वहां सक्षम नहीं हैं जिससे इनके बहुत दिक्कत तथा परेशानी आ रही है।

ऐसे ही सामुदायिक भवन की बात करें तो इसी बोरखेड़ा, डी सी एम,

(श्रीमती कल्पना देवी)

श्रीरामनगर क्षेत्र में सामुदायिक भवन के लिए भी जमीन अलोट की जाए। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि कंसुवा का सामुदायिक भवन यदि आप खाली करा दें और इन्दिरा रसोई कहीं और शिफ्ट करवा दें तो लोगों को इसकी सुविधा वापस मिल जायेगी और इससे उनको बहुत राहत मिलेगी।

अब मैं अपनी थोड़ी मांगें रख रही हूं। मैं आपसे मांग करती हूं कि जो रायपुरा का चौराहा है, आपने पूरे कोटा सिटी में सौन्दर्यीकरण का काम किया है, परन्तु आप लाडपुरा को भूल गए हैं। मैं आपसे मांग करती हूं कि लाडपुरा भी कोटा शहर का हिस्सा है, इसमें मेरे 31 वार्ड आते हैं। आपसे मांग करती हूं कि रायपुरा, जो कि एक प्रमुख चौराहा है, यहां से कैथून, सांगोद, डी सी एम, देवली अरब, यहां बहुत आवाजाही होती है। यहां न केवल आप सौन्दर्यीकरण के नजरिये से, बल्कि सुरक्षा के नजरिये से भी अगर एक सर्किल बना दें और ट्रैफिक लाइट लगा दें तो सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण दोनों काम हो जायेंगे। यह आपसे मांग रखती हूं।

अगर आप कोटडी से केनाल के सहारे स्टील ब्रिज तक सड़क बनवा दें और नाग-नागिन के मन्दिर से स्टील ब्रिज के बीच में दो छोटे ब्रिज बना दें तो आपका यह जो मैन रोड है, जो आप सिग्नल फ्री बनाना चाह रहे हैं, उससे प्रेशर काफी कम हो जायेगा और लगभग 70-80 हजार लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। इसका भी आप ध्यान रखें। यह भी आप बनवा दें।

आपने पट्टे का अभियान चालू किया था। मैं दुबारा मांग रखती हूं कि जो कृषि भूमि पर कटी हुई कालानियां हैं उनके ले-आउट प्लान जारी नहीं हुए हैं, वे जारी हों। जहां जारी हो गए हैं, वहां 90बी हो जाए और यह प्रक्रिया करके उनको पट्टे जारी किये जाएं, ताकि लोगों को भी पट्टे मिल सके।

ऐसे ही श्रीराम नगर है। यहां बहुत पुराने समय से लोग बसे हुए हैं। इतने सक्षम नहीं हैं, मध्यम वर्ग के परिवार वहां रहते हैं। इनके पास ऐसी कोई सेटिंग नहीं है कि वे आकर अपने परिवार वालों को राहत दिला सकें। यहां श्रीराम नगर में भी अगर आप पट्टे जारी कर दें तो उनको भी राहत मिलेगी।

देवली अरब के नाले के बारे में कहना चाहती हूं कि ये कंसुवा, रायपुरा, देवली अरब, हनुमन्त खेड़ा, बोरखंड़ी होते हुए चन्द्रेसल नदी में जाता है। यहां पर हर साल सफाई के नाम पर सात-आठ दिन सफाई करके इसको अधिकारी छोड़ देते हैं। यह शुरू में लगभग 100 फीट चौड़ा है और 20 फीट

(श्रीमती कल्पना देवी)

गहरा है, परन्तु देवली अरब पहुंचतेपहुंचते वह मात्र 10 फीट रह जाता है। अगर एक बार, भले ही एक महीना लगे, पर ढंग से इसकी सफाई की जाए तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके आसपास इतनी सारी कालोनियां हैं, वहां हर बारिश में समस्या आती है, वह समस्या नहीं आयेगी। वर्तमान में दो-तीन घंटे की बारिश में ही कालोनियों में पानी भर जाता है और घर के अन्दर भी पानी आ जाता है, क्योंकि इस नाले की खुदाई ढंग से नहीं की गई है। कालोनियों में मगरमच्छ आ जाते हैं। खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हमें चिन्तित होना पड़ता है। इस नाले की सफाई ढंग से जरूर की जाए और यदि इसको पक्का करा दें तो आने वाले समय में यह अतिक्रमण से भी बच जायेगा।

इसी के साथ, मैं अब नगरपालिका की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कैथून नगरपालिका आती है। इसके बारे में मंत्री जी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वहां के क्या हालात हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि 13 महीने से बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। उसी नगरपालिका में सेक्शन 69ए के पट्टे, जो जारी हुए हैं, वे आठ महीने से लम्बित हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): जहां आवश्यकता नहीं है, वहां काम किया जा रहा है। जहां विकास शुल्क एवं नियमन शुल्क जमा हुए हैं वहां एक भी निर्माण का काम नहीं हुआ है। सफाई का नाम लें तो कई ऐसे वार्ड हैं, जहां एक-दो महीने से सफाई तक नहीं हुई है। यही हाल कोटा के नगर निगम के वार्ड में भी हैं। जो बड़े वार्ड हैं, जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां भी टिपर और सफाई कर्मचारी बहुत कम लगे हुए हैं। जहां 6 हजार की जनसंख्या के वार्ड हैं, जहां 10 हजार, 12 हजार की जनसंख्या के वार्ड हैं, वहां बराबर सफाई कर्मचारी एवं टिपर दिए गए हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे जो बड़े वार्ड हैं, वहां टिपर बढ़ाये जाएं, सफाई कर्मचारी बढ़ाये जाएं, ताकि कम से कम सफाई की मूलभूत सुविधा जनता को मिल सके।

वापस सफाई को लेकर नगरपालिका की बात करूं तो ऐसे वार्ड हैं, जहां लास्ट टाइम दीवाली पर सफाई हुई है, उसके बाद सफाई नहीं हुई है। घनी आबादी वाले मोहल्ले में ऐसे गहरे नाले बने हुए हैं, जिनके ऊपर कवर नहीं लगाया गया है। वे घर के बिलकुल बाहर बनाये गए हैं। छोटे बच्चे आये दिन उन नालों में गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट

(श्रीमती कल्पना देवी)

रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम उन नालों पर कवर चढ़ा दें, ताकि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो।

दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नगरपालिका, कैथून द्वारा लगाये गए प्रदूषण जन्य व्यावसायिक कर का, जो ठेका गत वर्ष 40 लाख का था, इस वर्ष मात्र 26 लाख में इन्होंने कैसे दिया? यह समझ में नहीं आ रहा है। इसके क्या कारण हैं? इसको आप दिखवायें।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति महोदय जी, लास्ट पाइंट है। अब मैं वन विभाग पर थोड़ा-सा बोलना चाहती हूं। हमारे यहां उम्मेदगंज में पक्षी विहार बन रहा है, मैंने वन मंत्री जी से मिलकर भी इस बात के बारे में अवगत कराया है। एक तरफ मुख्य मंत्री जी वेटलैंड योजना की बात करते हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वहां पैसा लगायेंगे, परन्तु पक्षी कैसे आयेंगे यदि आप वहां पर कचरा पाइंट लगाओगे? बगल में ही पानी, जो राइट विंग कैनाल है, जो मुख्य कैनाल का पानी है, जो कम से कम 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर को सिंचित कर रहा है, उस पानी को आप प्रदूषित करेंगे तो उन किसानों का क्या होगा?

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मैं आपसे मांग करती हूं कि इसमें किसने दी परमिशन? कैसे दी एन ओ सी? जबकि गांव में जहां फोरेस्ट की जमीन होती है, आप हैण्डपम्प लगाने की परमिशन नहीं देते, सड़क बनाने की परमिशन नहीं देते तो आपने वहां कचरा पाइंट लगाने की परमिशन कैसे दे दी?

ऐसे ही वन रक्षक की मैं बात करना चाहती हूं। जिस तरह से पहले आई पी एस के दर्जे पर उनको पेमेंट होता था, उनको सब सुविधाएं मिलती थीं। आज उनको इतना पिछड़ा क्यों किया गया है? वे भी उतना ही काम करते हैं, बल्कि जब भी कोई परीक्षा होती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिये। प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): इनकी ड्यूटी लगाते हैं। महिलाएं अकेली ऐसी जगह जाती हैं, बिना उनको खाना मिले, कच्चा राशन लेकर

(श्रीमती कल्पना देवी)

उनको वहां पकाना पड़ता है। मेरी मांग है कि इनकी जो मांगें हैं, उन्होंने आपके सामने रखी हैं, उनको भी ध्यान में रखें, उनको राहत दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। स्वायत्त शासन, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डिटेल स्कोप में जाएं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अरबन डवलपमेंट, टाउन प्लानिंग, हाउसिंग, ये सब चीजें इसके स्कोप में आती हैं। इन सब चीजों पर आज हमें इस हाउस में डिस्कशन करना है।

माननीय सभापति महोदय, डवलपमेंट का तात्पर्य आवास, पानी, सड़कें, यातायात, विद्युत और चिकित्सा, ये सब सुविधाएं एक नागरिक को अच्छी तरह मिलें तो हम यह कह सकते हैं कि एक अच्छी बस्ती है, अच्छा गांव है, अच्छा शहर है, अच्छा राज्य है। इन सब चीजों को ध्यान रखकर ही डवलपमेन्ट के जो स्किल्स हैं, वे तय किये जाने चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नगरपालिकाओं की मीटिंग्स, जो आपने नोर्म्स तय कर रखे हैं, वे बहुत कम हो रही हैं और यह एक प्रश्नवाचक चिह्न है।

जैसे चेयरमैन या चेयरपर्सन, किसी नगरपालिका का हैड है तो उनके साथ लगी हुई टीम, नगर पार्षदों की है, काउंसलर्स की है, उन सबको भी यह अधिकार है कि वे चेयरमैन के साथ बैठकर, चेयरपर्सन के साथ बैठकर राय-मशविरा कर सकें, अपनी राय को प्रकट कर सकें। एक बार मीटिंग बुला ली और फिर कई दिन तक, महीनों तक, सालों तक मीटिंग नहीं बुलायें तो मेरे विचार से यह लोकतांत्रिक परम्परा के विपरीत है। सभापति जी, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंता है और आफिसर्स दीर्घा में इस विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय उनको निर्देश देंगे कि कितनी मीटिंग कौन-कौन-सी नगरपालिका ने बुलाई ईयरवाइज, उनके बनने के बाद, उनके गठन के बाद में, यह बहुत एक बड़ा प्रश्न है। यह जानकारी उन्हें लेनी चाहिए, ताकि वहां सर्तकता बरती जाए कि समय पर मीटिंग बुलाई जाए। बिना मीटिंग बुलाये, फिर तो चेयरमैन मालिक हो गया और जो पार्षद हैं उनका कोई महत्व नहीं। पार्षद का महत्व खाली इतना ही नहीं है कि वो

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

चेयरमैन के चुनाव के समय वोट दे दे। उसका महत्व यह भी है कि समय-समय पर जो म्युनिसिपैलिटी की कार्यवाही हो जो योजना बनायी जाए उसके बारे में और रिव्यू भी समय-समय पर हो, उन मीटिंग्स में उन पार्षदों का रोल, उनकी भूमिका होनी चाहिये।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि कई बार नगरपालिकाओं में जो बजट पारित होता है उसके प्रोविजन्स को भूल करके और बियोंड द लाइन्स वो खर्चा कर देते हैं। जो प्रोविजन्स उन्होंने अप्रूव किए और गवर्नमेंट आफ राजस्थान से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जो अप्रूव कराया बजट उन बजट, प्रोविजन्स के अन्तर्गत ही खर्चा होना चाहिये। अगर कोई वेरिएशन होता है, डेविएशन होता है तो फिर उस नगरपालिका के खिलाफ, जो सम्बन्धित चेयरमैन हैं या ई ओ है या जो भी हैं, जो सम्बन्धित हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही इनिशियेट की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, सीवरेज और ड्रेनेज के बारे में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पर सीधा आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय तीन नगरपालिकाएं हैं चिड़ावा, पिलानी और विद्याविहार पिलानी। इनमें सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है। चिड़ावा में आपने सीवरेज मंजूर कर दी थी पिछली बार शायद दो या तीन सेशन पहले। आपने 41 लाख रुपये मेरे निवेदन पर सम्बन्धित कम्पनी के डिफाल्ट पर जुर्माना भी किया था, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि जो काम करके गए वह संतोषजनक नहीं है। सड़कें तोड़ गए, काम पूरा है नहीं। एक एस टी पी चालू है, दूसरा एस टी पी अभी चालू ही नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि दिखवाने की जरूरत है और अगर कहीं कोई डिफाल्ट मिलता है तो सम्बन्धित कम्पनी को बुलवा करके जो बाकी काम रह गए हैं वे काम पूरे कराने चाहिये। चिड़ावा नगरपालिका में जो सीवरेज का काम हुआ उसमें 61 प्रतिशत काम हुआ है और 39 प्रतिशत काम अभी हुआ नहीं है। मैंने आपको निवेदन भी किया था और पुनः निवेदन है आज इस सदन के माध्यम से उस कि 39 प्रतिशत के लिए भी आप कहीं न कहीं किसी भी रूप में मंजूरी करें, ताकि चिड़ावा शहर का काम पूरा हो जाए।

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करके अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज स्वीकृत

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

करवायी है। एग्रीकल्चर कालेज मेरे यहां चालू हो गई है सेंट परसेंट उसमें एडमिशन हो गए हैं। टेम्परेरी व्यवस्था मैंने भवन की कर दी है लेकिन उसका अपना भवन बनाना है। लड़कियों के लिए होस्टल अलग बनाना है, लड़कों के लिए होस्टल अलग बनाना है और म्युनिसिपैलिटी की जो आबादी लैंड है, वह जिला कलेक्टर, झुंझुनूं ने चयनित कर ली है। चयनित करके उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को बुलाया कि इस जमीन की आप सहमति दे दीजिये, इसमें एग्रीकल्चर कालेज बनेगा गवर्नमेंट का और अप्रोप्रिएट जगह है। कलेक्टर के बार-बार एंफेसाइज करने के बावजूद भी वह नगरपालिका ने नहीं दिया तो जिला कलेक्टर ने डी एल बी को, गवर्नमेंट आफ राजस्थान को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेज रखे हैं कि यह जमीन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज के भवन के लिए हास्टल्स के लिए अलॉट कर दी जाए।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज है, हमारे लड़के-लड़कियां पढ़ रही हैं। एडमिशन जेट के मार्फत होते हैं। बहुत शानदार लोकेशन पर जमीन जिला कलेक्टर देना चाहता है तो जो प्रस्ताव डी एल बी के यहां आए हुए हैं या सेक्रेट्री टू गवर्नमेंट एल एस जी के यहां या प्रिंसिपल सेक्रेट्री एल एस जी के यहां आये हुए हैं आपसे मेरा निवेदन है कि उनको निर्देश देवें कि वे अलाटमेंट करके भेजें। पहले उन्होंने 13 हैक्टेयर किया था लेकिन 13 हैक्टेयर जो सम्बन्धित संस्था है एग्रीकल्चर कालेज की, वह स्वीकार नहीं कर रही है तो कलेक्टर ने अल्टरनेट प्रस्ताव भेजा कि जमीन पड़ी है, काफी जमीन पड़ी है और उस जमीन में से अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट की कालेज है गवर्नमेंट की ही लैंड है। म्युनिसिपैलिटी लैंड गवर्नमेंट की ही लैंड है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो वह प्रस्ताव मेरे विचार से आप इनको निर्देश देंगे तो वह मंजूर हो जाए, ताकि हमारी जो कालेज है, एग्रीकल्चर कालेज, वह चालू हो जाए। बाकी तीनों नगरपालिकाओं में जैसा मैंने निवेदन किया मीटिंग का है, बजटरी अलोकेशंस हैं जो बोर्ड ने कर दिया, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी राजस्थान में अरबन डवलपमेंट माननीय मंत्री महोदय जो वर्तमान यू डी एच के, एल एस जी, यू डी एच, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग के हैं, उनके नेतृत्व में बहुत शानदार डवलपमेंट हुआ है देखने लायक हुआ है, एप्रिशिएबल हुआ है और अगर दूसरे राज्यों से कंपेरिजन करें तो राजस्थान का यू डी एच डिपार्टमेंट है, एल एस जी डिपार्टमेंट है उसका काम बहुत-बहुत सराहनीय है। थैंक यू वैरी मच। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल। पांच मिनट में समाप्त करेंगे आप।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 40 व 45 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले, सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी ने बजट में पचास करोड़ की जो ड्रेनेज सिस्टम की योजना स्वीकृत की उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह चाहूंगा कि इसी बजट में इसी वित्तीय वर्ष में यह कार्य शुरू करवाया जाए, क्योंकि डूंगरगढ़ शहर कटोरीनुमा बसा हुआ है और लम्बे समय से आजादी के बाद यह सौगात हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने, मंत्री जी ने दी तो इसके लिए पूरा विधान सभा क्षेत्र, डूंगरगढ़ शहर इनका धन्यवाद देता है।

सभापति महोदय, साथ ही हमारे क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत किया है, उसके लिए भी जगह स्थानीय नगरपालिका ने तय कर रखी है, उसके लिए सभी को धन्यवाद। विशेषकर डूंगरगढ़ शहर में नगरपालिका क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं मंत्री महोदय का आपकी मार्फत ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां पर बहुत सारा कचरा होने की वजह से बीमारियां फैलने की सम्भावना रहती है इसलिये नगरपालिका द्वारा सफाई की माकूल व्यवस्था के लिए प्रभावी नियंत्रण किया जाए। इसके अलावा श्रीडूंगरगढ़ के घूमचक्कर से रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर बना कर रोड लाइट्स की व्यवस्था नगरपालिका क्षेत्र में करवायी जाए।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो नगरपालिका में सफाई व्यवस्था के लिए भर्तियों की घोषणा की और निश्चित रूप से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वाल्मीकि समाज से ही उनकी भर्ती की जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। अभी सरकार के द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम शुरू किये जा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय काम हैं। आम गरीब को, अन्तिम छोर पर जो शहर में बैठा है उसको शहर में रोजगार मिल रहा है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रूपा राम जी।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और 45 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं मकराना की नगर परिषद् के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। सभापति महोदय, मंत्री जी सुन रहे हैं मुझे खुशी है, क्योंकि अब इनकी ही जरूरत है वहां। मकराना में 55 वार्ड हैं, भारतीय जनता

(श्री रूपा राम)

पार्टी का पूरा दबदबा है, बोलबाला है। हम तीन हैं चुने हुए वहां से। मकराना में भारतीय जनता पार्टी के तीन पार्षद हैं। मकराना नगर परिषद् में आज तक कोई विपक्ष का नेता नहीं है और कमेटियों के चुनाव हुए नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, कई दिनों से देख रहा हूं और आज भी इस पर मैं एक ही विचार सुन रहा हूं कि जहां विकास है वहां भ्रष्टाचार है, यह दुर्भाग्य है, दुःख की बात है। विकास का पर्याय भ्रष्टाचार हो रहा है और जहां-जहां आदमी ताकतवर होता है, सरकार की मदद होती है, सरकार का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से नुमाइंदा होता है तो वह भ्रष्टाचार को और तेज गति देता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि दुष्ट आदमी तब जाकर और दुष्ट हो जाता है जब वह सज्जन होने का ढोंग करता है।

माननीय, मैं भ्रष्टाचार के बारे में कह रहा हूं किसी व्यक्ति विशेष का नाम मेरे से आया कभी नहीं है। आज मैं गम्भीरता से बोल रहा हूं क्योंकि विषय गम्भीर है। हर बार आप मुझे, अब जैसे रूपाराम जी का नाम लिया तो सभापति महोदय, मुझे पता नहीं था। आपने यह देखा होगा, आपको इस बात पर मुझे देख कर धन्यवाद देना चाहिये कि मैं साढ़े चार साल में कभी बिना मतलब खड़ा नहीं हुआ, कभी बिना मतलब बोला नहीं। इच्छा हुई कई बार बोलने की, लेकिन मैंने कहा अनुशासन बनाये रखो, इसमें फायदा है और मुझे लगता है कि आज अनुशासन के नाम से आप मुझे दो-चार मिनट ज्यादा दे देंगे रिक्वेस्ट करूंगा तो।

आप मेरे बड़े भाई हैं और हमने तो टाइम की गुहार लगाई है। जंग लोहे को, असत्य मान-सम्मान को और भ्रष्टाचार विकास को खा जाता है। नीतियां नहीं हो तो क्या, नीयत तो पुरानी है। नीयत न बदले, विकास का दावा बेमानी है। माननीय मंत्री जी, अब तो कर गुजरो, कुर्सी तो आनी और जानी है। सभापति महोदय, कुर्सी ही नहीं, अब तो जिंदगी भी बुलबुला पानी है। हम सब कोई 60 के हो गए, कोई 70 हो गए, किसको पता कौन कब आयेगा, कौन जायेगा। मैं जो 5-7 मिनट बोलूंगा, उसमें सारगर्भित यही बात है। माननीय मंत्री महोदय, कुछ लोगों ने आपको ताकतवर मंत्री बताया। उनका उद्देश्य हो सकता है कोई दूसरा हो, मेरा उद्देश्य साफ है। आप एक सक्षम और पावरफुल मंत्री हैं और यह खुशी की बात है। आपका दायित्व बनता है कि आपके रहते हुए आपके विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्ट होकर भी

(श्री रूपा राम)

किसी को आंख दिखाये, यह दुर्भाग्य है कि कोई पार्टी की धौंस दिखाकर, सरकार की धौंस दिखाकर, चाहे वह किसी भी विभाग में है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो यह दुर्भाग्य है।

सभापति महोदय, मकराना में 80 परसेंट अल्पसंख्यक भाई हैं। वहां के चेयरमैन हैं, चेयरमैन के पिताजी, ससुर और रिश्तेदार हैं। चेयरमैन के पिताजी पूर्व विधायक हैं, जो जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं। वहां इस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वह भ्रष्टाचारी इतने ताकतवर हो गए हैं, आप जांच करवा लीजिए। अगर कोई अल्पसंख्यक भाई भी कहीं सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार की शिकायत करता है तो दो घंटे में पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं कि आपने 151 में शांति भंग में कुछ गड़बड़ कर दी। कहने का मतलब है दुष्ट आदमी जब अपनी पराकाष्ठा छूता है तो प्रजातंत्र को और मानवता को तकलीफ होती है।

माननीय सभापति महोदय, नगर परिषद् मकराना के सभापति एवं आयुक्त द्वारा राजकीय धन का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में नगर परिषद् की सभापति एवं आयुक्त अपनी भूमिका और जिम्मेदारी व अपना दायित्व ढंग से नहीं निभा रहे हैं। मकराना नगर परिषद् की सभापति माननीय महिला हैं। इनके पिताजी पूर्व विधायक हैं, ससुर जी उप सभापति हैं और करीबी रिश्तेदार हैं। इसके कारण ये दोनों विकास के बजाय अपना निजी स्वार्थ साधते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि दिनांक 5 जुलाई 2022 को सभापति के पिता पूर्व विधायक का, माननीय सभापति महोदय, बीच में मैं आपको यह कहना चाहूंगा, मकराना में तीन साल में जो भी सड़क बनी, उसका चाहे शिलान्यास हुआ, चाहे उद्घाटन हुआ, उसकी आप जांच करवा लीजिए। सड़क कब बनी, एक-एक सड़क तीन साल में चार-चार, पांच-पांच बार बन चुकी है। मैं यह पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ कह रहा हूं और वह भी सीमेंट की सड़क। अभी सम्राट स्कूल से लेकर माताभर तक एक सीमेंट की 45 लाख रुपये की सड़क बनी है। पांच साल की गारंटी है और तीन महीने में उखड़ रही है। आप एक बार जांच करवा लीजिए आप आश्चर्य चकित रहेंगे कि रूपा राम ने सदन में जो कहा, उसमें कितनी सच्चाई थी। मुझे किसी के खिलाफ बोलकर उनको कोई नीचा तो दिखाना नहीं है। अभी सदन में मुझे किसी विद्वान माननीय सदस्य ने कहा कि आपको क्या लेना देना है। वह लूटपाट है, लूटपाट है। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे मकराना के लोगों ने विधान सभा में भेजा है, चाहे किसी भी

(श्री रूपा राम)

जाति विशेष के लोग हों, उनके साथ अगर अन्याय होता है, आज मकराना के लोगों को अच्छी सड़क दी जाए, अच्छी नाली दी जाए, पानी की व्यवस्था दी जाए। माननीय सभापति महोदय, मकराना में सीवरेज है, बरसात के दिनों में सीवरेज को खोल दिया जाता है और भाकरा की ढाणी मेरे घर के सामने से जाती है, आप देख नहीं सकते, सीवरेज की पूरी गंदगी, सीवरेज में गंदगी क्या होती है, मैं यहां नाम नहीं लूंगा, वह ढाणी में आ जाती है, पानी भर जाता है और ब्लाक हो जाता है। आज मकराना में पंचायत समिति है..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): नगर परिषद् का बड़ा आफिस है, न्यायालय है, हाई स्कूल है, महाविद्यालय है, अस्पताल है, इनके सामने बरसात के दिनों में 5-5, 6-6 दिन 4-4, 5-5 फीट पानी भरा रहता है। इसकी भी आप जांच करवा लीजिए। माननीय सभापति महोदय, मकराना नगर परिषद् सभापति 1992 में सभापति पद पर बैठी थीं। उस समय से विगत वर्षों में नगर परिषद् बजट से अनगिनत राजकीय, धार्मिक त्यौहार एवं विकास कार्यों के नाम से अखबारों में विज्ञापन देकर राजकीय राशि का दुरुपयोग किया है जिसकी जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवायी जाए। विज्ञापन में किसी विधायक का भी नाम नहीं है। अगर किसी पार्टी का बड़ा नेता विज्ञापन में नाम देता है तो यह नियम विरुद्ध है और विधायक के अधिकारों का हनन भी है। आप जांच करवा लीजिए, अगर आप कहो तो मैं इन सबको टेबल कर दूं, सारी फोटो लगी हुई हैं, अभी तो मुझे टाइम लग जायेगा, सारे विज्ञापन की फोटो हैं।

दूसरा, बोरावड़ की नगरपालिका के बारे में बोल देता हूं। अभी मैं कहते-कहते एक बात भूल जाता, बजट में मुख्य मंत्री जी ने नगरपालिका में जो बजट पी डब्ल्यू डी को दिया है, उसका सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा हुआ है। मैं किसी पी डब्ल्यू डी अधिकारी की प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, आप देख लेना, जांच करवा कर। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने पी डब्ल्यू डी के माध्यम से सड़कें बनवाई हैं। बोरावड़ में अभी नई-नई नगरपालिका बनी है, इसलिए आप बोरावड़ के लोगों को और बजट दीजिए। लुहारिया बेरा से बोरावड़ तक सड़क निर्माण, कुंडियों की ढाणी से बोरावड़ तक सड़क निर्माण, चाबंडिया रोड फाटक से तिराहे तक बरसात के दिनों में 2-2 फीट पानी भर जाता है, उस पानी की समस्या के समाधान की और आवागमन को ठीक करने के लिए सड़क। का निर्माण कराएं।

श्री सभापति: श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्री रूपा राम (मकराना): बोरावड़ बाजार से सबलपुर रोड गीगा बाबा की ढाणी होते हुए 3 किलोमीटर सड़क। एरिया रास्ते से माधाराम आंवला की ढाणी तक 700 मीटर सड़क निर्माण।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सभापति महोदय, मांग संख्या 40 - नगरीय विकास विभाग पर...

श्री रूपा राम (मकराना): सभापति महोदय, आप कहो तो मैं इनको टेबल कर दूंगा?

श्री सभापति: सिर्फ आपके वक्तव्य का पार्ट ही, अख़बार की कटिंग नहीं।

श्री रूपा राम (मकराना): क्या?

श्री सभापति: अख़बार की कटिंग आप टेबल नहीं करेंगे, आपका वक्तव्य रह गया हो, वह कर दीजिए।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट साहब। सीवरेज लाइन में ट्रीटमेंट ..

श्री सभापति: यदि आपका कोई वक्तव्य बाकी बच गया हो तो उसको टेबल कर दें, अख़बार की कटिंग वगैरह या किसी का नाम है तो वह मैं टेबल नहीं करने दूंगा। श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्री रूपा राम (मकराना): पर्यावरण के बारे में एक मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

(माननीय सदस्य श्री रूपा राम (मकराना) के सदन पटल पर रखे गए शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सभापति महोदय, मांग संख्या 40- नगरीय विकास विभाग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह और निवेदन भी है कि आज के करीब ढाई साल पहले जयपुर में एक निगम की जगह दो निगम किये गए और दोनों निगमों में जिस तरह से हैरिटेज परकोटे के इलाके को बनाया गया...

श्री सभापति: अख़बार की कटिंग मत लेना, इनके वक्तव्य को ले लेना।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): दूसरा, जो चारदीवारी और परकोटे का जो एरिया था, उसको ग्रेटर का नाम दिया गया। सौभाग्य से जो हमारा नगर निगम है, जिसको हैरिटेज के नाम से जाना जाता है, वह हमारी पुरानी धरोहर है, परकोटे का एरिया है, चारदीवारी का एरिया है और सौभाग्य से हम जयपुर शहर के जो चार विधायक जीते हैं, वे उसी एरिये से आते हैं। हम चार में से दो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और दो हम विधायक हैं।

मेरा मंत्री जी से एक आग्रह है कि जयपुर शहर के लोगों ने बड़ी अपेक्षा और उम्मीद के साथ जिस तरह से हमें प्रचंड बहुमत के साथ जिताया और हमसे उम्मीदें कीं, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज जो शहर का हाल है एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारा जो परकोटे का शहर है, वह सैकड़ों साल पुरानी हमारी धरोहर है। उसको सौभाग्य से यूनेस्को अवार्ड भी मिला हुआ है। आज राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान और दुनिया में गुलाबी नगर या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि नगर निगम की थोड़ी-सी स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से दो वर्ष पूर्व आग्रह करके एक घोषणा करायी थी कि शहर के बीच में जो सीवरेज की लाइनें हैं, वे डैमेज हैं। बड़ी तंग गलियां हैं, लोग परेशान हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दो वर्ष पूर्व हमें 50 करोड़ की सैंक्शन की कि सीवरेज की लाइनों को हम चैंज करें और उनकी मरम्मत करें। दुर्भाग्य की बात है कि दो साल गुजरने के बावजूद भी आज तक उसमें कोई काम नहीं हो पाया है। पहले नगर निगम ने उसका टेंडर किया। उसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं आया, उसके बाद में मेरी जानकारी के अनुसार अब यह काम रूडसिको देख रहा है। दो महीने पहले जब उसके अन्दर टेंडर हुए तो कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सिंगल पार्टिसिपेंट आने की वजह से वह टेंडर आगे नहीं बढ़ पाया। चूंकि चुनावी वर्ष है और समय कम है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन बड़ी योजनाओं में न जाकर, जो एरिया बहुत परेशान हैं, जो बहुत इमिजिएट तरीके से जिनका रिस्टोरेशन होना है, जिनकी लाइनें सही होनी हैं, उसके लिए आप यह काम नगर निगम के द्वारा करायें या किसी भी एजेंसी से करायें, लेकिन जो खराब लाइनें हैं, उनको हमको रिस्टोर करने की आवश्यकता है।

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी बजट में सारे निगमों को 100-100 करोड़ रुपये दिए हैं। उसी तरह नगर निगम हैरिटेज को भी 100 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए मिले हैं। सारे प्रस्ताव हमने पी डब्ल्यू डी में दे दिए। पी डब्ल्यू डी की प्रक्रिया चालू है, लेकिन अगर ये लाइनें रिस्टोर नहीं हुईं जिनका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, उनको अगर हमने इमिजिएटली रिस्टोर कर दिया और लाइनें सही कर दीं, तो हमें जो 25, 50 या जो 100 करोड़ रुपये मिले हैं, उनकी सड़कें अगर बना देंगे तो Once for all, लम्बे समय के लिए हमारी सीवरेज की लाइनें भी सही हो जायेंगी और हमारी सड़कें भी दुरुस्त हो जाएंगी।

इसी तरह माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष 25 करोड़ हमको गंदी गलियों की सफाई के लिए दिए। उसका टेंडर हो गया, उसका काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें खामियां हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे हमारी सरकार की जो मंशा है और हमारे मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी की जो मंशा है, उसमें लोगों को लाभ मिले। चूंकि तकरीबन 11 हजार गलियों को इस पैसे के माध्यम से हमें रिपेयर करवाना है और इसमें एक फुल-प्रूफ सिस्टम बनना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि 25 करोड़ से गलियों का जो रिस्टोरेशन का काम होना है, उसमें मैं एक ही बात चाहता हूं कि जिस गली के आजूबाजू के जो मकान धारक हैं, जो मालिक हैं, वे हमें लिखकर एन ओ सी दें कि हमारी गली सही हो गई, हमारे नाले सही हो गए, इसका रिस्टोरेशन सही ढंग से हो गया है, उसके बाद ही ठेकेदार का पेमेंट होना चाहिए, अधिकारियों को आगे बढ़ना चाहिए।

इसी तरीके से नजूल सम्पत्तियों को लेकर, क्योंकि मंत्री जी के विभाग का मामला है, पिछले वर्ष नजूल सम्पत्तियों को लेकर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की। सम्पदा विभाग ने और मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया कि जो लोग सालों से नजूल सम्पत्तियों पर रह रहे हैं, उन लोगों को इसका हस्तान्तरण कर दिया जाए और 20 परसेंट और 25 परसेंट की निर्धारित दर पर उनका आबंटन कर दिया जाए। काफी प्रयास के बाद में मैंने बहुत भागदौड़ करके पिछले हफ्ते वह सॉफ्टवेयर सरकार से अपलोड करा दिया, लेकिन इसमें एक बात है कि पट्टे कौन दे? एसडीएम को पावर दिए हैं, एस डी एम जयपुर पट्टे देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। वे सम्पदा अधिकारी से बात कर

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

सकते हैं, लेकिन उसको अधिकार नहीं कि वे पट्टे जारी कर सकें। मेरा आपसे आग्रह है कि एस डी एम और डी सी, हैरिटेज या आयुक्त, हैरिटेज बैठकर यह समीक्षा करें और आपके आदेश पारित हों कि कम्पीटेंट अथोरिटी द्वारा 'प्रशासन शहरों की ओर' में इसके पट्टे जारी हो सके।

बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा बहुत छोटा-सा इलाका जे डी ए के अन्तर्गत आता है। चूंकि हम शहर में है, हमारा 90 परसेंट इलाका हैरिटेज में आता है, लेकिन कुछ कालोनियां ऐसी हैं, जो 40-50 साल से हैं और 'प्रशासन शहरों के तहत' जे डी ए में भागदौड़ करके मैंने उनकी 90ए बी करा दी, उसकी जेड एल सी भी हो गई। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि तकरीबन दो सौ से ढाई सौ पट्टे ऐसे हैं, जो जियाउद्दीन कालोनी है, चार कालोनी हैं, सीतारामपुरी, लक्ष्मीनारायणपुरी कालोनी कहलाती हैं, तो तकरीबन 40-50 साल से बसी हुई हैं। इनको राहत देकर इनमें तकरीबन 2 हजार के करीब पट्टे इनको दिए जाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री संदीप शर्मा।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर अंत में एक बात कहूंगा कि जयपुर शहर का परकोटा मेरे विधान सभा क्षेत्र से आता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा के बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घन्टे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाए।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 40- स्वायत्त शासन व मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): मैं आपकी अनुमति से सिर्फ

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

एक बात कहकर अपनी बात खतम करूंगा कि जयपुर के परकोटे में फसाड् लाइटें लगी हुई हैं। यहां पर मंत्री जी विराजमान हैं। सात साल पहले लाइटें लगी थीं और आज तक वे लाइटें धीरे-धीरे गुल होती चली गईं, रिपेयर और मेंटीनेंस की व्यवस्था करें, ताकि परकोटे के शहर की जो फसाड लाइटें हैं, वे एक बार पुन: चालू हो सकें। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, कोटा की सर्वत्र बड़ी प्रशंसा हो रही है, परन्तु यदि मैं यहां पर असलियत नहीं बता पाया तो कोटा शहरवासियों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। मंत्री महोदय चले गए। यह सत्य है कि मंत्री महोदय ने दो बड़े काम कोटा शहर में किये हैं। एक फ्लाईऑवर और अंडरपासेज बनाये हैं, जिनको सिग्नल फ्री बनाकर उन्होंने ट्रैफिक मुक्त करने का प्रयास किया है और दूसरा है, कोटा का रिवर फ्रंट। कुछ बड़े चौराहे भी बनाये हैं, परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि इस विकास के बदले कोटा शहरवासियों को जो दंश भोगना पड़ा है, लगभग 444 सड़क हादसे 2022 में हुए, उनमें 111 लोगों की मौत हुई। 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, उनमें 75 लोग अकारण काल के ग्रास में गए। कल भी छोटी उम्र, 18-19 साल का एक बच्चा गलत डिजाइन किये गए फ्लाईऑवर पर चढ़ा, टकराया और नीचे गिर गया। कल ही दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जिस तरीके से गलत डिजाइन के बाद फ्लाईऑवर और अंडरपास बनाये हैं, उससे जो राहें सुगम थीं, उन राहों को आपने दुर्गम कर दिया। मेरा कहना है कि जिस तरीके से आपके आदेशों को आपके न्यास वाले नहीं मान रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का आदेश आया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कोविड व अन्य आपदाओं के कारण प्लाट आवंटी राशि जमा नहीं करा पाये, उनको राज्य सरकार द्वारा ब्याज और पैनल्टी में छूट दी गई।

(समय: 17.00 बजे)

ताकि लोग इस प्राकृतिक आपदा के बाद मूलधन जमा कराकर प्लाटों का आबंटन ले सकें, परन्तु कोटा न्यास की हठधर्मिता के चलते इन राज्य आदेशों की भी पालना नहीं की जा रही है। लोगों से मय ब्याज व पैनल्टी के पूरी राशि वसूली जा रही है, जिससे सरकार जो लाभ देना चाहती थी, वह लाभ लोगों

(श्री संदीप शर्मा)

को वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। मंत्री महोदय ने यहीं पर इसी सदन में कोटा को डवलपमेंट अथोरिटी बनाने की बात की थी, मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस घोषणा को पूरा करें और कोटा शहरवासियों को बताएं कि कोटा डवलपमेंट अथोरिटी की क्या प्रगति की है। क्या कार्य आप प्रारम्भ करवा रहे हैं?

(समय: 17.01 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

आपने चौराहे बड़े कर दिए। आपने पूरी विजिबिलिटी ही खतम कर दी। लोग सामने से आते हैं, जाम और ज्यादा बढ़ गया है, जबकि जितने भी महानगर हैं उनमें चौराहों को छोटा किया गया, लेकिन हमारे कोटा शहर में इतने बड़े विशाल आकार के जो आपने चौराहे कर दिए, निश्चित रूप से बहुत दु:खद है।

जो सीवरेज लाइन का यू आई टी के द्वारा काम चला, उससे पूरा शहर चार वर्ष तक खुदा पड़ा रहा। लोगों के पीठ की चूल चढ़ती रही। लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर एडमिट होते रहे। कई लोग इस दुर्घटना में मर गए, चार साल तक। आज भी यह स्थिति है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं। सीवरेज वाला जो आर यू आई डी पी वाला काम है, वह तो अलग है, यू आई टी को काम दे दिया, यू आई टी उस काम को नहीं करवा पा रही, पैसे दे नहीं पा रही और ठेकेदार भाग गया। गड्ढों में पानी भरा पड़ा है। लोग मोटर साइकिलों से गिर रहे हैं और हम कोटा शहर को स्मार्ट शहर बनाकर प्रशंसा, आपका विजन हो सकता है अच्छा हो, परन्तु जिस तरीके से आज कोटा शहर के हालात हैं, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को जिस तरीके से आपने विभाजित किया, आपने छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसका परिसीमन गलत कर दिया। आपने दुर्भावनावश वह परिसीमन गलत किया। आपने दो नगर निगम बना दिए। अब आप एक नगर निगम के लिए 40 करोड़ रुपये का वहां कार्यालय बना रहे हैं। कार्यालय, भाई, जब भी हमारी सरकार आएगी और आपका यह गलत निर्णय वापस होगा तो यह जनता-जनार्दन का 40 करोड़ रुपया पानी में बहेगा। इस तरीके से जनता के धन की बर्बादी क्यों करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, सफाई व्यवस्था को हम देखें, क्या स्थिति है? आपने 60 करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में सफाई के लिए रखे हैं। गलियां सड़ रही हैं, नाले सड़े पड़े हैं, नालों में से गंदा पानी निकल रहा है। लोग

(श्री संदीप शर्मा)

परेशान हैं। क्या हाल कोटा शहर का आपने कर दिया? वास्तव में आपकी जो सफाई व्यवस्था है, इसको आपको देखने की आवश्यकता थी। आपने सफाईकर्मी नहीं लगा रखे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 पार्क हैं जो उजड़े पड़े हैं, क्योंकि आप कोई माली, कोई कर्मी नहीं लगा पाए। हमने पिछले कार्यकाल में एक-एक पार्क को एक-एक माली लगाकर सहेजा था, परन्तु कोई परवाह नहीं। लोगों की आम मूलभूत समस्या को लेकर आपने बिलकुल आंख बन्द कर रखी है। आपका सिर्फ एक और एक प्रयास है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी रिवर फ्रंट को पूरा कर दें, उसे मीनारों से सज़ा दें, परन्तु जिस तरीके से आज कोटा शहर लगातार कचरे से सड़ रहा है और स्मार्ट शहर की रैंकिंग में लगातार कभी 33वां नम्बर, कभी 40वां नम्बर कोटा शहर का आ रहा है और पैसा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। जिस तरीके से आज कोटा शहर की स्थिति है, आज लाइटों की स्थिति देखें, 40 हजार लाइटें कोटा शहर में अभी लगी हैं, जिनमें से अधिकांश लाइटें बन्द। (समय समाप्ति सूचक घंटी) ऐसे वहां के हर पार्क, हर मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं वे सारी बन्द हैं।

निगम की जो गौशाला है, वहां यह स्थिति है कि उनको क्षमता से अधिक ठूंस कर भर रखा है। उनको आहार नहीं मिल पाता। वहां पर उनका इलाज नहीं हो पाता। गलियों में लोग घूमते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वे उनके बटके भर लेते हैं। कई छोटे बच्चों की जान पर आ गई। उन बच्चों का यह हाल रहा कि कोई उनको देख ले तो संवेदनशीलता से वह क्रंदन कर जाए। स्ट्रीट डॉग्स की कोई न कोई तो व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रशंसा हमारी होगी, परन्तु इन छोटी-छोटी चीजों को लेकर वास्तव में जनता जनार्दन को जूझना पड़ता है, लोग रोज परेशान होते हैं। निगम के पार्क बदहाल पड़े हैं। सफाईकर्मियों की कमी हैं। स्टाफ में आपने पूरे कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण हर चीज को असंतुलित कर रखा है। कोटा दक्षिण में आपने अधिकारी लगा नहीं रखे, न स्थाई रूप से वहां आयुक्त प्रदान कर रखा है। अभी अस्थायी रूप से आयुक्त वहां पर हैं। महापौर के पास कोई शक्तियां नहीं हैं। वार्ड पार्षदों के पास समितियां आपने दे दीं, लेकिन उन्हें शक्तिविहीन बना रखा है। उनको 4-4, 5-5 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जिसका मतलब ही नहीं होता। उनका मानदेय भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो एक-एक करोड़ रुपया कोटा के

(श्री संदीप शर्मा)

एक-एक वार्ड में दिया था, वह भी अपर्याप्त है। 120 करोड़ रुपये का बजट जो अभी नगर निगम ने बनाया, उसकी आप स्वीकृति नहीं दे रहे। उसकी स्वीकृति मिल जाए तो कहीं न कहीं हमारे शहर की सड़कें ठीक हों, मोहल्ले की सड़कें ठीक हों, लोगों का अपने घर से निकलना आसान हो जाए। लोग अपने घर की सड़कों से निकलकर ही आपके रिवर फ्रंट तक जा पाएंगे, अन्यथा वे सड़कों पर ही अपने घुटने छिलवा लेते हैं, पैर तुड़वा लेते हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरीके से मंत्री जी ने छोटी-छोटी घोषणाएं करके कोटा शहर के वार्डों का बुरा हाल कर रखा है, कृपया उन वार्डों में अंदर रहने वाले लोगों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करें, उनको सुविधाएं प्रदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) के सदन पटल पर रखे गए शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40 और 45 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बामनवास और बौंली नगरपालिका की नई सौगात मिली है। इससे मेरे विधान सभा क्षेत्र को नई गति मिली है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बामनवास आज पिछड़े क्षेत्र से निकल कर विकास की ओर चल पड़ा है। विकास के इस क्रम में आपसे बामनवास की जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगी कि बामनवास में नई नगरपालिकाएं, पिछले सत्र में नई नगरपालिका, बामनवास और बौंली हुई मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि जो नई नगरपालिकाओं का गठन हुआ है उन्हें पुरानी नगरपालिकाओं की अपेक्षा बजट कम दिया गया है। नई नगरपालिकाओं में आवश्यकताएं ज्यादा हैं। वहां रोड अधिक बनानी पड़ेगी, नई-नई चीजें विकसित करनी पड़ेंगी तो मैं मांग करना चाहूंगी कि वह बजट जो 3 करोड़ का

(श्रीमती इन्द्रा)

है, रोड व अन्य कार्यो के लिए उसको बढ़ाया जाए, ताकि शुरुआत में हम नई नगरपालिकाओं में विकास के कार्य चालू करें तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आये।

माननीय सभापति महोदय, दोनों जगह नगरपालिका के भवन बनने हैं। मैं मांग करना चाहूंगी कि भवनों के लिए राशि स्वीकृत की जाए। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर क्योंकि शहरी क्षेत्र हो चुके हैं, तो गार्डन भी दोनों जगह विकसित होने चाहिए और उसके लिए भी बजट स्वीकृत किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिकाओं में सारे के सारे पद रिक्त पड़े हैं। मैं मांग करना चाहूंगी कि पदों को भरा जाए, ताकि विकास की गति बढ़े और जनता को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 45 वन और पर्यावरण पर बात करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास ब्लाक का जो क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय है, वह गंगापुर में लगता है, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र और गंगापुर में बहुत ज्यादा आनुपातिक अंतर है। संपूर्ण वन क्षेत्र 11 हजार है, जबकि मेरी विधान सभा क्षेत्र का 8 हजार हैक्टेयर क्षेत्र वन विभाग में पड़ता है। 80 और 20 का रेशियो है, फिर भी क्षेत्रीय कार्यालय गंगापुर के अंदर है। मैं मांग करना चाहूंगी कि क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय बामनवास में हो, ताकि वहां पर वन विभाग सम्बन्धी जो भी विकास कार्य हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं वहीं पर बामनवास में ही साल्व हो जाएं। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मुझे बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सुबह से मांग संख्या 40 और 45 के ऊपर पक्ष और विपक्ष के दोनों ही माननीय विधायक अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी आलोचना के आधार के ऊपर सरकार का ध्यान इंगित करने का काम किया और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी किया, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं इन दोनों ही दावों को खारिज करता हूं। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा और सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कौन कहता है कि विकास नहीं हुआ?

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मेरे चौमूं की नगरपालिका में पिछले दो साल के अन्दर 21 ई.ओ. चैंज किये गए हैं। पहले सलीम खां ई.ओ. था, उसको हटाया, सूर्यकांत आया तो सूर्यकांत को हटाया, अजय अरोड़ा आया तो अजय अरोड़ा को हटाया, पवन कुमार आया तो पवन कुमार को हटाया, सरिता आयी तो सरिता को हटाया, शुभम आया तो शुभम को हटाया। फिर सलीम आ गया तो सलीम को हटाया, फिर ऋषभदेव आ गया, ऋषभदेव को हटाया। फिर सलोनी आ गई तो सलोनी को हटाया, फिर वर्षा आ गई तो वर्षा को हटाया, लोकेश सैनी आ गया तो लोकेश सैनी को हटाया। फिर वर्षा आ गई, फिर वर्षा को हटाया। हेमेन्द्र आ गया तो हेमेन्द्र को हटाया, सहदेव चारण आ गया तो सहदेव को हटाया। फिर हेमेन्द्र आ गया तो हेमेन्द्र को हटाया, देवेन्द्र जिंदल आ गया तो देवेन्द्र जिंदल को हटाया। फिर सज्जन कुमार आ गया, सज्जन को हटाया। फिर देवेन्द्र आ गया, फिर देवेन्द्र को ए.पी.ओ. कर दिया। देवेन्द्र कोर्ट स्टे लेकर आ गया। शिवकुमार आ गया, फिर जितेन्द्र आ गया। साहब, इतनी प्रोग्रेस मैंने इतिहास के पन्नों में कभी नहीं देखी, 21 ई.ओ. चैंज किये हैं। सरकार यह कहती है कि हम ई.ओ. कर निर्धारक को नहीं लगायेंगे, फिर भी उसके बावजूद भी ई.ओ. कर निर्धारक को, हमारे जितेन्द्र कुमार को लगा दिया। अब मुझे यह पता नहीं है, सब लोग तो यह कह रहे हैं कि शान्ती कुमार धारीवालजी बहुत मजबूत आदमी हैं, कठोर आदमी हैं, जिद के पक्के आदमी हैं तो फिर भी ये किसके दबाव में हैं, यह मेरी समझ से परे है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अगर नियम विरुद्ध ई.ओ. लगा हुआ है तो, माननीय सभापति महोदय, इसको तत्काल हटाया जाए। नम्बर एक।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की दूसरी उपलब्धि बताता हूं कि मेरी नगरपालिका, चौमूं के अन्दर एल.ई.डी. की खरीद की गई। एल.ई.डी. की जांच की गई। जांच के अन्दर डी.डी.आर. ने यह कहा कि अनियमितताएं हुई हैं और डी.डी.आर. ने यह लिखा कि विजिलेंस इसकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करे। डी.एल.बी. विजिलेंस को पत्र लिखने के बावजूद भी एक साल से विजिलेंस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह प्रगति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तीसरी प्रगति बता रहा हूं। तीसरी प्रगति यह है कि मैंने विजिलेंस के अन्दर यह कहा कि मेरी चौमूं नगरपालिका के अन्दर तीन करोड़ रुपये की पाइप लाइन डाली गई है। जहां पर पानी की एक बून्द भी नहीं है, वहां पर पाइप लाइन डाल दी। जहां पर पानी पहुंचने की

(श्री रामलाल शर्मा)

सम्भावना ही नहीं है, फिर भी वहां पर पाइप लाइन डाल दी गई। भ्रष्टाचार इतना है कि जहां पर डालनी चाहिए, वहां पर डाली नहीं। विजिलेंस, कलेक्टर के यहां सर्तकता समिति में लगाया तो उसकी जांच एस.ई. को दी। एस.ई. ने उसकी छह महीने में जांच ही पूरी कम्प्लीट नहीं की है, आज दिन तक जांच पेंडिंग है। यह सरकार की उपलब्धि है।

तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, सरकार की यह उपलब्धि है कि नगरपालिका, चौमूं के बिजली के 14 करोड़ रुपये बाकी हैं। कल ही बिजली विभाग ने रोड लाइट के 48 कनेक्शन काट दिए। पूरा शहर अंधेरे के अन्दर है और बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी है कि कल तक ये पैसे जमा नहीं करवाये तो पानी के ट्यूबवैल्स के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। यह सरकार की उपलब्धि है। पूरा शहर अंधेरे के अन्दर है और पानी के कनेक्शन अगर कट गए तो आम आदमी सड़कों के ऊपर आ जायेगा। माननीय सभापति महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है सरकार इस ओर ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सरकार कैसा काम कर रही है। मेरे यहां पर पट्टा बनाने के लिए, देखिये, एक बात के लिए सरकार को धन्यवाद है कि यह किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। कई माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि यह सरकार भेदभाव कर रही है, कोई भेदभाव यह सरकार नहीं कर रही है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। मेरे यहां चौमूं के अन्दर श्रीमती शांति देवी पत्नी देवी सहाय योगी, दिनांक 23.06.2022 को पट्टा बनवाने के लिए रसीद कटवाई। पुस्तक संख्या 441, क्रमांक संख्या 41, रसीद कटी है 501 रुपये की और इसी दिन एक और रसीद उसी नगरपालिका के अन्दर श्रीमती शांति देवी पत्नी देवी सहाय योगी, दिनांक 23.06.2022, पुस्तक संख्या 431, क्रमांक 99, रसीद कटी है 10,500 रुपये की। मतलब, दो प्रकार की रसीदें नगरपालिका में छपी हुई हैं। रिकार्ड के अन्दर ली गई 501 रुपये की और प्रार्थी को दी गई 10,500 रुपये की। इसकी भी जांच नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, अब मैंने जो पहले बात कही कि नगरपालिका किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नाम नहीं लूंगा, बहुत पुराने वरिष्ठ हैं। ताजिंदगी कांग्रेस को वोट और नोट दोनों दिए। उनकी नगरपालिका का चेयरमैन आ गया तो उन्होंने यह सोचा कि

(श्री रामलाल शर्मा)

मेरी सरकार आ गई तो उनकी बाजार के अन्दर दुकान थी, उस दुकान का जीर्णोद्धार करवाने के लिए उसको ठंडी कर दी। दुकान बनाने लगे तो नगरपालिका के लोग आकर बैठ गए। नगरपालिका के लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन से मिल लो। वे चेयरमैन से मिले तो लाखों रुपये देने पड़े तब जाकर यह दुकान बनी है, तो मैं यह सिरे को खारिज करता हूं कि किसी के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पैसे देने पड़ रहे हैं और आम आदमियों को भी पैसे देने पड़ रहे हैं। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सब समान हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हालात हैं अभी विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे, मैं भी इनके विधान सभा क्षेत्र से गुजरता हूं और आप भी उधर से गुजरते हैं तो बरसात के दिनों के अन्दर नगर निगम को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। ढेहर के बालाजी से लेकर और आपके विद्याधर नगर के डिपो तक नाव चलानी चाहिए, इतना बरसात का पानी भरता है। फिर आगे वहां 14 नम्बर चले जाओगे तो 14 नम्बर के ऊपर भी यही स्थिति है। पानी के निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लाखों रुपये खर्च करने का काम करते हैं, वाहवाही लूटने का काम करते हैं, लेकिन हालत यह है कि हर साल उनको बजट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बरसात का पानी जब तक सड़कों पर नहीं आयेगा तो सड़कें कैसे टूटेंगी और फिर सड़कें दुबारा कैसे बनेंगी? इसलिए यह बजट की आवश्यकता पड़ती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज कमला नेहरू नगर की क्या स्थिति है। वहां पर बीसलपुर के पानी की लाइनों की वजह से सड़कों को तोड़े हुए कई महीने बीत चुके हैं। वहां पर सीवरेज डालने की वजह से सड़कों को टूटे हुए कई महीने बीत चुके हैं वहां पर आज भी सही स्थिति नहीं है।

मेरे चौमूं के अन्दर सीवरेज की घोषणा की गई, इसी सदन के अन्दर की गई कि फोर्थ फेज के अन्दर चौमूं में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। फिर बाद में यह कहा कि आपका एस.टी.पी. प्लान तो कैंसिल हो गया है, अब रिवाइज्ड प्लान बना रहे हैं, तो यह सीवरेज कब डलेगी? आज भी चौमूं के बाशिंदे इंतजार कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर इस सरकार की करने की मंशा नहीं

(श्री रामलाल शर्मा)

है तो घोषणाएं करने की आवश्यकता कतई नहीं है। वह कहते हैं न कि 'घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने', तो जब बजट ही नहीं है तो आप घोषणाएं क्यों करते हो? जितना पैसा है उतनी ही घोषणाएं करें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरा नगरपालिका क्षेत्र है और तीन ग्राम पंचायतें जे.डी.ए. की पेरिफेरी के अन्दर आती हैं। जे.डी.ए. ने सारी जमीनें अपने नाम करवा लीं। अब वहां पर आबादी विस्तार करना है तो जमीन नहीं है। वहां पर अगर सुविधाएं विकसित करनी हैं तो जमीन नहीं है। वहां पर स्कूल खोलनी है तो जमीन नहीं है। सब-सेंटर खोलना है तो जमीन नहीं है। जे.डी.ए. सारी जमीनों को कालोनी डवलप करके बेचने का काम कर रहा है और वहां पर स्थानीय ग्राम पंचायतें आज भी विकास के लिए तरस रही हैं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारी सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को विकास के लिए 50 लाख रुपये दिए थे तो मैं यह चाहूंगा कि यह सरकार भी 50 लाख रुपये की राशि उन ग्राम पंचायतों के अन्दर दे और कम से कम कुछ जमीनें तो उन ग्राम पंचायतों को रिजर्व करने के लिए दे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन काफी लम्बे समय से पेंडिंग पड़ी है। उस हाउसिंग बोर्ड का भी जो निस्तारण करना चाहे वह निस्तारण करने का काम करें। रिंग रोड जो आपकी बनी थी, किसानों का मुआवजा आज भी बाकी पडा हुआ है इसलिए वह किसानों का मुआवजा भी जल्दी दिलवाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले के अन्दर साम्भर का चेयरमैन कांग्रेस का था, रिश्वत के अन्दर पकड़ा गया। एक महीना हो गया, अब तक भी उसको निलम्बित करने का काम सरकार ने नहीं किया, तो मैं यह चाहूंगा कि वह जेल में है, सरकार तत्काल उसको निलम्बित करने का काम करे।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि वन के बारे में यहां सबने चर्चा की। एक मिनट। मेरा एक सुझाव है कि आज भी वन क्षेत्र के अन्दर या जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जो फोरेस्ट का क्षेत्र है, वहां पर एनिकट बनाने के लिए आप अलाउ करोगे कि विधायक कोटे से ये एनिकट बना सकते हो, पंचायत समिति के मद से छोटे

(श्री रामलाल शर्मा)

एनिकट बना सकते हो, नियमों में बना सकते हो तो इस बरसात के पानी को इकट्ठा करके वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं, पेड़ों में डालने के लिए पानी भी दे सकते हैं, इसलिए सरकार को इस नीति के अन्दर भी संशोधन करना चाहिए।

एक अन्तिम मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, जे.डी.सी. अभी चले गए। तत्कालीन जे.डी.सी. हमारे शिखर अग्रवालजी थे, उन्होंने 36 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। मेरे यहां सामोद से लेकर वीर हनुमानजी की सड़क जो फोरेस्ट में है उसका डायवर्जन कम्प्लीट हो चुका साढ़े नौ हैक्टेयर जमीन का, 7.1 किलोमीटर की वह सड़क है। आज दिन तक फोरेस्ट उसकी एन.ओ.सी. नहीं दे रहा है। अगर वह एन.ओ.सी. दे दे तो यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बद्दुआ सरकार को लगेगी कि मेरे बालाजी का रोप-वे चार साल से बन्द पडा हुआ है। बालाजी टुकस्टुकर देख रहे हैं, उनके श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, विकलांग कोई चढ़ नहीं सकता, बीमार आदमी चढ़ नहीं सकता। 60 साल से ऊपर का आदमी एक हजार सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, तो यह बद्दुआ सरकार को लगेगी। मैं यह चाहूंगा कि सरकार तत्काल उस रोप-वे को चालू करने का काम करे। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंहजी (अनुपस्थित)। श्री इन्द्राज सिंह।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): पहले मेरा नाम है।

श्री सभापति: हां, आप बोल लें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन एवं मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में शहरीकरण बढ़ा है, उसी तरीके से हमारे देश और प्रदेश में भी शहरीकरण बढ़ा है। जितनी बड़ी ग्राम पंचायतें थीं, सब जगह नगरपालिका की मांग धीरे-धीरे उठ रही है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा हमारी सरकार को कि पिछले चार साल में रिकार्ड तोड़ नई नगरपालिकाओं का गठन हमारी सरकार ने किया है। मेरे क्षेत्र में भी पावटा हमारा बड़ा कस्बा था, उसके बराबर में प्रागपुरा बड़ा गांव था, कुनेड़ पंचायत को मिलाकर पावटा-प्रागपुरा नगरपालिका का गठन हमारी सरकार के द्वारा किया गया।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से नई नगरपालिकाओं का जो गठन हुआ, उसके बाद जब शुरू-शुरू में नगरपालिकाएं बनी थीं तो वहां के सरपंच, वहां के ग्रामीण इस बात को लेकर आशंकित थे कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, कहीं हमारी ग्राम पंचायतें टूटने से नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले तीन सालों में नगरपालिकाओं पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया, वह सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी कमियां ही कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन पिछले तीन साल में हमारी सरकार ने प्रत्येक छोटी से छोटी नगरपालिका में भी 45-45 किलोमीटर सड़कें दी हैं। अगर 45 किलोमीटर सड़कें इन्होंने 20 साल में भी दी हों तो आप बताइये। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो नगरपालिकाएं हैं, दोनों नगरपालिकाओं में लगभग 100 किलोमीटर सड़कें बनने जा रही हैं। यह अपने आप में एक इतिहास है।

माननीय सभापति महोदय, अभी भी बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 20-20 किलोमीटर सड़कें एक-एक नगरपालिका को दी हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार को जरूर बताना चाहूंगा कि आपने सड़कें 20 किलोमीटर लम्बाई की दे दीं, और राशि 6 करोड़ रुपये रख दी, अब 6 करोड़ में 20 किलोमीटर सड़कें कैसे बनाओगे, आप बताओ? जो PWD के अधिकारी इस बात का ज्ञान दे रहे हैं, वे यह बतायें कि 20 किलोमीटर बनायेंगे कि नहीं बनायेंगे, या यह बतायें कि सिर्फ 6 करोड़ रुपये ही देंगे? PWD की BSR में भी 35 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की लागत आती है और 50 लाख रुपये पर किलोमीटर सी.सी. की आती है। शहरों में ज्यादातर सी.सी. सड़कें हैं। शहर वालों को लग रहा है कि 20 किलोमीटर सड़क मिली है। 6 करोड़ में केवल 12 किलोमीटर सड़क बनेगी। इस बात पर आप जरूर ध्यान दें और उस राशि को बढ़ायें। अगर 20 किलोमीटर की हैं तो चाहे वह सी.सी. की रिक्वायरमेंट हो, चाहे डामर की रिक्वायरमेंट हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो, उतना ही पैसा अलॉट किया जाए, फिक्स राशि नहीं की जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो एक ऐतिहासिक कार्य किया है, वह पट्टे बांटने का है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा आम आदमी को हुआ है। मैं मेरे पावटा-प्रागपुरा कस्बे की अगर बात करूं तो कम से कम

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

1,500 पट्टे दिए हैं। नई नगरपालिका बनने के बाद 1,500 पट्टे दिए हैं। आप निश्चित रूप से देखिये, पावटा के बैंकों में लाइन लगी पड़ी हैं लोन लेने वालों की, करोड़ों रुपया लोन मिला है। ये सब छोटे रोजगार करने वाले थे, दुकानदार थे, मध्यम वर्ग का आम आदमी था। वह अपना पट्टा लेकर पट्टे पर लोन लेकर अपना व्यापार कर रहा है। एक बहुत बड़ा फायदा आम आदमी को मिला है। पट्टे में जिस तरीके से छूट दी गई, वह भी एक सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, 2004 से लेकर 2014 तक केन्द्र में हमारी सरकार थी। हमारी सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लेकर आयी, ताकि लोग गांवों से पलायन नहीं कर सकें और उनको वहीं पर रोजगार मिल जाए, लेकिन धीरे-धीरे जब शहरीकरण बढ़ा और शहरों में जब रोजगार की समस्या हुई। इस बात की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना लेकर आयी। निश्चित रूप से हर नगरपालिका में 200, 300, 500 लोग शहरी रोजगार गारन्टी योजना में काम कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा वरदान उनके लिए साबित होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को, कि अभी इसी बजट में आदरणीय सचिन पायलट साहब ने एक मांग की कि MBC वर्ग को प्रताप नगर और मानसरोवर में दो हास्टल दिए जाएं, उस हास्टल की मांग पूरी भी कर दी। मैं मांग करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जल्दी से जल्दी मानसरोवर और प्रताप नगर में दोनों हास्टलों के लिए भूमि का आबंटन करें, ताकि बजट घोषणा की क्रियान्विति जल्दी से जल्दी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, हमने नगरपालिकाएं खूब बना दीं, नगरपालिकाओं में पैसा भी खूब दे दिया, लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या नगरपालिकाओं के लिए है कि वहां पर कर्मचारी नहीं हैं, EO नहीं हैं। जे.ईएन. तो फिर भी भर्ती होकर इस बार आ गए, जे.ईएन की लगभग पूर्ति हो गई, पर LDC नहीं हैं, UDC नहीं हैं, RI नहीं हैं। फायरमैन तो बाबू का काम कर रहा है, फायरमैन ही LDC का काम कर रहा है। सफाई कर्मचारी LDC का काम कर रहा है। निश्चित रूप से कर्मचारियों की भर्ती जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक नगरपालिकाओं का संचालन हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन एवं पर्यावरण की बात भी करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं हमारे वहां वन क्षेत्र विराटनगर

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

में ज्यादा है। कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर नरेगा में काम करने के लिए जगह ही नहीं है। फोरेस्ट विभाग अनुमति नहीं दे पा रहा है तो क्यों नहीं फोरेस्ट विभाग ऐसी व्यवस्था करे, जानवर पानी के लिए तरसता है। एक बार एक लेपर्ड हमारे यहां पानी की वजह से मर गया। उसको पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिला। वहां पर एनिकट वगैरह बनाने के लिए नरेगा की अनुमति फोरेस्ट विभाग दे, ताकि वहां पर गांव वालों को रोजगार भी मिले और जानवरों को पीने का पानी भी मिले।

माननीय सभापति महोदय, सरिस्का के नजदीक मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वहां पर लेपर्ड बहुत बड़ी संख्या में हैं। हर रोज गांवों में से 10-20 बकरियां उठाकर ले जाते हैं, कभी किसी की भैंस उठाकर ले जाते हैं, कभी गाय के बछड़े उठाकर ले जाते हैं। इनकी व्यवस्था की जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि सरिस्का के नजदीक अगर हमारे विराटनगर में लेपर्ड सैंक्चुअरी घोषित कर दी जाए तो निश्चित रूप से लेपर्ड को भी संरक्षण मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे वहां पर लेपर्ड हैं। आप गिनती करा लीजिए, बहुत अच्छी संख्या में हैं। उनको संरक्षण भी मिलेगा, उनको पीने का पानी भी मिलेगा और गांव वालों को भी संरक्षण मिलेगा, जिनकी भेड़, बकरियां उठाकर ले जाते हैं, कल ही हमारे वहां पर एक लाला काली की ढाणी है, सोठाना गांव है, उसमें से बकरियों को उठाकर ले गए। वे गरीब लोग हैं, 10-20 बकरियां हैं, उनकी दो-चार बकरियां रोज उठाकर ले जाते हैं। एक महीने में एक गांव से करीब 20 बकरियां उठा ले गए। उनको भी संरक्षण मिलेगा और उनको मुआवजा भी दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करें कि जिस काश्तकार की, किसान की, गरीब की भेड़-बकरियां, भैंस या गाय के बछड़े लेपर्ड उठाकर ले जाते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको उचित मुआवजा हमारी सरकार देने का काम करे, ताकि उन गरीबों को राहत मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज स्वायत्त शासन और वन विभाग की मांग पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार की जो मशीनरी होती है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

यदि वह मशीनरी परफेक्ट है, उसको समय पर वेतन मिलता है, तो निश्चित रूप से वह बहुत ताकत से, बहुत ऊर्जा के साथ में काम कर सकती है। चूंकि आज हम स्थानीय निकाय पर चर्चा कर रहे हैं और स्थानीय निकाय के कर्मचारी यदि वेतन को हर महीने तरसते रहें तो वे कर्मचारी किसी भी नगरपालिका के लिए उपयोगी नहीं हो सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आज से लगभग 20-22 साल पहले जब नगरपालिकाओं में चुंगी लगा करती थी, चुंगी का प्रोविजन हुआ करता था तो चुंगी से जो आय होती थी वह नगरपालिका के विकास के कार्यों पर खर्च हुआ करती थीं और साथ में इससे कर्मचारियों को वेतन-भत्ते और पेंशन देने का भी काम करते थे। माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार जब थी, तब चुंगी में जितना लीकेज था, उसको खतम किया गया। चुंगी को पूरे राजस्थान से खतम कर दिया और चुंगी के पुनर्भरण के पेटे राज्य सरकार हर नगर निगम को, हर स्थानीय नगर निकाय को पैसे देती है और उसके तहत हर वर्ष 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत पैसे की बढ़ोतरी करके वह भुगतान किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, उस तत्कालीन समय में कितने कर्मचारी होते थे, उनको कितना वेतन मिलता था। आज आबादी के विस्तार से हर नगर निगम, हर नगर निकाय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। डिपार्टमेंट्स की संख्या बढ़ी है, पद बढ़े हैं, लेकिन उस हिसाब से हम जो वेतन का पुनर्भरण दे रहे हैं, चुंगी के पेटे जो पैसा दे रहे हैं, वह सारी नगर निकायों के लिए पर्याप्त नहीं होता और उसके कारण से आप देखिये अख़बार रंगे पड़े हैं। छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में तो वेतन देने के लिए नगरपालिकाओं के पास पैसा नहीं है। वह हर बात के लिए राज्य सरकार का मुंह ताकती रहती हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहती हूं कि इतना बड़ा लवाजमा है, 295 से अधिक स्थानीय निकाय हैं, यदि इन सब स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, को पिछली बार रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, मैंने इस संदर्भ में ध्यानाकर्षण भी लगाया था, माननीय सभापति महोदय, यदि इन सब निकायों के कर्मचारियों को जो राज्य की संचित निधि है, उस संचित निधि में से यदि पेमेंट दे दिया जाए तो यह जो हर महीने की समस्या है वेतन नहीं मिलना, उस समस्या से भी निजात मिलेगी।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगी कि इस साल माननीय मुख्य मंत्री

(श्रीमती अनिता भदेल)

महोदय ने 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात कही है। आप 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती तो करेंगे, यह अच्छी बात है, लेकिन उनको वेतन देने के लिए चुंगी पुनर्भरण का जो पैसा देते थे उस प्रपोर्शन में उनका वह पैसा बढ़ाएंगे क्या वो पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को वेतन कौन देगा क्योंकि आज नगरपालिकाओं के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वेतन भी दे सकें और विकास के कार्य भी करवा सकें। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगी कि राजस्थान भर की जितनी नगरपालिकाएं हैं उन सब नगरपालिकाओं की वेतन की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए संचित निधि में से उनको वेतन दिया जाए, चुंगी के पुनर्भरण के पेटे उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थाएं होती हैं, इनका खुद का निर्णय होता है, ये खुद अपना काम करवा सकती हैं लेकिन पिछले तीन वर्षों से मैं देख रही हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट घोषणा करते हैं कि नगर निगम की सारी सड़कें पी डब्ल्यू डी बनाएगा। पी डब्ल्यू डी नगरीय निकाय क्षेत्र में 40 किलोमीटर की सड़कें पी डब्ल्यू डी बनाएगा। पैसा तो नगर निगम उधार ले रही है, नगर निगम को नाबार्ड की तरफ से उधार पैसा मिल रहा है और वर्किंग एजेंसी आपकी पी डब्ल्यू डी है, तो क्या स्थानीय निकाय के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या वो सड़कें नहीं बना सकते? आप वहां चुने हुए जो जन प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, उनकी शक्तियों को कम करते हुए आप सारी की सारी सड़कें पी डब्ल्यू डी से बनवा रहे हैं तो क्या आपकी मंशा है कि आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करना चाहते? पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी शक्ति अपने आप में ही रखना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है कि राजस्थान के 27 नगर निकायों के यू डी टैक्स है उसको कलेक्शन करने के लिए रुडसिको टेंडर कर रहा है। रुडसिको का क्या लेना-देना है? नगर निकाय अपने टेंडर खुद करे और अपना रेवेन्यू खुद कलेक्ट करे। रुडसिको टेंडर कर रहा है और सबसे बड़ी बात, आर टी पी पी एक्ट का वायलेशन करके जो टेंडर की शर्तें बनाई गई हैं, वे इस प्रकार से बनाई गई हैं कि किसी व्यक्ति को लाभ देने के लिए, इसमें ड्रोन का कोई लेना-देना नहीं है लेकिन शर्त रखी गई

(श्रीमती अनिता भदेल)

है कि जो ड्रोन को काम में लेगा, एक-एक घर जाकर सर्वे करना है, तो उसमें ड्रोन की क्या जरूरत है? ऐसी-ऐसी शर्तें डाली गई हैं जिससे राजस्थान के किसी व्यक्ति को टेंडर नहीं मिले। दो करोड़ रुपये मिनिमम टर्न ओवर उस कम्पनी का रखा गया है। 27 नगर निकायों का आप टेंडर कर रहे हो और दो करोड़ रुपये आप अमानत राशि रख रहे हो, किसको लाभ देना चाह रहे हो जी आप? किस भ्रष्टाचार को पनपाना चाह रहे हो आप?

माननीय सभापति महोदय, यही आर टी पी पी एक्ट का उल्लंघन मनीष सिसोदिया ने किया था शराब नीति में, आज वो जेल में हैं। इसमें यह सब जांचें होंगी बाद में, इसलिए कोई यह न सोचे कि हम स्थाई हैं और हमारा काम हो जाएगा और हम सब करके चले जाएंगे, इसलिए सब निकलने वाला है माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं यूजर चार्ज के बारे में। जब यह सदन आहूत हुआ था स्टार्टिंग में तब मैंने और अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने अजमेर नगर निगम के द्वारा जो यूजर चार्ज वसूला जा रहा है उसके बारे में आपत्ति की थी, क्योंकि साधारण सभा ने भी यूजर चार्ज नहीं वसूला जाए, इसका प्रस्ताव पारित करके भेजा। सरकार के मंत्री महोदय ने यहां पर खड़े होकर मना किया कि हम किसी प्रकार का सफाई के पेटे टैक्स नहीं वसूल रहे, लेकिन जो प्रस्ताव आया उसको डिसेंट नोट लगाया वहां के आई ए एस आफिसर ने और उसको स्वीकार कर लिया तथा वापस वहां पर यूजर चार्ज वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। पूरा शहर बन्द हुआ, दो बार, एक बार नहीं, दो-दो बार बन्द हुआ, इसलिए निवेदन है कि इस तरह से चोरी-छिपे टैक्स वसूलना, नए तरीके निकालना टैक्स वसूलने के, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता इसका आपसे निश्चित रूप से बदला लेगी।

माननीय सभापति महोदय, स्ट्रीट लाइट की बात हुई अभी मैंने यूजर चार्ज की बात कही कि एक टेंडर 27 नगर निकायों के लिए किया गया, इसी तरह से स्ट्रीट लाइट के मेंटीनेंस का टेंडर यह डी एल बी के स्तर पर हो रहा है तो मुझे बताइए कि स्वायत्त शासन बचा कहां है अब? सारे टेंडर आप डी एल बी के स्तर पर कर रहे हैं, तो नीचे के लोग क्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जब नीचे जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, वार्ड स्तर पर चुनाव होता है तो पार्षद बहुत सारे

(श्रीमती अनिता भदेल)

सपने दिखाता है अपनी जनता को कि मैं आपकी सड़क बनवाऊंगा, सफाई करवाऊंगा, स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, आवारा जानवरों को बन्द करवाऊंगा, मांस की अवैध दुकानें चल रही हैं, उनको बन्द करवाऊंगा। इतने सारे नियम, कायदे, कानून हैं, मैंने हर सत्र में, इस पन्द्रहवीं विधान सभा के हर सत्र में अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों का प्रश्न लगाया। मुझे नियमों की नियमावली दे दी जाती है लेकिन अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों पर कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सीवरेज का काम, सीवरेज का काम हमारे आर यू आई डी पी, आज से बीस साल पहले अजमेर नगर निगम में सीवरेज का काम शुरू हुआ जब मैं अजमेर नगर परिषद् की चेयरमैन थी। माननीय सभापति महोदय, बीस साल पहले सन् 2000 में, वो सीवरेज का काम पहले आर यू आई डी पी ने किया, कनेक्शन नहीं किए उसके, सिर्फ सीवरेज डालकर छोड़ दिया गया। बाद में अमृत आया, माननीय प्रधान मंत्रीजी अमृत योजना लेकर आए, अमृत फेज फर्स्ट आया, उस अमृत फेज फर्स्ट में भी सिर्फ एस टी पी बने, और एस टी पी बनने के बाद में उसमें भी पानी सीवरेज का कनेक्शन हो और पानी सीवरेज में जाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। अब अमृत सैकंड आ गया, लेकिन इतनी टेक्निकल रूप से खामी इन लोगों ने की कि हमारे आनासागर से निकलने वाला जो एस्केप चैनल है, जो गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया, उस एस्केप चैनल में सीवरेज डाल दिया गया है। उस चैनल में सीवरेज डाल दिया गया और उस चैनल में सीवरेज डालने का खामियाजा यह रहा कि सारे शहर का गन्दा पानी उस नाले में जाता है। उस एस्केप चैनल में जाता है वो गन्दा पानी सीवरेज में जाता है। बारिश के दिनों में वह एस्केप चैनल फुल चलती है और जितना सीवरेज का पानी है वो सबके घरों में उलटा लौटा जाता है। इतनी टेक्निकल रूप से गलत लाइन डालने का काम किया अमृत सैकण्ड में। इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है कि इतने करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ और उसका कोई उपयोग आज नगर निगम क्षेत्र अजमेर के वासियों को नहीं मिल रहा है। आज भी वो कनेक्शन जारी नहीं हुए हैं। चैम्बर यदि देखो तो सड़क से एक फीट ऊपर चैम्बर है। कोई भी टकराकर गिर जाए, कोई लेना-देना नहीं।

माननीय सभापति महोदय, पार्किंग की समस्या इतनी भयंकर है हमारे शहर में कि हमारा एक निजी हास्पिटल है मित्तल हास्पिटल, मैं उदाहरण देना

(श्रीमती अनिता भदेल)

चाहूंगी, उस मित्तल हास्पिटल के बाहर नगर निगम ने पार्किंग का ठेका दे दिया। जो हास्पिटल आता है आदमी, बीमार आदमी वो जल्दी-जल्दी गाड़ी पार्क करके हास्पिटल जाना चाहता है, लेकिन पहले तो पार्किंग के ठेके वाला आदमी उसको रोक लेता है कि, भैया, पार्किंग के पैसे दे। सड़क के मार्गाधिकार में पार्किंग का ठेका कैसे दे सकता है नगर निगम? सवाल ही नहीं है, लेकिन सड़क के मार्गाधिकार में आप आन रोड पार्किंग का ठेका करते हैं तो निश्चित रूप से यह गलत है, पूरी तरह से गलत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, सरकार ने कहा कि हम पट्टे देने का काम करेंगे। अजमेर नगर निगम में जिस तरह से पट्टों की बंदरबांट हुई है, 69-ए धारा के पट्टे हम देने को तैयार नहीं हैं। जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य से 25 प्रतिशत लक्ष्य को भी हमने पूरा नहीं किया है। अजमेर के रेवेन्यू रिकार्ड को ठीक करके यदि पट्टे देने का, काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो टार्गेट है 10 लाख पट्टे देने का वो टार्गेट अजमेर नगर निगम पूरा कर लेगा, लेकिन जब तक आप वहां का रेवेन्यू रिकार्ड दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आप जनता को नहीं दे सकते।

इसके साथ-साथ ही कहना चाहती हूं कि नगर निगम से पट्टे चोरी हो जाते हैं। खाली पट्टे चोरी हो जाते हैं, सील चोरी हो जाती है और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। गलत-गलत पट्टे, फर्जी पट्टे जनता को बांट कर उनकी आंखों में आंसू देने का काम यदि किसी ने किया है तो वह इस सरकार ने किया है। इसलिए जितने पट्टे नगर निगम ने बांटे हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी-कर्मचारी दोषी हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये।

साथ में, अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। जो 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आपने बात कही है, आज भी कई माननीय सदस्य जो आये, उन्होंने कहा कि कोई कर्मचारी एल डी सी बना हुआ है, कोई यू डी सी बना हुआ है। इसका कारण यह है, क्योंकि सफाई कर्मचारी की भर्ती में सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी तो वे निश्चित रूप से सफाई का ही कार्य करेंगे। यदि आप और समाजों को भी उसमें भर्ती देने का काम करेंगे तो वे नियुक्ति तो ले लेंगे, लेकिन सफाई का काम नहीं करेंगे और वापस सफाई के काम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस सफाई के कार्य की भर्ती के लिए वाल्मीकि समाज को

(श्रीमती अनिता भदेल)

प्राथमिकता दी जाएगी तो सफाई का कार्य भी हो जाएगा और जो कमी है सफाई कर्मचारियों की, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40 और 45 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नगर परिषद् क्षेत्र करौली चट्टान और उबड़-खाबड़ क्षेत्र में बसा हुआ है। पूरे जिले से निकलकर पांच नदियों का इसमें संगम होता है। उस जगह पर यह करौली शहर बसा हुआ है। आस-पास इसका उबड़-खाबड़ क्षेत्र है। यहां पर मेरा आपसे यह कहना है कि शहर जो पुराना बसा हुआ है, उसमें जो सीवरेज की लाइन डाली गई थी, लाइन तो आधे शहर में डाल दी। अभी आधा शहर बसा हुआ है और सीवरेज का जो पानी का निकास है, वह अभी पूर्णत: सही तरीके से नहीं किया गया है तो आधे शहर में सीवरेज की लाइन डालने का काम किया जाए।

नगर परिषद् में मेरी आपसे मांग है कि करौली चूंकि उबड़-खाबड़ क्षेत्र है, इसे समतल कराया जाए। पिछले चार सालों में जो राजस्थान सरकार ने काम किये हैं, पहले करौली शहर में तो अन्दर सड़क थी, लेकिन आस-पास का जो नया इलाका बसा है, उसमें कहीं सड़क नहीं थी। इन चार सालों में राजस्थान की सरकार ने काम किया है। अधिकतर जो नई कालोनियां बसी हैं, उनमें सड़क बनाने का काम किया है और अधिकतर सड़कें बन गई हैं।

यहां पर पट्टा देने का जो काम किया गया है, यह बहुत सराहनीय है, क्योंकि अगर आदमी को अपना पट्टा मिल जाता है तो उससे उसे लोन भी मिल जाएगा, जिससे वह अपने और भी कार्य कर सकता है। जो राजस्थान सरकार ने नगर परिषद् में पट्टा देने का काम किया है, वह बहुत अच्छा है। वैसे हमारे यहां एक भद्रावती नदी जाती है, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए अभी तीस करोड़ रुपये दिए गए हैं। टाउनहाल भी दिया गया है। सरकार द्वारा करौली में जो काम किए गए हैं, वे बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं।

वन विभाग से सम्बन्धित भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां यह पांचवां टाइगर रिजर्व जो धौलपुर और करौली को बनाया गया है, इसमें 368 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लिया गया है, जिसमें 197 वर्ग किलोमीटर का

(श्री लाखन सिंह)

क्षेत्र करौली का है और 170 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि मेरा जो मासलपुर क्षेत्र है, इसमें कुछ गांव आते हैं जो हजारों साल से बसे हुए हैं मेरी आपसे मांग है कि उन गांवों को साइड में करके इस टाइगर रिजर्व को बनाया जाए। इसका अभी भी मुख्यालय करौली चल रहा है। मुख्यालय भी इसका करौली ही रहना चाहिए, यह मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है।

जो वन क्षेत्र है, उसमें अवैध खनन हो रहा है, उसे भी रोका जाए। करौली में 15.28 प्रतिशत वन क्षेत्र है, जिसमें छायादार एवं फलदार पौधे नहीं हैं, अत: वन क्षेत्र में फलदार एवं छायादार वृक्षारोपण सुनिश्चित हो। इसके रख-रखाव हेतु कार्मिक हों, सिंचाई हेतु स्थाई जल स्रोत होना अत्यावश्यक है। इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कंटीले तारों द्वारा सुरक्षा दीवार बनायी जाए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वन विभाग में कच्चे एवं पक्के निर्माण कार्य करवाये जाते हैं, जिनका मूल्यांकन अकुशल कार्मिकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होता। इसलिए वन विभाग में करवाये जाने वाले सभी कार्यों का मूल्यांकन सक्षम अधिकारी, तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाए, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए।

पर्यावरण में सुधार हेतु, पेयजल के स्थाई फार्म पौण्ड या सोलर सिंगल फेज स्थापित किये जाएं, जिससे जीव-जन्तुओं एवं पर्यावरण का सन्तुलन बना रहे। पर्यावरण सुधार हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, परन्तु प्रभावी देखभाल के अभाव में योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बांध बना दिए गए, जिनमें छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं भी बनायी गई हैं। सिंचाई योजनाओं से पैदावार में आंशिक बढ़ोतरी तो हुई है, परन्तु उन बान्धों के निर्माण से कमांड क्षेत्र के गांव, आबादी का भू-जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उसे यथावत बनाये रखने हेतु तथा पेयजल की गुणवत्ता और पर्यावरण में सुधार हेतु इन छोटे बान्धों, नजदीक कमांड एरिया में पानी खोला जाए, जिससे कमांड क्षेत्र में पेयजल एवं पर्यावरण का सन्तुलन बना रहे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

भादरा विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका में 80 प्रतिशत सीवरेज का काम पूरा हो चुका है। यह काम 2017 में शुरू हुआ था। जब शुरुआत हुई तो वह ज्यादा अच्छी नहीं हुई। सीवरेज का काम ढंग से नहीं होने की वजह से आज दिक्कत यह आ रही है कि उसकी और वाटर वर्क्स की पाइपें मिक्स हो रही हैं, इससे गन्दा पानी घरों में चला जाता है। हालांकि, बार-बार उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है। मेरा आग्रह यह है कि सीवरेज का जहां भी काम हो, वहां कम से कम एक चीज तो तय करनी चाहिये। आज राजस्थान में बहुत जगह काम होने बाकी हैं, जब भी सीवरेज का काम हो, उसके साथ हाथों-हाथ पेयजल की पाइप लाइनें भी नई डलें। पुरानी पाइप लाइनें हैं, वे टूट गई, कहीं सीवरेज की लीकेज हो गई, वह गन्दगी सारी इकट्ठी हो जाती है। हालांकि, मैं पी एच ई डी मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे यहां शहर में 101 करोड़ रुपये पेयजल के लिए दिए हैं, लेकिन अभी भी तीस करोड़ रुपये का काम और होना बाकी है।

जो पहले राविल ने पाइप लाइनें डाली थीं आज से 7, 8, 10 साल पहले, उनकी जगह वापस हम चाहते हैं कि रुडसिको ही पाइप लाइनें डाले। 7 वार्ड, जहां सीमेंट की पाइप डली हुई थी, उनकी जगह वापस प्लास्टिक की पाइप डालकर सीवरेज का काम कम्प्लीट किया जाए। उसकी एस टी पी-1 और एस टी पी-2, जिसके आगे काम कम्प्लीट करने की जरूरत है, तेजी से काम कम्पलीट किया जाए ताकि लोगों को सीवरेज का फायदा मिले। भादरा नगरपालिका क्षेत्र समेत पूरे राजस्थान की मांग है, वाल्मीकि समाज को ही सफाई कर्मचारी के रूप में प्राथमिकता दी जाए। उसके अलावा दूसरे किसी आदमी को सफाई कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाए, क्योंकि फिर दिक्कत यह आती है कि सफाई का काम करते हुए शर्म आती है उन्हें। वे दूसरे दफ्तरों में लग जाते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब होती है। फिर वाल्मीकि समाज के लोग भी कहते हैं, हम भी सफाई क्यों करें। सफाई के लिए लोग लगे हुए हैं, वे तो दूसरे दफ्तरों में काम कर रहे हैं। कहीं एस डी एम, कहीं तहसील, कहीं दूसरे दफ्तरों में लग जाते हैं। यह अकेली भादरा की नहीं, पूरे राजस्थान की समस्या है। अत: वाल्मीकि समाज को ही सफाईकर्मियों की भर्ती में लिया जाए।

(श्री बलवान पूनियां)

भादरा विधान सभा क्षेत्र में शहर में कोई स्टेडियम नहीं है। हालांकि कालेज मिल गए, स्कूल मिल गए, सारी चीजें हैं, लेकिन खेल के मामले में अभी पिछड़े हुए हैं। मेरी मांग है कि शहरी क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाया जाए।

दूसरा, पानी निकासी के लिए उचित प्रबन्ध अभी तक नहीं है। उसके लिए हम सीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो सीवरेज अल्टीमेटली चौक हो जाएगी या फिर वे पाइप फट जाएंगे। अत: पानी निकासी के लिए डी पी आर भेजी हुई है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज शाम को ही घोषणा कर दें या आज नहीं तो फिर मुख्य मंत्री जी से घोषणा कराएं।

ड्रेनेज की व्यवस्था हो भादरा शहर में। अम्बेडकर चौक की साइड में जबरदस्त पानी आ जाता है, जिससे पांच-सात वार्ड डूब जाते हैं। पानी निकासी की व्यवस्था भी की जाए। भादरा शहर के बीचों-बीच भादरा-साहवा रोड है, उस रोड पर रेलवे क्रासिंग है, उसमें आज-कल रेल के फेरे बढ़ गए हैं। इधर तो श्मशान भूमि है, उधर कब्रिस्तान है, तो दिक्कत यह है कि जनाजे और अर्थियां खड़े रहते हैं, इसलिए मेरी मांग है सी-65 पर रेलवे अंडरब्रिज बनाया जाए। पिछली बार डी पी आर बन गई थी। अंडरब्रिज या ओवरब्रिज, दोनों में से एक चीज हो जाए तो लोगों को सुविधा होगी।

सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के चारों तरफ जो वन क्षेत्र है, उसके उत्तर साइड में, हालांकि, लव-कुश वाटिका का सरकार ने आदेश किया है, पर हम चाहते हैं नेचर पार्क बने। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए जैसे चूरू में नेचर पार्क बना हुआ है वैसा का वैसा नेचर पार्क भादरा में भी बने। हम कोई राठौड़ साहब से कम थोड़ी हैं। हम नये जमाने के नेता हैं। राठौड़ साहब ने चूरू में नेचर पार्क बना लिया, दूसरे शहरों में बनाया नहीं। खैर, अब तो ये नहीं बनाएंगे। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि चूरू जैसा नेचर पार्क भादरा में भी बने। अभी उस नेचर पार्क की एक वीडियो वायरल हुई, एंट्री साढ़े छह बजे बाद बन्द हो गई। मिली ही नहीं, लोग घुस ही नहीं सके। नेचर पार्क बने।

हैप्पीनेस की जो बात आती है, शहर में अगर उद्यान अच्छा है, पार्क अच्छा है, लोगों में जिस तरह का कंजस्टेड माहौल बन रहा है, जिस तरह से लोगों में घुटन हो रही है, आर्थिक तंगी से लोग परेशान हो जाते हैं, मैं चाहता हूं, शहर में एक पार्क डिजाइन करें। अभी कोटा का जिक्र आया था कि कोटा

(श्री बलवान पूनियां)

तो बहुत अच्छा हो गया, पर हम भी कोटा होना चाहते हैं, साहब, हम भी जयपुर होना चाहते हैं। भादरा भी जयपुर बनना चाहता है।

मंत्री महोदय, मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश में वन विभाग संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, इनके पदों का सृजन भी किया जाए और उसके साथ-साथ इनका मानदेय बढ़ाया जाए।

पेड़ों की बाकायदा नम्बरिंग की जाए। बबूल जो कीकर है, उसे पूर्ण रूप से हटाया जाए। उसके लिए चाहे कोई दवाई ही ले आएं, उसे पूर्ण रूप से खतम करें। जनता का शूल से पीछा छुड़वाएं। सभापति महोदय, आपने देखा है कि जहां-जहां कुण्ड नहीं थे खेतों में, दस साल-पंद्रह साल पंचायती राज विभाग ने क्लस्टर योजना में काम किया, खेतों में कुण्ड बन गए और खेतों की तलाइयों में पानी इकट्ठा होकर पूरे 12 महीने का कुण्ड में पानी स्टोर हो जाता है। आपके पास वन विभाग की 50 बीघा धरती है उस 50 बीघा के बीच में आप कोई न कोई कुण्ड बनवाइये, कोई न कोई जोहड़ बनवाइये, उस तालाब को थोड़ा पक्का कर लीजिये और उस कुण्ड से पाइप लाइन द्वारा ड्रिप से पौधों में पानी डालेंगे तो दो साल में वह पौधा पेड़ बन जाएगा और पेड़ बनने के बाद उसको पानी देने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप प्रकृति से खड़ा हो जाएगा। इसलिए फलदार, छायादार पौधे वन विभाग लगाए।

वन विभाग की जो महत्वपूर्ण बात मैं बार-बार करता हूं कि जो वन क्षेत्र आबादी के भीतर आ गए उनके प्रपोजल बनाकर, मंत्री महोदय, उनको आबादी से बाहर निकलवाइए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हम कतई नहीं चाहते कि वन विभाग की एक इंच जमीन भी कम हो, वन विभाग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट सांस लेना है, लेकिन आबादी क्षेत्र में वन क्षेत्र आया हुआ है, उसको कृपया दूसरी जगह ट्रांसफर करवाइए। आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

सभापति महोदय, आज स्वायत्त शासन पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं आसींद और गुलाबपुरा हैं और वहां की स्थिति मैं सदन में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। अधिकारी लोग यहां विराजे हुए हैं, मंत्री महोदय यहां नहीं हैं। मेरे आसीन्द में इस सरकार के चार साल के कार्यकाल में लगभग 18 से 20 ई.ओ. चैंज हो चुके हैं। दो साल कोरोना के निकलने के बाद पिछले 12 महीने से वहां पर ई ओ का पद खाली है। वहां पर सहायक राजस्व निरीक्षक का एक पद है जो खाली है; सहायक सफाई निरीक्षक सैकण्ड का एक पद है, वह खाली है; सहायक अभियंता का एक पद है, वह भी खाली है; कनिष्ठ लेखाकार का एक पद है, वह खाली है; कनिष्ठ लिपिकों के 5 पद हैं, और पांचों ही खाली हैं। ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर का एक पद है, वह खाली है; कम्प्यूटर आपरेटर का एक पद है, वह खाली है; चौकीदार का एक पद है, वह खाली है; सफाई जमादार का एक पद है वह खाली है और सफाई कर्मचारियों के 38 पद हैं, जिनमें 10 खाली हैं। यानी नगरपालिका आसीन्द पूरी तरह से आज के समय में ताला लगाने के बराबर है और पिछले 12 महीने से नगरपालिका में कोई सुनने वाला नहीं है।

इस सरकार ने जो एक महत्वपूर्ण योजना पट्टे वितरण की चालू की जिसमें 10 लाख पट्टे वितरण का आपने लक्ष्य लिया। 'प्रशासन शहरों के संग' का जो आपने अभियान चलाया था, उस अभियान का मेरे आसीन्द नगरपालिका में किसी भी व्यक्ति को अभी तक फायदा नहीं मिला है, क्योंकि वहां पर अधिकारी लोग बैठते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारी लोग वहां रहना नहीं चाहते, टिकना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है, सभापति महोदय। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है और मैं इस पवित्र सदन में बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि आपकी ही पार्टी के कुछ नेता हैं जिनको समय-समय पर कमीशन चाहिए, वे कमीशनखोर लोग वहां पर बैठे हैं जिनकी पूर्ति वे अधिकारी लोग कर नहीं पाते, जिसकी वजह से वे वहां टिकते नहीं हैं। यह सच्चाई है और मैं इस पवित्र सदन में बोल रहा हूं। आदरणीय सभापति महोदय, अधिकारी लोग यहां हंस रहे हैं पर मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, आप धरातल पर पता कीजिये कि वहां स्थिति क्या है।

मेरा दूसरा निवेदन यह रहेगा कि मेरी आसीन्द नगरपालिका को बी श्रेणी से निकालकर वर्तमान जनसंख्या के आधार पर ए श्रेणी में करने की कृपा करें। नगरपालिका आसीन्द में आबादी के अनुसार कम से कम 50 सफाई

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

कर्मचारियों की नई भर्ती करें। एक वर्ष से अधिक समय से स्थाई अधिशासी अधिकारी नहीं होने से पट्टों की 400 से अधिक पत्रावलियां पेंडिंग हैं, जिससे क्षेत्र का गरीब तबके का व्यक्ति परेशान और काफी चिंतित है तथा 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान एवं प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के लाभ से वंचित है, इसलिए इसको भी आप नोट करें।

राज्य सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने नगरपालिका, आसीन्द में अब तक लगभग 15 से 20 अधिशासी अधिकारी परिवर्तित कर दिए हैं और आज भी अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त है, जिस पर तहसीलदार जी को नगरपालिका में बिठा रखा है जो न तो समझते हैं, न जानते हैं और न पावर है। कोई भी व्यक्ति नगरपालिका में जाता है तो उसका कोई भी काम वे नहीं करते हैं।

नगरपालिका, आसीन्द के नवीन भवन हेतु 5 करोड़ रुपये की आप स्वीकृति करायें, क्योंकि नगरपालिका आसीन्द का जो भवन है वह बहुत ही पुराना भवन है। प्राचीन महल हुआ करते थे, वैसे उस महल में वह नगरपालिका चल रही है। नगरपालिका के पास जगह भी है, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि फण्ड की व्यवस्था आप करें तो एक नई बिल्डिंग वहां बन जाएगी।

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के यहां मनरेगा शहरी योजना के अन्तर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृतियां जारी कराएं। मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि शहर में जो नरेगा का काम चलता है उसमें दूसरा काम नहीं कराकर वहां चूंकि हमारी माताएं-बहनें काम करने जाती हैं तो आप नरेगा के तहत शहरों में आप उनसे पेड़-पौधे लगवाएं। शहरों में पेड़-पौधों का काम उनसे कराएं जिससे हम पर्यावरण को भी बढ़ावा दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं गुलाबपुरा नगरपालिका की बात करूंगा। दो वर्ष उसके बोर्ड का गठन हुए हो गए, लेकिन आज तक वहां पर बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। अधिकारी यहां पर विराजे हुए हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि उस नगरपालिका का बजट कैसे पास हुआ और कैसे वे लोग काम कर रहे हैं? गुलाबपुरा नगरपालिका में दो साल में एक भी बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई, यह भी आप नोट करें। उस नगरपालिका के खिलाफ कितनी ही ऐसी अनियमितताएं हैं, कितने ही ऐसे काम हैं जो वहां पर गलत हो रहे हैं और उस गुलाबपुरा नगरपालिका में कोई सुनने वाला नहीं है।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

सरकार ने बजट घोषणा में जो नगरपालिका में सड़कें दी हैं उनका आप धरातल पर पता करें कि जिन कालोनियों में लोग रहते हैं वहां पर एक भी सड़क नहीं बनी है और जो वहां कालोनाइजर हैं, जो पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने नई-नई कालोनियां काटी हैं वहां सारी सड़कें बना दी हैं। गुलाबपुरा में जहां लोग रह रहे हैं वहां एक भी सड़क नहीं बनी है, इसका भी आप पता करें।

वहां गुलाबपुरा नगरपालिका में सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। गुलाबपुरा में आधे से ज्यादा कर्मचारियों के पद रिक्त हैं जिनको भी आप भरने की कृपा करें। गुलाबपुरा नगरपालिका में लगभग ढाई हजार से अधिक पट्टों के आवेदन आए हुए हैं जिनमें इन दो साल के कार्यकाल में सिर्फ नाममात्र के 250 से 300 पट्टे ही दिए हैं और उनकी भी बंदरबांट की है, सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इसकी भी आप जांच कराएं।

नगरपालिका, गुलाबपुरा में आप पता करें कि वहां पर कुल कितने वाहन हैं, वे कहां-कहां चलते हैं, कहां वे जाते हैं और कितना डीजल उनमें जलता है? दो साल पहले जो बोर्ड था उसके समय में डीजल की खपत कितनी होती थी और आज डीजल की खपत कितनी होती है, इसका भी आप पता करें, क्योंकि गुलाबपुरा शहर वही है तथा आधे किलोमीटर से बड़ा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ढाई गुना डीजल के बिल गुलाबपुरा नगरपालिका में ज्यादा उठ रहे हैं। वह डीजल कहां जा रहा है, कहां उसकी खपत हो रही है इसकी भी अधिकारी लोग यहां पर बैठे हैं, तो इसकी भी जांच करें।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। धन्यवाद।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा कि जो पार्षद चुनकर आते हैं, वे भी जन-प्रतिनिधि हैं तो पार्षदों की सैलरी कम से कम 10 हजार रुपये की जाए। सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि जो नगरपालिकाओं में पार्षद चुनकर आते हैं उनको कम से कम सालाना बीस लाख रुपये का बजट दिया जाए, जिससे वे अपने वार्ड में खड़े रहकर बीस लाख रुपये का काम सालाना अपने वार्ड में करा सकते हैं, क्योंकि लोग उनको वोट देते हैं।

श्री सभापति: थैंक यू। टाइम हो गया आपका।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, मेरे दो-तीन पाइन्ट और हैं जिनको आप कहें तो मैं टेबल कर दूं? दो-तीन पन्ने हैं, दो मिनट का ही है केवल और आप कहें तो मैं टेबल कर दूं?

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

'प्रशासन शहरों के संग' के हालात का आप धरातल पर पता कीजिये कि जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में वहां पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। वहां एक टैंट लगा दिया जाता है, चाय-नाश्ते की व्यवस्था हो जाती है, नेता लोग वहां आकर अधिकारियों के साथ बैठ जाते हैं जबकि अधिकारी वहां कोई काम करने वाले नहीं हैं। जो हैं वे भी अपना टाइम पास करते हैं तथा किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इसकी भी आप जांच कराएं।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): पर्यावरण के ऊपर मेरा एक छोटा-सा आधा मिनट में निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं। मैंने चार साल में कितनी ही बार सदन में यह बात रखी है कि रूपायली में टायरों को जलाकर क्रूड आयल बनाने की फैक्ट्री है और जो टायरों को जलाकर क्रूड आयल बनता है उससे काले कण निकलते हैं उनसे वहां पर कैंसर की बीमारी फैली हुई है। सभापति महोदय, रूपायली गांव ग्राम पंचायत लेवल का बहुत बड़ा गांव है और उसकी स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। वहां के आधे लोग गुलाबपुरा में रहते हैं, कुछ लोग भीलवाड़ा में रहते हैं, इसलिए उसको भी बन्द कराने का काम करें, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम्।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंनें 'प्रशासन गांवों के संग' और 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान में जो पट्टा वितरण का कार्यक्रम रखा जिससे काफी लोगों को फायदा मिला, काफी लोगों को पट्टे भी मिले। वर्षों से जो पुश्तैनी मकान में रह रहे थे उनको पट्टे नहीं मिलते थे। वे नगर परिषद् या नगरपालिका में जाते थे, उनकी फाइल लगती थी और उसमें साल-साल भर,

(श्री गणेश घोघरा)

महीनों लग जाते थे तथा उन पर वज़न रखते तब फाइल आगे बढ़ती थी, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने यह कार्यक्रम रखा तो काफी लोगों को पट्टे मिले हैं। ये पट्टे नि:शुल्क, मतलब 500 रुपये में व्यक्ति को मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों को यह पच नहीं रहा है इसलिए कह रहे हैं कि ये पट्टे खाली नाममात्र के बंट रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मेरी डूंगरपुर नगर परिषद् में भी काफी पट्टे बंटे हैं, लेकिन काफी बाकी भी हैं।

(समय: 18.00 बजे)

कोरोना टाइम में इन्दिरा रसोई योजना चालू की। यह योजना एक वरदान साबित हुई। उस समय होटल्स बन्द थीं, रेस्तरां बन्द थे, दुकानें बन्द थीं, लोगों को चाय-नाश्ते के लिए, खाने की समस्या थी। ऐसे में इन्दिरा रसोई योजना हमारी सरकार ने चालू की तो लोगों को काफी राहत मिली और आठ रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन मिलता है। आज चाय-नाश्ता करने जाते हैं, एक समोसा लेने जाते हैं तो पचास रुपये हो जाते हैं, तो भी आठ रुपये में खाना नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने इन्दिरा रसोई योजना, जो शहरों में खोली, उससे आम व्यक्ति, जो मजदूरी करने जाता है, वह भी वहां पर भरपेट भोजन खा सकता है। यह इन्दिरा रसोई योजना वरदान साबित हुई है।

इसी के साथ, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा योजना लागू की, केन्द्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने उसी तर्ज पर शहरों में, जो गरीब रहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना चालू की। पहले सौ दिन किए, अब 25 दिन बढ़ाकार 125 दिन का रोजगार, जो शहर में रह रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको दलित मानते हैं, जिन्हें घर पर काम के लिए नहीं रखते हैं, किसी शाप में, दुकान पर काम पर नहीं रखते हैं, उनके लिए यह वरदान साबित हुई है। अब इसमें सभी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, वह गरीब वर्ग इस रोजगार गारन्टी के माध्यम से काम कर रहा है और उसको फायदा मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र, डूंगरपुर टी एस पी क्षेत्र, जनजातीय बहुल क्षेत्र है। मैंने पहले भी कई बार विधान सभा में आवाज उठाई है। मेरे पेरिफेरी क्षेत्र में चार-पांच पंचायतें आती हैं, बिलड़ी, भाटपुर, गोकुलपुरा, मालपुर, सुरपुर, ऐसे करके चार-पांच पंचायतें आती हैं, वहां

(श्री गणेश घोघरा)

वर्षों से लोग रह रहे हैं। नगर परिषद् और नगरपालिका, ये तो बाद में बनी हैं। उसके पहले से वे लोग वहां रह रहे हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं, कुआं है, लाइट कनेक्शन है, बिलानाम भूमि पर मकान बनाकर बैठे हैं। एक तरफ तो रेलवे ने उनकी जमीन ली और अब एक तरफ हाईवे निकल रहा है, उन्होंने जमीन ले ली, तो उनके पास जमीन क्या बची? वे भी कह रहे हैं कि पेरिफेरी में आ रही है। नगर परिषद् उस जमीन पर अपनी आंखें गिद्ध की तरह जमाये हुए है। वे आदिवासियों की जमीन छीनना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पेरिफेरी गांव में जो लोग वर्षों से बैठे हुए हैं, उनका सर्वे भी हो गया है, लगभग साढ़े पांच सौ मकान हैं, उनको पट्टा दिया जाए।

शहर में भी कच्ची बस्तियों को पट्टा नहीं मिल रहा है। उनके लिए कौन-सी गाइडलाइन बना दी है? कच्ची बस्तियों में वार्ड नम्बर 10, 11, 12, नवेडरा, राजफूल, आकाशवाणी, ऐसे जो वार्ड हैं, वहां पर पट्टे नहीं दिए गए है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको पट्टे दिलाये जाएं।

माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। वहां का सभापति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है। वह पट्टों पर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का जो फोटो है, उस फोटो को देखकर कहता है कि मुझे इन पट्टों पर साइन करने में दिक्कत आती है। वहां ऐसी सोच वाला सभापति बैठा है तो पट्टे कैसे बांटेगा?

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पट्टों से उसका अधिकार लिया जाए और उस वार्ड में जो कमेटी बनाई है, जो पार्षद बनाए हैं, उन पार्षदों के साइन हों और आयुक्त के साइन हों। वास्तव में जो पात्र लोग हैं, उनको पट्टा दिलाया जाए, यह मैं मांग करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, नगर परिषद्, डूंगरपुर में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, काफी घोटाला हुआ है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, मुझे अभी तो...

श्री सभापति: Seven minutes are there. मैंने दो मिनट पहले घंटी बजा दी है। आपको दो मिनट में समाप्त करना है।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, वनाधिकार का तो अभी बाकी है।

गैप सागर झील है, वह तालाब की जमीन है, उसे भूमाफियाओं ने मिलकर बेच दी। उस झील में बरसात का पानी आ रहा था, उस पानी को ही रोक दिए। किसी को मकान के पट्टे काटकर बेच दिए, किसी को दुकान के पट्टे काटकर बेच दिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जिसने भी ये अतिक्रमण किए हैं, उन अतिक्रमणों को हटाया जाए।

माननीय सभापति महोदय जी, वाल्मीकि समाज सफाई करता है। सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती निकलती है तो उसी समाज को भर्ती किया जाए, यह मैं मांग करूंगा।

वनाधिकार, 2005 से पहले जो वन में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग मालमाथा, खजूरी, अरसियावास, करहेर माता, अमजेरा, झिंझवा, पालपादर गेट, तलैया, मौदर, अभी यहां टी ए डी मंत्री जी भी हैं और वन मंत्री जी भी हैं, वास्तव में 2005 से पहले वर्षों से जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी फाइल भी दी है, पर पता नहीं क्यों वापस रिजेक्ट करके भेज रहे हैं। लोग रोज चक्कर मार रहे हैं तो उनको पट्टा दिलाया जाए, यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही में कान्तिलाल उर्फ कार्तिक भील की हत्या हुई। जो नगर परिषद् में वर्षों से बैठे हुए हैं, लेकिन सोची-समझी साजिश से उस कान्तिलाल उर्फ कार्तिक भील की हत्या की गई और उसको मकान का पट्टा आज तक नहीं दिया गया। वह पात्र व्यक्ति है। क्यों हमारे साथ शोषण किया जा रहा है? आदिवासियों के साथ क्यों शोषण किया जा रहा है? सिरोही में उस कार्तिक भील को पट्टा दिलाया जाए, यह मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

साथ ही, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का नामकरण हमारे भारत के तीरंदाज स्वर्गीय जयन्ती लाल ननोमा के नाम किया जाए। राजा डूंगर बरंडा, हमारा संस्थापक था, हमारा राजा था, हमारे डूंगरपुर की स्थापना की थी, नये बस स्टैण्ड पर उनकी मूर्ति लगाई जाए, यह मैं मांग करना चाहूंगा।

सभापति महोदय जी, आई टी आई तिराहे पर माला कटारा की मूर्ति लगाई जाए, मैं इसकी मांग करना चाहूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): ये वनाधिकार में कुछ पंचायतों के नाम

(श्री गणेश घोघरा)

हैं, जो मुझे इन्होंने दिए हैं, इन्होंने फाइल कई बार दी है, लेकिन आज तक इनको वनाधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है। सभापति जी, अगर आप कहते हैं तो इनको टेबल कर दूं।

श्री सभापति: आप कर दीजिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर) द्वारा सदन पटल पर रखी गई सूची पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री धारीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि दो वर्ष पहले विधान सभा में इसी मांग पर बहस के समय कहा था कि हमारे उदयपुर शहर से लगे बेदला में एक अर्थी को नदी में से लेकर श्मशान घाट जा रहे थे जिसका मैंने अख़बार का वह पन्ना यहां लहराया तो माननीय धारीवाल जी ने शायद तीन-चार दिन बाद ही आर्डर दे दिया और वहां पर पुलिया बन गई।

पिछले 20 वर्ष से पेरिफेरी में, मैंने धारीवाल जी से फिर निवेदन किया, उन्होंने मुझे दो बड़ी पुलियाएं दीं और दो बड़ी सड़कें दीं, जो पेरिफेरी में नहीं दे सकते हैं। लम्बे समय से, बीस साल, पच्चीस साल पहले, जो पेरिफेरी के काम हुए हैं, सड़कें बना दीं, पी डब्ल्यू डी कहता है कि हम नहीं देंगे, क्योंकि यू आई टी की सड़क है। अब यू आई टी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए धारीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी मैंने सुझाव दिए थे कि यह जो नगरपालिका की व्यवस्था है, वह अभी त्रिस्तरीय है, नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम। आपने बिलकुल छोटे-छोटे कस्बों को नगरपालिका बना दिया। मेरा मावली भी उसी क्रम में आता है, परन्तु वह नहीं बनी। मेरी प्रार्थना थी कि धारीवाल जी इसके डाक्टर हैं, संशोधन लाकर, जैसे मध्य प्रदेश में व्यवस्था है, छोटे गांव को नगर पंचायत बनाया जाए, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम, यदि यह चार स्तरीय व्यवस्था

(श्री धर्मनारायण जोशी)

राजस्थान में भी लागू होगी तो जो छोटे कस्बे हैं, गांव में बड़ी पंचायतें हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

अभी मैं मेहन्दीपुर बालाजी गया था। माननीय सभापति महोदय, मेहन्दीपुर बालाजी में एक साथ तीन पंचायतें हैं तो अगर ऐसी पंचायत में एक ही नगर पंचायत हो जाए तो सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है। फतेहनगर, ऐसा मानकर चलना चाहिए कि सरकारी रिकार्ड में अवैध बसा हुआ है। पूरा फतेहनगर मार्केट और स्कूल भी, अवैध इसलिए बसा हुआ है, क्योंकि उनके पास पट्टे नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, 1957 में वल्लभनगर में एस डी एम ने पट्टे दिए थे। उसके बाद 1962 में फतेहनगर नहीं बसा, उसके पहले सलवाड़ कस्बे की पंचायत थी, सलवाड़ ने पंचायत के पट्टे दिए, उनके पास पंचायत की रसीदें भी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस 87 बीघा जमीन में उनको 69 के अन्तर्गत 500 रुपये में पट्टा देने का आदेश जारी करावें, यही मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी उदयपुर के लिए विकास प्राधिकरण बनाने की। मैं सोचता हूं कि वह विकास प्राधिकरण कब बनेगा, उसका पता नहीं। पेरिफेरी के अनेक गांव, अभी यू आई टी ने हमारे धोणी माता जो प्रसिद्ध माताजी का स्थान है, वहां पर पांच बीघा जमीन अलाट की संस्कृत विद्यालय के लिए, परन्तु वहां पर स्थिति यह है कि वहां पांच बीघा भूमि यू आई टी ने दी है। पंचायत के पास कोई पॉवर नहीं है। जमीन सारी यू आई टी के खाते में आ गई तो उदयपुर शहर के जो पेरिफेरी के गांव हैं, मेरी प्रार्थना है राज वहां पंचायत का है और जमीनें सारी यू आई टी की, इसको राज्य सरकार क्लियर करे।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर शहर में कचरा संग्रहण होता है। यह नया गोरखधंधा चालू हो गया है और कचरा संग्रहण में सवेरे का ठेका अलग है, शाम का अलग है। नियमों में परिवर्तन करके इसको किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी कुछ बातें भ्रष्टाचार की और बताता हूं। उदयपुर में एक ठेकेदार ने मोटरसाइकिल के नम्बर देकर के डम्पर के पैसे उठा लिए। यह प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद अभी तक भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई है और मैंने यहां पर प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

उदयपुर में 272 प्लाट, जो यू आई टी से नगर परिषद् में आए थे और 272 प्लाट में से आधे से ज्यादा प्लाट्स का पता नहीं है फर्जी पट्टे बना करके एक-एक दो-दो करोड़ के प्लाट भूमि दलालों को बेच दिए। मेरी प्रार्थना है कि इसकी भी जांच करायी जाए। गुलाब बाग़ में अभी कल परसों ही डस्टबिन और झूले लगे हैं, लेकिन एक भी झूला लगा नहीं है एक भी डस्टबिन नहीं लगा। लाखों रुपये उठा लिए बिल बना करके, इसकी भी जांच करायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, गुलाब बाग़ में कमल तलाई है। कमल तलाई में हमारे पिछोला से जो पानी आता था। उससे 12 महीने कमल तलाई भरी रहती थी उसको वहां पर पक्का बना दिया। अभी पानी सड़ रहा है। लगभग डेढ़ करोड़ रुपये नगर निगम के लगे हैं, वहां पर उसको भी ठीक किया जाए। आयड़ नदी को वेनिस बनाने की योजना थी। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय मुझे दें मेरी कुछ बातें मैं निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने सन 2015 में राजस्थान झील प्राधिकरण का गठन किया। इसके अन्तर्गत एक जिलास्तरीय समिति बनायी, लेकिन वर्तमान में यह प्राधिकरण बेहाल है। न कोई पूर्णकालिक सी ई ओ है, न कोई वेबसाइट, न इंटरनेट पर इसकी कोई जानकारी। इसके नियम 2016 में बने, लेकिन पालना की स्थिति दयनीय है। मेरी मांग है कि राजस्थान झील विकास प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में सीवरेज लाइन डाली पिछोला में और अब सरकार कह रही है कि करोड़ों रुपये लगे हैं। अभी स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत फिर सीवरेज लाइन का नया ठेका हुआ और 11 करोड़ का ठेका हुआ पुरानी सीवरेज लाइन हटा करके नयी डालने का। मेरी आपसे प्रार्थना है, और दुर्भाग्य देखिए 2021 में यू आई टी ने मास्टर प्लान जारी किया और मास्टर प्लान में उदयपुर का बापू बाजार, जो मुख्य बाजार है और आपका दूसरा जो स्थान है हरिदास जी की मगरी, दोनों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। हाईकोर्ट ने यह फटकार लगायी कि औद्योगिक क्षेत्र कैसे हो सकता है तब जाकर के भी, मेरा निवेदन है पिछोला में महाराणा के टाइम में 884 बीघा जमीन थी आज पिछोला में 840 बीघा जमीन बची है।

माननीय सभापति महोदय, पिछोला में लगभग, उदयपुर में 42 तालाब हैं छोटे-मोटे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): जिनमें से 20 तालाब यू आई टी के हैं और 22 तालाब निजी हैं। उनकी भी सुरक्षा की जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40 व 45 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। स्वायत्त शासन एवं वन विभाग पर सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। हम नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम की बात करें तो...

श्री सभापति: टाइम आपका सात मिनट है। पांच मिनट में मैं घंटी बजाऊंगा और दो मिनट में आपको समाप्त करना है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, बजाते ही फिर हमारा लय टूट जाता है।

श्री सभापति: सबके लिए है यह।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): तो नगरपालिका के कई सदस्य मांग भी करते हैं नगरपालिका खुलती भी है, खुलने के बाद समस्या भी आती है तो कई लोगों को फायदा भी होता है, कई लोगों को नुकसान भी होता है। नगरपालिका को लेकर संविधान में प्रावधान है। इसके बाद कई अधिनियम आए, कई संशोधन हुए। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करें इससे पहले हमारे राजस्थान में पहली नगरपालिका माउण्ट आबू 1864 के अन्दर खुली। आजादी के दौरान और आज का वक्त अगर देखें तो 1864 में वहां पर जो लोग थे, आजाद भारत में 1947 में वहां पर लोग थे। संविधान लागू हुआ तब लोग थे और आज वे लोग नहीं हैं वहां पर तो यह कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए घातक साबित होता है, यह हम माउण्ट आबू में देख सकते हैं।

सभापति महोदय, जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 243 जेड (सी) कहता है कि नगरपालिका, नगर परिषद् अनुसूचित क्षेत्र में अवैध है। जैसे कि पंचायती राज एक्ट को लागू करने के लिए ऐसा कानून आया, इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र जहां 244 जो वन इलाका है उसमें नगरपालिका, नगर परिषद् का गठन करने के लिए पेसा कानून लाना चाहिए। इसको लेकर लम्बे समय से

(श्री राजकुमार रोत)

मांग भी चल रही है। शायद लोक सभा में इसका चल भी रहा है और बिना पेसा कानून के ही हमारे इलाके में नगर परिषद्, नगरपालिका आयी है, वह अवैध है तो हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय इसको देखें कि अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से नगरपालिकाएं संचालित हैं।

सभापति महोदय, नगरपालिका की अगर बात करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में अधिकतर नुकसान हुआ है। हम लोग डिमाण्ड तो कर लेते हैं हो भी जाती है, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन नगरपालिका आयी, उस क्षेत्र के अन्दर जितने जो लोग रह रहे हैं, जो बिलानाम की भूमि पर रह रहे हैं जैसे ही नगरपालिका आयी, उन लोगों को अतिक्रमी माना जाता है और इसका सबसे बेस्ट अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी हमारे साथी ने बतायी सिरोही की घटना। सिरोही में जो शिवगंज नगरपालिका है वह 1952 में बनी और उससे पहले से केशा जी भील करके व्यक्ति वहां रह रहा है। अभी वर्तमान में उनका पुत्र कूपाराम भील, चालीस वर्ष पुराना वहां पर पक्का मकान बना हुआ है और 1980 के आस-पास से उसका विद्युत कनेक्शन है। 2000 में कच्ची बस्ती नियमन के तहत उसको अधिशासी अधिकारी ने पट्टा दे दिया लेकिन 2010 में राजनीतिक कारणों से नगर परिषद् में असत्य प्रस्ताव लेकर उस पट्टे को खारिज कर दिया गया। मतलब जहां नगरपालिका 1982 में आयी, उससे पहले का व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पुत्र को और उसके पौत्र को आज तक पट्टा नहीं मिल पाया और इसी कारण से आज कार्तिक भील की हत्या हुई। उस पट्टे के न्याय के लिए जिला कलेक्टर, सिरोही के बाहर उसके परिजन, छोटे-छोटे बच्चे आज भी धरना दे रहे हैं और राज्य सरकार, मंत्री जी को भी अवगत कराया है, लेकिन इसके बारे में आज तक और हम दावा कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम शहर में रहने वाले लोगों को पट्टा दे रहे हैं, दो साल पहले है, कभी आया नहीं, उसको पट्टा दे रहे हैं लेकिन जो आजादी से पहले से बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको आज तक पट्टा नहीं मिल पाया। सरकार इस पर गम्भीर हो। यह कार्तिक भील का मामला नहीं है, पूरे आदिवासी समुदाय का मामला है, तो इस पर सरकार गम्भीर हो।

माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले की अगर बात करें पेरिफेरी क्षेत्र हमारे साथी ने अभी बताया। पेरिफेरी क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें आ रही हैं। अब पेरिफेरी क्षेत्र जो बढ़ाया जा रहा है तो पेरिफेरी क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो क्या

(श्री राजकुमार रोत)

हमारे शिड्यूल्ड एरिया के लिए टी एस सी जो बनी है उसमें कहीं प्रस्ताव लेते हैं? क्या शिड्यूल्ड एरिया का जो प्रावधान है इसका कहीं प्रभाव है कि नहीं है? क्या यह जो गतिविधियां करने से कहीं शिड्यूल्ड एरिया के जो अधिकार हैं उन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसके बारे में हमारे जो नगरपालिका, नगर परिषद् गम्भीर नहीं है। अधिकारी भी इस बारे में ज्यादा अवगत नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग की अगर बात करें तो कहते हैं जल और जंगल है तो जीवन है और बात करें हम सुकून के लिए आज तो आधुनिक युग में जंगल की ओर जाते हैं। कोरोना के आते ही सब लोग गांवों में भागे, जंगलों में भागे सुकून के लिए। आज अगर बात करें हमारे भारतीय वन अधिनियम, 1927 की, इसके बाद कई अधिनियम आए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपने घंटी बजा दी, माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो यह 1927 का अधिनियम आया उसके बाद के अधिनियम को लेकर रामकृपाल भगत वर्सेज बिहार 1959 में एक जजमेंट आया और उसमें कहा गया कि ट्राइबल जो इलाका है उसमें फोरेस्ट के नये जो अधिनियम आए हैं, नये जो कानून हैं, आप सीधे तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं। अभी भारत सरकार भाजपा की सरकार है और फोरेस्ट एक्ट 1947 में संशोधन करने की बात कर रही है, और उसमें कई नये संशोधन ला रहे हैं जो वन विभाग में रहने वाले ट्राइबल लोगों के लिए घातक हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा शिड्यूल्ड एरिया में जो भी भर्तियां होती हैं, उन भर्तियों में अलग से अधिसूचना जारी हुई है। पूर्व में मेरा क्वेश्चन लगा, मंत्री जी ने जवाब दिया कि कैडर नहीं बनाया। कैडर नहीं बनने की वजह से अनुसूचित क्षेत्र की अलग भर्तियां नहीं हुईं, पदोन्नति नहीं हुई, लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिली कि 2015 में अनुसूचित क्षेत्र की अलग भर्ती जारी की, 2020 में अलग भर्ती जारी की। बिना कैडर के भर्ती कैसे जारी कर दी? दूसरी ओर भर्ती कर रहे हैं, लेकिन पदोन्नति अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों के तहत नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस दौरान जिन अधिकारियों ने आपको जवाब बनाकर दिया, वह असत्य जवाब था, 2015, 2020 में अनुसूचित क्षेत्र की अलग भर्ती थी। आपने कहा दो महीने में कैडर बना देंगे, इसके बाद पदोन्नति करेंगे। आपके जवाब के तीसरे दिन पदोन्नति की लिस्ट

(श्री राजकुमार रोत)

जारी कर दी और राजस्थान की कोमन लिस्ट जारी की, अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों के तहत पदोन्नति नहीं की गई। इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, माननीय मंत्री महोदय, शिड्यूल्ड एरिया के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भर्ती और पदोन्नति में आप ध्यान दें।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जीवन बचाना है कहते हैं आदिवासी समाज हमेशा जल, जंगल, जमीन के अधिकार की बात करता है। कई बार उन पर नक्सलाइट जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं। सभापति महोदय, मैं सदन और सदन के सारे साथियों से कहना चाहूंगा कि हमें जंगल बचाना है तो आदिवासी को बचाना पड़ेगा। देश की भौगोलिक स्थिति आप देखो, जहां पर ट्राइबल है, वहां आज भी कहीं न कहीं फोरेस्ट सुरक्षित है। जहां पर ट्राइबल खतम हुआ, फोरेस्ट कहीं न कहीं धीरे-धीरे खतम हुआ है। राजस्थान में देखा जाए तो फोरेस्ट किस इलाके में है? जहां ट्राइबल है, वहां फोरेस्ट है। हम चाहेंगे यह यूनिटी बनाकर ट्राइबलों को दिया जाए, ट्राइबलों को वहां हटाने का काम नहीं किया जाए। जंगल चाहिये तो आदिवासी बचाना है, आदिवासी बचेगा तो ही जंगल बचेगा और जंगल बचेगा तो हम सब बचेंगे। आप सबको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40 और 45 पर चर्चा हो रही है। यदि मैं बात करूं तो पिछले चार साल से इस सरकार ने स्वायत्त शासन संस्थाओं को पंगु बना रखा है और पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। जब चाहो तब बी जे पी के नगरपालिका, नगर परिषद् अध्यक्ष को सस्पेंड कर दो। आज तक जितने सस्पेंड किए, सब के सब हाईकोर्ट से जीत कर आ गए। इसका मतलब आपके मन में है कि बी जे पी के अध्यक्ष को काम नहीं करने देंगे। दूसरी ओर, सांभर नगरपालिका का अध्यक्ष रेड हैंडेड रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसको निलम्बित नहीं करेंगे, क्योंकि वह आपका है और बी जे पी का कोई ठीक चल रहा है, उसको आप निलम्बित कर दोगे। इस प्रकार की आपकी कार्यशैली को जनता देख रही है। आपने नॉमिनेशन बढ़ा दिए, उसका कोई मापदण्ड नहीं। जब चाहा अपने समर्थकों को नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम में बढ़ा दो, इसका कोई आधार नहीं। वार्डों के परिसीमन में कोई आधार नहीं, कोई 500 का वार्ड, कोई 5,000 का वार्ड, कोई 10,000 का

(श्री वासुदेव देवनानी)

वार्ड। इसके बाद, आज नगरपालिकाओं की, स्वायत्त संस्थाओं की मीटिंगें नहीं होती हैं। बड़ी मुश्किल से एक बजट मीटिंग होती है। इस प्रकार का दृश्य करके आपने पूरी तरह स्वायत्त संस्थाओं को पंगु बना दिया है।

मैं इनके डवलपमेंट की बात करूं, तो आज 38 परसेंट आबादी शहरों में रह रही है। आगामी 10-15 साल में यह संख्या 53 परसेंट तक पहुंचेगी। उनको मूलभूत आवश्यकताएं कैसे मिलेंगी, इसकी कहीं कोई प्लानिंग नहीं है। यदि मैं उस प्लानिंग का थोड़ा सा जिक्र करूं तो 10 वर्षों में चंडीगढ़ प्लानिंग के साथ सर्वश्रेष्ठ नगर बना। आज मैं अपने अजमेर की बात करूं, तो अजमेर में 29 वर्ष में 700 करोड़ रुपये केवल सीवरेज पर खर्च हुए हैं लेकिन आज भी वहां दुर्दशा है, सारा शहर तहस-नहस पड़ा है, खुदा पड़ा है। आज पूरे अजमेर शहर का कोई संयुक्त नक्शा भी नहीं है। सीवरेज की इस तरह से लाइन खींची गई है, कनेक्शन नहीं, चैम्बर इतना ऊंचा कि कोई भी व्हीकल वाला उससे गिर पड़ रहा है। वहां पर सड़कें उखाड़ दो फिर बनाओ मत। नागफनी, शांतिपुरा, चौरसियाबाद, सागर विहार, कोटड़ा, जनता कालोनी, सब के सब अधूरे पड़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, सफाई की बात करूं, माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, लेकिन आपकी योजनाओं के कारण आज वह तहस नहस हो गया। आज सफाई कर्मचारी नहीं हैं। आपने बड़ी मुश्किल से चुनाव को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा तो की पर कब होंगे, कैसे नियुक्त किए जाएंगे, इसकी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से अजमेर में 182 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति आज भी पेंडिंग है। अगर आपकी नीयत साफ हो तो आप जमादारों की डी पी सी कराओ, उनको प्रमोशन दो, उनको प्रमोशन नहीं देंगे, उस वाल्मीकि समाज को ये लोग वहीं का वहीं रखेंगे।

दूसरी बड़ी समस्या सीवरेज की है। जिस प्रकार हमारी आनासागर झील है, उसमें आज भी 25 नालों का पानी गिर रहा है, जबकि कोर्ट ने आपको कहा है कि एक भी नाले का पानी उसमें नहीं गिरना चाहिए। झील सिकुड़ती जा रही है, अवैध निर्माण बनते जा रहे हैं, जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने चुप्पी साध रखी है। पिछले जो आपके सचिव थे मंजीत सिंह जी, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन एक नहीं माने, एन जी टी को भी असत्य आंकड़े प्रेषित किए जाते हैं। आपने आंकड़े दिए कि हमने 298 में से

(श्री वासुदेव देवनानी)

(व्यवधान) वह तो इनके +++ ही ऐसे हैं। 265 के कब्जे हटाये गए। (व्यवधान) वह तो 6 महीने बाद बता देंगे कि हमारे क्या हैं और पहले भी क्या थे।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह आपके +++ ठीक नहीं हैं, इसको एक्सपंज कराओ। +++ ठीक नहीं हैं, यह क्या होता है? यह गलत बात है। इसको डिलीट कराओ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): +++ का मतलब कार्य होता है, आपको भाषा का ही नहीं पता। यह तो असंसदीय शब्द भी नहीं है, मैं इतने मिनट ज्यादा लूंगा। +++ शब्द कार्य से आता है। इनको हिन्दी ही नहीं आती। एज ए प्रिंसिपल मेरी क्लास में आ जाना, पढ़ा दूंगा।

श्री सभापति: इसको डिलीट कर देना।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इन्होंने कहा 298 में से 265 कब्जे हटाए गए, लेकिन केवल दो ही अतिक्रमण हटाए हैं। राजस्थान झील संरक्षण समिति ने भी इनको आग्रह किया, कोई सुनवाई नहीं हुई उल्टा पिछले दिनों में 10 जगह मिट्टी डालकर अवैध निर्माण हुए, इसलिए आपके कलेक्टर और कमिश्नर को एन जी टी का नोटिस भी प्राप्त हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आनासागर झील जो अजमेर की जान है, उसको सिकोड़ कर रख दिया। इन सारे अधिकारियों ने मिलकर धंधे किए, उसमें भ्रष्टाचार की गन्ध आती है और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार, जब हम आएंगे तब बताएंगे कि कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है। सभापति महोदय, सारी नगर परिषद् और नगरपालिकाओं का विस्तार होना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी दो मिनट तो डिस्टर्ब किया।

आज शहर के आस-पास बहुत पेरिफेरी कालोनियां बन गई हैं। इनसे लगी सीमाओं को नगर निगम, नगर परिषद् या नगरपालिका का पार्ट बनाया जाना चाहिए, ताकि वहां भी मूलभूत आवश्यकताएं दी जा सकें। आज कालोनियां बन गईं, लेकिन वहां मूलभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। पंचायतों के पास पैसा नहीं है। न सफाई, न लाइट, न सड़कें, इस तरह से वहां लोग बुरी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं।

पट्टा वितरण की बहुत बात हुई बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये गए 'प्रशासन शहरों के संग', बड़े-बड़े नारे भी लगाए गए, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज भी गरीबों को पट्टा नहीं मिला है। अजमेर में ए डी ए और निगम के बीच आमजन पिस रहा है। आप ए डी ए की कालोनियों को छोड़कर बाकी सारी जमीन नगर निगम को दे दो, ताकि आराम से वह उसके पट्टे तो बांट सके। कच्ची बस्तियों को पट्टा नहीं मिला है, केवल 2,000 गज से ऊपर वालों को, जो भूमाफिया हैं, उनको तो पट्टे दे दिए, लेकिन 50 गज वाले आज भी चक्कर काट रहे हैं। गरीब पिस रहा है, उसको कोई राहत नहीं है। यहां तक कि अक्टूबर, 2021 में जो फाइलें लगीं, उनको भी आज तक पट्टा नहीं मिला। सरकारी कर्मचारियों को सरकारी भूमि पर पट्टे मिले, जो बाद में जाकर निरस्त किए गए। शहर में जो भूमि निगम क्षेत्र में आती है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, उसके नक्शे कौन पास करता है, पता नहीं।

सभापति महोदय, आज अतिक्रमणों से शहर परेशान है, अतिक्रमणों की बाढ़ लग रही है। दरगाह संपर्क योजना, तारागढ़, नोसर, चौरसियावास, रातीडांग, पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जे पर कब्जे होते जा रहे हैं। हम पूछते हैं कि यह क्या है, तो कहते हैं कि ए डी ए का है, वह कहता है निगम का है, वह कहता है वन विभाग का है। आज बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर वहां बस गए हैं। आज भ्रष्टाचार कैसे होता है, नक्शे पास कराने के लिए वैबसाइट आपने प्राइवेट एजेंसी को दे रखी है, सारा लीकेज होकर उसकी गोपनीयता भंग की जा रही है, उसको ठीक किया जाए।

एक मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। आपकी तंग गलियों में पांच-पांच, छह-छह मंज़िला मकान बनते जा रहे हैं, पूरे अवैध हैं। प्रशासन और अधिकारी आंखें मूंदकर पैसे लेकर केवल गाड़ी चला रहे हैं। इनमें होटल और रेस्टारेंट शुरू हो गए हैं। आज मकानों की जगह गेस्ट हाउस बन गए हैं। नगर निगम के अधिकारी बिना जांचे एन ओ सी तक दे रहे हैं। यहां तक मैं कहूं कि हमारा एक मुस्लिम मोची मोहल्ला था, वह पूरी तरह से गेस्ट हाउस से भर गया है। हमने इस तरह की कभी बुरी हालत नहीं देखी। यहां तक कि आज शहरों के अन्दर इस प्रकार के आवारा जानवर हेतु, मैं चाहूंगा कि गौ-ग्राम के रूप में नयी बस्ती बसायी जाए, जिसमें वहां पर गोपालकों को भूखण्ड आबंटित किए जाएं, ताकि शहर में इस प्रकार की बात नहीं हो। ...(व्यवधान) रघु जी आए हैं, रघु जी तो मेरी बात जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। इन्होंने जो कहा, वही मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद, थैंक यू।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, अजमेर में आज पंगु कैसे बने, उसका एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। स्ट्रीट लाइट का टेंडर जयपुर में होगा। यानी स्ट्रीट लाइट तो अजमेर की, दूसरे शहर की, लेकिन टेंडर जयपुर में होगा क्योंकि मिला-जुला टेंडर करके उसमें भ्रष्टाचार करके पैसे कमाये जाएं। ऑटोनोमस बाडी को ऑटोनोमस तो रहने दो, वहां की आवश्यकता है, वहीं पर पूरी करने दो, लेकिन इस प्रकार यह नहीं करेंगे।

मैं यूजर चार्ज की अपनी बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। इसी विधान सभा के अन्दर मंत्री महोदय ने कहा था कि राजस्थान के अन्दर किसी शहर में यूजर चार्ज नहीं लिया जा रहा है। वहां पर हमने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके यहां पर भेजा। वहां के सी ई ओ ने नोडल आफिसर लगाए, लेकिन यहां से आ गया कि रिजेक्ट कर दिया और आज यूजर चार्ज के लिए जनता परेशान है। दो बार अजमेर बन्द हो गया, सब लोग परिचित हैं। कहीं भी यूजर चार्ज है तो उसको निरस्त किया जाए। अत: मैं आपसे मांग करूंगा कि इस प्रकार का जो है, अजमेर शहर को बचाया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपसे निवेदन है कि मैं आपके आदेशों की पालना करूंगा। सभापति महोदय, मैं अनुशासित हूं। रघु जी जानते हैं, जिस तरह से मैं अनुशासन का पालन करता हूं, शायद कोई नहीं करता होगा। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): केकड़ी से आने वाले विधायक, आप कितना जानते हो?

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): फूट डालो, राज करो की आपकी थ्योरी नहीं चलेगी।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन और मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया। मैं मेरी बात को धन्यवाद के साथ शुरू करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा,

(श्री सुरेश टाक)

जिन्होंने शहरों में एल एस जी की सड़कें दीं। एल एस जी की सड़कें देने से शहरों की स्थितियां सुधर गईं, नहीं तो हालात इतने बदतर हो जाते कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। 22 करोड़ की सड़कें नगर परिषद् में मिली हैं तो शहर की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, मुझे नहीं लगता कि परिषद् पांच साल में भी ये 22 करोड़ की सड़कें बना पाएंगी? अगर कम्पेरेटिवली बात करते हैं तो शायद सरकार ने जो बजट दिया है, शहरों को सड़कें बनाने का, वह बेमिसाल है और अपने आप में एक इतिहास बना है कि सरकार पहली बार सड़कें बनाने जा रही है। जो काम स्वायत्तशासी संस्थाओं का है, जो नगरपालिका या नगर परिषद् का है, वह काम सरकार कर रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा।

एक बात मैं इसके साथ यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने 2021 में 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान स्टार्ट किया था और दस लाख पट्टे देने की बात पूरे राजस्थान में की थी, लेकिन मेरी नगर परिषद् की बात जहां तक मैं करता हूं तो मुझे यह लग रहा है कि मेरी परिषद् अभी इसमें बहुत पीछे है। जोनल प्लान पास नहीं होने की वजह से, मैंने 14 फरवरी को 295 भी लगाया था, अधिकारी यहां बैठे हैं, मैं आप लोगों का विशेष ध्यान चाहूंगा। 14.02.2023 को मैंने 295 लगाया था। 295 में जोनल प्लान की यही बात थी। जब शहर के लोग नगर परिषद् में धरने पर बैठे थे। मेरे 295 के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि सरकार ने जोनल प्लान के लिए लैटर निकाल दिया और 14.02.2023 को स्वायत्त शासन से क्वैरीज के लिए लैटर भी निकल गया था, कुछ क्वैरीज भी बाकी थीं। उसका पत्र भी निकल गया और क्वैरीज भी कम्पलीट हो गई। 14.02.2023 से 14.03.2023 हो गई, पर अभी तक जोनल प्लान पास नहीं हुआ है। यह सरकार की मंशा के विपरीत है। मैं यह चाहूंगा कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं कि पट्टे अधिक से अधिक लोगों को मिलें, ये तभी मिल पाएंगे, जब आप सब अधिकारीगण या एस टी पी, जोनल प्लान पास करके सम्बन्धित नगर निकायों को भेजेंगे। यह तभी सम्भव है, अदरवाइज यह घोषणा ही रह जाएगी और सब काम अनकम्प्लीट रह जाएंगे और लोगों को भी राहत नहीं मिल पाएगी।

(समय: 18.33 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसी के साथ मैं 69-ए की बात करता हूं। 69-ए के पट्टे देने में भी

(श्री सुरेश टाक)

वहां पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ये पट्टे क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों रोके जा रहे हैं? लोगों से ऐसा बार-बार सुनने में आता है कि पैसे मांगे जाते हैं। कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? यह आप लोग देखें, ताकि सरकार की इसमें छवि स्पष्ट हो और जो सरकार चाहती है, वह काम जनता को मिले।

स्वायत्त शासन के प्रमुख सचिव माननीय कुंजी लाल जी मीणा ने एक लैटर 10.05.2022 को निकाला था। 2022 में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जहां मास्टर प्लान लागू है, वहां शहरी क्षेत्र की जो जमीनें हैं, उन सभी जमीनों को, चाहे वह गोचर है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे सैट-अपार्ट है, किसी भी तरह की भूमि को नगर निकाय में समर्पित करने के लिए। उसकी पालना नहीं हो रही है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा था। कलेक्टर महोदय का पाजिटिव लैटर नगर परिषद् को आ गया। उसको भी एक महीना पूरा हो गया है। 24.01.2022 को पत्र आ गया है, तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी, 15.12.2022 को वापस चिट्ठी आ गई, जवाब चला गया। 26.01.2022 को कलेक्टर ने आयुक्त को लिख दिया। उसके बाद भी मेरी एक कालोनी अवाणा की पाल है, उसमें 500 मकान बने हुए हैं। 500 से 600 पट्टे जारी होने हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। जब सरकार चाह रही है, सारी कागजी कार्यवाही पूरी हो गई है, उसके बाद इनको पट्टे जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि अवाणा की पाल के एक लिए स्पेशल आदेश निकले। ये जो नगर निकाय में सम्मिलित होने वाली जमीनें हैं, इनके पट्टों पर किसी भी तरह का कोई अवरोध खड़ा नहीं हो।

सीवरेज लाइन डालने के लिए अभी अमृत-2 योजना स्वीकृत की, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। अमृत-2 में आपने किशनगढ़ को सौ करोड़ रुपये दिए हैं। मेरा एक निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में एक घोषणा की थी कि किसी भी तरह की सड़कों का रेस्टोरेशन का काम पी डब्ल्यू डी से कराया जाए। मैं भी इस कटमोशन के माध्यम से आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो अमृत-2 योजना में 100 करोड़ की सीवरेज लाइन डालने वाले हैं, इसके रोड रेस्टोरेशन का काम पी डब्ल्यू डी को दिया जाए, क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है। जनता उस काम से ज्यादा परेशान होती है। सीवरेज का फायदा नहीं मिलता है, सड़कें टूट जाती हैं, पूरा शहर अस्त-व्यस्त हो जाता है और न ही क्वालिटी की सड़कें बन पाती हैं। मेरा

(श्री सुरेश टाक)

आपसे एक निवेदन यह भी है कि नगर परिषद् की सड़कों का कोर-बोर कराएंगे। कभी तो क्वालिटी की जांच करायें। जैसे पी डब्ल्यू डी का कोर-बोर होता है, उसी तरह से नगर परिषद् जो सड़कें बनाती हैं, उनका भी कोर-बोर करें, ताकि क्वालिटी का परीक्षण हो सके। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं। मेरे वहां पर कृष्णापुरी में एक सीसी सड़क बनी है। एक महीना हुआ है। एक महीने में उस पर डामर के 26 पेच लग गए हैं। सीसी सड़क पर 26 पेच लग गए हैं। पर्टिकुलर इस सड़क का तो आप जरूर परीक्षण करवायें, जांच करवायें, ताकि भ्रष्टाचार की पोल खुले कि किस तरह से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह की सड़कें बनाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है।

शहर में वैंडिंग जोन के लिए सरकार ने पालिसी बनायी थी कि वैंडिंग जोन बने, ताकि हमारे फुटपाथ पर ठेला लगाकर, धूप में, बरसात में, गर्मी में खड़े होकर, सर्दी में बेचने वालों को राहत मिले। सरकार वैंडिंग जोन में सारी सुविधाओं के साथ व्यापार करने की सुविधा दे। मेरे किशनगढ़ में वैंडिंग जोन बन भी गए हैं, करोड़ों रुपये खर्च भी हो गए पर उन वैंडिंग जोन में कारें पार्क हो रही हैं, बसें पार्क हो रही हैं या कोई कबाड़ी अपना सामान वहां पर रख रहा है। ऐसा क्यों? मैं इस बात पर विशेष तौर पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मीणा साहब, मैं वैंडिंग जोन को लेकर एक निवेदन करना चाह रहा हूं। आपकी पालिसी की धज्जियां उड़ रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि किशनगढ़ में करोड़ों रुपये में वैंडिंग जोन बनाए, उन वैंडिंग जोन में बसें पार्क हो रही हैं, कारें पार्क हो रही हैं, कबाड़ी अपना सामान रख रहा है। आप उस पर ध्यान दें। जो वेंडर्स रोड पर बैठे हैं, गर्मी, बरसात और सर्दी में अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनको वैंडिंग जोन में बैठने की जगह मिले। सरकार ने सब सुविधाएं दी हैं। उसमें पंखा भी लगाया है। आपने शौचालय भी बना दिए, सब चीजें बना दी हैं, पर उनका दुरुपयोग हो रहा है। कृपया उनका करें। कम से कम फुटपाथ पर बैठने वाले लोग हैं, उनको तो बैठा दें। ठेले वाले नहीं बैठें तो उनको तो बैठा दें, ताकि महिलाएं और जो लोग बैठे हैं, उनको राहत मिल सके।

हमारे किशनगढ़ में दो झीलें हैं, हमीरसागर और गुंदोलाव। हमीरसागर में शहर का सारा गंदा पानी, जितना भी डिस्पोजल है, घरों का सारा डिस्पोजल हमीरसागर में जाता है। हमीरसागर का ओवरफ्लो गुन्दोलाव में जा रहा है। दोनों झीलें दूषित हो रही हैं। मैंने पहले भी 295 लगाया था। आज मैं फिर कटमोशन के माध्यम से आपको आग्रह कर रहा हूं कि वहां पर वेस्ट वाटर

(श्री सुरेश टाक)

ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, ताकि हमीरसागर का गन्दा पानी गुंदोलाव झील में नहीं जाए और हमारी वहां की पवित्रता नष्ट नहीं हो।

नगर परिषद् किशनगढ़ को अग्निशमन वाहन देने के लिए आपने 12.05.2022 को आदेश जारी कर दिए थे, एक 3,000 लीटर और एक 4,500 लीटर की क्षमता के दो वाहन। 12.05.2022 को आपने आदेश कर दिए थे, लेकिन आज तक वहां पर अग्निशमन वाहन नहीं मिले। एक भी वाहन नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पांच लाख की आबादी है। वहां इतने गांव हैं। अब गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं। आग लगेगी, हमारे पास संसाधन नहीं हैं। जब तक अजमेर नगर निगम की फायर बिग्रेड आती है, तब तक इतना नुकसान हो जाता है कि बाद में उसके आने का महत्व ही खतम हो जाता है। जब स्वीकृत फायरबिग्रेड हैं, आपने दे दी हैं तो उनको उपलब्ध करा दें, ताकि शहर में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सके और लोगों में पाजिटिव मैसेज जाए कि सरकार ने घोषणा की और गाड़ियां उपलब्ध करा दीं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि ये दोनों गाड़ियां, जो कि स्वीकृत की हुई हैं, इनको उपलब्ध करा दें।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट में कर रहा हूं।

मेरे शहर की सफाई व्यवस्था बहुत बुरी तरह से खराब है। वहां ट्रेचिंग ग्राउण्ड बना हुआ है। आज ट्रेचिंग ग्राउण्ड की स्थिति यह है वह हमारे गांव में सिलोरा पंचायत में बना हुआ है। उन गांव वालों का जीना दूभर है। उसमें कोई न कोई आग लगाकर चला जाता है। पूरे शहर का कचरा उसमें डाल दिया जाता है। उस कचरे में आग लगा देते हैं। दिन और रात धुआं उठता रहता है। इतना प्रदूषण होता है कि वहां लोगों ने जाम भी लगाया। चेयरमैन ने वहां लोगों को आश्वस्त भी किया कि दो महीने में हम इसका करा देंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइड लाइन की भी अवहेलना हो रही है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ट्रेचिंग ग्राउण्ड को एक बार देखिए।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। विराजिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): साहब, एक लाइन वन विभाग के लिए बोलना चाह रहा हूं। माननीय वन मंत्री जी विराज रहे हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने लव-कुश वाटिका दी मुझे। मैं चाहूंगा कि जल्दी से

(श्री सुरेश टाक)

उसका काम शुरू हो जाए। वर्क आर्डर जारी हो जाए, ताकि काम समय रहते पूरा हो जाए और जनता को लाभ मिले। एक सामरिया हरडा वन क्षेत्र में मैंने आपको पत्र भी दिया था। आपने मुझे जवाब भी दिया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वहां पर बायोलोजिकल पार्क बने। किशनगढ़ औद्योगिक नगरी है। इतना ज्यादा उद्योग है वहां पर, दो-दो पार्क हैं और विश्व की सबसे बड़ी मार्बल बड़ी है। इतने पाउडर के प्लांट लगे हुए हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा उत्सर्जित होता है कि उसकी वजह से वहां पर आक्सीजन की कमी है। हम तो पक्षियों को देखने को तरस गए। हमारे बच्चे तो देख भी नहीं पाएंगे कि पक्षी कैसे होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बायोलोजिकल पार्क के लिए प्राथमिकता किशनगढ़ को दी जाए। आपका धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 एवं 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बनास नदी में जो बजरी का खनन है, वह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जितने भी लीज होल्डर्स हैं, उन्होंने एक रैकेट बना लिया है। आज के जयपुर के अख़बार में भी आमेट की बात किसी से भी छिपी नहीं है। इतनी प्रोब्लम्स हो गई हैं कि जो बनास नदी है, उसके यहां इतने खड्डे कर दिए हैं और रूल्स के अकोर्डिंग जो उनको फिलअप करने के नोर्म्स हैं, उनको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। ट्रैक्टर की ट्रिप्स दिन व रात चल रही है, जिसकी वजह से रोड पर भी, गांव के बीच में से वे लोग निकलते हैं और गांव की सारी अच्छी सी सी सड़कों को भी तोड़ दिया है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की एमरी पंचायत, उसके अंदर पानी का एक सार्वजनिक कुआं होता था, उसके आसपास भी इतना खनन कर दिया है कि वह पानी का कुआं भी अब सूखने लगा है। जो नोर्म्स होते हैं, जो फोलो होने चाहिए, वह अभी तक फोलो नहीं हो रहे हैं। रिपीटेडली जब हम इनकी कम्प्लेंट्स करते हैं तो कुछ ऐसा रैकेट बना हुआ है कि जब मौके पर पुलिस जाए या प्रशासन जाए या कलेक्टर जाए तो वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। कौन-कौन इसके अन्दर जिम्मेदार हैं, ये तो मंत्री महोदय ज्यादा अच्छे से बता

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

सकेंगे। सभापति महोदय, मेरे यहां पर एक और समस्या है कि नदी के किनारे पर जितने भी श्मशान घाट बने हुए हैं, उन सबको इस बजरी के खनन के चलते तोड़ दिया गया है। मंत्री महोदय, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें स्ट्रिक्ट नोर्म्स लाएं और वहां पर बजरी का खनन रोकें। बनास नदी को ये लोग बहुत ज्यादा चीर कर खतम करने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर वेदांता ग्रुप है, जिसकी एस.के.माइंस है। जिसने ई सी के लिए जो जन सुनवाई होती है, वह जन सुनवाई गलत तरीके से की। प्रशासन और बाहरी लोगों को बुलाकर, प्रभावित पंचायत के सरपंच को प्रलोभन देकर ई सी जारी करवाई, जिसकी वजह से समस्त ग्रामवासी उसके विरोध में खड़े हैं। विरोध भी दर्ज किया गया है। यह जो प्रेक्टिस है, यह हर मायने में पर्यावरण के विरुद्ध है और बहुत हानिकारक है। जो प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर इतनी मुश्किल है कि किसान खेती नहीं कर सकता है और पानी पूरा वहां का नष्ट हो चुका है, फ्लोराइड से भर चुका है। इतना प्रदूषित पानी वहां पर मिलता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब ऐसी कोई ई सी के लिए सरपंच एन ओ सी दे तो उसके अन्दर, उस गांव के जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, उन सबको भी सूचना दी जाए और उन सबको भी इन्वाल्व किया जाए, ताकि गांव वालों को समस्या न देखनी पड़े। उनकी भागीदारी से कहीं न कहीं हम भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाएंगे। प्रभावित पंचायत में जो ग्रामवासी हैं, उनको न्याय मिल सकेगा।

सभापति महोदय, मेरे यहां पर जो नगर परिषद् क्षेत्र है, वहां पर नाली निर्माण के लिए प्रत्येक वार्ड में 15 लाख रुपये दिए गए थे, मेरे 45 वार्ड में से 30 वार्ड का टेंडर दो ठेकेदारों ने मिलकर किया। एक तो ये जो 15 लाख रुपये हैं, वे दो साल के बाद नगर परिषद् को मिले और उसके बाद भी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। जब ठेकेदार से यह पूछा गया कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि नगर परिषद् पेमेन्ट नहीं दे रहा। नगर परिषद् यह जवाब देता है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम यह काम कैसे कराएं। कृपया करके इस बात की मुझे जानकारी दें, नहीं तो इस ठेकेदार के अगेंस्ट कोई न कोई स्ट्रिक्ट कार्यवाही होनी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में बजरंग चौराहे के पास विद्या निकेतन स्कूल के पास से एक पाइप लाइन एक साल से सैंक्शंड है, टेंडर है उसका, लेकिन आज तक भी वह काम शुरू नहीं हुआ है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहूंगी कि मेरे राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में एक चौराहा है, जिसको सब शहर के निवासी टी वी एस चौराहे के नाम से बोलते हैं, क्योंकि वहां पर टी वी एस का शोरूम है। राजसमन्द के संस्थापक महाराणा राणा राजसिंह जी के नाम पर वह चौराहा घोषित हो और वहां पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगे। मैं मंत्री महोदय से यह मांग रखना चाहूंगी। मंत्री महोदय, आपको एक और विषय की जानकारी दूंगी कि स्वर्गीय किरण माहेश्वरी, जब पिछली बार विधायक थीं तो उन्होंने सोमनाथ चौराहा और परशुराम चौराहा बनाया था, वह हो भी चुका, उसका वर्क आर्डर जारी हो चुका है, लेकिन आज तक वह काम नहीं हो पाया है। कृपया करके निर्देश दें, ताकि वह काम हो सके। यह सारी समस्याएं हमारे यहां पर कम हो सकती है, नाली, सड़क, पानी की, अगर आप हमें एक यू आई टी दे दें। आदरणीय मंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे राजसमन्द को यू आई टी दे दें, ताकि प्लान डवलपमेंट हमारी स्थिति का हो सके, उस टाउन का हो सके।

आदरणीय सभापति महोदय, लास्ट में दो-तीन बात रखकर मैं अपनी बात को खतम करूंगी। राजसमन्द शहर में जितने भी हम पर्व मनाते हैं, महिलाएं पर्व मनाती हैं, चाहे वह गणगौर हो, चाहे दशा माता हो, चाहे तीज हो, उनके छोटे-छोटे देवरे, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि महिलाओं को जगह भी नहीं मिलती है। कोविड के चलते उनका रिपेयर मेंटिनेंस भी ढंग से नहीं हो पाया है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि विधायक मद से मैं उनको डायरेक्टली कोई भी सैंक्शन नहीं दे सकती, आपसे निवेदन है कि ये जितने भी स्थान हैं, इनका अच्छा प्रोपर डवलपमेंट हो और उनको दोबारा अच्छा रिपेयर, मेंटिनेंस हो जाए। एक समस्या जो पूर्व में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई, ये मेरी भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो पेरिफेरी लैण्ड है, यानी पंचायत को कन्वर्जन कराना हो लैण्ड में तो उसको नगरपालिका को, नगर परिषद् को रुपये देने पड़ते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन जब वहां पर डवलपमेंट की बात आती है तो नगर परिषद् उसमें कोई भी काम नहीं करता है। प्रोब्लम यह है कि वह पर्टिकुलर क्षेत्र, अगर नगर परिषद् के पास जाएं तो बोलते हैं कि हमारी पेरिफेरी में नहीं है तो उसका डवलपमेंट, वहां पर पानी,

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

बिजली, सड़क कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दस साल से मेरे यहां पर एक कॉलोनी है, बालाजी कालोनी, वहां पर आज तक भी आवश्यक चीजें नहीं हुई हैं। पानी की पाइप लाइन तक नहीं पहुंची है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप इसको 6 महीने का एक टार्गेट पीरियड दें, ताकि सारे कन्वर्जन के बाद पानी, बिजली, एटलीस्ट ये बेसिक सुविधाएं वहां तक टाइमली पहुंच सकें।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर जो शहर के अंदर बिजली के तार है, वे सारे ऊपर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई हानि होती है। मैं यह मांग रखना चाहूंगी कि कृपया करके नगर परिषद् क्षेत्र में आप बिजली के तार को भी अंडरग्राउण्ड कराने की सहमति दें, ताकि सबको सुविधा अच्छे से मिल सके।

अंत में एक बात कहूंगी कि राजसमन्द जिले के अंदर देवगढ़ और आमेट नगरपालिका है, जिसके अंदर ई ओ को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। जो ई ओ है, वह भीलवाड़ा जिले के गंगापुर नगरपालिका में पदस्थापित है। उनका नाम हैं कृष्ण गोपाल माली। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या ई ओ की कमी हैं कि एक ई ओ जो दूसरे जिले में है, उसको मेरे जिले की दो नगरपालिकाओं में कार्यभार सौंप रखा है? कृपया करके ई ओ वहां पर भी लगाएं, ताकि जो राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, उसकी व्यवस्था अच्छी हो सके। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, सभापति महोदय। मेरे ख्याल से आज पहली बार वन पर चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को कि आपने इतना, मेरे दो नगरपालिकाएं, एक तो आपने मुझे नई नगरपालिका दी, उसके लिए धन्यवाद मुख्य मंत्री जी को और आपको। बहुत ही लम्बे समय से मांग थी। उसके साथ आपने एक काम और किया कि सड़कों के लिए इतनी राशि दी कि अब मुझे गली-गली में घूमकर देखना पड़ रहा है कि कहां सड़क रह गई। आपने 5 करोड़, 1 करोड़ और दे दिया तो लगाने के लिए हमारे पास में जगह नहीं है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री

(श्री खुशवीरसिंह)

महोदय से कि नगरीय इकाइयों के चुनाव में ई डब्ल्यू एस को भी आप आरक्षण की व्यवस्था करवाएं, पंचायती राज और इन दोनों में। ये आम मांग सब जगह से आ रही है। सैकड़ों की तादाद में टेलीफोन आ रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि 10 प्रतिशत आरक्षण नगरीय इकाइयों और ग्राम पंचायत चुनावों में, पंचायती राज चुनावों में ई डब्ल्यू एस को दिया जाए।

मंत्री महोदय, मैं आपसे ज्यादा मांग नहीं करूंगा, इतनी ही मांग करूंगा कि मारवाड जंक्शन नई नगरपालिका बनी है, आपने रानी में तो मुझे अग्निशमन वाहन दे दिया, लेकिन मारवाड जंक्शन में अग्निशमन वाहन की सख्त आवश्यकता है। अभी 15 दिनों में 8 आगजनी की घटनाएं हो गई हैं। पाली से अग्निशमन वाहन आता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों नगरपालिकाओं में पांच-पांच करोड़ रुपये उद्यान लगाने के लिए आप मुझे इस बजट में स्वीकृत कराएं।

साथ ही, मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका जो नई गठित हुई है, लम्बी-चौड़ी तीन पंचायतों को मिलाकर हुआ, लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, वहां हमने जाकर सर्वे करवाया, 80 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता है। वाल्मीकि समाज से ही लें, अन्य किसी समाज से आप उसमें भर्ती नहीं करें। कई सदस्यों ने कहा, वह बात सत्य है कि वहां सफाई नहीं करते और दूसरी जगह चले जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं वन विभाग की बात करूंगा। कोरोना ने हमें बहुत बड़ा अहसास करा दिया। देश की आजादी के समय चालीस प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र था पर आज अगर हम सघन वन देखें तो तीन प्रतिशत से भी कम है। वन भूमि अलग चीज है लेकिन वनों की दृष्टि से हम देखते हैं तो तीन प्रतिशत ही बचा है। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि उसकी मजबूती के लिए नीचे के स्तर के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की छोटी-छोटी मांगें हैं, कोई बड़ी मांग नहीं है। गार्ड, फोरेस्टर, रेंजर स्तर तक की छोटी-छोटी बातें हैं, तो आप उसका इस बजट में ही करवाएं। उनका हौसला अफजाई होगा। वे एक लाठी के बल पर रात को जंगल में जंगली जानवरों से तथा जो शिकारी बन्दूक लेकर आते हैं, उनसे जूझते हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको स्ट्रेन्थन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

70 व 80 के दशक में एक ऐसी चूक हुई है, जो-जो फोरेस्टर व गार्ड रिटायर होते गए, उनके पद को समाप्त कर दिया गया। ऊपर के पद तो बढ़ते गए, लेकिन नीचे के पद समाप्त होते गए। मैं चाहूंगा कि गार्ड व फोरेस्टर के नए पद भी सृजित किए जाएं। कम से कम दोनों के तीन-तीन हजार पद

(श्री खुशवीरसिंह)

सृजित किए जाएं। जब तक आप यह व्यवस्था दें, मैं चाहूंगा कि होमगार्ड, जो बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, आपने उनका बहुत अच्छा उपयोग किया है, वहां होमगार्ड को ड्यूटी दें, ताकि उनको भी ड्यूटी मिलती रहेगी और हमारे वनों की सुरक्षा भी होती रहेगी। हमारे वन कर्मचारियों को भी हौसला रहेगा कि हमारे साथ में होमगार्ड भी हैं।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। समय का अभाव है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे समूचे वन विभाग के लिए निवेदन है कि जब से अंग्रेज़ी बबूल आया है, हमारी सम्पूर्ण वनस्पति को खतम कर दिया, विलुप्त हो गई है। मेरे यहां जंगल में इतने खैर थे, 70 व 80 के दशक में खैर को काट-काट कर कत्था बनाने के लिए ले गए, उसके बाद एक वृक्ष नहीं लग पाया और उसकी जगह अँग्रेज़ी बबूल आ गए। मैं चाहूंगा कि अंग्रेज़ी बबूल का उन्मूलन किया जाए, जड़-मूल से उसको नष्ट किया जाए और उसकी जगह हमारी स्थानीय वनस्पति को लगाया जाए। अभी एक सदस्य कह रहे थे ढाक के तीन पात, उनको मालूम नहीं है ढाक का वृक्ष क्या होता है। फिर भी मैं कहूंगा कि वह वृक्ष जो विलुप्त हो गए, उन वृक्षों को आप पुन: लगाएं और ग्रासलैण्ड डवलप करें।

मेरे पाली ज़िले में रोहट क्षेत्र है। रोहट क्षेत्र में चिंकारा व काले हिरण बहुत हैं। वहां पर डी एम आई सी आने के बाद, तारबंदी होने के बाद, उनकी इतनी हालत नाजुक है कि वहां पर आए दिन कुत्ते उनको नोचते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सर, पहली बार पांच वर्षों में। दो मिनट नहीं, पांच मिनट दें।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको अरावली में स्थापित कर दें, ताकि उनका जीवन बच जाएगा। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि ग्रासलैण्ड डवलप कराएं। हम टाइगर छोड़ने की तो बात कर रहे हैं, वहां टाइगर कैसे आएगा? मैंने मेरे गांव में 81 में टाइगर देखा है। आज की तारीख में, अंग्रेज़ी बबूल होने के बाद, हमारा प्रे-बेस समाप्त हो चुका है। आप ग्रासलैण्ड डवलप कराएंगे, प्लांटेशन होगा तो निश्चित रूप से वहां टाइगर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें उनको मजबूत करना होगा।

(श्री खुशवीरसिंह)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जवाई लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। उस समय मैं जिला प्रमुख था और गांव-गांव जाकर मैंने ग्रामवासियों को मोटिवेट किया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि गोड़वाड़ क्षेत्र के अन्दर, टाइगर जितनी बड़ी साइज के लेपर्ड हैं, गोड़वाड़ की आठ-नौ पंचायतें हैं, उन नौ पंचायतों में लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व आप डिक्लेयर करवाएं। उसमें किसी तरह के बजट की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ डिक्लेयर ही करना है। मैं चाहूंगा कि आप मुख्य मंत्री महोदय से परसों जब भी हो, इसको डिक्लेयर करवाना नितान्त आवश्यक है। नौ पंचायतों के अन्दर 60 से 70 लेपर्ड वहां हैं। मंत्री महोदय, आप इसको करवाएं।

इसके साथ ही एक फोरआन डीयर जो विलुप्ति की कगार पर है। जिस तरह हमारा कस्तूरी मृग है, उसी तरह से खूबसूरत दिखने वाला हिरण है, जिसके चार सींग हैं।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मात्र 16 या 17 रह गए। मैं चाहूंगा कि आप उनको भी संरक्षण प्रदान करें। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जसवंतपुरा, जालौर के अन्दर भालू हैं, इतनी संख्या में है, मैं चाहूंगा कि हमने लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया वैसे ही 'Indian Sloth Bear Conservation' आप रिजर्व करवा दें। मैं खुद देखकर आया हूं, वहां काफी तादाद में भालू हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर आठ बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटे बढ़ाकर आठ बजे तक किया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर आठ बजे तक किया गया।

श्री अविनाश गहलोत।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर विचार

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-45 वन एवं पर्यावरण विभाग तथा मांग संख्या-40 स्वायत्त शासन विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग पर मैंने जो कटमोशन दिए, उस पर अपनी बात रखूंगा। विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वन क्षेत्र, मेरी रायपुर पंचायत समिति मगरा क्षेत्र है, जिसमें ग्राम कलाद, पचानपुरा, बगड़ी, कलालिया, कानुजा, इसके आस-पास वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में वहां के लोग बकरी, भेड़, गाय को पालकर अपनी आजीविका चलाते हैं। वहां वन विभाग के अधिकारी उनको परेशान करते हैं। उनको गाय, भैंस, बकरी नहीं चराने देते और रिश्वत के पैसे मांगते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इसकी जांच कराएं। ऐसे लोगों को पाबन्द करें। गरीब लोग जो वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनको वन क्षेत्र में गाय, भैंस नहीं चराने देंगे तो फिर कैसे होगा? रायपुर पंचायत समिति मगरा क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था को बन्द करें।

सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य खुशवीरसिंह जी कह रहे थे, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अंग्रेजी बबूल है उससे वनस्पति नष्ट हो गई, गायों को चरने के लिए चारा भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता, सारी की सारी जमीन बंजर हो जाती है। फसल भी पैदा नहीं होती है। राजस्थान सरकार एक आर्डर करके, जे सी बी से जड़ों सहित समूल नष्ट करने का प्रयास करे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, पर्यावरण को सबसे बड़ा नुक़सान अवैध बजरी खनन के माध्यम से होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र, जैतारण में कई प्रकार की नदियां हैं, लेकिन पिछले चार या पांच साल से, जब से आपकी सरकार बनी है तब से, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ है तो अवैध बजरी खनन में हुआ है। 100-100 फीट के गहरे खड्डे हो गए। बारिश के समय उनमें डूबने से कई लोगों की मौत भी हो गई। मेरा आपसे निवेदन है, खनिज विभाग के अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाएं। जितने बड़े-बड़े खड्डे हुए, बिना प्रशासन की मिलीभगत के बिना खनिज विभाग

(श्री अविनाश)

के अधिकारी की मिलीभगत के, ऐसा काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि बजरी माफिया तो है, प्रशासन वाले के भी कुछ लोग माफिया हैं। पुलिस वालों के ट्रैक्टर चलते हैं, डम्पर चलते हैं। गांव का गरीब आदमी जो गांव में बजरी काम में लेता है, पुलिस को अधिकार ही नहीं है उसको सीज करने का। 01 लाख 26 हजार रुपये की राशि पुलिस वालों की मिलीभगत के कारण उसको चुकानी पड़ती है, इसको रोके। जो अधिकारी मिले हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां बड़े-बड़े सीमेंट के प्लांट हैं। सीमेंट प्लांट के कारण जितना प्रदूषण होता है, पर्यावरण का प्रदूषण होता है, चाहे जल प्रदूषण देख लो, वायु प्रदूषण देख लो, चाहे ध्वनि प्रदूषण देख लो, उसके कारण हमारे लोगों को नुकसान होता है। उन फैक्ट्रियों के कारण होता है। उनको मुआवजा भी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन फैक्ट्रियों को पाबंद किया जाए। पर्यावरण के कारण, धुएं के कारण जो नुकसान होता है, उसका भी मुआवजा दिलवाने की कृपा कराएं।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन है कि नेशनल हाईवे 458 जो नीमली-जोधा-डेगाना से लेकर यह जस्साखेड़ा-भीम तक बना था, उसमें वहां रायपुर तक तो बन गया, रायपुर से आगे यह जस्साखेड़ा वाया कालख होते हुए अभी भी अपूर्ण पड़ा है। उसका कारण माननीय मंत्री महोदय, यह है कि उसमें 7 किलोमीटर की फोरेस्ट लैण्ड है। यह कालख के आस-पास सात किलोमीटर की है। जब तक वन विभाग उसकी अनुमति नहीं देगा तो यह नहीं हो सकेगी तो मेरा यह निवेदन है कि हरिपुर-रायपुर से कालख कलां तक वन क्षेत्र की भूमि के डाइवर्जन के प्रस्ताव को तैयार कर इस नेशनल हाईवे को जो कि अपूर्ण पड़ा है, उसको स्वीकृत करवाने का आदेश प्रदान कराएं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आता हूं स्वायत्त शासन विभाग की मांग पर। माननीय मंत्री महोदय, यहां पर विराजमान हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जिसकी आबादी लगभग 30 हजार के ऊपर है और वहां पर एक टाउन हॉल की स्वीकृति के लिए आपसे निवेदन है जो लम्बे समय से मैं मांग कर रहा हूं। 'डी' क्लास की जो नगरपालिका है इसकी आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से 'सी' क्लास में क्रमोन्नत करके जैतारण क्षेत्रवासियों को तोहफा दें।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका, जैतारण का जो भवन है यह बहुत पुराना बना हुआ है शहर के बीचों-बीच बना हुआ है। बस स्टैंड के ऊपर इतना कंजेस्टेड है कि वहां पर न तो गाड़ी आ सकती है और न ही दूसरे वाहन खड़े हो सकते हैं, बहुत परेशानी होती है इसलिए इस पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन की स्वीकृति करायें। साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 वार्ड हैं, इन 25 वार्ड में जो कोलोनाइजर्स हैं, वे पार्क की जमीन छोड़ते हैं, बग़ीचे के लिए छोड़ते हैं और फैसिलिटीज के लिए जमीन छोड़ते हैं तो उन सबका सीमांकन करवाकर, उनकी चारदीवारी करवाएं और उनको विकसित करें।

साथ ही, माननीय मंत्री महोदय, आपने एक फायर ब्रिगेड बड़ी दे दी, वह साढ़े चार हजार लीटर की है, लेकिन गांवों में छोटी-छोटी गलियां हैं, दस-दस फीट की गलियां हैं तो वहां पर यह बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। कभी आगजनी होती है, दुर्घटना होती है तो एक तीन हजार लीटर की या पच्चीस सौ लीटर की या दो हजार लीटर की एक छोटी गाड़ी अगर आप स्वीकृत कर देंगे नगरपालिका, जैतारण के लिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी योजना अभी चल रही है। 02 अक्टूबर को आपने इसको शुरू किया था और 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान की आड़ में नगरपालिका मण्डल ने जिस प्रकार की अनियमितता की, जिस प्रकार का राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को किया, शिकायतकर्ताओं के द्वारा जांच के लिए भी आप श्रीमान को दी गई, डी.एल.बी., डायरेक्टर साहब को दी गई और यहां डी.डी.आर., जोधपुर को भी दी गई, जिला कलेक्टर को भी दी गई लेकिन आज छह महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी नगरपालिका के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप उसकी जांच करवाने के लिए एक कमेटी बनाकर जांच करवाएं।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, 2019 से लेकर 2023 तक विकास शाखा, स्टोर शाखा में जितने भी सामान का क्रय किया गया उसमें लगभग बाजार रेट से दस गुना के करीब पर यह सामान क्रय किया गया।

(श्री अविनाश)

उसकी जांच करवाने के लिए भी शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है, उसकी भी उच्चस्तरीय टीम बनाकर जांच कराएं।

माननीय सभापति महोदय, यहां जो बिना ले-आउट के पट्टे जारी किए गए, भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सक्षम अनुमोदन के बिना ले-आउट जारी नहीं करना, मन्दिर की जमीन पर पट्टे जारी कर दिए गए और उसके साथ ही आंतरिक और बाह्य विकास शुल्क भी नहीं लिया गया जिससे राजस्थान सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। उसके लिए भी आपसे निवेदन है कि उसकी जांच करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, जो नेशनल हाईवे 458 के आसपास ग्रीन बेल्ट की जमीन है उस ग्रीन बेल्ट की जमीन में जब हम आवासीय पट्टे नहीं दे सकते तो नगरपालिका कार्यालय जैतारण द्वारा वहां नियमों को ताक में रखकर नियम विरुद्ध आवासीय पट्टे दे दिए गए, उसकी भी जांच करवाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने बजट में 30 हजार सफाई कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में लगभग 105 पदों पर पहले सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी, उनमें से 68 पद अभी भी रिक्त हैं और जनसंख्या के हिसाब से 50 अतिरिक्त पदों की जरूरत है। यह आप यह भर्ती तो कर देते हैं, लेकिन दो साल का प्रोबेशन पीरियड होने के बाद में सारे के सारे लोग नगरपालिका छोड़कर अपने-अपने स्थान पर चले जाते हैं जिससे पद वापस से रिक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वाल्मीकि समाज के स्थानीय जैतारण क्षेत्र के लोगों को नई भर्ती के अन्दर प्राथमिकता मिले या कांट्रेक्ट बेस पर भी उसी क्षेत्र के, शहर के लोगों को लें, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था जो है वह आराम से हो सके।

माननीय सभापति महोदय, कचरा संग्रहण के लिए नगरपालिका, जैतारण में 12 टेम्पो लगे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, अभी वर्तमान में 6 टेम्पो ही चल रहे हैं और 6 का पैसा ऐसे ही उठाया जा रहा है। एक टेम्पो की फोटो मैं आपको बताऊंगा कि वह पिछले डेढ़ साल से खड़ा है, लेकिन उसका भी भुगतान नगरपालिका कार्यालय द्वारा किया जा रहा है तो इतना भ्रष्टाचार मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। आप तो मर्दानगी वाले मंत्री हैं, थोड़ी-

(श्री अविनाश)

सी मर्दानगी आप नगरपालिका, जैतारण में दिखाइए। आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि आपकी 80 साल की उम्र में भी कार्य-कुशलता पर किसी को शक नहीं है, न राजस्थान सरकार को शक है।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री अविनाश (जैतारण): लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि नगरपालिका में आपके खिलाफ में यह जो-जो आए हैं शिकायत के आधार पर और अगर शिकायत की जांच आप उच्चस्तरीय करवा देंगे तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार। प्लीज, आप सहयोग करें। अब आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: आप टेबल कर दीजिए। हां, टेबल कर दीजिए आप।

(माननीय सदस्य श्री अविनाश (जैतारण) के सदन पटल पर रखे गए शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को और वहां के आम जीवन को सुधारने के लिए जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस बजट में भी बहुत से प्रावधान उन्होंने किए हैं जो चाहे शहर में सड़कों के हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं के हो, उनको सुधारने का काम किया है।

बहुत बड़ा अभियान पट्टों का इन्होंने छेड़ा था। 10 लाख पट्टों का एक लम्बा टार्गेट लेकर ये चले थे और खुशी की बात है कि उस टार्गेट के पास पहुंच रहे हैं पर अभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं तो मैं मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि आप विधान सभा सत्र के बाद में पूरे राजस्थान के तमाम आयुक्तों को, नगरपालिका के जो ई.ओज. हैं उनको बुलाकर इस अभियान की समीक्षा करें और तीन महीने इसको और बढ़ाकर क्योंकि यह 31 मार्च को

(श्री मनोज कुमार)

समाप्त हो रहा है तो 30 जून तक उनको टार्गेट दें कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनको समाप्त करके या तो उनका निस्तारण करें या उनको पट्टे जारी करे ताकि अभियान में जो लोगों को फायदा मिल रहा है, वह इस अभियान का पूरा मिल सके। अभी भी नगर परिषद् क्षेत्रों में जोनल प्लान अटके हुए पड़े हैं तो उनको जल्दी से जल्दी निकलवाकर वहां के भी पट्टे जारी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं मेरे क्षेत्र की बात पर आता हूं। आपने इस बजट में सालासर में 30 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज परियोजना स्वीकृत की है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपको एक सुझाव देता हूं कि सालासर छोटा गांव है वहां इन 30 करोड़ रुपये में सीवरेज के साथ ड्रेनेज का काम भी हो जाएगा इसलिए जो डी.पी.आर. बनाएं वह उस हिसाब से बनाएं कि सीवरेज और ड्रेनेज दोनों काम एक साथ हो जाएं, इसी बजट में ये हो जाएंगे। यह मैं आपको सुझाव देता हूं, चूंकि धर्मशालाएं बहुत हैं, धार्मिक स्थल है तो काफी फायदा वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी इससे मिलेगा।

बीदासर बड़ा कस्बा, उप खण्ड स्तर का है, पर वहां पर अभी तक सीवरेज स्वीकृत नहीं हुई है तो वहां पर भी आप सीवरेज स्वीकृत करवाने की कृपा करें। सुजानगढ़ में आपने इस बजट में ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत की है उसके लिए मैं धन्यवाद माननीय मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का प्रकट करता हूं। उसकी डीपी.आर. करीबन 80 करोड़ रुपये की बनी थी। फर्स्ट फेज में कम से कम आप इसकी 50 परसेंट राशि, चालीस से पचास करोड़ रुपये जारी करें, क्योंकि पच्चीस करोड़ रुपये आपने फर्स्ट फेज में जारी करने का बजट में प्रावधान रखा है पर अगर पचास करोड़ की राशि होगी तो एक साथ बड़े एरिया में यह काम शुरू होगा जिससे जल्दी ही पूरा जो एरिया है, उसमें पानी भराव और निकासी की काफी बड़ी समस्या है जिसका जल्दी ही समाधान हो सकेगा।

सुजानगढ़ में एक बहुत बड़ी मांग काफी समय से आ रही है टाउन हॉल ऑडिटोरियम की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि जब बजट का रिप्लाई हो तो उसमें वहां एक ऑडिटोरियम की स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

(श्री मनोज कुमार)

मंत्रीजी अच्छा काम कर रहे हैं पर कहीं न कहीं आयुक्त और ई.ओज. सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जो काम्प्लेक्स के निर्माण हो रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। संकरी गलियों में काम्प्लेक्स बड़े-बड़े खड़े हो रहे हैं पर न तो उनका कामर्शियल कन्वर्जन किया जा रहा है और न वहां पर पार्किंग की व्यवस्था देखी जा रही है और उनको धड़ल्ले से बनने दिया जा रहा है। जब बन रहा है तो उस समय तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती और जब वह बन जाता है तो उसके बाद नाम मात्र की दिखावे की कार्यवाही हो रही है। ऐसे काम्प्लेक्स को तुरन्त चिन्हित करवाकर जो सुजानगढ़ में बने हुए हैं जो अवैध हैं, बिना कन्वर्जन के बने हुए हैं उनको सील किया जाए और जो बिना सेटबैक के छोड़े हुए हैं या सेटबैक एरिया में कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है उसको तोड़ा जाए। बेसमेंट, जहां पर पार्किंग होनी चाहिए, वहां पर दुकानें बना दी गई हैं तो उन दुकानों को तोड़ा जाए और अभी जो एक नियम पारित किया है कि जो सेटबैक, बेसमेंट, पार्किंग एरिया में जो दुकानों की रजिस्ट्री हो रही है, उस रजिस्ट्री को रोकने का काम किया जाए। इसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए कि किसी भी तरह से सेटबैक में और पार्किंग एरिया को बेचकर वहां पर जो दुकानें हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं की जाए ताकि जो जनता है, जो छोटे व्यापारी हैं, वे भूलवश या जानकारी के अभाव में इन दुकानों को खरीदते हैं। उसके बाद में वे फंस जाते हैं और उसके बाद में हम जैसे जन-प्रतिनिधियों का भी दबाव पड़ता है, वे कहते हैं कि हमने तो दुकान पैसे देकर खरीदी है, बाकायदा रजिस्ट्री करवा रखी है तो अब हमारी दुकानों को क्यों सील किया जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है, तो इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी का एक और मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत ही शानदार योजना शहरी नरेगा, इंदिरा गांधी नरेगा योजना जो शहर में लागू की है, वह शुरू की है। उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, पर इसमें जो रेश्यो है लेबर का और सामग्री का 75:25 का अनुपात है, उसको भी ग्रामीण नरेगा की तर्ज पर 60:40 का अनुपात कर दिया जाए तो कम से कम चालीस परसेंट राशि सामग्री की हो।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): जिससे पक्के निर्माण ज्यादा हो सकें और काम प्रभावी ढंग से हो सकें। यह मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा।

30 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती के बारे में मैं आपसे मांग करता हूं कि इसमें सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए प्राथमिकता दी जाए, ताकि सफाई की अच्छी व्यवस्था होती रहे और उनको रोजगार भी मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी-सी बात वन एवं पर्यावरण की भी करूंगा। छापर में हिरण का बहुत बड़ा अभयारण्य है जहां काले हिरणों की काफी संख्या है। संख्या को बढ़ते हुए विभाग ने निर्णय लिया कि उन हिरणों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तीन जगह चिन्हित की गई। जसवन्तगढ़ एरिया को भी चिन्हित किया है। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जसवन्तगढ़ एरिया में राजस्व विभाग की जो भूमि ली गई है उस एरिया में घास नहीं उग सकती। वहां एक भी तिनका घास का नहीं उगता। एक भी वहां पर पेड़ नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह जमीन भराव क्षेत्र की है। एकदम दलदल जमीन है। वहां पेड़ तो क्या, घास भी नहीं लग सकती। अगर वहां हिरणों को शिफ्ट किया जाता है तो उनके लिए खाने की बड़ी समस्या होगी। वन विभाग ने कहा कि एक योजना बनाओ और किसी भी तरह से घास की व्यवस्था करो लेकिन वह वहां सम्भव नहीं है। दूसरा, उसके आसपास खनन का एरिया है वह भी प्रभावित होगा। वह सुजानगढ़ और लाडनूं दो शहरों के बीच का एरिया है। सुजानगढ़ से लाडनूं 10 किलोमीटर है और बीच में दोनों शहरों का बरसात का पानी वहां इकट्ठा होता है। अगर उस एरिया में वह शिफ्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या SEZ से है, वह उत्पन्न हो जाएगी और निर्माण कार्यों की गतिविधियां प्रारम्भ हो जाएंगे, व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ होंगी, खनन की गतिविधियां प्रारम्भ होंगी इसलिए जसवन्तगढ़ एरिया में शिफ्ट करने के निर्णय को रोका जाए। हमने देखा है कि छापर में एक सड़क है वह गंगा सिंहजी के जमाने की, आजादी के पहले की बनायी हुई है सुजानगढ़जयपुर को जोड़ते हुए। उस सड़क को दो साल से बन्द कर रखा है। अब उसको पूरी तरह से बन्द कर दिया है। उसका रिनोवेशन भी नहीं किया जाए।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): उसके बगल में पी डब्ल्यू डी ने एक नयी सड़क निकाली पर उसकी भी एन ओ सी नहीं दी जा रही है। उसकी एन

(श्री मनोज कुमार)

ओ सी जारी करायी जाए, ताकि पी डब्ल्यू डी सड़क का निर्माण शुरू कर सके। वह एन ओ सी के अभाव में रुकी हुई है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40 और 45 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

नोखा में आर यू आई डी पी फोर्थ में ए डी बी फण्डेड 150 करोड का प्रोजेक्ट सैंक्शन्ड है कैनाल ड्रिंकिंग वाटर का, घर-घर वाटर कनेक्शन का, एस टी पी और एस पी एस भरने का। उसके लिए 350 से ज्यादा ड्राइंग बननी हैं और बहुत मात्रा में अभी तक ड्राइंग एप्रूव हो पायी हैं। इसमें माननीय मंत्रीजी गति लाएंगे तो हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा। इसमें हम काफी पिछड़ चुके हैं। नोखा नगरपालिका क्षेत्र में टाउन हाल की लम्बे समय से मांग है और सफाईकर्मियों की भर्ती में भी वाल्मीकि समाज के साथियों के लिए जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, यू डी एच मंत्री और सरकार से आग्रह है कि जयपुर में जम्भेश्वर पर्यावरण शोध केन्द्र के नाम से 5 बीघा भूमि आबंटित कर पर्यावरण शोध के लिए विकसित करें जिसमें लैब, नर्सरी से सम्बन्धित छात्रों के लिए छात्रावास और पर्यावरण भवन आदि बनाए जाएं।

इसी तरह बीकानेर में माता आशा देवी महिला प्रशिक्षण संस्थान को पौने चार बीघा जमीन आबंटन की फाइल पेंडिंग है। पूर्व में विकसित भूमि मान कर तीन करोड़ से अधिक का डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया था। पुन: रिवाइज करके नोमिनल चार्ज पर अलाटमेंट के लिए फाइल जयपुर आयी हुई है, उसको क्लियर करवाने की कृपा करें।

मंत्रीजी, प्रदेश भर में विश्नोई समाज की संस्थाओं द्वारा व समाज के साधु संतों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम पर अनेक प्रकल्प केन्द्र चलाये जा रहे हैं, परन्तु इनमें से अधिक संस्थाओं के पट्टे नहीं बने हैं। अत: उनको प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर नोमिनल चार्ज पर पट्टे देने की व्यवस्था भी करें।

माननीय सभापति महोदय, पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन, बढ़ते तामपान, ग्रीन हाउस से उत्पन्न गैसों के इफेक्ट को लेकर चिन्ता में है और उसके विकल्प के रूप में पूरी दुनिया ने ग्रीन एनर्जी को अपनाया है, परन्तु ग्रीन एनर्जी के इस विकल्प ने भी पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा कर दिया है।

(श्री बिहारीलाल)

आज सोलर की चमक में हजारों लाखों बीघा में अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। राज्य वृक्ष, मरुस्थल का कल्प वृक्ष, खेजड़ी का तो नामोनिशान मिटाने पर आमादा हैं। जीव जन्तु और वन्य जीवों के नेचुरल हैबिटेट खतम हो रहे हैं, नेचुरल ब्रीडिंग खतम हो रही है। बायोडायवर्सिटी पर संकट आ गया है और क्षेत्र का तापमान भी दो से तीन डिग्री तक बढ़ने लगा है। पानी का भी इसमें भयंकर मिस-यूज होता है। इन क्षेत्रों में आज की और कुछ वर्ष पहले की सेटेलाइट में इसको देखेंगे तो फ्लोरा और फोना पर कितना संकट पैदा हो गया, स्पष्ट नजर आता है। माननीय सभापति महोदय, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की ऑडिट नहीं होने के कारण हो रहा है। ग्रीन एनर्जी की समय-समय पर ऑडिट करवायी जानी चाहिए और वर्तमान सोलर पालिसी में एन्वायर्नमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट का लेशमात्र भी ध्यान नहीं रखा जाता है। उस पर भी हमको लगातार ध्यान रखा जाना चाहिए। जितने पेड़ काटे गए हैं, उतने लगाने का प्रावधान है। मंत्रीजी, उतने ही क्यों, चार गुना पेड़ लगवाइए। बदलाव तभी होगा। सोलर पॉलिसी के माध्यम से कम्पनी को दिए हुए क्षेत्र का 30 प्रतिशत लगता हुआ क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित कराने का आदेश करिए और उस कम्पनी से अपने सी एस आर फण्ड से डवलप करने के लिए पाबन्द करिए। पालिसी में इस बाबत संशोधन करिए। बड़े पेडों को काटने की बजाय शिफ्ट करने की तकनीक आज आ गई है तो उनको शिफ्ट करने का प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राज्य वृक्ष, खेजड़ी कल्प वृक्ष की कटाई पर बिलकुल प्रतिबन्ध होना चाहिए और अन्य विकल्पों पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। सोलर प्लांट की जगह अगर विंड एनर्जी से काम चल सकता है तो दो बीघा में तीन मेगावाट जैसा विंड पावर लगा कर कर सकते हैं। आई जी एन पी जो उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में सैकड़ों किलोमीटर चलती है तो आई जी एन पी की सोलर पैनल से कवर करके हम सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं। उससे नहर का भी संरक्षण हो जाएगा। उसमें मिट्टी भी नहीं जाएगी, कचरा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट लैण्ड पर सोलर प्लांट लगाने से पहले उक्त जमीन पर पेड़ों की स्थिति, संख्या और संयंत्र के ले आउट बिना पेड़ काटने की मंजूरी के पास नहीं करें। पेड़ काटने की मंजूरी वन विभाग से लेना अनिवार्य किया जाए, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ग्रीन फील्ड

(श्री बिहारीलाल)

एक्सप्रेस-वे, भारत माला के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट डवलप करने के लिए जिस तरह पौधों का प्लांटेशन किया जाता है, जिस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, वे इस क्लाइमेट में सूट नहीं करते, तो इस पर भी नियम बना कर खेजड़ी के वृक्ष लगाए जाए जो हमारे क्लाइमेट को सूट भी करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, नोखा में वन भूमि को अमृता वन बना कर विकसित किया जाए। पूरी दुनिया 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती है। मात्र इसलिए कि 1972 में एक सम्मेलन पर्यावरण की चिन्ता को लेकर यू एन में हुआ था। आज हमारे राजस्थान में जोधपुर का खेजड़ली गांव, जहां 363 नर-नारियों ने पेड़ों के लिए सिर कटा दिए। यह कहते हुए कि सिर साठे रूख रहे, तो भी सस्तो जान। यह घटना भादवा सुदी दशमी मंगलवार विक्रम सम्वत् 1787 मतलब 21 सितम्बर, 1730 की है। क्यों नहीं सदन के नेता जिस जिले से आते हैं, जिस जिले की यह घटना है, दुनिया में जो नजीर बनी है, इस दिन को यह सदन प्रस्ताव पारित करे कि 21 सितम्बर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। केन्द्र सरकार यू एन में उसकी पैरवी करके उसको लागू करे तो इस बलिदान को न्याय मिलने का काम होगा।

माननीय मंत्री महोदय, साथ ही खेजड़ली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रदेश स्तर पर वन विभाग प्रयास करे और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अमृता के बलिदान के ध्येय वाक्य 'सिर साठे रूख रहे, तो भी सस्तो जान' यह प्राण प्रेम, प्रकृति प्रेम बीकानेर जिले के नोखा के समराथल धोरे से सैकड़ों वर्ष पहले गुरु जम्भेश्वर भगवान ने इस बात को कहा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): बीकानेर में पर्यावरण एवं वानिकी विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए और जयपुर या जोधपुर एयरपोर्ट में से एक का नाम अमृता देवी के नाम पर किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी चिन्ता है। आए दिन वन्य जीवों का शिकार आम बात हो गई है। अनेक नौजवानों ने रक्षार्थ बलिदान भी दिया है। 1730 के खेजड़ली घटना के बाद पिछले पांच शताब्दियों में अलग-अलग गांवों में 450 से ज्यादा ऐसी शहादत की घटनाएं हुई हैं। पेड़ों व बेजुबान

(श्री बिहारीलाल)

जानवरों के लिए और जीव प्रेमियों के लिए अपनी जान देने के लिए शहीद का दर्जा देते हुए उतनी सुविधा उनको दी जाए। वन्य जीव के शिकार की घटनाओं को रोकने में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अप्रासंगिक हो चुका है तो उसमें संशोधन करते हुए मंत्रीजी कोई नया कानून लेकर आएं। उसमें संशोधन लेकर आएं।

माननीय सभापति महोदय, समय का अभाव है। इस चिन्ता पर नियमों और कानून को सख्त बनाया जाए। मुकाम में कुछ अरसे पहले एक पर्यावरण संगोष्ठी हुई, देश-विदेश के अनेक पर्यावरणविद् आए, विधिवेत्ता आए और वहां दो दिन के मंथन में इस कानून में क्या संशोधन किए जा सकते हैं, सुझाव का एक मेमोरेण्डम तैयार हुआ है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय जाया होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उसको टेबल करना चाहता हूं और मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उसके अनुसार नियमों में बदलाव करें और कानून को सख्त करें ताकि वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: टेबल करने की इजाजत है। श्री नगराज।

(माननीय सदस्य श्री बिहारीलाल (नोखा) द्वारा प्रस्तुत मेमोरेण्डम पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40 और 45 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए और वन क्षेत्र में भी छोटे-छोटे एनीकट, प्लांटेशन वगैरह सबकी स्वीकृति दी है। वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने में माननीय मुख्य मंत्रीजी की भूमिका है, मैं उनका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 45 पर अपनी बात रखूंगा। इससे पहले मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वनाधिकार के एरिया में काफी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, पर उनको अभी तक वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी दु:ख की बात है। जो लोग प्रभावशाली हैं, उनको तो पट्टा दे दिया और जो गरीब आदमी हैं, वह आज भी वंचित हैं और वहां बरसों से बैठा हुआ हैं।

(श्री नगराज)

उन्होंने उस जमीन की कीमत से ज्यादा पेनल्टी वन विभाग को जमा करा दी, पर अभी भी वह वंचित हैं, क्योंकि पढ़ा-लिखा नहीं है, समझता नहीं है, गरीब व्यक्ति है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मेरा निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से नये सिरे से कमेटी का गठन करके जो वंचित लोग हैं और जो वन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिन्होंने मकान बना लिए, कुएं खोद दिए। ऐसे जो वंचित हैं, उनको पट्टा दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि वन क्षेत्र में जो निर्माण कार्य स्वीकृत होते हैं, मैं देखता हूं जो प्लांटेशन हुआ, तीन साल पहले निर्माण कार्य हुआ, दीवार बनायी, गड्ढ़े खोदे, वृक्षारोपण किया और दो-तीन साल बाद वापस उसी में दुबारा से गड्ढ़े खोदे जा रहे हैं। यह कौनसा मापदण्ड है? माननीय सभापति महोदय, एक बार कोई दीवार बन जाए, प्लांटेशन तैयार हो जाए तो कम से कम पांच साल, दस साल तक उसके अंदर पौधे लगे, उन पौधों की सुरक्षा होनी चाहिए। पौधे लगा दिए, उनको लावारिस छोड़ दिया तो वे पौधे कैसे आगे बढ़ेंगे? दीवार बनायी नहीं वहां पर। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से पक्की दीवार का निर्माण कराया जाए जिससे कि हमारी सरकार जो खर्चा कर रही है, उससे वे पेड़-पौधे सुरक्षित रह सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है। वन क्षेत्र में एस.टी. के लोगों को ही वनाधिकार का पट्टा दिया जाता है। कहीं-कहीं पर एस.सी. के लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, उसमें नियमों में सरलीकरण किया जाए ताकि उनको भी वनाधिकार का पट्टा मिल सके, जिससे वे अपना पालन-पोषण कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन यह भी है कि सीतामाता अभयारण्य में तेंदु पत्ता क्यों टूटता है, यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। जब वहां आम व्यक्ति जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई पैदल जा रहा है तो वह कैसे पहुंच गया सीतामाता में? वन विभाग का जो टेंडर होता है, वह जाकर सैंक्चुअरी में पत्ता तोड़कर ले आते हैं। इसमें बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि

(श्री नगराज)

प्रतिवर्ष वन क्षेत्र में अप्रैल महीने में आग लग जाती है। इसका क्या कारण है? यह आग तो लगाते हैं तेंदु पत्ते के ठेकेदार लोग और दोषी ठहराते हैं आदिवासियों को कि ये आदिवासी मन्नत लेते हैं आग लगाने की, इसलिए यह आग लगती है। यह बहुत गंभीर विषय है। माननीय सभापति महोदय, इसको गम्भीरता से लेना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, आप बिराजमान हैं। इसमें सख्त कार्यवाही होनी चाहिए कि यह आग कौन लगा रहा है। किसके थ्रू लगायी जा रही है? जो हमारे बीज गिरते हैं, माननीय सभापति महोदय, वहां पौधा बड़ा होता है और साल भर में एक बार आग लग जाती है तो वह पौधा जलकर नष्ट हो जाता है। वह बहुत ही छोटा और कोमल होता है। अगले साल फिर आग लग जाती है। हर साल आग लगती है तो नई पौध पैदा होते ही खतम हो जाती है और जो पुराने हैं उनकी भी जड़ें खोखली हो जाती हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इसको गम्भीरता से लें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एक निवेदन और है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 हजार हैक्टेयर तो वन क्षेत्र धरियावद में है, सलूम्बर रेंज में 16 हजार हैक्टेयर है और बानसी रेंज में 22 हजार हैक्टेयर के करीब जंगल है। कुल मिलाकर 68 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र है। परन्तु इसकी सुरक्षा कौन करेगा?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नगराज (धरियावद): वहां पर स्टाफ तो है नहीं। जो पुराने लोग थे वे सब रिटायर हो गए, नई भर्तियां हुई नहीं और नई भर्तियां नहीं होंगी तो इतने बड़े क्षेत्र को सुरक्षित रखना, उसकी रखवाली करना, उसकी देखरेख करना दो-चार फोरेस्ट गार्ड से, एक रेंजर से सम्भव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि निचले स्तर के स्टाफ को बढ़ाया जाए। ऊपर के अधिकारी तो हम लगाते जा रहे हैं। जहां एक की जरूरत है, वहां पर चार-चार लगा रहे हैं। कहीं दो-दो लगा रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। नीचे के अधिकारी को लगाओ। जिला या राज्य स्तर का अधिकारी लगाओ उसके बजाय उसका जो खर्चा आता है सरकार का, उसमें कम से कम निचले स्तर के 50 लोग लग जाएंगे। गार्ड है, रेंजर है, डी एफ ओ है। डी एफ ओ के नीचे के स्तर के सारे कर्मचारी लगेंगे तभी हमारा वन क्षेत्र सुरक्षित रह पाएगा।

(श्री नगराज)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वन क्षेत्र में वन विभाग की तरफ से कार्य स्वीकृत होते हैं परन्तु उसमें कच्ची दीवार बनाते हैं। माननीय सभापति महोदय, कच्ची दीवार बना दी और गांव के ट्रैक्टर-ट्रोली वाले आकर उस दीवार का देर-सवेर उठाकर ले जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जितनी भी दीवार बने, पहले तो वन क्षेत्र में जहां पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उस एरिये को पहले चिह्नित किया जाए ताकि जितनी भी दीवार बने, वह उसी क्षेत्र में बने जिसके किसी को वह दीवार तोड़कर ले जाने का मौका नहीं मिले। माननीय सभापति महोदय, यह आपसे मेरा निवेदन है।

इसके अलावा मेरा विशेषकर निवेदन यह है कि हमारे यहां पर स्टाफ की कमी है, उनको लगाया जाए और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि रेंजर को दो गाड़ियां दी जाएं। हर रेंज में दो गाड़ी होनी चाहिए। एक ट्रक होना चाहिये ताकि कोई भी अवैध खनन जहां पर हो रहा है या अवैध तरीके से लकड़ियां ले जा रहे हैं तो उनको भरकर और पकड़कर ला सकें। फोरेस्ट की टीम गई और लकड़ियां पकड़ भी लीं तो उनको किसमें भरकर लाएगा, वह माथे पर तो लाने से रहा। इसलिए उसको एक ट्रक दिया जाए और एक बोलेरो जीप या जो भी जीप हो, वह भी दी जाए ताकि वह जंगल की सुरक्षा कर सके और पूरा स्टाफ दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मांग संख्या 40 पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नगराज (धरियावद): दो मिनट। बड़ी मुश्किल से तो बोल रहा हूं। मैं बोलता ही कम हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे धरियावद में नई नगरपालिका बनी है और नगरपालिका क्षेत्र में बहुत सारे काम अभी करने हैं। नई-नई नगरपालिका में आप बजट भी दोगे तो हम उसको कैसे अमलीजामा पहनाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय धारीवाल साहब से, कि हमारी नगरपालिका को पर्याप्त बजट दें ताकि उसमें सड़कें बना सकें, लाइटों की व्यवस्था कर सकें, ड्रेनेज की व्यवस्था कर सकें जिससे वह नगरपालिका प्रगति कर सकें। इस मौके पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 40 पर अपने सुझाव टेबल करना चाहता हूं। आप इसकी आज्ञा प्रदान करें।

श्री सभापति: इजाजत है।

(माननीय सदस्य श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर) के सदन पटल पर रखे गए वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें।)

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40 और 45 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, बाड़ी नगरपालिका में सन् 2000 में मास्टर प्लान बनाया गया, अभी 2023 लग गया। इसमें जो मास्टर प्लान बनाया गया तो कुछ भूमि इसमें अन्य सुविधाओं के लिए रखी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, CHC के लिए, अब उनमें सबमें कालोनी बन चुकी है। राजस्थान सरकार की तरफ से 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जो कॉलोनी है, पहले इन्होंने रिजर्व रखी, उसमें लगभग 90-95 प्रतिशत आबादी बस चुकी है। उन कालोनियों वालों के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही, न ही उनको कोई पट्टे मिल रहे हैं। जब पूरी कॉलोनी में मकान बन चुके तो उनको मास्टर प्लान से निकालकर जो पहले रखा था, 2023 तक ही था, उनको निकाला जाए। 2023 से इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाए। जब वे कालोनियां बन चुकीं तो उनमें मास्टर प्लान बनाने से आगे के लिए कोई फायदा नहीं है। एक तो मास्टर प्लान आगे के लिए नहीं बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, एक कालोनी है कृष्णा कालोनी, संत नगर रोड, बाड़ी, एक कृष्णा कालोनी, रेलवे स्टेशन के पीछे एक आनंद विहार, धौलपुर रोड, बाड़ी, जिन कालोनियों में सभी में आबादी बस चुकी है, इनमें पट्टे जारी कराए जाए। जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, राज्य सरकार द्वारा पट्टे जारी किए जा रहे हैं, इनमें सभी में भी पट्टे जारी किए जाएं। 2023 तक की प्लानिंग थी, अब तो वह भी हो गई। अब तो वह भी समाप्ति की ओर आ गई। अब मास्टर प्लान को आगे नहीं बढ़ाया जाए। उसको समाप्त करके, उन कालोनियों को उसमें से निकालकर उनमें पट्टे जारी किये जाए।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, हमारी जो बाड़ी नगरपालिका है, सन 1953 की बनी हुई है। वह अभी तक सी ग्रेड में ही है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसको कम से कम बी में तो ला ही दें। सबके प्रमोशन हो गए। सरकारी अधिकारियों के हो गए। एम एल ए के मंत्री में हो गए, मंत्रियों के मुख्य मंत्री में हो गए, मुख्य मंत्रियों के प्रधान मंत्री में हो गए, लेकिन बाड़ी नगरपालिका का प्रमोशन कब होगा? मंत्री जी, यह तो आप बता दें। आपका भी प्रमोशन हो गया, एम पी रह लिए। एम एल ए रहे, मंत्री रह लिए। बाड़ी नगरपालिका का प्रमोशन तो आप एक बार कर दें।

सभापति महोदय, हमारे धौलपुर जिले में जो रामसागर, केसर बाग़, वन विहार तीनों सैंक्चुअरी हैं और इनका मुख्यालय सवाई माधोपुर कर रखा है। सवाई माधोपुर जिले की कोई जमीन इन सैंक्चुअरीज में नहीं है। जो जमीन है वह धौलपुर की है। वन मंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसका मुख्यालय धौलपुर, बाड़ी में कराया जाए। करौली के अन्दर 75 से 80 परसेंट जो जमीन है, वह धौलपुर की है। सवाई माधोपुर का कोई लेना-देना नहीं है। चम्बल भी हमारे यहां ही है। वह भी हिस्सा हमारा ही ज्यादा है। हमारे लोगों को तकलीफ होती है। कोई भी काम हो तो हम लोगों को 250 किलोमीटर सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। जब जमीन हमारी, सैंक्चुअरी हमारी और हमको सवाई माधोपुर भागना पड़ता है। सवाई माधोपुर की बजाय उसको धौलपुर में किया जाए।

जो नई सैंक्चुअरी बन रही हैं, इनके लिए मंत्री जी, जो हमारे यहां अभी सोने का गुर्जा में पुल बन रहा है, वहां पर जो रोड है, जब सैंक्चुअरी बन जायेगी तो हमारे समस्या आएंगी। सैंक्चुअरी बनाते समय जो हमारी रोड है, जो कि सैंक्शन हुई है 84 करोड़ रुपये सोने का गुर्जा वाले पुल में लग चुके हैं, उनको इस तरह से सैट करें कि आगे जब रोड बनाएं तो उसमें कोई बाधा नहीं आये।

सभापति महोदय, हमारे यहां एक नया टाइगर रिजर्व भी बन रहा है। उसमें धौलपुर की लगभग 80 परसेंट जमीन है। करौली की लगभग 20 परसेंट के आसपास जमीन है।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि आज ही सदन में इसकी घोषणा करें। न तो करौली वालों को इसका अधिकार मिल रहा है और न ही धौलपुर वालों को मिल रहा है। इसका मुख्यालय बाड़ी, धौलपुर में

(श्री गिर्राज सिंह)

कर दिया जाए। सवाई माधोपुर में मुख्यालय से हमारा कोई फायदा नहीं है और ना ही उनका कोई हक बनता है। जब सैंक्चुअरी हमारे यहां है, टाइगर हमारे यहां है, जमीन हमारी जा रही है, एरिया हमारा जा रहा है और लोग भी हमारे ही परेशान हो रहे हैं, तो इसका मुख्यालय बाड़ी, धौलपुर कर दें। मैं पहले ही मंत्री जी को लिखकर दे चुका हूं।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, आज स्थानीय निकाय और स्वायत्त शासन विभाग पर चर्चा हो रही है। राजस्थान की लगभग आधी से थोड़ी-सी कम आबादी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज 38 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में है और 23.2 प्रतिशत की ग्रोथ से शहर बढ़ रहे हैं, जबकि गांवों की जनसंख्या 12.1 प्रतिशत से बढ़ रही है।

सभापति महोदय, 3 करोड़ की आबादी के लगभग 10 नगर निगम, 36 नगर परिषदें और 194 नगरपालिकायें, 240 स्थानीय निकायों के बारे में चर्चा हो रही है। यह स्वायत्त शासन शब्द कहां से आया? बीकानेर नगरपालिका अधिनियम, 1923 और उदयपुर नगरपालिका अधिनियम, 1945 जब निरस्त हुए तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 बना। उसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन में इस विभाग का नाम स्वायत्त शासन, स्वायत्तशासी संस्थाओं के माध्यम से रखा गया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिया गया, "दायित्व का निर्वहन करते हुए," मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि यह विभाग मंत्रालय नहीं है, दायित्वों का निर्वहन है।

जब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बनें तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने सबसे पहले किसी चीज की घोषणा की तो स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। महात्मा गांधी जी के सपने को आगे बढ़ाया। स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो था, वह महात्मा गांधी के चश्मे को बनाया। देश में एक नये युग की शुरुआत उन्होंने की थी।

सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा कि यह विभाग सेवा का मिशन है। इस मिशन में यदि आज हम शहरों की स्थिति देखें तो स्थिति क्या है? मंत्री

(श्री अशोक लाहोटी)

जी, शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ यह विभाग है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली से जुड़ा हुआ यह विभाग है लेकिन आज हमारे शहरों की स्थिति क्या है? मैं बड़ी गम्भीरता के साथ कह रहा हूं कि आज शहरों की स्थिति में लगभग-लगभग यह मानो कि नारकीय जीवन जी रहे हैं। वह इसलिए कह रहे हैं कि सुबह उठने से लेकर रात होने तक जो-जो काम किसी व्यक्ति को पड़ते हैं, वे सारे काम इसी विभाग से सम्बन्धित हैं।

सभापति महोदय, अगर मंत्री जी चाहें तो मैं आपको दौरा करवा सकता हूं कि आपको शर्म आ जाएगी कि हम जिन शहरों की बात कर रहे हैं, उनमें आजादी के 75 वर्ष बाद भी लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। इसमें मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं कि आप दोषी हो। कई सरकारें गईं और आईं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कहीं तो उनको तय करनी पड़ेगी कि आखिर शहरी लोगों का यह हाल क्यों है। 2035 में शहरों की आबादी 50 परसेंट हो जाएगी इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बड़ी गम्भीरता से इस पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, 2011 का जब मास्टर प्लान बना था तो 44.08 प्रतिशत आवासीय हमने रिजर्व किया था। मंत्री महोदय, थोड़ा-बहुत गुलाब कोठारी जी ने इसको बचाने का प्रयास किया। उन्होंने पी आई एल लगायी। 12 जनवरी, 2017 को 257 पृष्ठों का फैसला आया। उस फैसले का नाम दिया था, 'घुटती सांसों, मरते शहरों को संजीवनी', लेकिन फिर धारीवाल जी आ गए और उन्होंने उस संजीवनी का क्या किया, वह मैं आगे बताऊंगा।

सभापति महोदय, आपने सैकड़ों तरह के अमेंडमेंट करके एक जुमला पकड़ा, 'प्रशासन शहरों के संग' और पूरे के पूरे शहर का आपने गला घोट दिया। गला कैसे घोटा? यह स्वायत्त शासन तो नाम का ही है। इसमें स्वायत्त तो केवल मंत्री जी हैं और शासन भी इन्हीं का है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। इन्होंने 8-10 रिटायर्ड अधिकारियों की एक फौज अपने चारों तरफ इकट्ठी कर रखी है। बस वही पूरा विभाग चला रहे हैं। ना तो किसी ई ओ के पास पावर है, न इनको प्रशासनिक स्वीकृति है, न कोई वित्तीय स्वीकृति है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी रावत, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके साथ जब फाइनेंस कमीशन में गया तो कई नगर निगमों के, मैं अब नाम तो क्या लूं, वहां के मेयर इन्हीं की पार्टी के हैं, वे रोने लग गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी

(श्री अशोक लाहोटी)

के स्थानांतरण की भी मंत्री जी के पास फाइल जाती है तो फिर सफाई की भी मंत्री जी ही जिम्मेदारी लें।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज शहरों की स्थिति क्या है? जयपुर शहर को देखो। यह क्यों हो रहा है? जयपुर शहर के स्वायत्त शासन का एरिया तो मात्र 800 वर्ग किलोमीटर है और जो इन्होंने जे डी ए बना रखा है उसका एरिया है 3,600 वर्ग किलोमीटर। इनको प्रेम वहां से ज्यादा है। इस बार इनकी नजरें कहीं और हैं, निगाहें कहीं और हैं, इस विभाग की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान या तो कोटा के रिवर फ्रंट पर है या दूसरे कामों में है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी, आप चलकर देखें, आप दौरा करके देख लें कि आज शहरों की क्या स्थिति हो रही है। माननीय सभापति महोदय, सुबह उठते ही मैंने कहा न कि मैं पूरे दिन भर का घटनाक्रम केवल आज आपके सामने रखूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। सुबह उठते ही प्रत्येक व्यक्ति शहरों में देखता है कि स्वच्छता के क्या हाल हैं। आज राजस्थान के 28 शहरों में 70 लाख टन कचरा खुले में पडा है। 33 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देने को तैयार है, ये जिद पर अड़े हैं कि 60 प्रतिशत दो, इसलिए उस पर काम करना बन्द कर रखा है। साढ़े चार साल हो गए, अभी तक एक पैसे का काम उस एस बी ए में इन्होंने नहीं किया। एक रुपये का बजट इन्होंने नहीं दिया, न केन्द्र सरकार का बजट ये उठा पाए।

माननीय सभापति महोदय, 473 एकड़, मंत्रीजी, आपको ऐसे समझ में आएगा, 473 एकड़ बेशकीमती जमीन इससे आपकी निकल जाएगी, कई हजार करोड़ रुपये आपको इसमें मिल जाएंगे, इसमें आप काम कराओ। लगभग आज के दिन केवल 18 प्रतिशत कचरे का निस्तारण हो रहा है सारे राजस्थान में, केवल 18 प्रतिशत। मैं यह भी जानता हूं कि मंत्रीजी जब खड़े होंगे तो वो एक लाइन कहेंगे, आप महापौर थे, यह पहले भी कई बार कहते-कहते साढ़े चार साल हो गए। मैं तो केवल दो साल के लिए महापौर था और जब मैं महापौर था तभी जयपुर को पहली बार देश की राजधानियों में नम्बर वन का अवार्ड दिया प्रधान मंत्रीजी ने। आज साढ़े चार साल हो गए, आपके आने के बाद क्या किया वो बताओ।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, अकेले जयपुर में डेली 1,800 टन कचरा निकलता है, 390 टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है और 5 माह में गाय माता के पेट से 40 हजार किलो पोलीथिन निकला है, यह जयपुर का आंकड़ा बता रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, कौन संभालेगा इसको? लोग डिपार्टमेंट नहीं देख रहे हैं कि यह नगर निगम का है कि जे डी ए का है, लोग जानते हैं कि धारीवालजी का विभाग है, लोग जवाब चाहते हैं धारीवालजी से। माननीय सभापति महोदय, मोदीजी ने एस बी ए में हजारों करोड़ रुपये दिए उसकी कोई चर्चा तो ये नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन आपका विभाग क्या कर रहा है वो भी देख लो। जब हम कचरे से निवृत्त होते हैं तो फिर नालियां, सीवरेज, जो शहर की सबसे मूलभूत समस्या है, आज हालात क्या हैं? 80 प्रतिशत जयपुर शहर में मंत्रीजी, कोटा तो छोड़ो, कोटा का तो आपको ध्यान होगा, पूरे राजस्थान का बता रहा हूं, जयपुर राजधानी का बता रहा हूं, 80 प्रतिशत जयपुर शहर में नालियां नहीं हैं। बरसात के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज नहीं है। किसी भी कालोनी में आप चैक करवा लो और जो बड़े नाले बने हुए हैं उनकी सफाई नहीं होती, 15 मिनट की बारिश में जयपुर पूरा डूब क्षेत्र में आ जाता है। आज माननीय सदस्य नरपतसिंहजी ने भी आपसे निवेदन किया था।

माननीय सभापति महोदय, बारिश के पानी की निकासी नहीं है, घुटनों-घुटनों तक पानी भर जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते और जो मैंने कहा न कि नर्क में जीवन जी रहे हैं, यह वाकई में नर्क में जीवन हम शहरों में जी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, लगभग-लगभग केवल नालियां और सीवरेज नहीं होने के कारण मंत्री महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि शहरों में 15 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं 15, जे डी ए, नगर निगम, पी एच ई डी, आर एस ई बी, पी डब्ल्यू डी, बी एस एन एल, आर यू आई डी पी, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, रुडसिको, सिसको, हाउसिंग बोर्ड, केबल नेटवर्क, आवास विकास और रीको। ये 15 डिपार्टमेंट शहरों में काम कर रहे हैं, इनको इंटीग्रेटेड नहीं करने के कारण, कोई प्लानिंग बोर्ड नहीं बनाने के कारण, प्लानिंग अथोरिटी नहीं होने के कारण पिछले 10 साल में जयपुर में 30 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन आज भी आधे से ज्यादा जयपुर कच्ची बस्तियों की तरह डवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष नालियां और सीवरेज नहीं होने के कारण और

(श्री अशोक लाहोटी)

एक दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर कनेक्शन नहीं होने के कारण छह हजार किलोमीटर सड़कें राजस्थान में प्रतिवर्ष केवल नोन प्लानिंग के कारण टूटती हैं, छह हजार किलोमीटर सड़कें। यह नीति आयोग ने आपको आडिट में भेजा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहूंगा मंत्रीजी को कि इस पर ध्यान दें। आप नगर निगम से डाटा मंगवा लो, आज के दिन एक हजार शिकायतें जयपुर शहर में सीवरेज की पेंडिंग पड़ी हैं, एक हजार शिकायतें। माननीय सभापति महोदय, नालियों और सीवरेज के अभाव में हर तीन महीने में जो सड़क बनती हैं वे टूट जाती हैं। हर तीन महीने में, क्योंकि नालियां और सीवरेज नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसका हाल देखो। फिर जयपुर शहर का देखो आप। थड़ी-ठेला, हर शहर के हालात हैं। पूरे राजस्थान में थडी-ठेला, सब्जी-फल, फुटकर व्यापारी हैं, इनके कारण शहरों की क्या स्थिति है? आज जयपुर शहर में 60 हजार थड़ी-ठेलें हैं और पूरे राजस्थान में साढ़े छह लाख थड़ी-ठेले हैं, आपका सर्वे है। आपके पास एन यू एल एम का डाटा पड़ा है। मात्र 12 हजार 296 ही जयपुर में रजिस्टर्ड हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक और बात है। वेंडर्स के गिरोह बने हुए हैं, जिन्होंने फुटपाथ से लेकर सब्जी के ठेलों तक पर कब्जे किए हैं। वे फ्री में नहीं बैठने दे रहे हैं, नगर निगम के अधिकारियों से लेकर हर जगह उनकी बन्धी बन्धी हुई है। सारे फुटपाथों पर उस गिरोह का कब्जा है और वे थडी-ठेला लगाने के लिए 200 रुपये, 500 रुपये से लेकर 2-2 हजार रुपये तक उगाही कर रहे हैं और डिपार्टमेंट सो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 2016 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू हुआ था परन्तु आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। निगम आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं, कौन जवाबदेह है? मैंने कहा न मंत्रीजी, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, 2016 में ही लागू हुआ था, 2 साल बी जे पी गवर्नमेंट थी, आपकी साढ़े चार साल से है, आप यह कहो कि उस समय बी जे पी ने क्या किया था, तो हम इधर आ गए न, आपके आने की इच्छा हो तो आप भी कुछ मत करो।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में एक और आंकड़ा आप देखो। राजस्थान का व्यक्ति काम करे, ठीक है, लेकिन पूरे प्रदेश में सब्जी और पर्टिकुलर कह रहा हूं मैं, आज से पहले सब्जी और फल हमारे राजस्थान के माली समाज के छोटे-छोटे जो फुटकर व्यापारी बेचते थे। आज एक समुदाय

(श्री अशोक लाहोटी)

विशेष के, उत्तर प्रदेश के कोई एक-दो जिलों के समुदाय विशेष के लोगों ने इस पर पूरे राजस्थान में कब्जा कर लिया। दस हजार से ज्यादा थड़ी-ठेले जयपुर में उसी एक समुदाय के यहां पर लगे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के दो जिलों से आए हुए हैं। कौन उनको संरक्षण दे रहा है? किसके संरक्षण में चल रहे हैं? जयपुर शहर में ...(व्यवधान) ये रफीक भाई बता सकते हैं कि किसके संरक्षण में चल रहे हैं।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं। ...(व्यवधान) मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा किसी का भी। ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आज दस हजार से ज्यादा ये थड़ी-ठेले और बार-बार, आप यह पता करो, माननीय मंत्रीजी, कि लालकोठी सब्जी मण्डी में पिछले चार सालों में कितनी बार आग लगी है और उस आग में किसके थड़ी ठेले जले हैं? कौनसा संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है? कौन अपराधी काम कर रहा है और उनको संरक्षण कौन दे रहा है? सारे माली समाज के थड़ी-ठेले पूरे राजस्थान से गायब होने का काम इन चार सालों में हुआ है। वो किसकी सरपरस्ती में हुआ है किसके संरक्षण में हुआ है? इसकी जांच करवाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, ये वेंडिंग जोन कहां गए आपके? वेंडिंग जोन में एक भी आदमी शिफ्ट नहीं होता और नगर निगम कहां कार्यवाही करता है और जे डी ए कहां कार्यवाही करता है। मंत्रीजी, मैंने इसीलिए कहा कि इस बार आपका ध्यान नहीं है। आपने उन रिटायर्ड अपने सलाहकारों की फौज पर यह सारा डिपार्टमेंट छोड़ दिया है। आपकी नजरें कहीं हैं, निगाहें कहीं है। इस बार आपका मन नहीं है इस विभाग में।

माननीय सभापति महोदय, आप हाल देखो पार्कों का। आज बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं पार्क की। माननीय मंत्रीजी, एक पार्क में घूमते है सेंट्रल पार्क में, बिलकुल बहुत अच्छा सेंट्रल पार्क है। धन्यवाद मंत्रीजी, जब से आपने वहां सामने फ्लैट लिया है, उसके बाद से वो पार्क आपने बनाया, उस दिन मैंने मंच पर भी कहा था मुख्य मंत्रीजी को और वो पार्क बहुत बढ़िया है जहां पर आप घूमने जाते हो। एक हमारे यहां पर आपने सिटी पार्क बनाया, उसमें सौ करोड़ रुपये खर्च हुए और आपने पब्लिसिटी हजार करोड़ की की है, बहुत अच्छा

(श्री अशोक लाहोटी)

बनाया है, मैंने आपको धन्यवाद भी दिया है, लेकिन जयपुर में केवल दो ही पार्क नहीं है मंत्रीजी, पूरे राजस्थान में कितने पार्क है वो पता करो। अकेले जयपुर का डेटा मैं दे रहा हूं। 1,800 पार्क हैं जयपुर में, 1,075 नगर निगम के पास है, 200 जे डी ए के पास है। उन पार्कों में आप सेंट्रल पार्क के अलावा किसी दूसरे पार्क में घूमकर बता दो, आप यदि चलते-चलते ठोकर खाकर नहीं गिर जाओ तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। एक भी पार्क में टाइलें नहीं लगी हुई हैं, एक भी पार्क में वाक-वे नहीं बना हुआ है, एक भी पार्क में घास नहीं कटी हुई है और पेड़ों के पैसे कौन खा गया? माननीय सभापति महोदय, सरकारें बदलती रहेंगी, आपने यह किया, मैंने यह किया, यह जयपुर की जनता के प्रतिदिन के काम हैं, छोटे-छोटे काम हैं, जिनको देखती है। मंत्रीजी, इस जयपुर की जनता, पूरे राजंस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है। चार-छह महीने और बचे हैं, अंतिम शासक हो आप इस विभाग के, आप इसको ठीक कर जाओ, बाकी आगे मौका नहीं मिलेगा, जनता आगे मौका नहीं देगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चार-छह महीने से ज्यादा का समय आपका भी नहीं बचा है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हम तो आएंगे उधर, आप इधर।

माननीय सभापति महोदय, 600 से ज्यादा पार्कों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। मेरा निवेदन है मंत्रीजी, हर व्यक्ति की सेहत से जुड़ा, हर व्यक्ति पार्क में जाता है और वहां घूमते-घूमते बद्दुआ देता है, इस पर ध्यान दो। एक रुपये का बजट आपने राजस्थान सरकार के कोष से नगर निगमों में नहीं दिया है। मैं आपको आगे आंकड़ा दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी सुबह स्ट्रीट लाइट की बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि उसको ठेका दे दिया, उसको ठेका दे दिया। मैं कांग्रेस के उन बुद्धिमान व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि ठेका मंत्रीजी और कोई देता है क्या? अभी साढ़े चार साल में ठेके आपने दिए हैं क्या? आर टी पी पी एक्ट लगा हुआ है, आनलाइन बिडिंग होती है। 2 लाख लाइटों का जयपुर में वसुन्धराजी जब मुख्य मंत्री थीं, सिस्को लाइट हाउस प्रोजेक्ट में जयपुर का एम ओ यू हुआ, 2 लाख एल ई डी लाइट पहली बार आई, आज तक भी 1 लाख 67 हजार लाइट नगर निगम से लगी है 38 हजार लाइटें आज भी बाकी

(श्री अशोक लाहोटी)

पड़ी हैं, वो लगा नहीं पाए हैं। फेज वायर नहीं खरीद पा रहे हैं आप, लाइट कहां से लगाएंगे? जब मैं मेयर था, तब लास्ट 40 करोड़ का फेज वायर खरीदा। उसके बाद में यदि खरीदा हो तो उसका डेटा मंगवाकर आप दे देना कि कितना फेज वायर खरीदा है। आपने पिछले साढ़े चार साल में एक रुपये का फेज वायर नहीं खरीदा। लाइट कहां से लगाएंगे? एल ई डी लाइट आपके प्रोजेक्ट में लगने को तैयार है। फेज वायर आपके पास नहीं है, साकेट नहीं है, सर्किट नहीं है, लाइट कहां से लगाएंगे?

सभापति महोदय, यह है शहरों का हाल। मंत्री जी, थोड़ी नीचे नजर डालें। ट्रैफिक जाम, सिटी ट्रांसपोर्ट। अब यह तो और भी छोटा है सिटी ट्रांसपोर्ट वाला विभाग, मंत्री जी इस पर कहां से ध्यान देंगे? जब ये 800 किलोमीटर वाले पर ही नहीं दे रहे तो 200-250 बसों वाले पर क्या ध्यान देंगे, इसलिए इसकी आप दुर्दशा देखिए। मंत्री जी, आपने दो-तीन फ्लाईओवर बनाकर काफी गुणगान किया कि हमने इतने फ्लाईओवर बनाए। सूरत की स्थिति भी हमारे जैसे ही थी। थोड़ी-थोड़ी देर में वहां ट्रैफिक जाम होता था। अभी मैं चुनावों में गया। 111 फ्लाईओवर बन चुके एक पूरे सूरत में। जयपुर जितना ही है सूरत। कहीं पर पांच मिनट का भी ट्रैफिक जाम नहीं है। आज जयपुर की क्या स्थिति है? माननीय विधायक जब मानसरोवर से निकलते हैं तो विधान सभा पहुंचने में इन्हें एक घण्टा लग जाता है। यह प्रतिदिन का हाल है। जगह-जगह ट्रैफिक जाम है। लाखों गाड़ियां हैं। कोई पार्किंग नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, स्वच्छता के बाद इस शहर में सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वह पार्किंग के लिए है। हर घर, गली में झगड़े हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं। हर व्यक्ति के पास दो-दो गाड़ियां हैं। गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। नगर-निगम, जे डी ए के पास कोई प्लान नहीं है। केवल कागजों में बात कर रहे हैं। हर गली में पार्किंग के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। यह शहरों की दुर्दशा हो रही है। यह शहरों की वास्तविक स्थिति है। सभापति महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने चार वर्षों में जे सी टी एल में 16 और मेट्रो में 11 एम डी बदले, इतना जरूर किया इन्होंने। काम कौन करे? पूरा डिपार्टमेंट ठेके पर चल रहा है। एक-दो कोई आर ए एस अधिकारी लगे होंगे, बाकी पूरा का पूरा विभाग ही ठेके पर चल रहा है। एक भी इनके पास वहां परमानेंट कर्मचारी नहीं है। इनके पास वहां कोई अकाउंट्स के आदमी नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, राजस्थान में शहरों की 75 साल बाद भी सबसे ज्यादा दुर्दशा

(श्री अशोक लाहोटी)

है। इनका सर्वे कहता है कि 55 लाख की आबादी में 3,300 बसों की आवश्यकता है। आज मात्र 200 लो फ्लोर बसें हैं। 31 हजार ई-रिक्शा हैं। किशनपोल से आने वाले माननीय विधायक महोदय, उनमें से 26 हजार तो केवल परकोटे-परकोटे में हैं। यदि यही हाल रहा तो परकोटे में पैदल चलने का भी वन-वे करना पड़ेगा। 31 हजार ई-रिक्शा बेतरतीब चल रहे हैं। कहीं कोई प्लानिंग नहीं है शहर की।

सभापति महोदय, मेट्रो सैकंड फेज की बात यहां कई बार हुई। 12 वर्षों में 3 बार डी पी आर बदली गई। 73 पन्नों को उलट-पुलट किया गया। 16 करोड़ रुपये खर्च किए गए। हुआ क्या? रिजल्ट बिलकुल जीरो। क्या हुआ मेट्रो सैकंड फेज का? क्या डी पी आर बन गई? मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मेट्रो को जब तक आप अजमेर रोड की बजाय सांगानेर नहीं लेकर जाते, सब-अर्ब से जब तक मेट्रो नहीं जुड़ेगी, मेन टोंक रोड पर आप मेट्रो लेकर आएं। राजीव चौक की तरह रामनिवास गार्डन में हब बनाएं। सीतापुरा से लेकर रामनिवास गार्डन लाएं। वी के आई से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर लेकर जाएं। वर्तमान रूट को आप सांगानेर डिग्गी रोड से जोड़ दें। सांगानेर में जो प्रिंटिंग होती है, उसकी सारी ट्रेडिंग सिटी में होती है। इस जयपुर का नक्शा बदल जाएगा। पूरे जयपुर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपकी घाटे की मेट्रो उसी दिन प्रोफिट में आ जाएगी। जब तक हम सिटीज को सब-अर्ब से नहीं जोड़ेंगे, तब तक शहरों की इस आबादी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने शहरों को वर्टिकली नहीं बढ़ाया। आपने बिना सुविधाओं के शहरों का एक्सपैंशन कर दिया।

सभापति महोदय, शहरों की एक बड़ी समस्या है, एच टी लाइन, खुले तार। आज इसकी कोई पालिसी नहीं है। एचटी लाइनों से प्रभावित प्रदेश में लगभग 10 लाख मकान हैं। अकेले जयपुर में 5 लाख मकान प्रभावित हैं। अकेले पृथ्वीराज नगर में 20 हजार मकानों को आप पट्टे नहीं दे पा रहे हैं केवल एच टी लाइनों के कारण। मैंने मंत्री जी से भी एक दिन कहा था कि शहरों में जो एच टी लाइन आ रही है, यह प्रसारण निगम की नहीं है, यह शहरों की सप्लाई के काम आ रही है। इसमें सैंटर की आर डी एस एस स्कीम से आप पैसा ले सकते हैं। उस पैसे को लेकर इन्हें अंडरग्राउंड करने का काम करें। 500-700 करोड़ में ये लाइनें अंडरग्राउंड हो जाएंगी। हजारों पट्टे आपके निकल जाएंगे और लाखों लोगों को इससे फायदा मिल जाएगा। सभापति

(श्री अशोक लाहोटी)

महोदय, खुले तारों के लिए आपने जयपुर के परकोटे में स्मार्ट सिटी से 500 करोड़ रुपये लगाए और इन्हें अंडरग्राउंड किया, लेकिन आज वापस वहां क्या हाल हो गया? एक-एक गली में 30-30, 35-35 तार खुले में पड़े हैं। वह जो डक्ट आपने नयी बनायी है, उसमें तार नहीं डले हैं।

स्मार्ट सिटी का पैसा तो लग गया, लेकिन यहां शहर में वॉल सिटी में जाकर आप देखें, हर गली में 30-35 तार खुले में झूल रहे हैं। मंत्री जी, यह शहरों का दृश्य है और मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये चार सर्विसेज हमें अंडरग्राउंड करनी ही पड़ेंगी। आपकी पानी की लाइनें, सीवरेज की लाइनें, खुले तार और जो केबल नेटवर्क के तार हैं, इन चारों की अलग-अलग डक्ट्स बनाकर इन्हें शहरों में खुले में लेना पड़ेगा। पृथ्वीराज नगर के प्लान में जब वसुन्धरा जी थीं तो उन्होंने इसका प्लान बनाया हुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कंसल्टेंसी रिपोर्ट आयी हुई है आपके पास, पर आपको उसमें काम थोड़ी न करना था। 2 हजार करोड़ रुपये पृथ्वीराज नगर के जमा थे। आपने साढ़े चार साल तक ब्याज खाया। 15 परसेंट पैसे नगर निगम को देने थे, वे नहीं दिए। अभी तक केवल और केवल 13 करोड़ रुपये के सीवरेज के टेंडर किए। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस आर डी एस एस स्कीम का फायदा उठाकर मंत्री जी, मानसरोवर को ले लें, किसी एक एरिया को ले लें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन विभाग और मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण विभाग की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पारित होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन विभाग व मांग संख्या 45- वन एवं पर्यावरण विभाग पर विचार

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, शहरों में एक न्यूज आप डेली पढ़ते होंगे। 'श्वान और कुत्तों का आतंक।' यह कोई बहुत छोटा विषय नहीं है। आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा। सभापति महोदय, अकेले जयपुर में डेली 20 से 25 लोगों की डाग बाइटिंग की शिकायत है। आप एस एम एस का डेटा ले लें। पिछले एक साल में 12 लोगों की जान केवल डाग बाइटिंग से चली गई। नगर निगम के अधिकारी यहां बैठे हैं। इनके एक अधिकारी जब टैक्स वसूलने गए तो उन पर कुत्ता छोड़ दिया जिसने उन्हें काट लिया। अब वे बोलने लायक भी नहीं हैं कि क्या करें। न कार्रवाई कर पा रहे हैं, न ही उससे कुछ टैक्स ले पा रहे हैं। यह हाल है इनका।

सभापति महोदय, यदि जयपुर शहर का ही आंकड़ा देखें तो 80 हजार कुत्ते हैं, जिनमें से 25 हजार पालतू हैं। इन्होंने नियम निकाला, केवल 700 लोगों ने लाइसेंस लिया है। 1590 रुपये में डाग के बधियाकरण और उसे पकड़ने का ठेका इन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन वे डेली के 11 ही कुत्ते पकड़ पा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो सर्वे में आया है कि 990 दिन लगेंगे आपको शहर के सारे कुत्ते पकड़ने में। तब तक इनसे 10 गुना ज्यादा और बढ़ जाएंगे। सभापति महोदय, ये सब काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी नीति आयोग ने मंत्री जी, आपको एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें यह लिखा है कि आप आगे से लोन भी नहीं ले पाएंगे।

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, property tax collection by Urban Local Bodies (ULB) in Rajasthan as per the proportion of GSDP is only .02 per cent; which is the lowest in India. आज हालात क्या हैं? आज महामहिम गुलाब चन्द जी कटारिया, जो नेता प्रतिपक्ष थे, जब पहली बार डिबेट हुई थी, उन्होंने इसी सदन में आपसे कहा था कि इन संस्थाओं पर ताले लग जाएंगे। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं इन संस्थाओं में। मंत्री जी, आप अपना टैक्स कलेक्शन ठीक करें, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस डिपार्टमेंट की तरफ आपका ध्यान नहीं है इस बार। इस बार आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यह तो राम भरोसे चल रहा है बस। अधिकारी जैसे चला दें, वैसे ठीक है।

(श्री अशोक लाहोटी)

आप यह देखें कि जयपुर में आपने क्या कर रखा है। अकेले जयपुर शहर में 70 हजार तरह की डी एल सी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते। खुद मुझे प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा कि हमारे पास कोई लेने ही नहीं आता, हम किसे दें? 70 हजार तरह की डी एल सी अकेले शहर में। इनका सरलीकरण करके यदि आप इन्हें यूनिफाइड कर दें और आप इसके लिए कोई एक्ट, कोई प्रावधान लेकर आते, हमारे बराबर के शहरों का मैं उदाहरण दे रहा हूं, सूरत 700 करोड़, हैदराबाद 1,200 करोड़ और जयपुर, कभी 80 करोड़, कभी 60 करोड़ कभी 66 करोड़, कभी 68 करोड़। कहां से डवलपमेंट होगा? कहां से विकास होगा? लोग पैसा देना चाहते हैं। आप उन्हें यह तो बताएं कि आपका यह पैसा इस नियम से लगेगा। नियम नहीं है। एक भी प्रोपर्टी की जांच करवाकर देख लें।

श्री सभापति: पांच मिनट में कन्क्लूड करें आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, अभी तो टाइम है।

श्री सभापति: पांच मिनट।

(समय: 20.00 बजे)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, तीस मिनट थे, अभी तो बीस ही हुए हैं।

श्री सभापति: पूरे तीस दे रहा हूं। पांच मिनट में कन्क्लूड करें अब।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इस पर आप ध्यान दें और इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो आज नगरपालिकाओं के हालात हैं, आज क्यों तनख्वाह नहीं दे पा रहे? क्यों महीनों-महीनों तक तनख्वाह नहीं मिल रही है? इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अभी कोई सुबह कह रहे थे कि द्रव्यवती का यह हो गया, यह द्रव्यवती यदि पूरी कर देते तो यह जयपुर की लाइफ लाइन है। क्या था वह अमानीशाह का नाला? यह कल्पना पेरिस की तरह से थी कि जयपुर में द्रव्यवती बने, यहां इसके चारों तरफ साइकलिंग ट्रेक बने, इसके चारों तरफ लोगों के घूमने के रास्ते बने। उस योजना में 1,500 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, कुल 1,667 करोड़ का यह काम था जिसमें 1,470 करोड़ रुपये 2018 तक खर्च हो गए और केवल 100-150 करोड़ रुपये खर्च करने थे पर इस काम

(श्री अशोक लाहोटी)

को रोक दिया। मंत्री जी, आप जो हर दिन कोटा के रिवर फ्रंट की बात करते हो, यह भी जयपुर का रिवर फ्रंट है। छह महीने बाद यदि कोटा के रिवर फ्रंट का काम रुक गया तब आपके पेट में कितना दर्द होगा, उतना ही दर्द आज हम सब जयपुर के लोगों के है। आज यह द्रव्यवती नहीं बची, यह दुर्गन्धवती नदी बन गई है, यह कचरावती नदी बन गई है, यह बीमारी नदी बन गई है। पूरे जयपुर शहर में मौसमी बीमारियां केवल और केवल आपके कारण और आपके विभाग की अनदेखी के कारण हो रही हैं।

केवल कोटा का ही रिवर फ्रंट नहीं है, सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस बार मंत्री जी यू डी एच मंत्री नहीं हैं, ये कोटा के यू आई टी चेयरमैन हैं। ये कोटा के यू आई टी चेयरमैन हैं और ये केवल कोटा के रिवर फ्रंट की बात करते हैं, केवल कोटा जाते हैं, कोटा की ही बात कर रहे हैं और जयपुर की तरफ सेंट्रल पार्क से बाहर ही नहीं जाते। कई बार हमने आग्रह कर लिया कि मंत्री जी आओ, थोड़ी तो नजरें ईनायत करो, ये टूटी हुई सड़कें देखो, ये बेहाल कचरा देखो। आज जयपुर शहर का हाल क्या है? सभापति महोदय, चारों तरफ कचरे के ढेर, टूटी हुई सड़कें हैं। आगे देखो तो कुत्ता है, ऊपर देखो तो बन्दर है, पीछे देखो तो सूअर है और चारों तरफ ऐसे लगता है कि नरक निगम में हों, यह जयपुर शहर का हाल है।

सभापति महोदय, जयपुर में एक बड़ा शब्द चलता है सील में डील। मंत्री जी, इन अधिकारियों को कब रोकोगे? जे डी ए का तो मैं मानता हूं कि वह तो आपके वश में नहीं है, वे तो आपकी सुनते ही नहीं हैं। जे डी ए में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी तो अपनी कई बार बात हो गई कि ये तो मानते ही नहीं हैं। सभापति महोदय, जयपुर शहर में ये क्या करते हैं कि पहले नोटिस देते हैं। मंत्री जी, मैं कह रहा हूं कि आप जांच बिठा दो, आपके विधायकों की बिठा दो। कितने नोटिस दिए और नोटिस देने के बाद उन बिल्डिंग्स का क्या हाल है, वे बनीं या नहीं बनीं और कितने तरीके के नोटिस के डिस्पेच रजिस्टर प्रत्येक जोन में बने हुए हैं? कितनी सील हुई और उसके बाद उस पर निर्माण हुआ या नहीं हुआ, यह जांच करवा लो। 456 बार आपने तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद में क्या हुआ? वह अण्डर टेबल डील बढ़ गई और कुछ नहीं हुआ तथा वे बिल्डिंग्स वापस बन गईं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप जांच आयोग बिठाकर देख लो। यह सील में डील कब तक चलेगी? इसको रोकने की जिम्मेदारी अपन सबकी है मंत्री जी। ये

(श्री अशोक लाहोटी)

कामर्शियल काम्प्लेक्स बन गए, सड़कें बन गईं, बालकनी टूट गईं। सड़क पर बालकनी निकल जाती है। खुद की जगह पर तो बनाओ पर सड़क पर बालकनी कैसे निकल सकती है? वह अधिकारी को नहीं दिख रहा और एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी जबकि इसमें हाईकोर्ट का नोटिस है। हाईकोर्ट के आधार पर जब आप पहले मंत्री थे तो जिम्मेदारी तय करते हुए आयुक्त को जिम्मेदार बनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने का सर्कुलर आपने निकाला है, वह सर्कुलर की कापी आपको दूंगा।

सभापति महोदय, 'प्रशासन शहरों के संग' और गृह निर्माण सहकारी समितियां। आज हालात क्या है? आपने बहुत ढिंढोरा पीटा और प्रशासन शहरों के संग में आपके पट्टों का आंकड़ा 6 लाख तक पहुंचा है और दस दिन और बचे हैं। 6 लाख पट्टों में जयपुर का क्या हाल है? जयपुर में आपने 74,277 पट्टे दिए हैं। हैरिटेज में 4540 दिए हैं और ग्रेटर में 2356 दिए हैं बाकी जे डी ए ने, हाउसिंग बोर्ड ने दिए होंगे। यह हाल है आपका पूरे जयपुर में। 6 लाख पट्टे आपने प्रदेश में दिए हैं, 97 हजार रोके हुए हैं, 63 हजार निरस्त किये हैं और डेढ़ लाख पट्टों पर निर्णय नहीं हुआ। मंत्री जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सोसायटियों ने वहां पर जो पट्टे काटे उसमें आपने तीन बार घोषणा की कि 1999 के बाद सोसायटियों का हम रिकार्ड जमा कर रहे हैं, हम रिकार्ड आनलाइन कर रहे हैं पर आज जयपुर में हर व्यक्ति पीड़ित है, हर सोसायटी में डबल पट्टा है, हर सोसायटी में डबल कब्जा है, हर व्यक्ति अपने मकान के लिए लड़ रहा है। यह क्यों लड़ रहा है? यह ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? क्या यह सरकार और मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? कौन डील कर रहा है इन सोसायटियों से? माननीय मंत्री जी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये पट्टे किनको मिले? आप मेरी बात मत मानो, आप एक इंडिपेंडेंट जांच बिठा दो, आपके रिटायर्ड अधिकारियों की बिठा दो, आप आपके पार्टी के विधायकों की बिठा दो, पट्टे में केवल वही पट्टा दिया है जिसमें पैसे की डील हुई है। केवल उसी कालोनी का कैम्प लगा है जिसमें पैसे की डील हुई है। जे डी ए की तो मंत्री जी, मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप केवल पांच चीजों की जांच करा लो नगर निगम और जे डी ए की।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, बस पांच मिनट में। सभापति महोदय, पांच मिनट।

श्री सभापति: नहीं-नहीं। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। ऐसे नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं कहीं इधर-उधर नहीं बोल रहा।

श्री सभापति: एक मिनट में आप समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, आप केवल पांच चीजों की जांच करा लो। टी. रविकांत जी ने एक लिस्ट बनायी थी कि सेक्टर रोड का मुआवजा किस-किस को मिला है। जयपुर में केवल 6 लोगों ने 90 परसेंट सेक्टर रोड्स का मुआवजा लिया है। 40 किलोमीटर दूर लैण्ड एक्वायर करवाते हैं और एक लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की लैण्ड उनको मुआवजे में देते हैं। सेक्टर रोड का मुआवजा जोन 9, 14, 11 में, रिंग रोड का, वेस्ट वे हाइट्स का, सेंट्रल स्पाइन का, लोहा मण्डी का, इन पांच की जांच करा लो, आपके विधायकों से करवा लो और 1,500 करोड़ रुपये का घोटाला नहीं निकले तो आप जो कहोगे, वह करने के लिए मैं तैयार हूं। आप जांच आयोग बिठा दो। मंत्री महोदय, आज हालात क्या हैं? केन्द्र सरकार ने आपको कितने पैसे दिए? ...(व्यवधान) सभापति महोदय, दो मिनट में पूरा कर रहा हूं।

श्री सभापति: पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक। प्लीज विराजिये। अंकित नहीं होगा। प्लीज। प्लीज सहयोग करें, विराजिये आप। पुर:स्थापित किए जाने वाला विधेयक। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री हेमाराम जी चौधरी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन विभाग व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण विभाग पर विचार

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वन भूमि है वह 9.60 प्रतिशत है। सरकार द्वारा नई वन नीति अनुमोदित कर राज्य के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में वर्ष 2022-23 में 56,410 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में लगभग 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाएगा। इससे राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों, पंचायतों, स्थानीय निकायों आदि की राज्य में हरियाली बढ़ाने हेतु साझेदारी प्राप्त की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से ट्री आउट साइड फोरेस्ट इन राजस्थान का एक वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार किये जाकर वितरित किये जाएंगे।

राज्य के प्रत्येक जिले में एक लवकुश वाटिका विकसित की जा रही है और प्रत्येक जिले में एक-एक और लवकुश वाटिका इस वित्तीय वर्ष में विकसित की जाएगी जिसका कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

साथ ही जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रुपये की लागत से बाटनिकल गार्डन्स स्थापित किए जाने का कार्य भी करवाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में 32 करोड़ के कार्य कराकर इन क्षेत्रों को विकसित कर आम जनता के लिए खोला जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में पेट्रोलिंग ट्रेक, फायर लाइन, नवीन वन चौकियों तथा वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के

(श्री हेमाराम चौधरी)

सुदृढ़ीकरण, ड्रोन के माध्यम से सीडिंग, वायरलैस सिस्टम में सुधार, ट्रैप कैमरों के नेटवर्क के विस्तार पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा।

वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 2.91 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत था, जो वर्तमान में बढ़कर 3.92 प्रतिशत हो गया है एवं इस प्रकार वैश्विक गाइड लाइन के अनुसार विभाग राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने और इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन कर दिया गया है।

राज्य स्तर पर अभी तक जिन पदों पर पदोन्नत किया जाना था, उनमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर सभी पात्र कर्मचारीगण व अधिकारीगण को पदोन्नत कर दिया गया है। जिला स्तर पर पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है और दो महीने के अन्दर-अन्दर इनकी भी पदोन्नति कर दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में पहली बार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वन विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

वर्ष 2018 से अब तक 9 नये कन्जर्वेशन रिजर्व क्रमशः मनसा माता, शाहबाद, रनखार, शाहबाद तलहटी, फूलियाखुर्द, बाघदर्रा, वाडाखेडा, झालाना-आमागढ़ एवं रामगढ़ घोषित किए जा चुके हैं।

राज्य में रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुन्दरा के बाद चौथा रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है एवं साथ ही धौलपुर में एक नये टाइगर रिजर्व को अधिसूचित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य के टाइगर रिजर्वों से स्वैच्छिक ग्रामों के विस्थापन कार्य को भी गति प्रदान की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से 3 गांव डाबली, पानीढाल व लोज और मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व से 3 गांव-लक्ष्मीपुरा, खरलीबावड़ी व घाटीजागीर और रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से एक गांव गढ़ीतालड़ा पूर्णतया विस्थापित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में गांव मरमदा, चौडक्या कला, चौडक्या खुर्द एवं कालाखोहरा से परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी से इस वर्ष गुलखेड़ी

(श्री हेमाराम चौधरी)

तथा मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मशालपुरा व दामोदरपुरा ग्रामों का विस्थापन भी प्रगतिरत है।

इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा वन्यजीव संरक्षण में जन-सहभागिता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए आमागढ़, कैलादेवी, माउण्ट आबू, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तालछापर, मनसा माता, बीड (झुन्झुनू), बांसयाल खेतडी (झुन्झुनू), जयसमन्द, कुम्भलगढ़, टाडगढ़ रावली, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में सफारी संचालन के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। साथ ही बस्सी, पालीघाट, जैतसागर झील बून्दी एवं कोटा बैराज से गरडिया महादेव एवं जवाहर सागर से भैंसरोडगढ़ में नौकायन प्रारम्भ कर दिया गया है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघरों एवं बायोलॉजिकल पार्क से शाकाहारी वन्यजीवों जैसे चीतल, साम्भर, काला हिरण इत्यादि को प्रे-बेस सुधार हेतु कम घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर रिवाइल्डिंग का कार्य किया गया हैं।

राज्य में आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme प्रारम्भ की गई है।

राज्य में इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 2.94 लाख हेक्टेयर वन भूमि अनसर्वेड थी। विभाग के प्रयासों के फलस्वरूप इस 2.94 लाख हैक्टेयर अनसर्वेड वन भूमि में से 2.83 लाख हैक्टेयर वन भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद भी किया जा चुका है।

तहसील सम जिला जैसलमेर में 2569 हैक्टेयर भूमि को गोडावण व वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभाग को आबंटित कराई गई है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु सम एवं रामदेवरा में कृत्रिम प्रजनन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही खरमोर एवं हरित मुनिया का संरक्षण के प्रयास राज्य में किए जा रहे हैं।

कृष्ण मृगों के लिए नागौर जिले के जसवन्तगढ़ में 359 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित की गई है। अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा तथा बर्ड पार्क, उदयपुर को आमजन के लिए खोल दिया गया है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर एवं सज्जनगढ़ उदयपुर में आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेन्टर स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्य के संरक्षित क्षेत्रों हेतु जो 24 स्थानों पर ईको-सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने हैं, उनमें से 15 ईको सेंसेटिव जोन की अन्तिम अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा तालछापर, सरिस्का, कुम्भलगढ़, फुलवारी, शेरगढ़, राष्ट्रीय मरू उद्यान, रणथम्भौर हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।

लकड़ी व्यापार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में फरवरी माह तक 24.75 करोड़ रुपये तथा बांस योजना के अन्तर्गत फरवरी माह तक 2.74 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है।

वन सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा बेहतर प्रबन्धन हेतु सहायक वन संरक्षक के 127, एसीएफ के और रेंजर ग्रेड-I के 103 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाकर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है। वनपाल के 148 पदों पर तथा वनरक्षक के 2,646 पदों का लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र उनको नियुक्ति दी जाएगी। इन कार्मिकों के नियोजन से विभागीय गतिविधियों के बेहतर संचालन में मदद मिलेगी।

सम्भाग, वन मंडल, रेंज एवं मुख्यालय स्थित कार्यालयों में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 200 से अधिक कम्प्यूटर संसाधनों की व्यवस्था की गई हैं। साथ ही फील्ड डेटा कम्युनिकेशन हेतु वन रक्षक से सहायक वन संरक्षक तक के लगभग 4,200 फील्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को सिम आधारित इन्टरनेट सुविधा दी गई है।

नवीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए फील्ड अधिकारीगण को उच्च स्तर के 25 जी.पी.एस. डिवाइस, 43 लैपटाप उपलब्ध कराए गए हैं। रेंज कार्यालय स्तर तक कम्प्यूटर कार्य करने के लिए लगभग 310 मैन पावर की व्यवस्था की गई हैं, जिससे आई.टी. सम्बन्धित कार्यों में गति मिलेगी।

विभाग द्वारा वन सीमा का डिजिटलाइजेशन कर इसका उपयोग फोरेस्ट फायर प्रबन्धन, कार्य आयोजना तैयार करने तथा ईको सेंसेटिव जोन के प्रमाणीकरण आदि में किया जा रहा है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

फ्रांस सरकार की एजेंसी AFD के सहयोग से राजस्थान राज्य के 13 जिलों में 1,693 करोड़ रुपये की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की जा रही है। परियोजना के तहत 55,000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य, 55 लाख पौधों का वितरण, 100 ओरणों का विकास, वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 610 कि.मी. दीवार का निर्माण कार्य, रामगढ़ विषधारी सेंक्चुअरी, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व एवं भैंसरोड़गढ़ सेंक्चुअरी, कोटा में विकास कार्य कराए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त JICA के सहयोग से 1803.42 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना राज्य के 19 जिलों हेतु तैयार की जा रही है। 8 वर्ष के लिए प्रस्तावित इस परियोजना में लगभग 37,000 हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन वृक्षारोपण, 30000 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने वृक्षारोपण में सुधार, 500 कि.मी. प्रोटेक्शन वाल (पक्की दीवार) निर्माण एवं ओरण विकास आदि के कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

साथ ही, ई-वेस्ट मैनेजमेंट पालिसी एवं जलवायु परिवर्तन नीति तैयार कर ली गई है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु आई आई टी, बाम्बे के तकनीकी सहयोग से राज्य जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है, जिसे विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

थोलाई, जमवारामगढ़, जिला जयपुर में 44 हैक्टेयर भूमि में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क के विकास का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं सतत विकास हेतु 50 आर्द्रभूमियों को अधिसूचित कर उनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता नहीं रहती है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों की संख्या को वर्तमान में 54 से बढ़ा कर 100 तक बढ़ाये जाने की अधिसूचना भी शीघ्र जारी की जा रही है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

प्रदेश में वायु प्रदूषण कम करने हेतु सभी रोलिंग मिल्स में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को अनिवार्य किया गया है तथा उद्योगों में स्थापित होने वाले नये बायलर्स को स्वच्छ ईंधन पर आधारित होना अनिवार्य किया गया है।

ऑनलाइन कंटीन्युअस एमिशन मानिटरिंग सिस्टम एवं सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डाटा एक्वीजिशन सिस्टम के माध्यम से वायु एवं जल प्रदूषण रियल टाइमिंग मानिटरिंग का सुदृढ़ीकरण किया गया है। यह वन विभाग से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय, दूसरा, वन्य जीवों से सम्बन्धित है। वन और वाइल्ड लाइफ भी है इसमें तो वन्य जीवों के सम्बन्ध में जन हानि व पशु हानि - प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र में अथवा बाहर वन्य जीवों द्वारा जन हानि अथवा घायल किये जाने अथवा वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों के मारे जाने की घटनाएं होने पर तत्काल मुआवजा भुगतान की दरें राज्य सरकार के आदेश 10.11.2022 के द्वारा बढ़ाई गई है जिनकी सूची मेरे पास है, वह उपलब्ध करा देंगे और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी वन्य जीवों द्वारा फसलों को किए जा रहे नुकसान से बचाने तथा इनसे उत्पन्न समस्या से निजात दिलाने के कृषि विभाग द्वारा किए जाते हैं। वन विभाग व वन्य जीव प्रभाग द्वारा रोजड़ों व अन्य जंगली जानवरों की रोकथाम हेतु उन्हें नियमानुसार मारे जाने की अनुमति देने हेतु सक्षम अधिकारियों को जरिए अधिसूचना/आदेश से अधिकृत किया गया है।

वन्य जीवों का रेस्क्यू: रेस्क्यू के लिए वन्य जीवों की संख्या बढ़ने के कारण इनके रेस्क्यू की घटनाएं निरन्तर बढ़ रही है। प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर एवं माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर में आधुनिक वन्यजीव रोग निदान एवं रेस्क्यू सेन्टर विकसित किए जा रहे हैं। उदयपुर जिले में पेन्थर्स की संख्या को देखते हुए पेन्थर संरक्षण के लिए पेन्थर रेस्क्यू सेन्टर स्थापित किया जा रहा है। रेस्क्यू की घटनाओं के प्रबोधन हेतु रेस्क्यू एप विकसित किया गया है जिसमें रेस्क्यू किए गए वन्य जीवों की सूचना अंकित की जा सकेगी। रेस्क्यू व मुआवजे हेतु वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 8 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध अब तक 7 करोड़ 38 लाख 86 हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

सभापति महोदय, दूसरा, वन्यजीव सर्विलेंस एण्ड एंटी पोचिंग सिस्टम जिसके तहत वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा और अवैध शिकार की

(श्री हेमाराम चौधरी)

रोकथाम के लिए राज्य के रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) में 12 और सरिस्का (अलवर) में 16, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व (कोटा) में 16 तथा जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, पाली में 4, झालाना लेपर्ड सफारी, जयपुर में 8 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कैमरे स्थापित किए गए।

वर्ष 2022-23 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा में इस प्रणाली के विस्तार की घोषणा की गई जिसके तहत रणथम्भौर में 4, सरिस्का में 14, मुकुन्दरा हिल्स में 4 एवं डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर में 4 अतिरिक्त स्थानों पर इस सिस्टम के तहत कैमरे लगाए जा रहे हैं एवं आगामी वर्ष में यह प्रणाली रामगढ़ विषधारी, नाहरगढ़, आबू पर्वत भैंसरोडगढ़, कुम्भलगढ़ एव रावली टाडगढ़ अभयारण्यों में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस सिस्टम के लगाए जाने से 24X7 वनों की सुरक्षा एवं शिकार की रोकथाम में सहायता मिली है। अवैध गतिविधियों की तुरन्त रोकथाम एवं अन्वेषण में सहायता मिली है। इस प्रणाली के उपयोग से संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ी हुई निगरानी के कारण इन क्षेत्रों के निवासी सचेत हो गए हैं जिससे वन्य जीव अपराधों में लिप्तता की सम्भावना कम हुई है। इस तकनीक में और सुधार कर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम में लिया जाकर वन्य जीवों से सम्बन्धित अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं वन्य जीव प्रबन्धन में और अधिक सहयोग प्राप्त होगा, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

सभापति महोदय, भाजपा की पिछली सरकार के पांच साल के कार्यकाल और हमारी सरकार के चार साल के कार्यकाल में जो अन्तर है हमने उनसे कितना अधिक काम किया, उसका भी मैं थोड़ा विवरण देना चाहूंगा। टाइगर रिजर्व उनके टाइम में एक भी घोषित नहीं हुआ और हमारे टाइम में एक टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। कन्जर्वेशन रिजर्व उनके टाइम में 3 घोषित हुए और हमारे टाइम में हुए हैं9, ईको सेंसेटिव जोन उनके टाइम में 6 घोषित हुए हैं और हमारे टाइम में 10 घोषित हुए हैं। घर-घर औषधि योजना के अन्तर्गत मानव स्वास्थ्य रक्षण एवं इम्युनिटी बढ़ाने हेतु राज्य के प्रत्येक परिवार को औषधियों पौधों का नि:शुल्क वितरण किया गया और इनके टाइम में यह योजना ही नहीं थी। वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए जैसा मैंने पूर्व में कहा, ट्री आउट साइड फोरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत पांच करोड़ पौधे नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाएं एवं जनसाधारण को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

नयी वन नीति, ई-वेस्ट मैनेजमेंट नीति, जलवायु परिवर्तन नीति भी लायी गई। इनके टाइम में यह कोई नीति नहीं थी।

नियुक्तियों के बारे में तुलनात्मक विवरण निवेदन करना चाहूंगा। क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017, सहायक वन संरक्षक, रेंजर ग्रेड-I, वनपाल एवं मंत्रालयिक संवर्ग 24 और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सहायक वन संरक्षक 37 और भाजपा सरकार के टाइम में थे जीरो और हमारे टाइम में 24 ऊपर बताया मैंने। नीचे सहायक वन संरक्षक, ए सी एफ इनके टाइम 37 और हमारे टाइम में 121, रेंजर ग्रेड-I इनके टाइम में एक भी नहीं है और हमारे टाइम में 103, वनपाल...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने स्वीकार कर ली, मंत्री महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): स्वीकार है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, स्वीकार है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): स्वीकार है तो ठीक है।

इसके अतिरिक्त आप शहीदों की बात करते हो, हमने तीन शहीदों के आश्रितों को वनपाल के पद पर नियुक्ति दी है। अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए और भी बहुत सारे लोगों के आवेदन आए हुए हैं लेकिन सबको हम दे नहीं सकते, इतने हमारे पास खाली पद नहीं थे। इसलिये हमने यह निर्णय लिया कि सबको नहीं दे सकते तो कम से कम शहीदों के परिवार को तो अनुकम्पात्मक नियुक्ति दे दी जाए तो हमारे पास जितने भी थे शहीदों के परिवार, उन सबको नियुक्ति दे दी और मैंने कहा न कि तीन तो वनपाल का दे दिया, दो को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्ति दे दी है।

सभापति महोदय, आज वनों के महत्व के बारे में अभी अवस्थी जी ने महत्व बताया और भी दूसरे माननीय सदस्यों ने वनों का महत्व बताया। वनों का कितना महत्व है इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वन हैं तो हम हैं, वनों के बिना हमारा जीवन मुश्किल है। कोरोना काल में आक्सीजन की क्या स्थिति थी? आज अगर वन नहीं होंगे तो यह पर्यावरण जो दूषित हो रहा है इसमें वन कितने सहायक हैं, मनुष्य के ऑक्सीजन के लिए हर तरह से वन कितने सहायक हैं, यह चीज देखने की बात है। वनों के महत्व को आज नहीं, यह अभी सदस्य कह रहे थे बिहारीलाल जी भी और ये किसनाराम जी भी अमृता देवी वाली बात। 21 सितम्बर, 1730 की बात है यह। आज से कितने

(श्री हेमाराम चौधरी)

वर्ष पहले? 1730 में पेड़ों का महत्व समझा। अमृता देवी और उसकी तीन बेटियां हैं, आसू, रतनी और भागू उनके साथ वह शहीद हो गई, 363 लोग शहीद हो गए, लेकिन पेड़ों को नहीं गिरने दिया। इसलिए अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए कहा था कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी पेड़ बच जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है।

सभापति महोदय, पर्यावरण के बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। पर्यावरण में भी हमने बहुत काम किया है। इनके समय में जो काम हुआ, उसकी तुलना में हमारे राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो काम किया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। उद्योगों के सम्मति आवेदन पत्रों के शीघ्रता से निष्पादन एवं मण्डल तक पहुंच सुगम करने के उद्देश्य से 2018-23 की अवधि के दौरान 10 नये आर ओ आफिस स्थापित किए गए, आपके समय में 2 किये गए थे। वर्ष 2018-19 तक राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल में कुल 400 पद स्वीकृत थे और 2022 तक यह पद बढ़कर 687 हो चुके हैं। 2018 तक की अवधि में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में 41 कार्मिकों की नियुक्ति की और हमने 141 की नियुक्ति की।

दोषी इकाइयों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित करने हेतु प्रक्रिया का अभाव था। हमारे समय में, पर्यावरण संरक्षण हेतु बने विभिन्न अधिनियमों के निर्धारित मानकों की अवहेलना कर प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई। पहले तो कोई प्रक्रिया थी ही नहीं। अब तक कुल 862 इकाइयों के विरुद्ध लगभग 52 करोड़ रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। आपके समय में तो खुली छूट थी, किसी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का तो कुछ था ही नहीं, हमने किया। पहले वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत कुल 39 मानव चलित केन्द्र संचालित थे, अब हमने 57 कर दिए है। पूर्व में राज्य के 8 जिलों में 10 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता परीक्षण केन्द्र स्थापित थे। वर्तमान में 24 जिलों में 36 परिवेशीय वायु गुणवत्ता स्टेशन संचालित हैं, शेष 10 स्टेशन भी शीघ्र ही संचालित कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में दो मोबाइल सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता परीक्षण केन्द्र भी संचालित किए जा रहे हैं।

उद्योगों की सतत निगरानी हेतु आन लाइन सतत उत्सर्जन और प्रवाह निगरानी प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2018 तक 212 इकाइयां राज्य मण्डल

(श्री हेमाराम चौधरी)

के पोर्टल से जुड़ीं और हमारे 399 इकाइयां जुड़ी हैं। इस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में हमने यह काम किया है।

अंत में मैं कहना चाहूंगा, आज वन और पर्यावरण विभाग की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों द्वारा विभागीय गतिविधियों के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए गए। मैं प्राप्त सुझावों का परीक्षण करा कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही कुछ माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये, उन सबका मैं जवाब नहीं दे सकता।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा 227 बीघा भूमि को वन विभाग से अन्य को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में बात उठाई। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश विभाग ने प्राप्त कर लिए हैं, यह मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। आगे भी प्रकरण में पूर्ण गम्भीरता से कार्यवाही की जाएगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे और विभाग की तरफ से पूरी पैरवी होगी, पूरा पक्ष रखा जाएगा। पहले जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा बहुत ही अत्यंत प्रभावी ढंग से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। विभाग द्वारा माननीय सदस्य की मांग के अनुरूप ग्रासलैंड व वेटलैंड के विकास हेतु राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही क्लोजर तैयार कर वन क्षेत्रों को रिवाइव करने के प्रयास भी किए जाएंगे। सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही अनुभवी हैं और वाइल्ड लाइफ के मामले में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। जितना ज्ञान और जितना अनुभव वह रखते हैं, उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं तो उन्हीं से ही सीखता हूं।

झाडोल से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा वर्षों से वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के आवागमन हेतु रास्तों की मांग की गई। सरकार द्वारा सामुदायिक वनाधिकार पत्रों को जारी करने हेतु एक विशेष अभियान 01 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे रास्तों के आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुमोदन कर ऐसे रास्तों के निर्माण में आने वाली समस्या को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे।

(श्री हेमाराम चौधरी)

छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा हिंगलोट से मदना खेड सड़क के फोरेस्ट क्लियरेंस की बात उठाई गई। इस सड़क की प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा आवश्यक राशि जमा कराने पर अंतिम स्वीकृति भी जल्द जारी करने के प्रयास किए जाएंगे। जो पैसे हैं, वे तो जमा कराने पड़ेंगे।

फतेहपुर, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा नेहरू पार्क के लिए बजट की मांग की गई। इस हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।

आज चर्चा के दौरान कई सदस्यों द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर लगाई गई पाबन्दी को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग उठाई गई। सरकार द्वारा 419 टन प्लास्टिक केरीबैग जब्त करने के साथ लगभग 4 करोड़ का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा अधिसूचित वाडाखेड़ा कन्जर्वेशन रिजर्व के विकास की राशि की मांग की है। विभाग द्वारा इस स्थान में विभिन्न गतिविधियों के सम्पादन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं माननीय सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन कर दिया गया है और वेटलैंड अधिसूचित कराने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है।

सदन में आज कई माननीय सदस्यों द्वारा भिवाड़ी में प्रदूषण की समस्या की भी बात उठाई गई। सरकार द्वारा 10 वर्ष से पुराने डीजल तथा 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का चलना प्रतिबन्धित किया गया है। 348 औद्योगिक इकाइयों को अनुमत ईंधन पर परिवर्तित कराया गया है। मेकेनिकल रोड स्वीपिंग, एंटी स्मोकगन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लाटों पर निर्माण से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण हेतु ऐप पर इनका पंजीयन अनिवार्य किया गया है। सरकार द्वारा आने वाले समय में और प्रभावी कदम उठाकर प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण दूषित होने के मुख्य रूप से दो तीन कारण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और प्लास्टिक केरीबैग। इस पर जो भी सरकार ने कार्यवाही की है, उसके बारे में काफी कुछ कहने को है। अगर सदन की अनुमति हो तो इसको टेबल कर देते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने गागर में सागर भर दिया, सारी बातें आ गईं। गागर में सागर भर दिया, बहुत अच्छा हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): गागर में सागर भरा या नहीं भरा ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप समझ तो गए ना सारी बात?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सभापति महोदय, वन विभाग का तो दायित्व है ही कि ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्र विकसित हो, पेड़ कटे नहीं, लेकिन इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, अकेला वन विभाग कुछ नहीं कर सकता। वन विभाग के पास स्टाफ की कमी है, यह आप सब जानते हो। कई बार मार भी खाते हैं। सभापति महोदय, राजनीति में बैठे हुए हम लोग भी अवैध खनन में कई बार दखल करते हैं। अतिक्रमण में भी हम लोग पीछे नहीं हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अवैध खनन आखिर कौन करता है? अवैध खनन भी इन्सान ही करता है, अतिक्रमण भी इन्सान ही कर रहा है। पेड़ों को काट भी इन्सान ही रहा है। अगर इन्सान जिस दिन सोच लेगा कि ये पेड़ नहीं कटने चाहिए, अगर पेड़ कट जाएंगे तो, मनुष्य का और पेड़ का चोली दामन का साथ है, इससे बचने की जरूरत है। खासकर अभी विट्ठल शंकर अवस्थी जी ने जो बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहां पर जितने भी माननीय सदस्यों ने जो भी बातें कही हैं, मैं उन सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन आप यह सोचें कि हमारा विभाग और एक हेमाराम इस पर नियन्त्रण कर लेगा, तो यह सम्भव नहीं है। उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आपको मेरे विभाग से कोई भी किसी प्रकार की कोई शिकायत है। जैसे कि प्लांटेशन की बात है, कमेटियां बनाकर कराते हैं, उसमें पैसे खा जाते हैं, गबन हो जाता है। कोई ऐसी चीजें हैं तो आप मेरे ध्यान में लाएं। जब से मैं मंत्री बना हूं, तब से लेकर अब तक कोई भी माननीय सदस्य अगर मेरे पास आया तो मैंने उसकी सुनवाई नहीं की हो, उस पर कार्यवाही नहीं की हो, अधिकारियों से बात नहीं की हो, निर्देशित नहीं किया, तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा राजस्थान है, कहां पर क्या हो रहा है, आप मेरे ध्यान में लाएंगे, जब होगा। बिना ध्यान में लाये तो किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए?

सभापति महोदय, डाइवर्जन की बात है। मोटे रूप में सड़कों के लिए

(श्री हेमाराम चौधरी)

जमीन की जरूरत है। नियमों के अन्तर्गत सड़क बनाने की बात है तो उसके लिए भूमि का डाइवर्जन करवाना पड़ता है। अभी छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का डाइवर्जन का मामला आया, प्रथम स्वीकृति हुई लेकिन पैसा जमा कराना पड़ेगा। उसके लिए जो भी है। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो डाइवर्जन नियमों के अन्तर्गत ही कर सकता हूं चाहे किसी का भी हो। डाइवर्जन के काम में टाइम बहुत लगता है। नीचे लेवल से काम बहुत धीरे चलता है। खासकर लोगों को मालूम भी नहीं है। उसके लिए यूजर एजेंसी चाहिए। कौन रास्ता मांग रहा है? ग्राम पंचायत मांग रही है, पी डब्ल्यू डी मांग रही है, नगर निगम, नगर परिषद् मांग रहा है। कोई मांगने वाली यूजर एजेंसी है, वह आनलाइन एप्लाई करेगी। एप्लाई करने के बाद आप मेरे को बताएं। मैं उसको फॉलो करूंगा और आप भी फॉलो करेंगे। किसी को कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए पीछे तो लगना पड़ेगा। आजकल का जो सिस्टम है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वह वहीं पर पड़ा रहेगा। आप फॉलो करें और मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बतायें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसमें कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। सड़क तो सबके लिए चाहिए। उसमें कोई कांग्रेस वाले सड़क पर चलेंगे या बी जे पी वाले नहीं चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष के माननीय सदस्य आप बता दें, कभी भी आपने कोई काम के लिए कहा हो। जो होने लायक काम हैं, जो वाजिब काम हैं, जो कि नियमों के अन्तर्गत है, कानून के अन्तर्गत है, कोर्ट के निर्णयों के अन्तर्गत है, उसको मैं करने के लिए तैयार हूं। जो नियमों के अन्तर्गत नहीं, कानून के अन्तर्गत नहीं, कोर्ट के निर्णयों के हिसाब से नहीं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें मैं भी लाचार हूं।

श्री सभापति: ठीक साहब।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और अधिकारियों को मैंने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि जो भी माननीय सदस्य यहां पर बोलें, उसको आप नोट करेंगे। आपकी एक-एक बात को अधिकारियों ने नोट किया है। हमारे ए सी एस को भी मैंने कह दिया था। इन्होंने नोट किया है और उस पर वे कार्यवाही करेंगे, जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आश्वासन नहीं।

श्री सभापति: ठीक साहब। मंत्री महोदय, पास करें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): एक मिनट। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मेरे को बता दें।

श्री सभापति: शिकायत होगी तो आपसे मिल लेंगे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): एक मिनट। अधिकारियों के साथ आपको बैठाकर बात करवा दूंगा। आप का जो भी हो, उसका निपटारा करवा दूंगा। अभी बीच में अलवर के सरिस्का का ईको-सेंसेटिव जोन का मामला आया था।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री जी मेरा भी है। 80 परसेंट जमीन हमारी है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): आपकी बात भी हो गई है। आपने बात उठायी, मैंने वहां जाकर उनसे बात कर ली है। आप विश्वास रखो, भरोसा रखो। ठीक है। मैंने आपको कह दिया।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप तो पास कराएं।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जिसने भी जो-जो भी बात उठायी है। मैंने भी उस पर कॉग्नीजेंस ली है और अधिकारियों ने भी कॉग्नीजेंस किया है।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): एक मिनट। सरिस्का में ईको-सेंसेटिव जोन का मामला था। उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, कितने ही एम एल ए बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं। आप इनसे पूछ लें। टीकाराम जी जूली भी बैठे होंगे। मैंने अधिकारियों की मीटिंग की। ए सी एस और इनको सबको साथ बिठाकर, पोल्यूशन बोर्ड, जो कि अपने आप में एक बोर्ड है, अब ज्यादा कहना ठीक नहीं है, फिर भी उनको बुलाया। बुलाकर और ए सी एस के साथ बैठकर मीटिंग करके उसका हल निकाला है। कहने का मतलब है कि कोई भी हल निकालने के लिए बैठकर बात करनी है। मैं मांग करता हूं कि यह मांग पारित की जाए।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री जी, मेरी बात का भी जवाब दे देना।

श्री सभापति: प्लीज, शान्ति रखें। मंत्री महोदय, आप विराजें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, स्वायत्त शासन की मांग 40 की चर्चा के दौरान जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने-अपने सुझाव दिए हैं और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं और उन सभी सुझावों पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके, उन सुझावों पर अमल करवाने का प्रयत्न करूंगा।

कई प्रकार की समस्याएं नगरीय विकास में है और खास तौर पर मैं शहरों के स्वायत्त शासन की बात कह रहा हूं। मैं नगरीय विकास की बात नहीं कर रहा हूं। स्वायत्त शासन विभाग में जितने भी नगर आते हैं निश्चित तौर पर उनमें समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पोपुलेशन बढ़ती जा रही हैं। आगे आने वाले वक्त में 50 परसेंट पोपुलेशन शहरों की होगी। यही कारण था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी इन्हीं दिनों में कम से कम 30 से 35 नगरपालिकाओं की स्वीकृति दी है। नगरपालिकाएं बनाने की स्वीकृति दी है।

मैं सदस्यों को अपनी तरफ से यही आश्वासन देता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव आपकी तरफ से आए हैं, मैं उन सबका जवाब समय रहते एक-एक के पास भिजवाऊंगा। सवाल यह है कि आज देश के हालात क्या हैं? सभापति महोदय, जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई छा रही है, आज अगर कोई आदमी त्रस्त है तो सबसे ज्यादा महंगाई से त्रस्त है। उसी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान चलाना प्रारम्भ किया। आपको ध्यान होगा 2012 और 2013 में भी इसी प्रकार से 'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान चलाया था, लेकिन उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी। महंगाई इसलिए नहीं थी कि केन्द्र में सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जो एक महान अर्थशास्त्री थे, उनकी सरकार थी, लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए ये बातें तय की गईं कि किसी प्रकार से लोगों को कम कीमत पर, उनकी समस्याओं का निराकरण भी हो जाए और उनको मकान मालिकाना हक भी मिल जाए।

माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश से 2 अक्टूबर, 2021 से आम आदमी को राहत देने के लिए 'प्रशासन शहरों के संग' जो अभियान चलाया, वह बीच में रुक भी गया, क्योंकि कोरोना का चक्कर आ गया था, एक कोरोना का दौर फिर आया था। अभी तक इस अभियान में कुल मिलाकर 7 लाख 71 हजार के करीब पट्टे बंट चुके हैं। लाहोटी जी को तो इस बात का ध्यान तो नहीं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है कि कितने पट्टे बंटे हैं? ये कहें कि छह लाख बंटे हैं। क्या 7 लाख 71 हजार बोलने में शर्म आ रही थी? भवन मानचित्र और नाम हस्तान्तरण, उप विभाजन, पुनर्गठन, लीज आदि के करीब 18 लाख 18 हजार मामले अभी तक निस्तारित किए गए हैं। अभी हमने टार्गेट दे रखा था कि 10 लाख पट्टे बांटने का प्रयत्न करें क्योंकि आदमी की आदत होती है कि जब आखिरी टाइम आता है, तब जाकर वह समझता है कि अब आखिरी टाइम आ गया, जब जाकर अपना पैसा जमा करा दें। यह जो वक्त आया है, वह पट्टों की तादाद खूब बढ़ाकर लोगों को मालिकाना हक देगा।

500 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों के नियमन पर पूर्व में प्रचलित 32 प्रकार की दरों को समाप्त करते हुए तीन दरें, सिर्फ तीन दरें, नगर निगम में 100 रुपया, नगर परिषद् में 75 रुपया और नगरपालिका में 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर निर्धारित कर 75 प्रतिशत की छूट दी गई है। अग्रिम दस वर्षीय लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर लीज राशि पर 60 प्रतिशत छूट पर ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी गई है। 300 वर्गगज तक के आवासों पर जी प्लस वन भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क मात्र सिर्फ 500 रुपया रखा गया है। हजारों रुपये लगते थे। 300 वर्गगज तक और 300 वर्गगज से 500 वर्गगज तक सिर्फ 1500 रुपये रखे गए हैं। भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, नाम हस्तांतरण शुल्क को घटाकर के 300 मीटर तक 1 हजार रुपया और 300 वर्गमीटर से ज्यादा 4 हजार रुपया किया है। जिसके 8-8 हजार, 10-10 हजार रुपये लगते थे, उनके सिर्फ 1 हजार रुपया और 300 मीटर से ज्यादा का सिर्फ 4 हजार रुपया रखा गया है। आवास भूखण्डों पर बकाया किश्तें व मूल राशि अभियान अवधि के दौरान एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट, राशि एकमुश्त जमा कराने पर 5 प्रतिशत और 4 किश्तों में जमा कराने की सुविधा दी गई है। उप विभाजन और पुनर्गठन पर लगभग 60 प्रतिशत की छूट दी गई है। नियमों में निर्धारण और ब्याज दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है। 15 प्रतिशत ब्याज लगा करता था, सिर्फ 9 प्रतिशत किया गया है। यह सब कुछ महंगाई से उस त्रस्त आदमी को राहत देने के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो अशोक गहलोत की सरकार ने काम किया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

लीज राशि में आरक्षित दर के स्थान पर आबंटन दर पर नीलामी को छोड़ते हुए लेने की छूट दी गई है। पहले लीज राशि ली जाती थी आरक्षित दर के हिसाब से, लेकिन अब उसको आबंटन दर पर, मान लीजिए कोई भूमि आबंटन सिर्फ दस प्रतिशत पर किया गया है और आरक्षित दर है उसकी मान लीजिए 1 लाख रुपया तो दस प्रतिशत मतलब 10 हजार रुपये पर उसकी लीज राशि ली जाएगी। खांचा भूमि आबंटन आरक्षित दर की दुगुनी दर के स्थान पर आरक्षित दर गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं में आरक्षित दर की 10 प्रतिशत और डी एल सी दर की 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, वह ली जाएगी।

अब पंजीकृत स्टाम्प शुल्क इत्यादि में छूट प्रदत्त की गई है। समाचार पत्रों में जो विज्ञापन आता है, विज्ञापन प्रकाशन का व्यय किसी आवेदक से न लेकर के नगरीय निकाय को स्वयं वहन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पालिका के गठन और मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व की कॉलोनियों में 120 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में प्रीमियम दर 50 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है। 31/03/2019 से पूर्व की कालोनियों में आंतरिक विकास शुल्क और शत प्रतिशत की छूट दी गई है। अवस्थी साहब बता रहे थे कि ई डी सी चार्जेज और ये चार्जेज लिए जाते हैं, उनमें अगर 2019 के पहले की है तो उनमें शत-प्रतिशत की छूट दी गई है, आंतरिक विकास शुल्क में।

बसी हुई कॉलोनियों में जिनमें घनी आबादी, 60 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण है, वहां बसावट के अनुसार 20 फीट चौड़ी सड़कें रखते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे देने की छूट दी गई है। कच्ची बस्ती, कच्ची बस्ती का अब आप कहते हो कि कुछ ही नहीं हुआ। कच्ची बस्ती को सम्भाला किसने है? कच्ची बस्ती को पक्की बस्ती बनाया किसने है? यह कांग्रेस की सरकार थी जिसने हमेशा कच्ची बस्ती की सुध ली। उन गरीबों की सुध ली और लाखों पट्टे कच्ची बस्तियों के पूरे प्रदेश में बांटे गए। अधिसूचित सर्वेक्षित कच्ची बस्तियों के नियमन की कट आफ डेट 15/08/2009 से बढ़ाकर के 31/12/2021 किया गया। 110 वर्गगज से 200 वर्गगज तक के अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग को क्षेत्र की आरक्षित दर व डी एल सी दर, जो भी कम हो, के 10 प्रतिशत पर उक्त अतिरिक्त भाग के पट्टे दिए जाएंगे।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, करीब 800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। इस योजना में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 2023-24 की बजट की घोषणा के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस की रोजगार गारन्टी की घोषणा की गई, जो देश के किसी भी प्रदेश में, भारत देश के किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की योजना नहीं चल रही, जो कि राजस्थान में चलायी गई है। वर्तमान में 4 लाख 61 हजार जॉब कार्ड परिवारों के अंतर्गत 7 लाख 10 हजार व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है।

इंदिरा रसोई, इंदिरा रसोई के लिए एक नहीं बोला। एक नहीं बोला। कौन बोला? इनमें से कोई नहीं बोला? जिन-जिन योजनाओं से लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का फायदा हो रहा है, उनके बाबत एक ने नहीं बोला। 2022-23 में रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1 हजार की गई। 980 रसोइयों के माध्यम से जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बैठाकर प्रति थाली 8 रुपये और राज्य का अनुदान कितना है उस पर? 17 रुपये, मतलब कुल मिलाकर 25 रुपये खर्च हो रहे हैं। यही नहीं, अगर मान लीजिए आपके घर में आपको बच्चे की बर्थडे पार्टी करनी है और 50 आदमियों को खाना खिलाना है तो 50 आदमियों के हिसाब से पैसा जोड़कर आप जमा करा दो और वहां खाना खिलाइए। सारी सुविधाएं दी गई हैं। शुद्ध और पौष्टिक भोजन करवाया गया। अब तक 10 करोड़, लाहोटी जी, ये फिगर नोट कर लीजिए, 10 करोड़ 59 लाख भोजन थालियां वितरित हो चुकी हैं, परोसी जा चुकी हैं।

दानदाताओं द्वारा नि:शुल्क अथवा सस्ती दर पर, टोकन प्राइस पर, अपने स्वयं के खर्चे पर गरीबों को खाना खिलाने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार के द्वारा इन रसोइयों के संचालन के लिए, 17 रुपये तो देते ही है हर थाली पर, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उनको मदद करने के लिए कि ये रसोइयां कायदे से चल पाए, सरकार इन रसोइयों के संचालन के लिए बिजली, पानी सहित नि:शुल्क भवन भी उपलब्ध करा रही है। कम्प्यूटर मय प्रिन्टर, बर्तन, फर्नीचर व अन्य सामग्री क्रय हेतु प्रति रसोई प्रति वर्ष 5 लाख रुपये एकमुश्त दिया जाता है। रसोई के रोजमर्रा कार्यों के संचालन के लिए, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, इंटरनेट का बिल है, रसोई की मरम्मत है, रंग-रोगन है, साज-सज्जा है, उसके लिए 3 लाख रुपये प्रति रसोई प्रतिवर्ष भी दिया जाता है। बजट घोषणा 2023-24 में 2 हजार इंदिरा रसोइयों तक ग्रामीण कस्बों में विस्तार करने की घोषणा भी मुख्य मंत्री जी ने की है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के बाबत रोहित बोहरा जी ने कहा कि इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना में लाभार्थियों को लोन नहीं मिल रहा है। जितना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। बात सही है आपकी। आपका कहना सही है, क्योंकि बैंक्स किसके पास हैं? बैंकों को आदेश कौन देता है? किसके आदेश से बैंक्स चलती हैं? स्ट्रीट वेंडर्स, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 50 हजार रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 1 लाख 82 हजार 123 लाभार्थियों को बैंकों के द्वारा ऋण राशि रुपये 480 करोड़ 96 लाख का वितरण किया गया है, लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। जितने बैंकों के पास में भेजा जाता है चयनित परिवारों को, उनमें से आधे से भी कम में बैंक उनको लोन देती है, क्योंकि बैंकों का हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। बैंकों का सहयोग ही मिलता होता तो हमारे लोक सभा के स्पीकर साहब, अभी फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर कोटा आये। वह किसलिए आये? लोन दिलवाने के लिए, लोन मेला। लोन मेले की जरूरत ही नहीं थी, अगर यह बैंक को-आपरेट करती तो। उसकी जरूरत ही नहीं थी।

स्मार्ट सिटी मिशन के बाबत आपने बताया। आप उदयपुर में देख लीजिए, 421 परियोजनाओं में से 345 पूर्ण कर ली गई हैं और 76 प्रगतिरत हैं। रुकी हुई नहीं हैं चल रही हैं। भारत सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में, राजस्थान देश में अभी द्वितीय स्थान पर पहुंचा है। राजस्थान एक नम्बर पर पहुंचेगा। कोई यह नहीं समझे कि यह केन्द्र की योजना है। केन्द्र ने बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा आधा उनका और आधा हमारा लग रहा है। आधा राजस्थान का लग रहा है। राजस्थान की नगरपालिकाओं का लग रहा है, राजस्थान के विकास प्राधिकरणों का लग रहा है, राजस्थान की सरकार का लग रहा है। उदयपुर में 990 करोड़ के विरुद्ध 770 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए है एवं 172 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं। भूमिगत डक्टिंग, रिवर फ्रंट का सौन्दर्यीकरण का कार्य, पार्किंग का कार्य, ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु उपकरणों का कार्य, हैरिटेज के विभिन्न काम किए गए हैं।

(समय: 21.00 बजे)

जयपुर में 891 करोड़ के विरुद्ध 586 करोड़ के काम पूर्ण कर लिए गए हैं और 423 करोड़ के काम प्रगतिरत हैं। चौगान स्टेडियम, पार्किंग सुविधाएं, विधान सभा में डिजिटल संग्रहालय, कचरा प्रबन्धन हेतु उपकरणों का क्रय, मंदिरों एवं विद्यालयों का जीर्णोद्धार, रामनिवास बाग़ की पार्किंग कार्य।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

लाहोटी जी, एक बात बताओ, आपके समय में जयपुर में कितनी पार्किंग्स बनाई गईं? आपने समस्या बताई, निश्चित तौर पर है। मैं मानता हूं आपकी बात। कितनी पार्किंग बनाई? एक पार्किंग तो बता दो। ...(व्यवधान) रामनिवास बाग की पहली पार्किंग भी हमने बनाई और आज भी जो दूसरी पार्किंग रामनिवास बाग की बना रहे हैं, वह भी हमने बनाई। चौगान स्टेडियम की पार्किंग भी हमने बनाई।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री जी...

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय लाहोटी जी, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोटा पर आता हूं। उस कोटा पर आता हूं जिस कोटा का नाम सुनते ही आप लोगों के पेट में जलन हो जाती है। बार-बार कोटा, बार-बार कोटा, रिवर फ्रंट कोटा, रिवर फ्रंट। नींद नहीं आती होगी रात को। कोटा में 891 करोड़ रुपये के विरुद्ध, जिसमें दोनों का अंश आ गया, केन्द्र सरकार का भी आ गया, राज्य सरकार का भी आ गया, 891 के विरुद्ध 776 करोड़ 9 लाख रुपये व्यय करके 697 करोड़ के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। पार्किंग निर्माण, एम डी एस हास्पिटल का विस्तार, जे के लोन हास्पिटल का विस्तार, जलापूर्ति योजनाएं वगैरह-वगैरह कई काम किए गए हैं।

अटल नवीनीकण, शहरी परिवर्तन, अमृत। अब इसका भी सत्य बताना चाहता हूं। नाम अटल जी का, हमें कोई एतराज नहीं, हम नाम नहीं बदलते हैं। अटल जी बड़े रेस्पेक्टेड आदमी थे। हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छे प्रधान मंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके नाम पर आपने योजना चलाई, हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप करते क्या हो? केन्द्र सरकार का सब काम अपने हाथ में ले लिया। केन्द्र डायरेक्शन देगा उस तरीके से काम करना पड़ेगा, केन्द्र से पूछना पड़ेगा। केन्द्र से यह करना पड़ेगा, वह करना

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी, निरीक्षण करवाना पड़ेगा। देते क्या हो? 25 परसेंट। स्टेट शेयर 67.5 परसेंट और यू एल बी का शेयर 7.5 परसेंट। यह है 10 लाख तक की पॉपुलेशन के। एक लाख से दस लाख की पॉपुलेशन है, उसके आप 33.33 परसेंट देते हो। स्टेट शेयर कितना है? 60 परसेंट। राजस्थान की यू एल बी का शेयर कितना है? 6.67 परसेंट। अगर एक लाख से कम की पॉपुलेशन का शेयर है तो उसका 50 परसेंट देते हो और 50 परसेंट हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन दादागीरी पूरी, निरीक्षण कराओ। ...(व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बीच में मत बोलो। सभापति महोदय, उनको बोलिए। फिर हम भी बोलेंगे बीच में।

श्री सभापति: आप भी बीच में नहीं बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अमृत के अन्तर्गत चार वर्षों में राज्य के 29 शहरों में सीवरेज, जल प्रदाय, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस के कार्यों के लिए 1945 करोड़ रुपये का व्यय कर, परियोजनाओं को गति दी गई है। 1,172 किलोमीटर सीवरेज लाइन 1.61 लाख सीवरेज, आप सीवरेज कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या ये सीवरेज कनेक्शन हमने लंदन में करवाए हैं? ...(व्यवधान) 1 लाख 61 हजार कहां हो गए? 23 एस टी पी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 14.10 किलोमीटर नालों का निर्माण करवाया गया है।

आपने पार्कों की बात की कि आपका तो केवल सेन्ट्रल पार्क पर ध्यान जाता है, ज्यादा से ज्यादा मानसरोवर का पार्क बना दिया। जिंदगी में कभी सोचा भी था कि मानसरोवर में ऐसा पार्क बन जाएगा? कभी मांग की थी क्या? नहीं की, कभी मांग नहीं की, बल्कि मेरी तो आपसे यह शिकायत है, आप जयपुर के मेयर रह चुके हो, आपको जयपुर के बाबत मुझे चिट्ठी, पत्र लिखने चाहिए थे। कोई भी शिकायत थी तो आपको लिखनी चाहिए थी। ...(व्यवधान) आपने इन चार सालों में, जब भी आप मुझसे मिले मोहब्बत से मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। बार-बार नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने एक बार भी किसी प्रकार का पत्र या सुझाव का पत्र मुझे नहीं लिखा। 97 पार्कों का विकास किया गया। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, बीच में इंटरवीन नहीं करें। आप माननीय मंत्री जी को बोलने दें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हम नहीं बोल रहे, वे बोल रहे हैं।

श्री सभापति: उनसे ज्यादा आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज, आप नहीं बोले। ...(व्यवधान) मैं आप लोगों को वॉर्न करता हूं। माननीय सदस्य, कुछ सीख लेंगे तो बुरा हो जाएगा क्या? कुछ परम्पराएं सीख लीजिए। मंत्री आपको ब्लेम कर रहे हैं क्या? मंत्री अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। इसमें कहां दिक्कत है? मेहरबानी करके आप भी, माननीय धारीवाल जी सक्षम है अपना बचाव करने के लिए, आपकी फौज की जरूरत नही पड़ेगी उनको। आप बार-बार बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। प्लीज ...(व्यवधान) माननीय धारीवाल जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लाहोटी जी, आपने जयपुर का पिक्चर खींचा। जयपुर के हालात बताए, उसमें एक चीज और बताई कि जब आदमी यहां चलता है तो आगे कुत्ता, ऊपर बन्दर, पीछे सूअर, यही रह गया आपके पास? आपके जुलूस में अब यह तीन ही शामिल होंगे। अब तक 26 शहरों में सीवरेज के कार्य, 3 हजार 528 करोड़ रुपये राशि की परियोजना स्वीकृत की गई है, उनमें से 20 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है, अमृत टू में। 29 स्थानीय निकायों में, 39 जल निकाय के जीर्णोद्धार राशि 147.33 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाबत बताना चाहता हूं, डेढ़ लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। एक व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपये मकान बनाने के लिए। माह दिसम्बर, 2018 के बाद कुल मिलाकर 1 लाख 56 हजार 316 आवास स्वीकृत कर गरीब व आवासहीन लोगों को 94 हजार 22 आवासों का कब्जा दे दिया गया है और 74 हजार 855 आवास निर्माणाधीन है। रिक्त आवासों के लिए, क्योंकि कई रिक्त पड़े हुए हैं, लोगों ने कब्जे ही नहीं लिए, कुछ राशि दे दी लेकिन उसके बाद में आये ही नहीं, मन बदल गया, कहीं दूसरी जगह पर अच्छा मकान बना लिया, पैसा आ गया इसलिए अर्थ की व्यवस्था होने के बाद में तो वे पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं। खिड़की-दरवाजे लोग ले गए, तो उनके लिए एक नई स्कीम बनायी गई कि 200 रुपये से 300 रुपये महीने, ई.डब्ल्यू.एस. वालों को तो 200 रुपये महीने और एल.आई.जी. वालों को 300 रुपया महीने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पर किराये पर उनको दे दिया जाता है और अगर दस साल तक वे पूरा किराया दे देंगे तो उसके बाद में मालिक भी वे बन जाएंगे, यह स्कीम बनायी गई।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), 2018 से लेकर अब तक 13,391 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। स्वरोजगार के लिए 8,782 व्यक्तियों का तथा 81 समूहों को और कुल मिलाकर 13,966 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। 35,424 युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 9,997 युवकों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया।

पी.एम. स्वनिधि योजना, पी.एम.स्वनिधि के अन्तर्गत प्रथम ऋण दस हजार रुपये हेतु 68,490 अभ्यर्थियों को ऋण वितरण किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के लिए आपने यह बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन चालू किया। स्वच्छ भारत मिशन तो मनमोहन सिंहजी के जमाने में भी चल रहा था लेकिन आपने नाम बदलकर उसको स्वच्छ भारत मिशन करके उसमें महात्मा गांधी के चश्मे का फोटो लगाकर उसको ऐसा पिक्चर दे दिया कि, साहब, हमने चालू की है यह योजना। यह पहले से चालू थी। ...(व्यवधान)

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 3.68 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण और 22,547 शीर्ष सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर 196 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त, ओ.डी.एफ. प्रमाणित किया जा चुका है तथा वार्डों में कचरा संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन, आपने यह बात तो ठीक कही कि, साहब, लीगेसी वेस्ट पडा हुआ है जगह-जगह पर और बढ़ता जा रहा है, तो काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपका जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो उस ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यह आदेश दे रखा है और कई जगह पर जुर्माना भी ठोके गए हैं। आपकी गवर्नमेंट के टाइम भी शायद ठोके गए होंगे और हमारी गवर्नमेंट के टाइम भी एक दो जगह ठोके गए हैं।

अभी जैसे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया था कि, साहब, वह जो प्लांट लगाया गया था 17 करोड़ रुपये का और साल दो साल से वह खराब पड़ा हुआ है, तो खराब होते रहते हैं और ठीक भी होते रहते हैं, प्लांट तो ऐसा ही चलता है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो साल से बन्द ही पड़ा है वह।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, लेकिन पहले तो काम करता था न?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो साल पहले करता था।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मैंने मान ली आपकी बात लेकिन ठीक कौन करवाएगा? पारख साहब, यह बताओ आप। नगरपालिका करवाएगी।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): वे पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं।

श्री सभापति: आपसे वे पूछ नहीं रहे हैं। यह इनकी स्टाइल है पूछने की।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी नगर परिषद् करवायेगी। नगर परिषद् किसकी है? कांग्रेस की तो नहीं है वहां पर। कांग्रेस की तो नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, वह नगर परिषद् के अधीन नहीं है, वह राज्य सरकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। कुछ भी इनका अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वहां काम नहीं हुआ हो तो आप कह देते हो कि, साहब, वहां स्थिति ही नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेहरबानी आपकी, धन्यवाद आपको। आपने वहां पर भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। आपके ही कहने से मैंने वहां की चेयरमैन को सस्पेंड किया, अब वह हाई कोर्ट से स्टे ले आयी, जिसका तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट आप विराजिए। आसन पैरों पर। एक मिनट आप विराजिए।

(श्री सभापति)

आप जब बोल रहे थे तो बार-बार आप धारीवालजी को इंगित कर रहे थे तो धारीवालजी ने एक बार भी जवाब दिया आपको? नहीं, यह गलत है। आपका यह तरीका गलत है। प्लीज, सहयोग करें। आप विराजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्वच्छ भारत मिशन का राज्य का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया। भारत सरकार को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: विराजिये। आप भी उनका बार-बार नाम लेकर बात कर रहे थे। पूछ रहे थे कि, धारीवालजी, आपने ऐसा नहीं किया, तो धारीवालजी हर बात का जवाब थोड़े ही दे रहे थे आपको?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्वच्छ भारत मिशन-2 के बाबत राज्य का एक्शन प्लान स्वीकृत किया जाकर भारत सरकार को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: केयरलेस हो गए ये तो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन को स्वीकृति ही नहीं दी गई बल्कि रखरखाव की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई है।

आर.यू.आई.डी.पी. के बाबत बात हुई। लोढ़ा साहब ने यह कह दिया कि आर.यू.आई.डी.पी. बन्द करो, रूडसिको बन्द करो, तो फिर काम किससे करवाए? जैसे भी है, वैसे भी काम तो इनसे ही करवाना पड़ेगा। आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण में राशि रुपये 3,490 करोड़ रुपये के कार्य 12 शहरों में करवाए जा रहे हैं। आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण, ट्रैन्च वन के अन्तर्गत 2250 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जा रहे हैं। 14 शहर हैं, यदि मैं शहरों का नाम लूंगा तो लम्बा हो जाएगा। जल प्रदाय योजना के कार्य वहां पर प्रगतिरत हैं। आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण, ट्रैन्च-टू के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपये के 16 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय योजना, ड्रेनेज, शहरी सौंदर्यीकरण के काम करवाए जा रहे हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सड़क निर्माण के बाबत, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कुल 566 करोड़ रुपये के मुख्य सड़कों के, मेजर रिपेयर के कार्य भी नगरपालिका क्षेत्रों में करवाए गए हैं।

टाउन हॉल, 8 टाउन हॉल का निर्माण तो पूरा हो चुका है, चार का निर्माण प्रगति पर है और 5 में निविदाओं की प्रक्रिया चल रही है।

ओपन जिम की बात आयी थी तो कई माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्रीजी से ओपन जिम के बाबत कहा, तो, 270 ओपन जिम लगाए जा चुके हैं।

सीवर सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, 176 करोड़ रुपये की लागत से मशीनें, उपकरण उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में 732 मशीनों की आपूर्ति की जा चुकी है। 50 नगरीय निकायों में जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, सहायक अग्निशमन अधिकारियों के 29 पदों पर भर्ती की गई है और फायर-मैन के 600 पदों के लिए अन्तिम परिणाम आने वाले हैं।

नगरीय निकायों का गठन, 23 नई नगरपालिकाओं का गठन किया गया। शायद ये 23 से भी ज्यादा हो गयीं, यह गलत फिगर है।

जन-प्रतिनिधियों को देय मानदेय। किसी ने कहा था कि, साहब, 25 हजार रुपये इनको दे दो। पता नहीं कौन साहब बोले थे? उन्होंने कहा था कि 25 हजार रुपये दे दो, तो जन-प्रतिनिधियों का मानदेय और उनको देय भत्ता जो है वह नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जन प्रतिनिधियों को देय मानदेय और भत्तों में आगामी वर्ष से 20 प्रतिशत की वृद्धि के आदेश दिनांक 11.05.2022 को जारी किए जा चुके हैं।

अब हम आवासन मण्डल की बात करें तो राजस्थान आवासन मण्डल, जिस आवासन मण्डल को आपकी सरकार बन्द करना चाहती थी, आज वह सफलता की नई इबारतें लिख रहा है। उसका टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा आ गया है। 7,000 करोड़ पर आ चुका। 7,500 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर अर्जित किया जा चुका है। आवासन मण्डल ने लीक से हटकर जयपुर में कोचिंग हब, सिटी पार्क, फाउंटेन स्क्वायर, विधायक आवास परियोजनाएं, कांस्टीट्यूशन क्लब, ए.आई.एस. रेजीडेंसी, आवासीय योजनाएं,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, फार्म हाउस योजना, एन.आर.आई. स्काई पार्क, स्टूडियो अपार्टमेंट, एस.एस. रेजीडेंसी और चौपाटियों का निर्माण जैसे काम किए हैं। आपकी सरकार ने तो क्या, जब से स्थापना हुई इस आवासन मण्डल की, तब से लेकर ऐसे काम ही नहीं किए गए। मकान बनाने के अलावा तो कोई दूसरा काम ही नहीं किया था।

नगर नियोजन विभाग के बाबत मैंने आपको बात बता दी है। 184 शहरों में मास्टर प्लान 2013 तक अनुमोदित कर जन सेवार्थ लागू कर दिए गए हैं। विगत चार वर्षों में नगरीय विकास के अंतर्गत विभिन्न विकास के कार्य, अब यह विभिन्न विकास के कार्य प्राधिकरण के बाबत थोड़ा मैं बताना चाहता हूं।

जयपुर विकास प्राधिकरण, चार वर्षों में लगभग 1834 करोड़ रुपये लागत के सड़क निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, विद्युतीकरण, विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग, फ्लाईओवर, आर.ओ.बी., आर.यू.बी. आदि के कार्य सम्पादित किए गए हैं।

साथ ही लगभग 3 हजार 482 करोड़ रुपये के कुल 1397 विकास के कार्य और स्वीकृत किए गए हैं, जो कि पूर्ण हो गए हैं या प्रगतिरत हैं।

अजमेर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चार वर्षों में 92.66 लाख रुपये की लागत से सड़क का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, डिवाइडर निर्माण कार्य, अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लाइन के कार्य हेतु विगत चार वर्षों में लगभग 136.75 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्कों में जिम लगाने आदि सौन्दर्यीकरण के कार्य किए गए हैं।

जोधपुर के सम्बन्ध में बात करें तो चार वर्षों में लगभग 433.96 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, विभिन्न योजनाओं में विद्युतीकरण, विद्युत लाइनों को शिफ्टिंग आदि के कार्य सम्पादित किए गए हैं। 300 विकास कार्यों के लिए राशि 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। बरकततुल्ला खां स्टेडियम के अपग्रेडेशन का कार्य, आधुनिक आडिटोरियम और कल्चरल सेंटर का निर्माण, खेजड़ली में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य आदि शामिल हैं।

माननीय सदस्य दिव्याजी ने कुछ बात कही थी। मैं उनकी जानकारी में ला दूं। पहली बात तो यह है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की कोई

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पत्रावली मेरे पास नहीं आती है। जयपुर विकास प्राधिकरण की पत्रावली भी सिर्फ इसलिए आती है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के एक्ट में मैं चेयरमैन हूं। वहां चेयरमैन मैं नहीं हूं। वहां की कोई पत्रावली मेरे पास नहीं आती। दूसरी बात यह है कि प्राधिकरण के क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र जोधपुर सम्पूर्ण क्षेत्र आता है। यानी जोधपुर शहर का पूरा क्षेत्र आता है। सरदारपुरा क्षेत्र सम्पूर्ण आता है। शेरगढ़ का आंशिक आता है। ओसियां का भी आंशिक आता है। लूणी का भी आंशिक आता है। बिलाड़ा का भी आंशिक आता है और भोपालगढ़ का भी आंशिक आता है। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता इस बात का। अगर आपके मन में कोई कुंठा हो तो उसको निकाल दीजिएगा आप। मेरे प्रति मन में ऐसी कोई बात मत रखिएगा। आपने कहा कि 44 सड़कें प्रस्तावित थीं। 12 सड़कों हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति और तीन सड़कों हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है 44 में से। पहली सड़क है, मुख्य सड़क से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुडों की ढाणी-कोठवाली। यह करीब आधा किलोमीटर की सड़क है। दूसरी सड़क है, बालरवा तिवारी मुख्य सड़क से राइकों की ढाणी वाया प्रेमा राम मेघवाल की ढाणी, बलरवा। तीसरी सड़क है, नया बेरा स्कूल से धोलिया धांधुओं की ढाणी होते हुए बिजवाड़िया सड़क। यह ढाई किलोमीटर की सड़क है। बिलाड़ा और भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो-दो सड़कों की वित्तीय स्वीकृति हुई है। आपके यहां तीन हुई हैं। माननीय विधायक, ओसियां द्वारा प्रस्तावित सड़कें नगर निगम सीमा से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति: माननीय सदस्य। विराजिए प्लीज। अंकित नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए आप।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब कोटा की बात करें। नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा विगत चार वर्षों में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये व्यय कर आर ओ बी, पार्क, एलिवेटेड रोड्स, चम्बल रिवर फ्रंट के कार्य, सड़कों के निर्माण,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सुदृढ़ीकरण के कार्य आदि 742 विकास कार्यों की स्वीकृति जारी की गई थी, जो प्रगतिरत हैं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय सदस्य, प्लीज विराजें आप। अंकित नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय। प्लीज विराजिए आप। कुछ परम्पराएं सीख लीजिए। विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चम्बल नदी पर किए गए विकास कार्य, पशुपालकों के लिए देवनारायण आवासीय योजना, फ्लाई ओवर, ऑक्सीजन पार्क, चिकित्सालय में नवीन ब्लाक के निर्माण कार्य, जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य, नवीन चौराहों, सर्किलों का सोन्दर्यीकरण आदि विकास के कार्य प्रमुख हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोटा देश में एकमात्र ऐसा शहर हो गया जो ट्रैफिक लाइट फ्री होगा। ट्रैफिक लाइट फ्री अगर कोई शहर है तो कोटा अकेला शहर है। उसका परिणाम यह हुआ कि कोटा का प्रदूषण आधे स्तर से भी कम रह गया।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। मंत्री जब रिप्लाई दें तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों ने अपनी बात कह दी। मंत्रीजी रिप्लाई दे रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। हर माननीय सदस्य यदि खड़ा होकर हर बात का जवाब देगा तो सुबह तक भी जवाब पूरा नहीं होगा। (व्यवधान) नहीं, प्लीज। आपसे पूछ नहीं रहा हूं मैं। आसन को आपकी जरूरत भी नहीं है। यह क्या तरीका है? माननीय उप नेता

(श्री सभापति)

महोदय, आप तो इतने वरिष्ठ हैं। आप खुद इस बात को ताईद करते हैं क्या कि इस तरह से माननीय सदस्य इन्टरवीन करेंगे? मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सहयोग करेंगे, शांति बनाये रखेंगे और मंत्रीजी का रिप्लाई सुनेंगे।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोटा का ए क्यू आई बोर्डर के पार रहता था। ए क्यू आई जो 200 के आसपास रहता था, वह अब मात्र 100 के आसपास रह गया है। अब खतरनाक से मोडरेट हो गया है जो कि एक रिकार्ड है।

नगर विकास न्यास, उदयपुर में चार वर्षों में लगभग 230 करोड़ रुपये का व्यय कर सड़कों के सौन्दर्यीकरण कार्य, अफोर्डेबल आवास गृहों का निर्माण और प्रताप नगर सेवाश्रम चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण, सीसारमा गांव में सीवरेज परियोजना के कार्य प्रगति पर हैं।

भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास ने चार वर्षों में 120 कार्यों हेतु लगभग 166 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जोधराज चौराहे पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण, कोठी नदी पर ब्रिज का निर्माण कार्य और गौरव पथ पर सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगति पर हैं।

नगर विकास न्यास, अलवर में चार वर्षो में लगभग 190 करोड़ रुपये व्यय होकर विकास के कार्य करवाए गए हैं। वह लगभग 103 विकास कार्यों हेतु राशि 545 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ में चार वर्षों में 250 करोड़ रुपये का व्यय कर सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाए गए हैं।

नगर विकास न्यास भरतपुर में 140 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। राशि 103.95 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास के कार्य पूर्ण हुए हैं।

नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में चार वर्षों में लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय कर सड़क निर्माण, नाला-नाली निर्माण, पार्कों का निर्माण, लगभग 104 विकास कार्यों हेतु 28 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनके कार्य प्रगतिरत हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नगर विकास न्यास बीकानेर में यह कार्य करीब 30 करोड़ की लागत से 57 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और 38 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं।

नगर विकास न्यास आबू में लगभग 10.80 करोड़ रुपयों का व्यय कर विभिन्न 19 विकास कार्य करवाए गए हैं, जिनमें से 18 विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

नगर विकास न्यास सीकर में चार वर्षों में लगभग 13.34 करोड़ रुपये का व्यय होकर विकास के कार्य करवाए गए हैं।

नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर में चार वर्षों में 5 करोड़ रुपये व्यय होकर सड़क, नाला, पार्क आदि का सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाए गए हैं।

नगर विकास न्यास जैसलमेर में चार वर्षों में 6 करोड़ रुपये व्यय होकर सड़क निर्माण और विद्युतीकरण व पार्क के काम करवाए गए हैं।

आखिर में, नगर विकास न्यास बाड़मेर में चार वर्षों में 42.35 लाख रुपये व्यय होकर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में 50 सिलेण्डर प्रतिदिन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिकाओं को या नगर परिषदों को अपग्रेडेशन के लिए करीब-करीब 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसका मापदण्ड यह होता है कि जिलाधीश इस बात के लिए अपने यहां से रिपोर्ट भेजता है कि वहां की जनसंख्या क्या है, कृषि और अकृषि का क्षेत्र क्या है, नियोजन का प्रतिशत क्या है, लोगों का आय-व्यय का विवरण क्या है, प्रति व्यक्ति आय और आय के स्रोत क्या हैं? जनसंख्या घनत्व व क्रमोन्नत किये जाने के अतिरिक्त व्यय भार और तुलनात्मक विवरण वगैरह यह सारी चीजें भेजता है, उसके बाद में इस बात का फैसला होता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मुझे 25 प्रपोजल प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसी में D से C, C से B, इस तरीके से क्रमोन्नत करने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं, नगर परिषद में क्रमोन्नत करने के लिए दी गई है। इनका पूरा परीक्षण करवाकर, मैं यह समझकर चलता हूं कि जो जनसंख्या बतायी गई है, उसमें माननीय विधायकों ने अपने-अपने पत्र में बताया है, जैसे लालसोट है, अब लालसोट की जनसंख्या इतनी आ रही है कि निश्चित तौर पर उसको क्रमोन्नत करना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में करना पड़ेगा।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कर ही दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यहां आर्डर हो जाएगा क्या? (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि इसमें विश्वास रखना चाहिए। जो वाजिब केस बनता है, चाहे बसेड़ी का हो, चाहे आपका हो, किसी का भी हो, लेकिन उन सबको क्रमोन्नत करने की नीयत सरकार रखती है। इतना ही मेरा निवेदन है।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आखिर में मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40 को पारित किया जाए।

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-स्वायत्त शासन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,72,84,38,000/- (एक सौ तीन अरब बहत्तर करोड़ चौरासी लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-वन एवं पर्यावरण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,78,24,36,000/- (सोलह अरब अठहत्तर करोड़ चौबीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 16 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.32 बजे गुरुवार, 16 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मारवाड़ जंक्शन में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र

336. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने नवीन प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किए गए तथा कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक खोले/क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चिकित्सा महाविद्यालयों में स्पीच थैरेपिस्ट की भर्ती

337. श्री अशोक (खण्डार): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2013 में प्रदेश के स्पीच थैरेपिस्ट के पद किस-किस चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृत किए गए थे? महाविद्यालयवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त पद स्वीकृत होने के पश्चात् भी अब तक उक्त पद पर भर्ती हेतु नियम नहीं बनाए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के क्रियान्वयन में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्पीच थैरेपिस्ट के कुल 18 पद स्वीकृत किए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पद संख्या
1	अजमेर	03
2	बीकानेर	02
3	जयपुर	03
4	जोधपुर	04
5	उदयपुर	03
6	कोटा	03
योग		**18**

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में स्पीच थैरेपिस्ट के 02 पद आदेश दिनांक 16.09.2013 द्वारा सृजित किए गए।

(2) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अराजपत्रित संवर्ग के सेवा नियम वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सेवा नियमों का अनुमोदन वर्ष 2020 में किया गया है। उक्त सेवा नियमों में स्पीच थैरेपिस्ट के पद से सम्बन्धित सेवा नियम भी सम्मिलित हैं।

(3) जी हां। चिकित्सा महाविद्यालयों के अराजपत्रित सेवा नियम अधिसूचित होने तक स्पीच थेरेपिस्ट के पदों को सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से भरा जा रहा है। नियम अधिसूचित होने पर उक्त पदों पर नियमित भर्ती की जा सकेगी। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में स्वीकृत 02 नियमित स्पीच थैरेपिस्ट के पद भरे हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गुगारा (सीकर) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

338. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर के ग्राम गुगारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र पर स्टाफ का पदस्थापन व स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(2) क्या सरकार उक्त भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर के ग्राम गुगारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुगारा, सीकर में राजपत्रित संवर्ग के विशेषज्ञ/चिकित्सक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	HOS POST	SPL	SAN	WORK	VACANT
1	JS	MED	1	1	0
2	JS	SUR	1	1	0
3	SMO		1	1	0
4	MO		2	2	0
TOTAL			**5**	**5**	**0**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुगारा में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
वरिष्ठ नर्सिंग आफिसर	2	2	0
नर्सिंग आफिसर	7	7	0
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	2	0
तकनीकी सहायक	1	1	0
वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	1	0	1
लैब टेक्नीशियन	1	0	1
फार्मासिस्ट	1	1	0
सहायक रेडियोग्राफर	2	1	1
कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0
वार्ड बाय	5	1	4
स्वीपर	1	0	1
कुल	**24**	**16**	**8**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुगारा में 37 प्रकार की जांचें की जा रही हैं एवं मांग अनुसार दवाइयां उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में नवीन भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुगारा संचालित है।

बाड़मेर में फसल खराबे का मुआवजा

339. श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में खरीफ फसल का क्लेम देने का आधार क्या है? क्या विभाग द्वारा क्राप कटिंग हेतु तहसील स्तर पर आंकड़े जुटाने एवं समीक्षा बैठक के बाद क्लेम निर्धारित किया जाता है? यदि हां, तो आंकड़ों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विगत तीन वर्ष में उक्त के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ 2021 में बाड़मेर जिले में 23 बीमा इकाई-फसल युग्म में निष्फल बुवाई की अधिसूचना के अनुसार, साथ शेष में बीमा इकाई फसल युग्म में क्राप कटिंग के आधार पर क्लेम निर्धारित किये गए। बीमा कम्पनी द्वारा निष्फल बुवाई के अंतर्गत 2.31 करोड रु. के बीमा क्लेम 0.12 लाख फसल बीमा पालिसी धारक किसानों को तथा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणामों के आधार पर 538.91 करोड रु. के बीमा क्लेम 9.28 लाख फसल बीमा पालिसी धारक किसानों को जारी किए गए हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम प्रमुख रूप से फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज परिणामों के आधार पर नियत किये जाते हैं। फसल कटाई प्रयोग राजस्व मण्डल, अजमेर के तकनीकी मागदर्शन में कृषि एवं राजस्व विभाग के प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। पटवार मण्डल पर अधिसूचित फसलों हेतु 4 तथा तहसील स्तर पर अधिसूचित फसलों हेतु 16 फसल कटाई प्रयोग सम्पन्न कराए जाते हैं।

(2) जिले से प्राप्त सूचना अनुसार खरीफ 2021 में फसल कटाई प्रयोगों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

थानागाजी में आर ओ संयंत्रों की स्थापना

340. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पेयजल समस्याग्रस्त गांव व ढाणियों में आर ओ संयंत्र लगाए जाने हेतु कौन-कौनसे स्थान चिन्हित कर उनमें से कितने स्थानों पर आर.ओ. स्थापित कर दिए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभागीय मापदण्डानुसार आर.ओ. संयंत्र पेयजल गुणवत्ता प्रभावित स्थानों पर पेयजल की गुणवत्ता सुधार हेतु स्थापित किये जाते हैं। भारत सरकार के समेकित प्रबन्धन तंत्र दिनांक 09.03.2023 को अपडेटेड स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत ब्लाक थानागाजी में सभी गांव एवं ढाणी की पेयजल गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डानुसार है।

अत: विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में किसी भी गांव एवं ढाणी में आर.ओ. संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं है।

जैतारण में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत

341. श्री अविनाश (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्तमान में कुल कितने हैण्डपम्प चालू व कितने खराब हैं? ग्राम पंचायत व ग्रामवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्तमान में शहरी क्षेत्र में कुल 26 विभागीय हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिनमें से 21 हैण्डपम्प चालू व 05 हैण्डपम्प सूखे (सीजनल) हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 3,355 विभागीय हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिनमें से 2,962 हैण्डपम्प चालू, 05 हैण्डपम्प खराब, 179 हैण्डपम्प नकारा एवं 209 हैण्डपम्प सूखे (सीजनल) हैं। ग्राम पंचायत व ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में खराब पाये गए विभागीय हैण्डपम्पों को विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2022 से प्रारम्भ 46वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत नियमित रूप से ठीक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र जैतारण के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 02.03.2023 तक हैण्डपम्प खराब होने की प्राप्त 1,569 शिकायतों में से 1,564 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, शेष हैण्डपम्पों का मरम्मत करने का कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खनिज उत्पादन से प्राप्त राजस्व

342. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौन-कौनसे खनिजों का उत्पादन कौन-कौनसी खदानों से किया जाता है? उक्त से कितना राजस्व प्राप्त होता है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व कौनसे खनिज से प्राप्त होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रधान एवं अप्रधान खनिजों का उत्पादन होता है। प्रधान खनिजों में जिंक, लेड, कापर, केडमियम, सिल्वर का उत्पादन भूमिगत खदानों (अण्डर ग्राउण्ड माइन्स) से व अन्य प्रधान खनिजों का उत्पादन खुली खदानों (ओपन कास्ट माइन्स) से होता है। इसी प्रकार अप्रधान खनिजों का उत्पादन मुख्यतया खुली खदानों (ओपन कास्ट माइन्स) से होता है। उक्त खनिज उत्पादन से वर्ष 2021-22 में रुपये 5,795.77 करोड़ एवं 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) में रुपये 5,219.89 करोड़ का राजस्व स्थिरभाटक/रायल्टी के रूप में प्राप्त हुआ है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व खनिज जिंक से प्राप्त होता है। खनिज जिंक से वर्ष 2021-22 में रुपये 2,370.12 करोड़ एवं 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) रुपये 2,506.97 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में सरकारी भूमि पर अवैध खनन

343. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): यह खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर के खारिया खंगार स्थित बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री को विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में लीज पर खनन पट्टे जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो कब व कौन-कौनसे खसरे एवं रकबा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में फैक्ट्री द्वारा सरकारी, चरागाह व गोचर भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसे राजकीय, चरागाह व गोचर एवं राजस्व खसरों पर अवैध खनन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध खनन के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा कई बार जिला कलेक्टर को शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं? यदि हां, तो किन-किनके द्वारा व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में खारिया खंगार स्थित बिरला व्हाइट सीमेंट के नाम विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होकर मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. के नाम दो खनन पट्टे केप्टिव प्रयोजनार्थ स्वीकृत हैं। उक्त खनन पट्टों की स्वीकृति दिनांक एवं खसरा नम्बर सहित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. द्वारा खनन कार्य स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में ही किया जा रहा है।

(3) मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. के द्वारा किये जा रहे खनन के सम्बन्ध में वर्ष 2019-20 से 2022-23 (दिनांक 10.03.2023) तक जिला कलेक्टर नागौर को स्थानीय निवासियों द्वारा 2 शिकायतें की गईं। शिकायतकर्ता का नाम एवं शिकायत प्रस्तुत करने की दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(खान मंत्री)

(4) खण्ड 2 के जवाब में अंकित अनुसार मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. द्वारा खनन कार्य स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में ही किया जा रहा है। अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।

उल्लेखनीय है कि अवैध खनन की रोकथाम हेतु एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 के प्रावधानों के अनुसार विभाग के अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों के द्वारा नियमित/आकस्मिक रूप से चेकिंग की जाती है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करने बाबत एस.आई.टी. का भी गठन किया हुआ है। अवैध खनन की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भूडला (बस्सी) ग्राम पंचायत में सी सी रोड एवं नाली निर्माण

344. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति तूंगा की ग्राम पंचायत भूडला द्वारा कार्ययोजना वर्ष 2022-23 में सी सी रोड एवं नाली निर्माण हेतु प्रस्ताव सं. 01, दिनांक 21-02-2022 लिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करवा दिया गया है व उक्त पर कितना व्यय किया गया? यदि नहीं, तो अब कब तक करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समाधान हेतु ग्राम रोजवाड़ी में तकनीकी मानदण्डों के विरुद्ध बनी सड़क हटाकर, हायर सैकण्डरी विद्यालय के सामने से बांसखोह-लवाण सड़क के किनारे-किनारे वर्षा जल बहाव का नाला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति तूंगा की ग्राम पंचायत भूडला द्वारा सीसी रोड एवं नाली निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 21.02.2022 को पंचायत बैठक में लिया गया है, लेकिन उक्त कार्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022-23 में शामिल नहीं है क्योंकि ग्राम

(पंचायती राज मंत्री)

पंचायत की वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना दिनांक 21.02.2022 से पूर्व ही बन चुकी थी। उक्त कार्य को वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना में इन्द्राज कर लिया गया है।

(2) जी हां। हायर सैकण्डरी विद्यालय के सामने से बांसखोह-लवाण रोड तक वर्षा जल बहाव हेतु नाला निर्माण कार्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शामिल कर लिया है।

रोहट (पाली) पंचायत समिति में पंजीकृत नरेगा श्रमिक

345. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारन्टी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति, रोहट के किस-किस गांव में कितने-कितने श्रमिक नरेगा कार्य हेतु पंजीकृत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी, 2023 तक कितने-कितने नरेगा श्रमिकों को कितने-कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नरेगा श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितने-कितने नरेगा श्रमिकों को उक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) पाली जिले की पं.स. रोहट में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार पंजीकृत श्रमिक संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी, 2023 तक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गए रोजगार दिवसों की संख्या व श्रमिक संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को राज्य मद से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में 25 अतिरिक्त दिवसों का रोजगार राज्य के सभी ग्रामों में श्रमिक परिवारों को उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कठूमर में नवीन पंचायत समिति

346. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नई पंचायत समिति बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त पंचायत समिति बना दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(14)पंरावि/विधि/पुनर्गठन (पार्ट)/2022/1454 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा पंचायत समिति, कठूमर का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति भनोखर का गठन किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डूंगरपुर में उचित मूल्य की दूकानों पर राशन डीलर

347. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में उचित मूल्य की दूकानों पर राशन डीलर नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार राशन डीलरों को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला डूंगरपुर में कुल 563 उचित मूल्य दुकानों में से वर्तमान में 32 उचित मूल्य की दुकान निरस्त त्यागपत्र आदि के कारण रिक्त हैं।

उक्त रिक्त 32 दुकानों में से 21 दुकानों हेतु दिनांक 08-2-2023 को विज्ञप्ति जारी की जाकर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया संपादित कर उचित मूल्य दुकानों का आबंटन किया जावेगा। 06 उचित मूल्य दुकानों की अपील लम्बित है तथा 05 उचित मूल्य दुकानें ब्लाक आसपुर एवं साबला में हैं जहां उचित मूल्य दुकान आबंटन सलाहकार समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। गठन उपरान्त उक्त उचित मूल्य दुकानों का यथाशीघ्र आबंटन किया जायेगा।

बाली में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

348. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में नगरपालिका बाली, खुडाला-फालना, सादड़ी व ग्रामीण क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने बच्चे व महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बाली में कितनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं व कितने केन्द्रों के भवन मरम्मत योग्य हैं? सरकार द्वारा उक्त का मरम्मत कार्य कब तक करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में नगरपालिका बाली में 8, खुडाला-फालना में 11, सादड़ी में 7 व ग्रामीण क्षेत्रों में 308 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में 28,364 बच्चे व महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बाली में 158 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं व 95 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन मरम्मत योग्य हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ एवं ब पर संलग्न है।

सरकार द्वारा मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का मरम्मत कार्य बजट की उपलब्धता पर करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

349. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब से संचालित किया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की क्या स्थिति है व कितने किराये के भवन में संचालित हैं तथा कितनों के भवनों की मरम्मत व कितने नये भवन बनाने की आवश्यकता है? क्या उक्त के प्रस्ताव विभाग द्वारा जिला कलेक्टर को भिजवाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल 2119 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष में स्वीकृत केन्द्र	वर्ष में कुल संचालित आं.बा. केन्द्र
1	1975-76	75	75
2	1982-83	136	211
3	1983-84	225	436
4	1985-86	327	763
5	1987-88	120	883
6	1989-90	50	933
7	1994-95	1	934
8	1995-96	126	1060
9	2001-02	35	1095
10	2004-05	27	1122
11	2005-06	395	1527
12	2006-07	127	1654
13	2007-08	83	1737
14	2008-09	28	1765
15	2009-10	157	1922
16	2010-11	50	1972
17	2012-13	70	2042
18	2015-16	68	2110
19	2016-17	19	2119
20	2017-18 से 2022-23		2119

(2) वर्तमान में जिला बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की संचालन की स्थिति परियोजनावार निम्नानुसार है-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र. सं.	परियोजना	कुल संचालित केन्द्र	विभागीय भवनों में	सरकारी स्कूल में	अन्य सरकारी भवन में	सामुदायिक भवनों में	किराए के भवनों में			मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवन
							शहरी	ग्रामीण	कुल	
1	आनन्दपुरी	213	162	25	6	4	0	16	16	116
2	बागीदोरा	290	215	30	3	20	0	22	22	202
3	बांसवाड़ा	242	96	47	11	10	54	24	78	57
4	गढ़ी	204	161	30	3	10	0	0	0	31
5	घाटोल	267	234	14	3	4	0	12	12	224
6	कुशलगढ़	278	189	40	3	31	15	0	15	139
7	छोटी सरवन	132	69	24	3	3	0	33	33	58
8	सज्जनगढ़	253	204	33	0	4	0	12	12	124
9	तलवाड़ा	104	66	19	3	2	0	14	14	44
10	अरथूना	136	116	08	4	7	0	1	01	93
	योग	**2119**	**1512**	**270**	**39**	**95**	**69**	**134**	**203**	**1188**

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

जिले में शहरी क्षेत्र में 69 व ग्रामीण क्षेत्र में 134, कुल 203 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। जिले में कुल 1188 आंगनबाड़ी केन्द्र मरम्मत योग्य हैं, जिनमें से 734 आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव मरम्मत हेतु जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा को भिजवाए गए हैं।

जिले में कुल 607 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं जो अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से 384 आंगनबाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा को विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से भवन निर्माण करवाने हेतु भिजवाए गए हैं।

पचपदरा में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

350. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नई सड़कों के निर्माण व क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में 15 नवीन सड़कों तथा 8 क्षतिग्रस्त सड़कों के प्रस्ताव माननीय विधायक पचपदरा से प्राप्त हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त सड़कों में से 2 सड़कों का निर्माण बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या-95 (I) में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 250 व 250 से अधिक आबादी के डामर सड़कों से वंचित राजस्व गांव के अन्तर्गत स्वीकृति जारी हो चुकी है। 6 सड़कों के निर्माण व 2 क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या-94 (I) में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ के कार्य के तहत प्रस्तावित (स्वीकृति प्रक्रियाधीन) हैं तथा 1 नवीन सड़क तथा 1 क्षतिग्रस्त सड़क बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या-30 (I) में सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के तहत प्रस्तावित (स्वीकृति प्रक्रियाधीन) है।

शेष 11 सड़कों (6 नवीन एवं 5 क्षतिग्रस्त डामर सड़क) का निर्माण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एवं नवीनीकरण राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सागवाड़ा की ग्राम पंचायतों में विकास पथ

351. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कितनी ग्राम पंचायतों में विकास पथ बन चुके हैं व कितने शेष हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के विधायक द्वारा अब तक सड़क एवं पुलिया निर्माण के कितने प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गए हैं? सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई व क्या-क्या कार्य करवाए गए तथा उक्त में से कौन-कौनसे कार्य अब तक अपूर्ण हैं? विवरण सदन के मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी। विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की ग्राम पंचायत चितरी में विकास पथ का कार्य स्वीकृत कर पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष विकास पथों का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के माननीय विधायक द्वारा सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के 29 प्रस्तावों को राज्य सरकार को भिजवाया गया। कुल 29 प्रस्ताव में से 15 कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, जिनमें से 2 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष 13 कार्य प्रगतिरत हैं। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कालाडेरा (चौमूं) से हस्तेड़ा तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण

352. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कालाडेरा से हस्तेड़ा तक सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आए-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कालाडेरा से हस्तेड़ा सड़क का निर्माण वर्ष 1999 में किया गया। उक्त सड़क का मुख्य मंत्री बजट घोषणा 2010 में चैनेज 0/0 से 3/750 तक (कालाडेरा से मलिकपुर मोड़ तक) 3 मीटर से 5.50 मीटर चौड़ाई में अपग्रेडेशन किया गया है एवं पी एम जी एस वाई योजना में वर्ष 2008 में मलिकपुर मोड़ से हस्तेड़ा (3/750 से 14/0 तक) 3 मीटर से 5.50 मीटर तक चौडाई में अपग्रेडेशन किया गया है।

(2) जी नहीं। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। थानाधिकारी की रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) कालाडेरा से हस्तेड़ा क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल मुक्त करने की कार्ययोजना

353. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश में स्टेट हाईवे पर संचालित टोल नाकों पर निजी वाहनों (छोटे वाहनों) को टोल टैक्स से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों (छोटे वाहनों) को टोल मुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल मुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार का नीतिगत मामला है।

श्रमण संस्कृति व जैन बोर्ड का गठन

354. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमण संस्कृति व जैन बोर्ड गठित करने की मांग की जा रही है? यदि हां, तो सरकार को अब तक किन-किन संस्थाओं व जन-प्रतिनिधियों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं? उक्त ज्ञापनों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में जैन संस्कृति एवं साधु-साहित्यों के निर्बाध आहार-विहार की रक्षा हेतु श्रमण संस्कृति बोर्ड गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जैन संस्कृति एवं साधु-साहित्यों के निर्बाध आहार-विहार की रक्षार्थ प्रदेश में श्रमण संस्कृति बोर्ड गठन की मांग के सम्बन्ध में सकल दिगम्बर जैन समाज पिडावा, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर प्रबन्धकारिणी समिति, जयपुर तथा जन-प्रतिनिधि मोहित जैन जयपुर द्वारा प्रेषित ज्ञापन की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जैन समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित है तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पूर्व से ही अल्पंसख्यक आयोग गठित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

उदयपुर जिला जेल की कैदी क्षमता

355. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला उदयपुर में उदयपोल बस स्टैण्ड के पास स्थित जिला जेल का कुल क्षेत्रफल कितना है? उक्त जेल में कुल कितने कैदी रखने की क्षमता है व वर्तमान में कुल कितने कैदी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर परिसर का कुल क्षेत्रफल 5.6 हैक्टेयर है। दिनांक 31.01.2023 की स्थिति अनुसार केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर की बन्दी क्षमता 910 के विरुद्ध 1190 बन्दी निरुद्ध रहे हैं।

मनोहर थाना में पिछड़ा वर्ग के नवीन छात्रावास की स्थापना

356. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए नवीन छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन के मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग में वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के नवीन बालक/बालिका छात्रावास खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्व से संचालित 5 राजकीय छात्रावासों (अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 3 एवं अति पिछड़ा वर्ग 1) में उपरोक्त वर्गों के बालक/बालिकाओं के प्रवेश हेतु भी सीटें निर्धारित हैं।

नवीन राजकीय छात्रावास खोले जाने हेतु "राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012" के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर ही छात्रावास स्वीकृत किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

झालावाड़ में सी एस आर फण्ड से व्यय

357. श्री कालूराम (डग): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में निगमन सामाजिक दायित्व (सी एस आर) प्राधिकरण द्वारा विगत दो वर्षों में किन महत्वपूर्ण सामाजिक एवं संरचना परियोजनाओं को सी एस आर फण्ड से पूर्ण करवाया गया है एवं उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बजट घोषणा की अनुपालना में निगमन सामाजिक दायित्व कोष की स्थापना कब हुई? कोष में स्थापना से अब तक प्रतिवर्ष कितना अभिदाय प्राप्त हुआ है तथा प्राप्त अभिदाय का उपयोग किस प्रकार किया गया है?

(3) क्या निगमित उपक्रम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष में सामाजिक विकास के लिए अपने सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग किया गया है? उक्त प्राधिकरण द्वारा किये गए प्रयास एवं उसके परिणाम क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में निगमन सामाजिक दायित्व सी एस आर प्राधिकरण के अन्तर्गत दो इकाइयां कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एवं राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स कार्य कर रही हैं। इनका विवरण निम्नानुसार हैः

1. कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजक्ट द्वारा झालावाड़ जिले में सी एस आर निधि से वर्ष 2020-21 में 30 लाख के कार्य पूर्ण करवाये गए। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में सी एस आर निधि में इकाई द्वारा व्यय की गई राशि शून्य है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2. राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स द्वारा झालावाड़ जिले में सी एस आर निधि से वर्ष 2020-21 में 10.74 लाख, 2021-22 में 37.35 लाख तथा वर्ष 2022-23 में 20.71 लाख रुपये के कार्य सम्पादित किये गये। इस प्रकार जिले में इकाई द्वारा विगत दो वर्षों व चालू वर्ष में कुल 68.80 लाख के कार्य सम्पादित किये गये। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.11.2019 द्वारा राजस्थान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण का पंजीयन दिनांक 15.05.2022 को हो चुका है तथा प्राधिकरण का बैंक खाता भी खोला जा चुका है। कोटा जिले में खोले गए चाइल्ड अकाउंट में जमा राशि 42,62,400/- को जिला परिषद् कोटा को उनके प्रस्ताव (सामाजिक सरोकार के तहत सात ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी हाल के निर्माण) हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है।

(3) उक्त उपक्रमों द्वारा झालावाड़ जिले में सामाजिक विकास के लिए सी एस आर निधि का उपयोग परिशिष्ट-1 व 2 अनुसार किया गया है। विभिन्न विद्यालयों में विकास कार्य व अन्य क्षेत्रों में सामाजिक विकास कार्य इकाइयों द्वारा किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोजेक्ट योजना के तहत अनुदान राशि

358. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोजेक्ट योजना में विगत तीन वर्षों में जिला जोधपुर के कितने नये लघु उद्यमों को ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया एवं अनुदान की राशि कितनी थी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोजेक्ट योजना नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा हैं। योजनान्तर्गत जोधपुर जिले (जिला उदयोग एवं वाणिज्य केन्द्र जोधपुर एवं फलोदी) में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में विगत तीन वर्षों में कुल 84 व्यक्तियों को कुल 327 लाख रुपये के नये लघु उद्यम स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदान वितरित किया गया है। (सूची परिशिष्ट "अ" तथा परिशिष्ट "ब" पर संलग्न)

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

गोगुन्दा में नवीन छात्रावास खोलने की कार्ययोजना

359. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति बडगांव क्षेत्र के लोसिग क्षेत्र एवं सायरा पंचायत समिति के करदा क्षेत्र में नवीन बालक-बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जिला उदयपुर में 11 आश्रम छात्रावासों (5 बालक व 6 बालिका) का संचालन किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की प.स. बडगांव के लोसिग क्षेत्र एवं सायरा प.स. के करदा क्षेत्र में नवीन बालक-बालिका छात्रावास खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, संसाधनों तथा बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर से निर्णय किया जाएगा।

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

ई-मित्र संचालकों की समस्याओं का निराकरण

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़)

महोदय, निवेदन है कि प्रदेश में आमजन एवं नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने वाले ई-मित्र कियोस्क के संचालक वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनमें से प्रमुख समस्याएं न्यूनतम मानदेय, सरकारी कैम्पों में लगाई जाने वाली ड्यूटी के लिए अतिरिक्त मानदेय व यात्रा भत्ता का न होना है। ई-मित्र संचालक को उपयुक्त मशीनरी की व्यवस्था न होना, समस्त ई-मित्र कियोस्कों को स्टेशनरी मुफ्त न दिलाई जाना, ई-मित्र कियोस्क धारक को इन्सेन्टिव प्राप्त नहीं होना है। ई-मित्र कियोस्क को 01 आवेदन करने में लगभग 30 से 35 मिनट का समय लगता है, उसके लिए मात्र रु. 50/- की राशि निर्धारित है। यदि दिन भर 12 घंटे भी काम करे तो मात्र रु. 600/- प्राप्त हो सकते हैं। उसमें से भी निजी कम्पनियों का कमीशन, लाइट खर्च, नेट खर्च इत्यादि भी भुगतान करना होता है। इसलिए ई-मित्र संचालकों का प्रत्येक आनलाइन आवेदन पर शुल्क 100 से 150/- रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त दरें निर्धारण करने के लिए ई-मित्र संगठनों को भी अपेक्स कमेटी में शामिल किया जावे। ई-मित्र संचालकगणों को राज्य व केन्द्र सरकार की ऋण सम्बन्धी निकलने वाली प्रत्येक योजना में प्राथमिकता दी जावे। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ई-मित्र के साथ आधार एनरोलमेन्ट आदि की सुविधा भी लागू की जावे। ई-मित्र संचालक जो कि आधार आपरेटर भी हैं उनको कई वर्षों से आधार का कमीशन नहीं दिया, वह तुरन्त प्रभाव से दिलाया जावे। पूर्व में भी DOIT विभाग द्वारा कमीशन देने हेतु बैंक विवरण आदि लिया गया था पर कमीशन का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया, जो तुरन्त दिलाया जावे।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि प्रदेश में संचालित उक्त ई-मित्र संचालकों को आ रही विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर इन्हें राहत प्रदान करें।

झालावाड़ के खेल मैदान में अतिक्रमण

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)

महोदय, झालावाड़ जिला मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झालावाड़ (न्यू ब्लाक) के सामने खेल मैदान स्थित है, जिस पर अतिक्रमण किया हुआ है। वर्तमान में अतिक्रमी द्वारा एक पक्का हॉल, एक स्टोर रूम एवं जिम का निर्माण बिना सरकारी आदेश व अनुमति के बना रखा है। यहां पर विगत 33 वर्षों से क्रिकेट अकादमी जो कि जिला क्रिकेट संघ, झालावाड़ द्वारा बिना सरकारी अनुमति के वर्तमान में भी संचालित है। विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण होने के कारण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, जिनकी संख्या करीबन 1,600 है, ये सभी विद्यार्थी विगत कई वर्षों से खेलों से वंचित हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ से विद्यालय की सरकारी खेल भूमि के बजट के बिल पास करवाकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिला क्रिकेट संघ, झालावाड़ में 08 क्लबों का पंजीयन है, जिनमें सभी क्लबों व जिले के पदाधिकारी रिश्तेदार सदस्य मनोनीत हैं। जिला क्रिकेट संघ, झालावाड़ का पंजीयन 2005 में हुआ है। इससे पूर्व संचालित झालावाड़ क्रिकेट संघ का कोई लेखा-जोखा सहकारी समिति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं है। विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति क्रिकेट संघ को खेल मैदान के लिए नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि एस.डी.एम.सी. द्वारा पारित निर्णय के अनुसार मैदान का उपयोग करने पर प्रतिदिन का शुल्क 11,000 रुपये लिया जाता है, परन्तु अतिक्रमी द्वारा पिछले 33 वर्षों से किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं कराया गया है और स्कूल प्रशासन के द्वारा मैदान खाली करने को लेकर आदेश प्रदान करने के बाद भी आज दिन तक अतिक्रमी द्वारा मैदान खाली नहीं किया गया है। वर्तमान में अतिक्रमी द्वारा मैदान का उपयोग अपनी निजी आय और वर्चस्व के लिए किया जा रहा है।

अतः मेरी मांग है कि झालावाड़ क्रिकेट संघ से वार्षिक विवरण की प्रतियां उपलब्ध करवाने के लिए आदेश प्रदान किये जाएं एवं एस.डी.एम.सी. द्वारा पारित निर्णय के अनुसार खेल मैदान का उपयोग करने पर प्रतिदिन का शुल्क 11,000 रुपये के हिसाब से झालावाड़ क्रिकेट संघ से वसूली करना सुनिश्चित करें।

गिरल से बाडखा तक (तहसील शिव) सड़क निर्माण

श्री अमीन खां (शिव)

महोदय, निवेदन है कि जिला बाड़मेर तहसील शिव के गांव गिरल में लिग्नाइट का भारी भण्डार है एवं रोज सैकड़ों गाड़ियां बाहर जाती हैं और सैकड़ों गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती हैं। लिग्नाइट के माध्यम से विकास का कार्य किया जाता है, वह विधान सभा क्षेत्र शिव के अन्दर नहीं किया जाता है। यह हमारा राइट है जो दूसरी विधान सभा में खर्च किया जाता है, जो कि हमारे साथ अन्याय है। मैं विधान सभा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गिरल से बाडखा तक मजबूत सड़क बनाई जावे, अन्यथा लोगों का काम बन्द हो जायेगा।

रीट भर्ती, 2016 की पूरक/संशोधित चयन सूची

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़)

महोदय, निवेदन है कि रीट अध्यापक भर्ती 2016 (विज्ञान-गणित व अंग्रेजी) की भर्ती पिछले छह वर्षो से लम्बित है। भर्ती में नोडल एजेन्सी की बड़ी खामी के चलते तथा कार्मिक विभाग द्वारा अनावश्यक नकारात्मक ओपिनियन से उक्त भर्ती की मुख्य चयन सूची प्रतीक्षा सूची में एक बार भी कल रिक्त पदों पर व केवल पात्र अभ्यर्थियों की सही चयन सूची जारी नहीं हो पायी है। भर्ती एजेन्सी ने केवल अस्थाई वरीयता सूची जिसमें अपात्र और पात्र दोनों ही श्रेणी में अभ्यर्थी शामिल थे, को चयन सूची का नाम देकर भर्ती नियमों की पूर्णतया अवहेलना की है। किसी भी भर्ती की वास्तविक चयन सूची से पूर्व अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन जरूर किया जाना चाहिए। उसके बाद ही मुख्य चयन सूची व प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए, लेकिन इस भर्ती में अभ्यर्थियों की पात्रता का सत्यापन किये बिना ही केवल वरीयता सूची जारी की गई हैं जिससे बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन होता गया और पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित रहते गए। विज्ञान-गणित के कुल विज्ञापित 927 पदों में से आज 494 पद रिक्त पड़े हैं एवं अंग्रेजी के भी लगभग 250 पद रिक्त पड़े हैं। इस भर्ती को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एस.एल.पी. वापस लेने का कदम भी कार्मिक विभाग द्वारा बार-बार नकारात्मक ओपिनियन देने के कारण सफल नहीं हो पाया है।

अतः उपरोक्त मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्मिक विभाग द्वारा की जा रही अनावश्यक बाधा को दूर करवाकर रिक्त पदों पर केवल पात्र अभ्यर्थियों की पूरक संशोधित चयन सूची जारी करवाने के लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मनोहर थाना में फसल खराबे का मुआवजा

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना)

महोदय, निवेदन है कि बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना जिला झालावाड़ से किसानों की रबी की फसल धनिया, गेहूं, सरसों, अफीम, चना, लहसुन में करीबन 60-70 प्रतिशत नुकसान हो गया। लगातार चार दिनों तक बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बड़ी ही लगन और मेहनत से किसानों ने अपनी फसल को तैयार किया था, लेकिन बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों के सामने जीवन-यापन का संकट उत्पन्न हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसानों की फसलों के नुकसान का शीघ्र सर्वे करवाया जाकर किसानों को फसल मुआवजा एवं फसल बीमा क्लेम दिलाया जाए, क्योंकि जब इस धरती पर किसान खुशहाल रहेगा तो मेरा देश दिनों दिन प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जायेगा। साथ ही, मांग करता हूं कि वर्ष 2022 की रबी खरीफ के शेष मुआवजे को शीघ्र दिलवाया जावे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

माण्डलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़)

महोदय, निवेदन है कि वर्तमान में माण्डलगढ़ में सामुदायिक अस्पताल भारी असुविधाओं से ग्रस्त है, जिससे स्थानीय जन समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। कहने को तो अस्पताल है, परन्तु वहां मरीज का इलाज ही नहीं होता है, जिसके लिए अस्पताल का निर्माण किया गया है।

वर्तमान में अस्पताल में एक्स-रे मशीन खराब है। अस्पताल में आई.सी.यू. नहीं है। इसमें आपरेशन थियेटर नहीं है। भवन की वर्तमान स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। भवन काफी पुराना हो चुका है तथा भवन बहुत छोटा है। अस्पताल के नये भवन निर्माण की भी कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। यह अस्पताल 71 साल पुराना हो चुका है। सोनोग्राफी मशीन आदि नहीं है। छोटी से छोटी जांच भी अस्पताल में नहीं होती है। बाहर जांच कराने के लिए डाक्टर लिखता है। इस प्रकार क्षेत्र में अस्पताल होते हुए भी अस्पताल नहीं है। क्षेत्र के सभी अस्पतालों में डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ तथा ए एन एम व जी एन एम भी नहीं हैं।

अत: मैं मांग करता हूं कि उक्त अस्पताल में सभी असुविधाओं को शीघ्रतिशीघ्र दुरुस्त करवाने के लिए बजट का प्रावधान रख कर इस समस्या का समाधान करवाने का आदेश करें।

महापुरुषों की याद में पैनोरमा एवं डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन)

महोदय, निवेदन है कि मारवाड़ के हीरो, राष्ट्र की एकता, अखंडता, गौ रक्षा व सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाले योद्धाओं के इतिहास को आधुनिक युग व भौतिकवाद में भूलते जा रहे है। इसलिये उनके इतिहास को चिरस्थाई रखने के लिए आज के डिजिटल युग में उनकी स्मृति में पैनोरमा बनाने की आवश्यकता है। प्रथम विश्व युद्ध के हाइफा हीरो शहीद मेजर दलपतसिंह, गो-रक्षार्थ मर मिटने वाले पाबूजी राठौड़ के हर वक्त साथ देने वाले कुलुमण्ड निवासी हड़मलजी देवासी जिनको मारवाड़ में जैसलमेर एवं बीकानेर रियासत से ऊंट लाने का भी श्रेय जाता है। इससे पूर्व मारवाड़ में ऊंट नहीं थे। राव चन्द्रसेन जी जो महाराणा प्रताप के समकालीन हुए तथा उन्हीं की तरह मुगलों से लोहा लेते हुए जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया, किन्तु उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सारण गांव में उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया जहां आज उनकी भव्य छतरी भी स्थित है। इसी प्रकार दूरसा आढा जी अकबर के दरबार में राज कवि थे जो पाचेटिया निवासी थे। इसी तरह जोधपुर निवासी चतरा जी माली जिनको मारवाड़ के थार रेगिस्तान को नखलिस्तान में तब्दील करने का श्रेय जाता है, महाराजा जसवंत सिंह जी ने उनके द्वारा काबुल से जोधपुर तक हर 12 कोस पर बाग लगवाये तथा काबुल के प्रसिद्ध अनार, नींबू एवं बेर व गुजरात से चम्पा केतकी आदि लाकर जोधपुर में कई बाग स्थापित किये जिसमें कागा बाग मंडोर बालसमंद आदि बाग आज भी विश्वप्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के महापुरुषों का पैनोरमा बनाया जाय। साथ ही उनको self sustainable बनाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, light and sound प्रोग्राम की व्यवस्था की जाय।

उदयपुर में डी एम एफ टी मद की राशि का व्यय गैर खनन प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली)

उदयपुर में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में कई बार हमारे द्वारा प्रेषित विश्वास प्रस्तावों को खनन प्रभावित क्षेत्र का न होना

बताकर स्वीकृत नहीं किया जाता है, जबकि यह ध्यान में आया है कि उदयपुर जिले में बड़े पैमाने पर कार्य डीएमएफटी मद से गैर खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये हैं। ये किस आधार पर किये गये?

हम विधान सभा सदस्य होने के नाते ही डी.एम.एफ.टी. के सदस्य हैं। दिनांक 24.11.2021 व 16.08.2022 को हुई बैठकों में गैर खनन प्रभावित क्षेत्र में कार्यों की कोई स्वीकृति नहीं थी। विषय यह है कि राज्य सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए और ना ही ट्रस्ट की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, फिर गैर खनन प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किसने व क्यों स्वीकृत किये?

पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो खनन प्रभावित नहीं हैं, वहां बड़े पैमाने पर कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

क्र. सं.	**कार्य का विवरण**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**
1	दरोली नेशनल हाईवे 76 से करणपुर वाया धनवा रहट सड़क	168 लाख
2	एस एच 53 से डोडियो का खेड़ा खीमा खेड़ा बडगांव सड़क	80 लाख
3	खेरवाडा व ऋषभदेव पंचायत समिति में वाटरशेड के काम	109 लाख
4	कुराबड पंचायत समिति में आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत	3.30 लाख
5	खेरवाडा क्षेत्र में वन विभाग के विभिन्न प्रस्ताव	210 लाख

इसी प्रकार डी एम एफ टी की राशि को बड़े पैमाने पर गैर खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यय करके खनन प्रभावित क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है।

मेरा निवेदन है गैर खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच करा कर दोषियों को दण्डित किया जावे। उक्त स्वीकृतियां क्यों, किसके आदेश व किन नियमों से की गईं, इसकी भी जानकारी सदन को दी जावे। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर DMFT में राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया गया है। पूर्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह मनोनयन सरकार ने किन नियमों में व किस आधार पर किये हैं, यह भी जानकारी सदन को दी जावे।

बड़ी सादड़ी के ग्रामों में बाईपास का निर्माण

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी)

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा रोड पर स्थित गांव चिकारडा लगभग 5,500 की आबादी वाला पंचायत मुख्यालय है। इस रोड पर वाहनों का आवागमन बहुत है। अभी रोड गांव में से ही होकर निकलता है और लगभग प्रतिदिन दो-तीन बार जाम लगता है। दूसरा गांव निकुम, जो चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी वाया भदेसर निकुम होकर निकलता है। निकुम गांव लगभग 5,000 की आबादी वाला गांव है। उक्त रोड अभी निकुम गांव में होकर गुजरता है। गांव वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त है जिससे आने-जाने वालो वाहनों को, राहगीरों को बहुत परेशानी होती है।

तीसरा बोहेडा गांव, डूंगला से बोहेडा गांव में होकर जाती है, बोहेडा चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव है। संकड़ा रोड है, लगभग प्रतिदिन जाम लगते रहते हैं। गांववासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा उक्त परेशानियों के कारण आये दिन हादसों की आशंका बनी रहती है एवं जान-माल की हानि होने का अंदेशा भी बना रहता है। कई बार क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनसे जनहानि भी हुई है।

अत: इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि चिकारडा, निकुम, बोहेडा, इन तीनों स्थानों पर बाईपास बनाने का श्रम करावें।

बांसवाड़ा में फसल खराबे का मुआवजा

श्री कैलाश चन्द्र मीणा (गढ़ी)

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 6.3.2023 के दिन रात्रि के करीब 7 से 8 बजे बांसवाड़ा जिले में अचानक तेजी से तूफान, बरसात के साथ बड़े-बड़े ओले गिरने से सम्पूर्ण जिले में मक्का, गेहूं, सरसों आदि फसलें 70 से 80 प्रतिशत नीचे गिर कर खराब हो चुकी हैं। बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। गरीब से गरीब किसान खेती पर निर्भर रह कर परिवार का भरण-पोषण करता है। इस हेतु गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार को निर्देशित कर सर्वे करवाकर आपदा राहत मद से खराबे की राशि किसानों को दिलाना आवश्यक है।

अतः कृषकों को राहत मद से खराबे की भरपाई करने का श्रम करावें।

महर्षि बालीनाथ विकास बोर्ड का गठन

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश आजाद हुए आज 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। पूरा देश आजादी का 75वां अमृत दिवस मना कर खुशियों का इजहार कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज अमीर और गरीब के बीच खाई और अधिक बढ़ती जा रही है। गांव व ढाणियों में बैठे हुए दलितों, पिछड़ों, वंचितों एवं गरीबों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। भारत के संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों ने भारत के प्रत्येक समुदाय के लिए सर्वांगीण विकास की कल्पना की थी, परन्तु संविधान में उल्लेखित भावनाओं को आमजन तक नहीं पहुंचाया जा सका है।

दलितों, पिछड़ों, वंचितों एवं गरीबों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार से महर्षि बालीनाथ विकास बोर्ड का गठन किये जाने की मांग करता हूं, ताकि दलितों वंचितों एवं पिछड़ों का उत्थान किया जा सके।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, वंचितों एवं गरीबों के विकास के लिए उनके उत्थान के लिए महर्षि बालीनाथ विकास बोर्ड का गठन करने के आदेश जारी किये जाएं, ताकि सभी वर्ग के साथ न्याय हो सके और उनको राहत मिल सके।

जोधपुर में यूनानी चिकित्सा सुविधा की प्रदायगी

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर)

महोदय, निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धतियों को निरन्तर बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका प्रभाव कोरोना महामारी एवं लम्पी महामारी में परिलक्षित हुआ। जोधपुर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेद औषधालय हाथी राम का ओढ़ा, जोधपुर में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक व होम्योपैथिक चिकित्सक के पद सृजित हैं, लेकिन उक्त औषधालय में यूनानी चिकित्सक का पद सृजित नहीं है। उक्त औषद्यालय में यदि एक यूनानी चिकित्सक का पद भी स्वीकृत कर दिया जाए तो सम्पूर्ण आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ एक ही छत के नीचे आमजन को प्राप्त हो सकेगा।

जोधपुर विधान सभा क्षेत्र के भीतरी शहर के परकोटे से बाहरी क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी यूनानी औषधालय नहीं है। झालामण्ड, भगत की कोठी, बासनी, एयरफोर्स, रातानाडा क्षेत्रों में नये यूनानी औषद्यालय खोले जा सकते हैं। साथ ही, नये औषधालय स्वीकृत होने तक निकटतम प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यूनानी चिकित्सकों द्वारा यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा सकती है।

गत वर्ष आयुष चिकित्सा मंत्री द्वारा बजट में वंचित 252 ब्लॉकों पर आयुष चिकित्सालय प्रारंभ करने की घोषणा की थी। अत: उक्त घोषणा की क्रियान्विति करने का श्रम करावें।

आसीन्द की अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री जब्बरसिंह सांखला (आसीन्द)

महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में कई सड़कें टूटी हुई हैं तथा कई ऐसी सड़कें हैं जो अब तक कच्ची हैं। इनमें से कुछ गांवों के नाम इस प्रकार हैं:-

कोटडी से आगुचा, खातीखेड़ा से आनंदीपुरा, अटाली से भीमलत, सापोला से रामगढ़ रोड, इन्द्राजी का खेड़ा से सुल्तानपुरा, रुपाहेली से भोजरास बाईपास, विजयनगर चौराहा से आकडसादा, रघुनाथगढ़ से दातडा, जीवार से दूल्हेपुरा, परा से बाजूदा, पुरानी परासोली से रायरा, हाजीयास से दांतडा, वाया पचपीपला, देवनारायण मंदिर हाजियास से ढंढकाखेडा, खेजड़ी चौराहा से अमरतिया, जीवार से दडावट वाया जगपुरा-परासोली, आसीन्द से चैनपुरा वाया अर्जुनपुरा, कटार से शिरोली घाटी, पाडरू से तिलोली, मांगलास से छोटी रूपाहेली, दौलतगढ़ से नेगडिया, ब्रा की सरेरी से केरिया, बलेव से जालरीवाण, धोली से जबरकीया, उदलपुरा से रायला, जोधडास से खारडा, ईरास से धोलाभाटा, घाटी से आमेसर, बागा का खेड़ा से ईरास, उखलिया से देवरिया, कानपुरा से देवरिया, चित्तौड़िया रायरा गागेडा से तस्वारिया, झालरा से जोगीभाटा, अटाली से नारायणपुरा, रतनपुरा से पिथा का खेडा, तिलोली से नंगपुरा, शीतला का चौड़ा से बदनोर बाईपास, मोहरा से झालरिया, डोटा से करियाला, हथाण से जगपुरा, परा से भैरुखेडा, कावलास से बराणा रोड, मारवों को खेड़ा मदनपुरा, वरनाघर से बाजून्दा, अंबा का रेला से दुदिया।

इनके अलावा और भी कई सड़कें कच्ची या टूटी पड़ी हैं तथा कुछ सड़कों का कार्य दो वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाया है। ठेकेदारों को पाबंद कर उन्हें भी पूरा करावें एवं इन सड़कों को DMFT से या और किसी फंड से स्वीकृत करवाकर आम जनता को राहत दिलायें।

नसीराबाद में परिवहन निगम की बसों का संचालन

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद)

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन में लगातार कमी की जा रही है। पंचायत समिति एवं उप खण्ड मुख्यालय पीसांगन अजमेर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किमी. की दूरी पर स्थित है। पीसांगन के आस-पास के ग्रामीणों का सैकड़ों की संख्या में रोजाना मजदूरी हेतु आवागमन अजमेर में होता है। वहां से अजमेर जिला मुख्यालय आवागमन हेतु रोडवेज बसों की अत्यन्त कमी है। पूरे दिन में मात्र 2-3 बसें ही अजमेर आती हैं जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीसांगन उप खण्ड क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। पीसांगन से जयपुर हेतु पूर्व में दो बसों का संचालन होता था, उन्हें भी बन्द कर अब मात्र एक बस संचालित की जा रही है। पीसांगन से गोविन्दगढ़ होते हुए पुष्कर अजमेर बस का संचालन भी लगभग बन्द कर दिया गया। पूर्व में अजमेर से बाघसूरी की बस जिसका रात्रि विश्राम बनेवडा में था उसे भी बन्द कर दिया गया है। मंगलियावास लीडी लगाना बिठूर बाघसूरी नांदली, नसीराबाद मार्ग पर संचालित बस का संचालन भी बन्द कर दिया गया है। इसी क्रम में अजमेर से श्रीनगर मार्ग पर कोरोना से पूर्व प्रत्येक घंटे में बस संचालित थी, रोडवेज प्रशासन की हठधर्मिता व अकर्मण्यता के कारण ये बसें भी बन्द कर दी गयी है। पूर्व में श्रीनगर वाली बस का रात्रि विश्राम हाथीपट्टा में था जो भी बन्द कर दी गई है। श्रीनगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार हेतु रोजाना अजमेर से आवागमन करते है। इन बसों का संचालन समयानुसार नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। मेरे द्वारा बार-बार रोडवेज प्रशासन से फोन पर वार्ता करने के उपरांत भी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

मेरा सरकार से व्यक्तिगत आग्रह है कि इस मानवीय समस्या का शीघ्र समाधान कर पीसांगन एवं श्रीनगर मार्ग में बसों का संचालन सुचारु रूप से शुरू कराया जावे जिससे बड़ी आबादी महिलाओं एवं बच्चों एवं मजदूरों को सुविधा मिल सके एवं जनता के आक्रोश को शांत किया जा सके।

खींवसर में चिकित्सा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर)

महोदय, अनुरोध है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छितरी हुई आबादी में

बसा हुआ है और अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं। विशेषकर ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए बीमार होने पर इलाज के लिए शहर तक आना मुश्किल होता है। जनसंख्या बढ़ने से जिस प्रकार ग्राम पंचायतों को विस्तार करके नयी ग्राम पंचायतों का निर्माण किया है इसके साथ ही क्षेत्र में राजमार्गों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी के अनुरूप चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार कर ग्राम स्तर पर नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर अधिक आबादी वाले गांवों में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के साथ-साथ पूर्व में क्रमोन्नत किये चिकित्सा केन्द्रों हेतु मापदण्डानुसार भवन निर्माण करने एवं उनमें संसाधनों का विकास करने की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीएचसी पांचला सिद्धा व पीएचसी पांचौडी को 2013 में सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन आज 10 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद उनमें न तो पूरे पद भरे है और न ही मापदण्डानुसार भवन निर्माण करवाया है तो कैसे राइट टू हैल्थ का सपना साकार होगा, इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। पिछले साल बजट घोषणा में घोषित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनाना शीलगांव में भी अभी तक नया भवन नहीं बना है। इनको अतिशीघ्र निर्माण करने का कार्य करवाकर आमजन की राहत प्रदान करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांव सुखोलाव, धवा बैरावास, बीनावाल बासनी खलील लूणावास मोल्यासनी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। बैराथल कलां पालड़ी जोधा, भोमासर ग्वालू के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की सख्त आवश्यकता है। खजवाना बिरलोका के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है।

आज अनेकों उप स्वास्थ्य केन्द्र जो भवन रहित हैं उनमें भवन भी बनावें तथा जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां अतिशीघ्र भू-आबंटन कराने का श्रम करावें।

अत: महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में उक्तानुसार चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु नये चिक्त्सा केन्द्र खोलने, मौजूदा चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने, क्रमोन्नत किये चिकित्सा केन्द्रों के लिए मापदण्डानुसार भवनों का निर्माण किया जाकर आमजन को राहत प्रदान करावें।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 40 - मुख्य शीर्षक स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की नगरपालिका क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवरेज एवं ड्रेनेज की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

2. बाड़मेर नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ाने, अधूरी सीवरेज को पूरी करने तथा टाउन हॉल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

3. विधान सभा क्षेत्र फागी की ग्राम पंचायत फागी में नगरपालिका खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

4. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की नगरपालिका बाड़ी को 'सी' श्रेणी से 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत किए जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

5. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नगरपालिका सिवाना में प्रबन्धन एवं विकास कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. सिवाना नगरपालिका के विकास के लिए मास्टर प्लान में आवश्यक गांवों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. सिवाना नगरपालिका में सड़क, सी सी सड़क, नाली निर्माण के लिए आवश्यक बजट आबंटन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. प्रदेश में नव गठित नगरपालिकाओं में चुनाव के लिए वार्ड निर्धारण के साथ ही चुनाव करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सिवाना नगरपालिका में स्वीकृत पदों

को भरने एवं सफाई कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

10. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की नगरपालिका सूरतगढ़ में आवासीय पट्टा जारी करने व कब्जा हटाने में भेदभाव किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

11. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की नगरपालिका फतेहपुर में नवीन नगरपालिका का टाउन हॉल भवन बनवाने एवं शहर में प्रवेश करने वाली मेन सड़क का सौन्दर्यीकरण हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

12. प्रदेश की नगरपालिकाओं में निर्माण कार्य कराने के लिए 5 लाख की सीलिंग बढ़ाकर 10 लाख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. प्रदेश में नगरपालिकाओं द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का समय-समय पर सैम्पल चेक किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

14. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में पट्टा वितरण में विसंगतियों, कच्ची बस्ती के नियमन करने तथा जामडोली व सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने व रिपेयरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

15. प्रदेश की नगरपालिकाओं/परिषदों के पैरीफेरी क्षेत्र में बिलानाम, चरागाह, आबादी खातेदारी भूमि का सम्बन्धित ग्राम पंचायत को अधिकार दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश में नगरपालिकाओं/परिषदों के पैरीफेरी क्षेत्र में नालियों, वर्षाकालीन नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. प्रदेश की नगरपालिकाओं/परिषदों के पैरीफेरी क्षेत्र में बसी आवासीय कालोनियों में नाली, सड़क, रोड लाइट की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के नगर विकास प्रन्यास द्वारा पैरीफेरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोयरा से फेरमीयों का गुडा तक सड़क निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़-जंक्शन):

19. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन की नव गठित नगरपालिका मारवाड़-जंक्शन तथा रानी नगरपालिका में टाउन हॉल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्ड़ी):

20. कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नं. 6 में स्थित हाउसिंग बोर्ड कालोनी को नगर निगम/नगर विकास प्रन्यास को सुपुर्द नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

21. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नगरपालिका को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

22. विधान सभा क्षेत्र कपासन की नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. विधान सभा क्षेत्र कपासन नगरपालिका की बेशकीमती जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. विधान सभा क्षेत्र कपासन की नगरपालिका में थोक सब्जी मण्डी तथा खुदरा सब्जी मण्डी केन्द्र निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. प्रदेश में नगरपालिकाओं में होने वाले निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल एजेन्सियों को सक्रिय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. विधान सभा क्षेत्र कपासन की नगरपालिका में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

27. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के कृषि कालेज हेतु भू-आबंटन प्रकरण में स्वायत्त शासन विभाग को जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित भूमि आबंटन प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

28. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी नगरपालिका कार्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

29. विधान सभा क्षेत्र मावली के मावली कस्बे को नगरपालिका बनाए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर के पटेल स्टेडियम में इनडोर गेम्स हेतु स्टेडियम निर्मित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में जनसंख्या के अनुपात में सफाईकर्मियों की नवीन भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

32. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के शहरी क्षेत्र में अधूरी पड़ी सभी बजट घोषणाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

33. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ में गन्दे पानी के निकास हेतु सीवर लाइन की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृत लाल मीणा (सलूम्बर):

34. प्रदेश में स्वायत्तशासी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्र व अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नगरपालिका सलूम्बर तथा सेमारी में नाली निर्माण, सीवरेज लाइन, पानी निकासी के लिए उचित प्रबन्धन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नगरपालिका सलूम्बर और सेमारी में अण्डर ग्राउण्ड बिजली की लाइनें डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नगरपालिका सलूम्बर तथा सेमारी में नालियों से बिजली पोल हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नवीन नगरपालिका सेमारी व

नगरपालिका सलूम्बर में कच्ची सड़कों का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

39. मकराना नगर परिषद् में सड़क, नाली सहित अन्य विकास कार्यों में घटिया क्वालिटी की सामग्री काम में लेने से समय पूर्व ही उक्त के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की जांच करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र मकराना की नगर परिषद् मकराना द्वारा दिनांक 01.07.2019 से 15.08.2022 तक समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों की जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र मकराना की मकराना नगर परिषद् में 01.07.2019 से 15.08.2022 तक सौन्दर्यीकरण के नाम पर खर्च किए गए बजट की जांच करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

42. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के विभिन्न चौराहों पर सरदार पटेल सर्किल, पन्नाधाय सर्किल, परशुराम अहिंसा सर्किल, बेराणी देवली मीणा सर्किल, राणा पूंजा सर्किल, महारावल बाचसिंह सर्किल को विकसित कर प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के सौन्दर्यीकरण तथा इन्दिरा गांधी सर्किल, राजीव गांधी सर्किल के विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की नगर परिषद्, प्रतापगढ़ में सिटी पार्क निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये बजट आबंटन तथा प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर यू आई टी घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. प्रतापगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित सुखाड़िया स्टेडियम के निर्माण व विकास की घोषणा के बावजूद निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति तथा इस हेतु 25 करोड़ रुपये के बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

45. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में निर्माणाधीन रिवर फ्रंट हेतु कोटा शहर को प्रदान की गयी राशि का 01 प्रतिशत राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

46. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में नगरपालिका की घोषणा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

47. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की नगर परिषद् बालोतरा में ट्रांसपोर्ट नगर के विकास एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की नगर परिषद् बालोतरा एवं पैरीफेरी क्षेत्र में परिषद् की एवं सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटा कर भूमि को सुरक्षित करने एवं आवागमन के मार्गों को अभियान चलाकर प्रशस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की नगर परिषद् बालोतरा के तृतीय चरण सीवरेज ड्रेनेज वाटर की निकासी हेतु गन्दे नाले के जीर्णोधार एवं विकास हेतु 55 करोड़ की राशि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की नगर परिषद् बालोतरा के बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर टाउन हॉल के जीर्णोद्धार करने हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की नगर परिषद् बालोतरा में कच्ची एवं नयी बसी बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

52. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की गेपसागर झील के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की नगर परिषद् में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने, बिना पंचायत के एन ओ सी नगर परिषद् को स्थानान्तरित जमीन निरस्त करने तथा कच्ची बस्तियों में बसे गरीब लोगों को मकान का पट्टा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

54. नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हैरिटेज में कार्यरत उद्यानविज्ञों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

55. राजधानी जयपुर की विरासत परकोटा क्षेत्र में संवेदकों द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56. जोधपुर शहर सीमा में घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों का पुन: निर्माण एवं रोड कटिंग की राशि के मांग पत्र के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

57. नगर परिषद् अलवर शहर में वार्डों की संख्या अनुसार आटो टिपर की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

58. नगर परिषद् अलवर शहर तथा नगर विकास न्यास अलवर में विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 73 की क्रियान्विति के सन्दर्भ में नगर परिषद् अलवर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

60. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की उनियारा नगरपालिका क्षेत्र में पानी निकासी व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

62. नगरपालिका बामनवास में विकास कार्यों पर खर्च की गयी राशि के दुरुपयोग किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

63. नगरपालिका बामनवास में रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

64. जयपुर नगर निगम हैरिटेज के आदर्श नगर जोन वार्ड नं. 85 सामरियों का चौक चौकड़ी घाटगेट में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

65. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के उपखण्ड जमवारामगढ़ को नगरपालिका बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

66. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सूरजगढ़ नगरपालिका में नालियों के निर्माण व क्षतिग्रस्त सड़क/नालियों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित सूरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज के कार्य अति शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित सूरजगढ़ नगरपालिका में रिक्त पदों को अति शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित सूरजगढ़ नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन पट्टों का शीघ्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. सूरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

71. नव गठित नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन में उद्यान निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने व अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

72. नवसृजित नगरपालिका रानीवाड़ा में कार्मिकों एवं सफाई कर्मचारियों का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. नवसृजित नगरपालिका रानीवाड़ा के वार्डों एवं गलियों में सीसी सड़क निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. नवसृजित नगरपालिका रानीवाड़ा में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. नवसृजित 'द' श्रेणी नगरपालिका रानीवाड़ा के कार्यालय भवन हेतु भूमि आबंटन एवं राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

76. अजमेर के व्यापारियों से विभाग द्वारा यूज़र चार्ज वसूली पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. अजमेर शहर की बदहाल सड़कों के बीच ऊंचाई पर लगाये गये

सीवरेज मेनहोलों को सुव्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. आनासागर झील में नो कंस्ट्रक्शन जोन में वर्ष 2014 से पूर्व हुए निर्माणों से रेड क्रॉस निशान हटाने एवं वैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. अजमेर स्थित कोटड़ा आवासीय योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य में फैसिलिटी सेन्टर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस आफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु आबंटित भूखण्ड को निरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. अजमेर शहर स्थित मुख्य बाजारों में पर्याप्त महिला टायलेट्स बनाने एवं उसके बेहतर रख-रखाव की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

81. जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा संधारित मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के पार्कों का समुचित रख-रखाव नहीं होने से पार्कों की हो रही दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में जर्जर सीवर लाइनें होने के कारण समय-समय पर सीवरेज का पानी घरों एवं सड़कों में भर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

83. जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल द्वारा विकसित कालोनियों को जयपुर नगर निगम ग्रेटर एवं हैरिटेज को स्थानान्तरित करने के उपरान्त भी उन कालोनियों के रिक्त पड़े भूखण्डों को स्थानान्तरित नहीं करने से विकास में आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

84. केन्द्र सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु प्रदत्त राशि को राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों को आबंटित किये जाने में राजनैतिक भेदभाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

85. स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन एवं दिशा-निर्देशों में उल्लेखित होने के बावजूद अजमेर नगर निगम द्वारा प्रातः एवं सायं दिन में दो बार कचरा संग्रहण केन्द्रों से कचरा नहीं उठाये जाने की स्थिति में

आस-पास रहने वाले नागरिकों को हो रही परेशानी एवं कचरा उठाने के कार्य में अजमेर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में चर्चा के लिए।

86. अजमेर नगर निगम में आवारा जानवरों की समस्या के समाधान हेतु एक नयी आवासीय योजना गौ ग्राम के रूप में बसायी जाकर गौपालकों को वहां भूखण्ड आबंटित कर आबादी क्षेत्र से दूर बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. अजमेर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते भवन निर्माण की स्वीकृतियों हेतु लम्बित पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण हेतु एक पारदर्शी आनलाइन व्यवस्था शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. नगर निगम अजमेर में कच्ची बस्ती, पहाड़गंज, मलूसर रोड, आशागंज, हरिजन बस्ती, फरीदाबाद, गुर्जर धरती, भगवानगंज में बरसों से रह रहे परिवारों की भूमि की किस्म निजी खातेदारी, कब्रिस्तान, श्मशान, चांदमारी होने से पट्टों का आबंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89. राज्य में नगरीय निकायों में अधिकारियों/कार्मिकों को वेतन भुगतान चुंगी पुनर्भरण अनुदान पेटे प्राप्त राशि से किये जाने, अधिकांश नगरीय संस्थाओं द्वारा उक्त पेटे प्राप्त राशि व स्वयं के स्रोतों से अर्जित आय से भुगतान करना सम्भव नहीं हो पाने, बजट घोषणानुसार 30 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए अतिरिक्त प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं कार्मिकों को संचित निधि से भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

90. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के उम्मेद सागर बांध की भूमि सहित अन्य सार्वजनिक भूमि पर नगर निगम जोधपुर द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी किये जाने के प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर समस्त पट्टों को निरस्त करने और संलिप्त कार्मिकों और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. नगर निगम जोधपुर दक्षिण के क्षेत्राधिकार के विधान सभा क्षेत्र

सूरसागर के सार्वजनिक पार्कों के समुचित रख-रखाव, मरम्मत एवं विकास कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. नगर निगम जोधपुर उत्तर-दक्षिण के क्षेत्राधिकार में बकरा मण्डी, खण्डा फलसा, चढ़वों की गली, सिवांची गेट, नागौरी गेट, कलाल कालोनी के ऊपर के क्षेत्र में अवैध रंगाई-छपाई कार्यों से विशाल मात्रा में रसायन युक्त रंगीन पानी सीवरेज लाइनों, प्राचीन जलाशयों की नहरों में जाने और सड़कों पर बहने से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए अभियानपूर्वक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश में संचालित मांसाहार एवं मांस विक्रय दुकानों की विभागीय अनुमति प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की आवश्यकता और अवैध दुकानों को अविलम्ब बन्द करवाने की अभियानपूर्वक कार्यवाही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. प्रदेश में सेनेटरी इंस्पेक्टर और अतिक्रमण निरीक्षक/अधिकारी के पद पर निर्धारित मापदण्डों से न्यून पद एवं न्यून योग्यता धारकों को लगाये जाने से बढ़ रहे भ्रष्टाचार और बिगड़ रही व्यवस्थाओं को रोकने के लिए सख्तीपूर्वक मापदण्डानुसार निर्धारित पद और योग्यता से न्यून कार्मिकों/अधिकारियों को अविलम्ब पदमुक्त कर समुचित पदेन योग्यता धारकों को ही पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

95. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा नगरपालिका को जनसंख्या के आधार पर अपग्रेड करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

96. नगरपालिका क्षेत्र थानागाजी का विस्तार कर ग्राम पंचायत दुहार-चोगान व गुवाड़ा भोपाला को शामिल किए जाने की अवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

97. नव गठित नगरपालिका मारवाड़-जंक्शन में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार लगभग 80 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

98. नव गठित नगरपालिका मारवाड़-जंक्शन में सब्जी मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. नव गठित नगरपालिका मारवाड़-जंक्शन में उद्यान लगाने हेतु 5 करोड़ की राशि स्वीकृत करने व अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

100. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जमा पानी की निकासी एवं समय-समय पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

101. प्रदेश के नगर निगमों में साफ-सफाई में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

102. श्रीडूंगरगढ़ शहर में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, नगरपालिका में सफाई की आवश्यकता, शहरों में गरीबों को नि:शुल्क आवासीय पट्टे जारी करने, शहरी रोजगार गारण्टी योजना में दैनिक मजदूरी बढ़ाने तथा श्रीडूंगरगढ़ शहर में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

103. जयपुर नगर निगम में लम्बित प्रकरणों (ट्रैकिंग नं. 10131513 एवं 10186776) का निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

104. जयपुर नगर निगम हैरिटेज के सिविल लाइन जोन के अन्तर्गत लम्बित आवेदन एलडी/जेपीआरएच/2022-23/146250 का निस्तारण कर भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

105. जयपुर के गौरव नगर, सिविल लाइंस जयपुर में पट्टे से वंचित भूखण्डधारियों को शीघ्र पट्टे जारी नहीं करने से निगम को हो रही राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

106. विधान सभा क्षेत्र नगर की नगरपालिका नगर को D ग्रेड से C ग्रेड में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

107. अनूपगढ़ नगरपालिका में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र संधारण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत मकान बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की नगरपालिका अनूपगढ़ क्षेत्र की सीवरेज लाइन की मरम्मत एवं वंचित स्थानों को सीवरेज लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा कोटेशन के आधार पर किए गए विकास कार्यों एवं स्ट्रीट लाइट में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. षष्टम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का योजनान्तर्गत प्रावधानों के अनुसार अनूपगढ़ नगरपालिका द्वारा उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

112. नागौर जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या, नागौर नगर परिषद् में दो नये अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने, इसके बाहरी क्षेत्रों में बसी आवासीय कालोनियों में सीवरेज लाइन बिछाने, कुचेरा व मूण्डवा नगरपालिका क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर, आडिटोरियम तथा खेल स्टेडियम के निर्माण तथा कुचेरा के रामसर, कोटलाव व निम्बला तालाब का सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

113. जिला अलवर की नगरपालिका खेरली मण्डी में सीवर लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. नगरपालिका खेरली (अलवर) के पैरीफेरी इलाके में CC रोड्स निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. नगरपालिका खेरली (अलवर) में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

116. कठूमर (अलवर) को नगरपालिका घोषित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. अलवर में नगरपालिका खेड़ली की ग्राम पंचायत समूची, कुट्ही सावदास, सोखरी, बहरामपुर डोरो की खेरली रेस, सोखर को मिलाकर नयी नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

118. विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत खानुआ व बुखना को मिलाकर खानुआ नगरपालिका बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र नदबई में नगरपालिका उच्चैन व नगरपालिका नदबई में ड्रेनेज सिस्टम निर्माण के लिए प्रत्येक नगरपालिका में 25-25 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र नदबई के मुख्यालय नदबई में 25 बीघा भूमि का अधिग्रहण कर नवीन सेंट्रल पार्क की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

121. सुजानगढ़ शहर में आवासीय भूमि पर बिना कन्वर्जन कराये बन रहे वाणिज्यिक काम्प्लेक्स पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. सुजानगढ़ शहर में आडिटोरियम स्वीकृत कर निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

123. राज्य की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में नियम विरुद्ध पास हो रहे नक्शों की जांच कराये जाने तथा बिजली के खम्भों की आड़ में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

124. सरदारशहर की नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125. सरदारशहर नगरपालिका में साफ-सफाई के लिए 8 ऑटो टिपर सहित नवीनतम व आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126. सरदारशहर नगरपालिका में सड़क, सफाई एवं अन्य मदों में अतिरिक्त अनुदान की राशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

127. नगर परिषद डूंगरपुर में अधिकारियों की मिलीभगत से प्रभावशाली लोगों को नगर परिषद की बेशकीमती भूमि के पट्टे अनियमित तरीके से देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. नगर परिषद डूंगरपुर में नवेडेरा, राजपुर, भाटपुर, गोकलपुरा, शिवपुरा में भूमिहीन परिवारों को "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के अन्तर्गत पट्टे दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

129. राज्य में अनुच्छेद 244 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका एवं नगर परिषद् के असंवैधानिक तरीके से गठित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130. डूंगरपुर नगर परिषद् के पैरीफेरी क्षेत्र में आने वाले आदिवासी समुदाय के द्वारा समस्त कब्जे शुदा जमीन को आबंटन करने सम्बन्धी चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

131. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका रावतसर में मण्डी क्षेत्र व LIG सेक्टर के पट्टों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

132. राजस्थान में नगरपालिकाओं में कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता का अतिरिक्त चार्ज देने से हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

133. राजस्थान में नगरपालिकाओं में रिक्त EO के पद भरने व अन्य कर्मचारियों को पद के विरुद्ध लगाने पर व्यापक रूप से पनप रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध पर चर्चा के लिए।

134. मुख्य मंत्री बजट घोषणा में नगरपालिका क्षेत्रों में कारपेट सड़कों के बराबर नाली निर्माण नहीं करने व चौड़ाई सीमित रखने से हो रहे आर्थिक नुकसान पर चर्चा के लिए।

135. राजस्थान में नगरपालिकाओं के पार्षदों के अधिकारों के हनन होने से नगरपालिका का संचालन सही ढंग से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

136. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की नगरपालिकाओं में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के पट्टे जारी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के अंतर्गत पट्टों हेतु प्राप्त आवेदन एवं प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध जारी किये गये पट्टों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138. नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़ स्थित परमाणा ताल से गन्दा पानी निकासी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़, राजलदेसर व छापर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नवीन सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़, राजलदेसर व छापर में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

141. नगरपालिका भीनमाल में अवैध कामर्शियल दुकानें/काम्प्लेक्स खेतावत मार्केट में सम्पूर्ण अवैध निर्माण की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

142. विधान सभा क्षेत्र डग में नगरपालिका भवानी मण्डी में प्रशासन गांवों के संग अभियान में गरीब व्यक्तियों को आवासीय पट्टे नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र डग की नगरपालिका द्वारा पूर्व में घरोंदा योजना में व्यक्तियों को आबंटित मकान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. नगरपालिका भवानी मण्डी में जयपुरिया मिल की जमीन को खुर्द-बुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

145. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के मालपुरा व टोडारायसिंह कस्बे की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. नगरपालिका मालपुरा व टोडारायसिंह में सीवरेज लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147. मालपुरा के बृजलाल नगर क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बम्ब तालाब का सौन्दर्यीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह में आम सागर की सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

150. प्रदेश में आवारा पशुओं की देखभाल की उचित व्यवस्था करने व दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

151. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) की नगरपालिका शाहपुरा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. शाहपुरा (भीलवाड़ा) नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. नगरपालिका शाहपुरा (भीलवाड़ा) में नगरपालिका पैरीफेरी/क्षेत्राधिकार अधीन आसींद से तहनाल रोड वाया 132 ग्रिड रोड के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. नगरपालिका शाहपुरा (भीलवाड़ा) में सड़क के किनारे खाली जमीन पर फुटपाथ बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. नगरपालिका शाहपुरा (भीलवाड़ा) के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान/श्मशान स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

156. जैसलमेर पर्यटन नगरी के सौन्दर्यीकरण की कार्ययोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. राज्य के शहरों में सफाई की समुचित एवं सुदृढ़ सफाई व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

158. चूरू नगर परिषद् में अवैध अतिक्रमण का नोटिस देकर नोटिस दफ्तर दाखिल कर अवैध वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159. चूरू नगर परिषद् मास्टर प्लान के विपरीत वाणिज्यिक निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. चूरू शहर में घर-घर कचरा संग्रहण करने वाली कम्पनी द्वारा निर्धारित मानव संसाधन व मशीन नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. चूरू नगर परिषद् में इजाजत तामीर की पत्रावलियां लम्बे समय से लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

162. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के पार्कों के रख-रखाव, सौन्दर्यीकरण तथा वाक-वे के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के वार्डों में पुरानी जर्जर सीवरेज लाइनें बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सीवरेज लाइनें डलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में टूटी सड़कों के निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

166. नगरपालिका क्षेत्र जैतारण में टाउन हॉल की स्वीकृति, इसे 'डी' से 'सी' श्रेणी में क्रमोन्नत करने व नगरपालिका कार्यालय के पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन की स्वीकृति की आवश्यकता, सभी 25 वार्डों की कालोनियों में पार्क, बगीचे आदि की चारदीवारी बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. नगरपालिका कार्यालय जैतारण द्वारा "प्रशासन शहरों के संग" अभियान अन्तर्गत जारी किये गए सभी प्रकार के पट्टों की शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत पर अभी तक कोई जांच व कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

168. जैतारण नगरपालिका द्वारा वर्ष 2019 से फरवरी, 2023 तक विकास शाखा/स्टोर शाखा से करवाये गए विकास कार्यों व क्रय किये गए सामान में की गयी अनियमितताओं की, बिना कार्य किये ही सीवरेज का भुगतान करने, उक्त अवधि की विशेष आडिट जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. नगरपालिका कार्यालय जैतारण द्वारा बिना ले-आउट पट्टे जारी करने, कुछ भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए बिना सक्षम अनुमोदन से ले-आउट जारी करना, डोली/मन्दिर की प्रतिबन्धित किस्म की जमीन पर पट्टे जारी करना व आन्तरिक/बाह्य विकास शुल्क लिए बिना ही पट्टे जारी करने से राजस्थान सरकार को प्रत्यक्ष रूप से लाखों रुपये के राजस्व घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

170. नगरपालिका कार्यालय जैतारण द्वारा एनएच-458 के आसपास ग्रीन बेल्ट की जमीन पर नियम विरुद्ध आवासीय पट्टे जारी करने, कालोनियों की Facilities की आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक/ आवासीय पट्टे नियम विरुद्ध जारी करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

171. "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के तहत जयपुर नगर निगम हैरिटेज के वार्ड संख्या 24 में जारी किये गए आवासीय पट्टों में दर्शाये गए गलत नक्शों को रजिस्ट्री अवधि समाप्त होने से पूर्व पुनः दुरुस्त कर जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

172. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत बागरा तथा सियाणा को नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. नव घोषित आहोर नगरपालिका में सीवरेज के काम के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. नगरपालिका आहोर में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के लिए विचाराधीन प्रस्ताव की स्वीकृति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

175. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में अधिशाषी अधिकारी की कार्यशैली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक की शिकायत के

बावजूद उसी क्षेत्र की दूसरी नगरपालिका में पदस्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए।

176. कोटा जिले के नगरपालिका इटावा एवं सुल्तानपुर के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने में बरती गयी अनियमितताओं एवं विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सूकरनी नदी की बाढ़ से इटावा (कोटा) नगर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारें व जलबन्ध निर्मित करवाये जाने तथा नगर की स्वच्छता के लिए सूकरनी नदी में गन्दे पानी को प्रवाहित होने से रोकने के लिए ट्रीटमेन्ट प्लांट की अत्यन्त आवश्यकता के बावजूद मात्र डी.पी.आर. बनाकर कार्य स्वीकृति में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

178. राज्य राजमार्ग संख्या 70 एवं 1 पर इटावा नगरपालिका क्षेत्र तथा सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र में सड़क सीमा में होने वाले अवैध निर्माण को रोकने एवं पूर्व अतिक्रमण को हटाने में नगरपालिका प्रशासन की विफलता पर चर्चा के लिए।

179. नगरपालिका क्षेत्र इटावा में राज्य राजमार्ग संख्या 70 एवं 01 नोनेरा रोड, इटावा रोड, गेंता रोड, कोटा रोड, खातौली रोड के सम्मिलन स्थान पर दुर्घटना की रोकथाम हेतु उचित रचना वाले सर्किल का निर्माण करवाने में विभागीय विफलता एवं सरकारी नाकामी पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

180. विधान सभा क्षेत्र बस्सी जयपुर में नगरपालिका बस्सी में अग्निशमन सेवा प्रारम्भ करने, सीवर लाइन लगाने तथा नगरपालिका को उच्चतर श्रेणी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

181. विधान सभा क्षेत्र भादरा की नगरपालिका में सीवरेज का काम शीघ्र पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र भादरा की नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा शहर में खेल स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा शहर में पानी निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा शहर में रेलवे क्रॉसिंग C-65 पर अंडरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):

186. विधान सभा क्षेत्र विधाधर नगर के हरमाड़ा भाडारणा क्षेत्र में सीवर लाइन डालने एवं शीघ्र ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

187. नगरपालिका क्षेत्र जहाजपुर में नौचांक से चांवडिया तक 15 मीटर चौड़ाई पर सड़क निर्माण व नांगदी नदी पर पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भारतखेडा मोटीदेवरा देवनारायण का स्थान एवं भारत माता के मन्दिर तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. नगरपालिका जहाजपुर क्षेत्र में नांगदी नदी का सौन्दर्यीकरण करने हेतु घाट पुलिया फेसवाल व पड़त जगह पर सम्पर्क सी.सी. डामर सड़कों का निर्माण कर पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

190. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के प्रसिद्ध केशोरायपाटन मन्दिर पर आवागमन हेतु चम्बल नदी पर रंगपुर व नगर के मध्य हाई लेवल पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. कोटा में निर्माणाधीन रिवर फ्रंट के कार्य को केशोरायपाटन केशवराय भगवान मन्दिर की सीमा तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. प्रदेश की नगरपालिकाओं में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में प्रत्येक नगरपालिका में रिंग रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित नगरपालिकाओं में विकास कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

195. नगर निगम हैरिटेज जयपुर अंतर्गत वार्ड नं. 1 के कौली मोहल्ला, मीणों का मोहल्ला, वार्ड 2 की फूलबाग कालोनी, नवलखा विहार एवं वार्ड 3 की अशोक विहार, विवेक विहार में पक्की सड़कों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

196. जयपुर शहर के पुरामहत्व एवं ऐतिहासिक परकोटे क्षेत्र के बुर्ज, हवेलियों, चारदीवारी में अवैध निर्माण एवं व्यावसायिक काम्प्लेक्सों के निर्माण से हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

197. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत जयपुर शहर में चल रहे कार्यों की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

198. जयपुर नगर निगम हैरिटेज के वार्ड 3 एवं वार्ड 4 में सामुदायिक भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 1, 2, 3, 4 में रोड लाइट्स लगाने, फेज वायर खींचने एवं नये पोल लगाने की शीघ्र आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

200. प्रदेश में भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया में स्वघोषणा पर स्वत: अनुमति एवं सरलीकरण पर चर्चा के लिए।

201. राजसमन्द की राजसमन्द झील में नौकायान एवं अन्य जल क्रीड़ा सुविधाओं के सृजन पर चर्चा के लिए।

202. "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन एवं उपविभाजन, नामान्तरण एवं पट्टा देने की प्रक्रिया में सरलीकरण पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

203. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में "प्रशासन गांवों के संग अभियान" में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन एवं पट्टा देने की प्रक्रिया में सरलीकरण करने पर चर्चा के लिए।

204. पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर स्थित जगदम्बा नगर, राकेश

मिष्ठान भण्डार से विधान सभा नगर, धावास को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदरेणा (ओसियां):

205. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत नयी सड़कों एवं सीवरेज लाइनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

206. जोधपुर नगर निगम की नयी सड़कों की स्वीकृति व सीवरेज लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

207. नगर निगम कोटा द्वारा वर्तमान में संचालित गौशाला में गायों की अधिकता तथा रखने की क्षमता की कमी होने से नयी गौशाला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

208. कोटा में जी ए डी सर्किल से घटोत्कच सर्किल तक हरितया पट्टी में विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

209. कोटा शहर में संजय गांधी नगर स्थित आई.टी.आई. के पास खाली पड़ी भूमि पर पार्क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

210. प्रदेश में स्वायत्त शासन संस्थाओं में रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

211. हैरिटेज जयपुर नगर निगम के वार्ड नं. 51 के अंतर्गत मित्र नगर कालोनी के सुविधा क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि का कब्जा जयपुर नगर निगम हैरिटेज द्वारा नहीं लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

212. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नरायना नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर नगरपालिका में देवयानी सरोवर के रख-रखाव हेतु अलग से स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ रेनवाल एवं फुलेरा नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नगरपालिका क्षेत्र की पैरीफेरी में काचरोदा स्थित समस्त कालोनियों में रोड लाइट की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

216. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की किशनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में वेंडिंग जोन एवं नोन वेंडिंग जोन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़ में स्थित हमीर सागर व गुंदोलाव झील की सफाई एवं हमीर सागर पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की किशनगढ़ नगर परिषद् को अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में भूमि विहीन राजकीय विद्यालय तथा पुस्तकालय के लिए भूमि आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की नगर परिषद्, किशनगढ़ द्वारा पट्टा वितरण नहीं किये जाने एवं जोनल प्लान के सम्बन्ध में तथा शहर की सफाई व्यवस्था एवं ट्रेचिंग ग्राउंड के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

221. प्रदेश के नगर निकायों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नगरीय क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था किये जाने तथा रोड लाइट की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राम लाल शर्मा (चौमूं):

223. चौमूं नगरपालिका में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए कर निर्धारक को EO लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

224. चौमूं नगरपालिका में पाइप लाइन, एल ई डी लाइट व बोरिंग लगाने में हुई अनियमितताओं की जांच के उपरान्त भी कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

225. चौमूं नगरपालिका में पट्टे शुल्क की फर्जी रसीदों के आधार पर हो रही अनियमितताओं के संदर्भ में चर्चा के लिए।

226. चौमूं नगरपालिका द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड के खातेदारी रास्तों में सड़क निर्माण व बहाव क्षेत्र में भी सड़क बनाने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में चर्चा के लिए।

227. चौमूं नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी करने में रिकार्ड में हेरा-फेरी कर पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

228. नगर परिषद् जालौर में आयुक्त सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 90 प्रतिशत से अधिक पद लम्बे समय से रिक्त होने के कारण जनहित के कार्यों का निष्पादन होने में आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

229. नगर परिषद् जालौर में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. जालौर शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के द्वितीय चरण की डी पी आर सरकार को भेजे हुए तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न असुविधापूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिए।

231. नगर परिषद् जालौर के पैरीफेरी क्षेत्र में अनेक प्रतिबंधात्मक नियम लागू होने से जनता को हो रही परेशानी के बदले सेवा एवं सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में पैरीफेरी क्षेत्र को नगर परिषद् में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. सरकार द्वारा "प्रशासन शहरों के संग" अभियान चलाये जाने का पूरा लाभ जालौर शहर की जनता को नहीं मिल पाने के कारण अभियान को 31 मार्च के बाद भी जारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

233. बीकानेर शहर में हल्दीराम प्याऊ पर स्थित रेस्टोरेन्ट में आग लगने से हुई मौतों तथा 50 अवैध सिलेण्डर मिलने के बावजूद सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

234. बीकानेर शहर के रानी बाजार स्थित ओवरब्रिज के बिना टेक्निकल स्वीकृति के परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

235. नगरपालिका डूंगरगढ़ में मुख्य सार्वजनिक चौराहे पर सार्वजनिक शौचालय को संभागीय आयुक्त के मौखिक आदेशों से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

236. बीकानेर संभागीय आयुक्त अपने सरकारी आवास पर आयोजित रोजा इफ्तिहार व दीवाली स्नेह मिलन आयोजन कार्यक्रम का नगर निगम, बीकानेर द्वारा भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

237. नगरपालिका नसीराबाद में पेयजल योजना की पुरानी लाइनों को बदलकर नयी लाइनें डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

238. नगरपालिका नसीराबाद में विद्युत लाइनों को भूमिगत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पीसांगन में नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

240. नगरपालिका नसीराबाद में कनि. अभियंता सहित सभी रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

241. नगरपालिका नसीराबाद के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 45 - मुख्य शीर्षक वन एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के वन क्षेत्र में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

2. विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू, मौजमाबाद, फागी के गांवों में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

3. उपवन संरक्षक मुख्यालय कार्यालय को सवाई माधोपुर से बाड़ी में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

4. प्रदेश की प्रसिद्ध मरूगंगा लूणी को प्रदूषण मुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पहाड़ी क्षेत्र जो पूर्ण रूप से वन विभाग के अधीन हैं, उसमें बरसाती जल संरक्षण की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के वन विभाग के अधीन पादरू क्षेत्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से पौध नर्सरी तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. बाड़मेर के बालोतरा शहर में कारखानों से निकलने वाले गन्दे पानी को लूणी नदी में छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
8. प्रदेश में वन कर्मियों की डी पी सी की कार्यवाही को लम्बित रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

9. प्रदेश में वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के नाम पर करोड़ों रुपये खुर्द-

बुर्द कर प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधों की राशि का भुगतान उठाने पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

10. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के गांव अल्लापुरा में वन विभाग की जमीन पर ट्यूबवैल खोदने एवं ग्राम करखा में वन भूमि पर सागवान के पेड़ काटकर कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

11. प्रदेश में वन विभाग द्वारा अनधिकृत बसाई जा रही कालोनियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

12. प्रदेश के वनीय क्षेत्रों में निवास करने वालों हेतु जनोपयोगी सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. प्रदेश के वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी पुलिस थानों की तर्ज पर लगायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. प्रदेश की बंजर पहाड़ियों में सघन वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की रेन्ज गोगुन्दा वन चौकी नाल मोखी, शिवडिया एवं सुरयागठ आदि पर चैक पोस्ट स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

16. प्रदेश के वन विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. प्रदेश के वनों में सघन वृक्षारोपण हेतु जन जागरण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. प्रदेश के वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. प्रदेश में पर्यावरण दूषित करने वाले उद्योगों की आनलाइन चैकिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. प्रदेश में पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए पेड़ों की कटाई पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

21. उदयपुर जिले में फूलों की घाटी व पुरोहितों का तालाब को वन सुरक्षा समिति के कब्जे से मुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. उदयपुर जिले के बाघदड़ा पार्क में आगन्तुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाडा-आबू):

23. प्रदेश के वन विभाग क्षेत्रों में वर्षों से निवासरत व्यक्तियों को पट्टे दिए जाने, वन विभाग के क्षेत्र में वृक्षारोपण करने, फलदार पेड़ लगाकर आमजन को लाभ देने, वन क्षेत्र में आदिवासी लोगों को रोजी-रोटी हेतु महु ड़ा के पेड़ लगाकर राहत देने की आवश्यक्रता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

24. रामगढ़ (अलवर) में अरावली की श्रृंखलाओं पर ग्रामीणों द्वारा किये गए पौधारोपण के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्थित अरावली श्रृंखलाओं पर सघन पौधारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृत लाल मीणा (सलूम्बर):

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जंगली जानवरों से रक्षा हेतु वनों में समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वनों के चारों ओर ऊंची दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वनों की कटाई, चोरी रोकने व अधिक से अधिक पौधे लगवाने तथा वन कर्मियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सघन पौधारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. प्रदेश में पर्यावरण को शुद्ध वातावरण रखने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

31. तहसील नोखा के वन विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने व

आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश में पेड़ों की रक्षार्थ 363 शहीदों के स्मृति-स्थल खेजड़ली (जोधपुर) को विश्व धरोहर में अधिसूचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. नोखा तहसील मुख्यालय पर घायल वन्य जीवों को लाने, ले-जाने के लिए एम्बुलेंस वाहन मय दो वाहन चालक तथा इस क्षेत्र में शिकार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उड़नदस्ता मय वाहन व स्टाफ की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

34. प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने सहित किसी भी काम में पेड़ काटने की अनुमति न देकर उन्हें पेड़ शिफ्ट करवाने की अनुमति देने पर चर्चा के लिए।

35. प्रदेश में वनरक्षकों की ग्रेड-पे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

36. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के ओसियां खण्ड में खाली पड़े सभी रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

37. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के वन क्षेत्र और सीता माता अभयारण्य में सदियों से निवासरत आदिवासी परिवारों की खेती योग्य भूमि को वनाधिकार एक्ट के अन्तर्गत आवेदन किये गए सभी प्रक्रियाधीन पट्टों का अविलम्ब निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के वनाधिकार एक्ट के अन्तर्गत वन क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए सामुदायिक पट्टे, जिनके आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं, को पुन: बहाल कर सभी जगह सामुदायिक पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के गोतमेश्वर महादेव वन क्षेत्र में गोतमेश्वर में नीचे उतरने के लिए सीसी सड़क, लवकुश वाटिका के प्रवेशद्वार से अंतिम छोर तक सीसी सड़क निर्माण व लिफ्ट की व्यवस्था और रोप-वे की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरतसिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

40. प्रदेश के मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के 82 SQ किमी. क्लोजर में चीता बसाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
41. प्रदेश के वन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
42. प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से इस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
43. प्रदेश में अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की पूर्ति हेतु डी एम एफ टी फण्ड से 50 प्रतिशत राशि वन विभाग को प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
44. प्रदेश में वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा अनुसार सोरसन जिला बारां में गोडावन बसाने की योजना को अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

45. प्रदेश में वन्य भूमि के संरक्षण हेतु चारदीवारी या तारबन्दी कर नीति बनाकर प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
46. वन विभाग की भूमि में से जन उपयोगी रास्ते उपलब्ध करवाने हेतु नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
47. प्रदेश की ओरण एवं गौचर भूमि को भी वन विभाग को सुपुर्द करने, उनमें जलवायु अनुकूल औषधीय एवं उपयोगी पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
48. औद्योगिक नगरी बालोतरा में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रभावी योजना बनाकर क्रियान्वित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

49. विधान सभा फलौदी में वन विस्तार कार्यों में की गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
50. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में औषधीय पौधों के वितरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

51. अलवर सरिस्का वन क्षेत्र में स्थित श्री पाण्डुपोल हनुमान जी मंदिर में

आवागमन पर वन विभाग द्वारा लगाये प्रवेश शुल्क को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. अलवर सरिस्का वन क्षेत्र में बसे ग्रामवासियों को गुजरात राज्य की तर्ज पर पेइंग गेस्ट हाउस खोले जाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

53. अलवर शहर स्थित बाला किला वन क्षेत्र में 'तेन्दुए' हेतु संरक्षित क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. अलवर स्थित सरिस्का वन क्षेत्र में वन विभाग की पाबंदियों के कारण बन्द पड़ी पत्थर की खानों को पुन: शुरू कराये जाने हेतु समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

55. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वनाधिकार योजना के आवेदकों को उनकी कृषि भूमि के मालिकाना हक़ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

57. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के डिगोता वन खण्ड-61 के अन्तर्गत आने वाले गांवों को वन्य क्षेत्र से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम गोपालगढ़ तथा घाटी घनश्यामपुरा को वन्य क्षेत्र से बाहर कर किसानों को खातेदारी हक देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

59. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के शहरों तथा कस्बों के निकट की पहाड़ियों का वृक्षारोपण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश में राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26, 30 एवं 32 में आरक्षित व रक्षित वन भूमि पर अवैध गतिविधियों को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. प्रदेश में राजस्थान वन (प्रोड्यूज ट्रांजिट) नियम, 1957 को प्रभावी रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ को राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता

परियोजना फेज-2 से लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

63. प्रदेश के वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन में ग्राम वन सुरक्षा समिति को सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

64. जिला-भीलवाड़ा में जल-थल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु उठाये जाने वाले बिन्दुओं पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश के वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन में ग्राम वन समिति को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में राजस्थान प्रोडयूज एवं ट्रांजिट नियम, 1957 के तहत प्रभावी एवं नियमित चैकिंग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. प्रदेश में राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26, 30 एवं 32 में आरक्षित वन भूमि पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा के शहरों तथा कस्बों के निकट की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

69. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के लवकुश वाटिका सुन्धा माता के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये की बजट घोषणा के अनुरूप शेष राशि की स्वीकृति जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सुन्धा माता अभयारण्य को भालू संरक्षित अभयारण्य (बीयर रिजर्व सैंक्चुअरी) घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों की लम्बित मांग अन्य विभागों के समकक्ष पदों के अनुरूप वेतन एवं भत्ते विसंगतियों को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

72. प्रदेश में वनभूमि पर सघन पौधारोपण करने के साथ रोपे गए पौधों के पेड़ बनने तक सतत देखभाल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. प्रदेश में बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विशेष कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. प्रदेश की वन भूमि से अंग्रेजी बबूल हटाकर छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधे लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. प्रदेश की वन भूमि पर वृक्षों की अवैध कटाई पर पाबन्दी लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. प्रदेश में वन एवं पर्यावरण के प्रति आमजन की जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

77. प्रदेश के वन क्षेत्रों में खनन माफिया द्वारा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. प्रदेश के वन क्षेत्रों में माफियाओं द्वारा वन कर्मियों की मिलीभगत से पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. प्रदेश में वन विभाग के समस्त रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. जयपुर शहर में वन विभाग की भूमि पर बनी आवासीय बस्तियों के नियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. जयपुर शहर के आवासीय क्षेत्रों में अमूमन बघेरे, भेड़िये आदि वन्य जीवों के प्रवेश के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

82. प्रदेश में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

83. बंजर हुई पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण करवाकर पर्यावरण को जीवित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. वन विभाग की भूमि पर वर्षों से बसे लोगों को वन अधिकार पट्टा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

85. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में घूमचक्कर के पास वन भूमि पर किये

गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने एवं वन भूमि पर पौधारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

86. श्री गंगानगर जिले में (जूली फ्लावर) पहाड़ी कीकर पेड़ों को जड़ से खतम कर, नये फलदार, छायादार, खेजड़ी एवं जाल के पेड़ों को लगाने को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

87. विधान सभा क्षेत्र करौली के वन क्षेत्र में आये गांवों के विस्थापितों को उचित मुआवजा दिए जाने एवं टाइगर रिजर्व का मुख्यालय करौली में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

88. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण कार्यों में ग्राम वन सुरक्षा समिति एवं स्वयं सहायता समूह बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ से मरु प्रसार अभिवृद्धि को रोकने हेतु टीबा स्थिरीकरण तथा मेगा शैल्टर बेल्ट में वृक्षारोपण संधारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के धार्मिक ऐतिहासिक, पर्यटन एवं सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. श्रीगंगानगर जिले में औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए औषधीय पौधों की पौधशालाएं तैयार कर घर-घर वितरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम 6 एमएसआर की वन भूमि मुरब्बा नम्बर 330/425 पर अवैध काबिज कब्जेदारों से वन भूमि को मुक्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

93. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में विभाग द्वारा लगाये गए विभिन्न प्रकार के पौधों का भौतिक सत्यापन कर आरक्षित वन क्षेत्र को विकसित करने, वन रक्षकों की ग्रेड-पे पुलिस कांस्टेबल के समान करने तथा

खेजड़ी के पेड़ों को सूखने से रोकने के लिए नयी आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

94. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के जिला अलवर में वन विभाग की जमीन पर अनधिकृत कब्जा के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम नांगल रूपा में विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान, धर्मशाला व गार्डन बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वन विभाग का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में विभाग की जमीन पर आपराधिक तत्वों द्वारा किये गए अवैध कब्जा हटाने एवं चारदीवारी का निर्माण अथवा तारबंदी शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

98. प्रदेश में पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु बनाये गए कानून के बावजूद ध्वनि तीव्रता को मापने के उपकरण कार्मिकों को उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में स्थित आदर्श नगर, पर्वतपुरा एवं तारागढ़ की वन भूमियों पर नगर वन उद्यान विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में स्थित मदार वन क्षेत्र को विकसित किये जाने हेतु बजट आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा शादी समारोह में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल आइटम पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद लगातार इनका उपयोग होने तथा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु पालीथीन बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

103. छापर अभयारण्य से ग्राम जसवंतगढ़ (नागौर) में हिरणों को शिफ्ट किये जाने से हिरणों के जीवन पर संकट की संभावना एवं व्यावसायिक तथा खनन कार्य से उन पर होने वाले दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

104. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के वन क्षेत्र बुजारेल से दुधालेश्वर, बजारेल से झाम्बूड़ा, गाफा से बामनहेड़ा रोड तथा गाफा चौराहा से सरूपा एलजिरीन सड़क पर पुन: डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

105. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के वन विभाग क्षेत्र स्थित गैजी घाटा पर लवकुश वाटिका के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम पंचायत बलवणिया में वन विभाग के नजदीक बनने वाले रिस्का की नाल एनिकट के लिए वन विभाग द्वारा सकारात्मक निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107. डूंगरपुर जिले के अंतर्गत स्थित मौडिमाता एवं भैड़ मताई के शावक जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार में हैं, का विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

108. प्रदेश के वन्य जीव दुर्घटना पर इलाज हेतु प्रत्येक रेंज में एक एम्बुलेंस दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के वनों में नये वृक्षों का रोपण एवं पूर्व में लगे हुए वृक्षों का संधारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विभाग के अधीन रेंज कार्यालयों के नवीनीकरण एवं मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विभाग के अधीन रेंज कर्मचारियों के लिए राजकीय आवास व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

112. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विगत चार वर्षों में किये गये वृक्षारोपण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की पूर्णत: पालना करवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

114. प्रदेश के शहरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

115. प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

116. प्रदेश के वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने हेतु विभागीय सजगता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

117. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के जुजाणी जोड़, भीनमाल-बागोड़ा रोड पर विभागीय क्षेत्राधिकार के अवैध कब्जों को हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

118. विधान सभा क्षेत्र डग में वन विभाग द्वारा लगाये पौधों में अधिकतर पौधे सूख जाने व पौधों को पानी नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. स्टेट हाईवे डग से चौमहला व चौमहला से कुन्डला तक रोड के दोनों तरफ पौधारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र डग में मनरेगा में वन विभाग द्वारा मजदूरों को मजदूरी नहीं देने व नये कार्य कैम्पा व नरेगा में एनीकट तालाब की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र डग में वन विभाग द्वारा पौधारोपण व खाई फैंसिंग करने व शिविरों की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

122. प्रदेश के वन्य कार्मिकों के ग्रेड-पे व भत्तों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123. टोंक के बीसलपुर संरक्षित वन क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के वन्य क्षेत्र में अवैध खनन व पेड़ कटाई रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125. टोंक के बीसलपुर संरक्षित वन क्षेत्र की चारदीवारी निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126. टोंक जिले में वन अधिकारियों, रक्षकों और अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

127. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के नया नगर में वन विभाग की 227 बीघा जमीन निजी व्यक्ति को आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. भीलवाड़ा जिले के बदनोर ग्राम के बैराठ माता जंगल को नजदीकी रावली अभयारण्य में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

129. पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सेवण घास के रोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

130. चूरू जिले में नगर वन भूमि को संरक्षित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

131. चूरू जिले में स्थित ताल छापर में कृष्णमृगों की बढ़ती संख्या के कारण अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. चूरू के नेचर पार्क के रखरखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. चूरू जिले में वनरक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. ग्लोबल वार्मिंग के कारण चूरू जिले में घटते वन क्षेत्र के कारण बिगड़ते पर्यावरण पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

135. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के वन क्षेत्र में और इसके आस-पास बसे

लोगों, जैसे बकरी, भेड़ एवं गाय आदि पालकों को जो अपनी आजीविका के लिए इन पर ही निर्भर हैं, को वन अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

136. विधान सक्षा क्षेत्र जैतारण सहित सम्पूर्ण प्रदेश में अंग्रेजी बबूल को जड़ से नष्ट किये जाने व वन क्षेत्र की चारदीवारी करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अवैध बजरी खनन में पर्यावरण को हुए नुकसान की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित सीमेन्ट फैक्ट्रियों से भयंकर पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति एवं पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पूर्व में स्वीकृत NH-458 हरिपुर-रायपुर से कालब कला तक वन क्षेत्र की भूमि के डाइवर्जन के प्रस्ताव तैयार कर उसे स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

140. जन-प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचित करने के बाद भी विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में उप वन संरक्षक कोटा, उप वन संरक्षक राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य (सवाई माधोपुर) उप वन संरक्षक, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी के अधीन कार्यरत स्टाफ को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करने से वन सम्पदा एवं वन्य जीवों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

141. मुकुन्दरा (दरा) नेशनल टाइगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन की परिधि 10 किलोमीटर के स्थान पर 01 किलोमीटर रखने से वन्यजीवों एवं वन सम्पदा को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिए।

142. जनहित एवं वन हित में आवश्यक रोटेदा-मण्डावरा के मध्य राजमार्ग संख्या 37ए की आवश्यक मरम्मत एवं टू-लेन चौड़ाईकरण कार्य, सम्पर्क सड़क बालूपा से संग्रामपुरा, सम्पर्क सड़क फूसोद माताजी, सम्पर्क सड़क टोड़ी, गोड़ा रोड से बेड़ली पेमा सड़क, राज्य राजमार्ग

संख्या 120 पर चम्बल नदी पर पुल, गिरधरपुरा से मोरबुन्दना सम्पर्क सड़क (कोटा) में आने वाली अनुपयोगी एवं नुकसानदेह विलायती बबूल वाली वन भूमि के डायवर्जन की कार्यवाही में विभाग द्वारा त्वरित सहयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. वनकर्मियों की मिलीभगत एवं लापरवाही के कारण विगत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में पड़ने वाले वन क्षेत्रों की भूमि पर अतिक्रमण करवाने में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में बरती जा रही घोर अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (अभयारण्य) में आबाद एवं विस्थापित किये जाने वाले ग्रामों के निवासियों को पुनर्वास हेतु ही जाने वाली मुआवजा राशि तथा किसानों के खातेदारी की भूमि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

145. विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभाग द्वारा पेड़ों की गणना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. प्रदेश में वन विभाग में विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के पदों के सृजन करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा शहर में प्राकृतिक पार्क निर्मित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर):

148. रणथम्भौर आदि अभयारण्य में 24 घन्टे सफारी आरम्भ करने से वन जीवों में हो रहे स्वभाव परिवर्तन के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

149. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के वनक्षेत्र में भारतखेड़ा, बिलेज के घोड़ व वीरामाता से लुहारीकला तक विभाग की जमीन पर चारदीवारी निर्माण करने, वृक्षारोपण करने तथा जहाजपुर में विभाग रेस्ट हाउस हेतु भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

150. प्रदेश में विभाग की भूमियों पर बसी बस्तियों को लेण्ड टू लेण्ड स्थानान्तरण पट्टे दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

151. प्रदेश में स्थित वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकार क्षेत्र में स्थित भूमियों पर अवैध खनन को रोकने हेतु विभागीय सजगता व रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. प्रदेश में वन भूमियों को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा हेतु चारदीवारी, तारबन्दी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. प्रदेश में विभाग के स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. प्रदेश में विभाग की भूमि, जहां पूर्व में खनन कार्यों की स्वीकृति दी गई है, पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

155. प्रदेश के रणथंभौर टागइर रिजर्व से बाघों के लगातार लापता/मृत्यु होने की बढ़ रही घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. प्रदेश में वन विभाग के विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. प्रदेश में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. जयपुर स्थित झालाना लेपर्ड रिजर्व से पैंथरों के लगातार बाहर निकलने की बढ़ रही घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. प्रदेश में वनीय क्षेत्र बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

160. प्रदेश में भारतीय वन सेवा एवं अन्य वन सेवा संवर्गों में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर पर चर्चा के लिए।

161. राजसमन्द जिले में विभाग द्वारा चरागाह हेतु भूमि विकास एवं आर्द्र भूमि विकास के कोई भी कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. राजसमन्द जिले में हिन्दुस्तान जिंक खनन एवं स्मेल्टर इकाइयों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163. राजसमन्द जिले में वृक्ष आवृत्त क्षेत्र में वृद्धि नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. राजसमन्द जिले में इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि के कोई भी प्रयास नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

165. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में हरियाली क्षेत्र बढ़ाये जाने एवं चरागाह भूमि विकास हेतु चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में वन विभाग में वन अधिकार के तहत आने वाले पट्टों का नियमन कराकर उन पर ऋण लेने के अधिकार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

167. ओसियां विधान सभा में वनरक्षकों के खाली पद भरने तथा सेवण घास के रोपण की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

168. अलवर जिले के नीमराना में नीमराना फोर्ट के मालिकों द्वारा वन विभाग की भूमि पर किये गए अतिक्रमण को हटाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

169. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के वीर हनुमान मंदिर सामोद में लगे रोप-वे को पुन: संचालित करने के क्रम में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सामोद में वन विभाग द्वारा खातेदार की भूमि पर भी नोट लगाने एवं न्यायालय के आदेश के बावजूद भी नोट नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सामोद की पहाड़ियों में बरसात के पानी को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा एनिकट बनाने की पहल किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वन विभाग की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध वृक्ष कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

173. जालौर जिले में वन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त रिक्त पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. जालौर, सिरोही, बाड़मेर एवं पाली जिलों में वन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करवाने, पेड़ों की कटाई रोकने, अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करवाने हेतु कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. जालौर के ऐतिहासिक दुर्ग में वन विभाग के अधीन आ रहे क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए फुटपाथ, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय सहित विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. वन्य जीवों के घायल अथवा बीमार होने की स्थिति में उन तक चिकित्सा सुविधा तुरन्त पहुंचाने हेतु तथा उन्हें चिकित्सालय तक लाने हेतु जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक पशु एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. राजस्थान में वायु प्रदूषण कम करने की दृष्टि से इलैक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-04

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन व मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका रावतसर में मण्डी क्षेत्र व LIG क्षेत्र के पट्टों के सम्बन्ध में।

(1) मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका रावतसर का गठन 1977 में हुआ। LIG सेक्टर में पशु मेला लगता था इसलिए क्षेत्र को पशु मेले के लिए आरक्षित कर दिया गया, परन्तु वर्तमान में उक्त सेक्टर में काफी समय से किसी भी प्रकार का पशु मेला नहीं लगता है। मेला ग्राउंड आरक्षित करने के समय किसी भी प्रकार का पशु मेला ग्राउंड के साइज का विवरण सरकार द्वारा नहीं किया गया। उक्त स्थान पर आज सघन आबादी निवास कर रही है। सरकार द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान द्वारा पत्र क्रमांक एफ 7 (ड) भूमि/अभि-12/21330 दिनांक 21.11.2012 को आदेश जारी कर प्लानिंग क्षेत्र में DLC दर से नियमन करने के आदेश जारी किये थे। उक्त पत्र में भी मेला मैदान व अपने एरिया क्षेत्र को प्रतिबन्धित माना जाए या नहीं माना जाए, इसका विवरण नहीं दिया गया और सरकार द्वारा नियमन करने की राशि इतनी अधिक कर दी गई कि पूरे अभियान 'प्रशासन शहरों के संग' 2012 के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका रावतसर में न के बराबर मण्डी क्षेत्र व LIG क्षेत्र में पट्टे बने।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त प्रकरण की तरफ दिलाना चाहूंगा। जो मण्डी क्षेत्र व LIG क्षेत्र योजना में हजारों की तादाद में निवास कर रहे हैं, पिछले 50 वर्षों में से उक्त निवासियों को उनकी जगह का मालिकाना हक नहीं मिला है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मेला मैदान व ओपन एरिया को अप्रतिबंधित मानते हुए सरकार तुरंत प्रभाव से उक्त सेक्टरों में पट्टे बनाने के आदेश जारी करे जिससे LIG सेक्टर व मण्डी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सके।

(2) राजस्थान में नगरपालिका में कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता का अतिरिक्त चार्ज देने पर हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना

चाहूंगा कि नगरपालिकाओं में कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंताओं का अतिरिक्त चार्ज देने से खुला भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। महोदय, मैं अगर बात मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका पीलीबंगा व रावतसर की करूं तो हालत यह है कि दोनों जगहों पर कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है और सरकार की निविदा प्रणाली के अनुसार सहायक अभियंताओं को आफलाइन 5 लाख तक की निविदा जारी करने की शक्तियां होती हैं। कनिष्ठ अभियंताओं के पास सहायक अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण निविदा जारी करने से कार्य की तकनीकी जांच व कार्य की माप पुस्तिका भरने का कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है जिससे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हालत यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका पीलीबंगा की माप पुस्तिका 197 काफी समय तक गायब ही रही। जब उप खण्ड अधिकारी ने प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस विभाग में दर्ज करवाई तो वह माप पुस्तिका छिन्न-भिन्न अवस्था में मिली। मेरे द्वारा उक्त प्रकरण में विधान सभा के सप्तम सत्र में प्रश्न के माध्यम से पूछा गया तो कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा विधान सभा को गुमराह करते हुए गलत उत्तर पेश किया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा नगरपालिका में आफलाइन टेंडर प्रक्रिया से खुला खेल खेला जा रहा, जिसका मुख्य कारण कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार देना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं में कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता का कार्यभार किसी भी हालत में न दिया जाए जिससे आफलाइन टेंडर प्रक्रिया एक ही व्यक्ति द्वारा पूरी होने पर भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।

(3) राजस्थान में नगरपालिकाओं में UDC व LDC को मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में नगरपालिका में UDC व LDC को मुख्य नगरपालिका अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है जिससे नगरपालिकाओं में जन भावनाओं के अनुरूप कर्मचारियों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। UDC व LDC कर्मचारियों द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर सरकार की मंशा अनुसार कार्य नहीं किया जाता। नगरपालिकाओं में सत्तारूढ़

पार्टियों के अध्यक्ष छोटे कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव बनाकर अपने मनचाहे व्यक्तियों को पट्टा वितरण करते हैं, मनचाहे व्यक्तियों को बिजली-पानी की अनापति (NOC) जारी करते हैं। जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसकी कोई राजनैतिक पहुंच न होकर सामान्य परिवार से है, उसका कार्य नगरपालिकाओं में संपादित नहीं होता है।

सभापति महोदय, यदि मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका रावतसर की बात करूं तो एक रावतसर नगरपालिका में यह हाल बड़ा बखूबी रूप से देखने को मिला। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी के अतिरिक्त चार्ज UDC कर्मचारी द्वारा अध्यक्ष के दबाव में आकर नियमों के विरुद्ध में जाकर कस्बा रावतसर में अनेकों ऐसे पट्टे जारी कर दिए गए। जिस जगह पर गली चिन्हित थी उस स्थान पर भी पट्टे जारी कर दिए गए व अनेकों खांचा भूमि प्रकरण, जिस भूमि की नीलामी की जाती तो करोड़ों रुपये का राजस्व नगरपालिका को प्राप्त होता, परन्तु नगरपालिका अध्यक्ष के प्रभाव में आकर कर्मचारियों द्वारा निर्धारित 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के दौरान बने पट्टों पर सरकार द्वारा निर्धारित लीज राशि भी लेना मुनासिब नहीं समझा।

यदि बात निविदा प्रणाली की की जाए तो इसी विधान सभा सत्र में मेरे द्वारा लगाए गए प्रश्न के उत्तर में पता लगा कि जो RCC प्री-कास्ट चेयर नगरपालिका, नोहर द्वारा 3,500 रुपये में क्रय की गई, वही RCC प्री-कास्ट चेयर नगरपालिका, रावतसर द्वारा 7,600 रुपये में क्रय की गई। इससे यह बात सिद्ध होती है कि UDC व LDC कर्मचारियों को यदि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है तो राजनैतिक दबाव में उक्त कर्मचारियों द्वारा खुला भ्रष्टाचार किया जाता है जिससे राजस्व का करोड़ों रुपये का नुकसान होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उक्क्त प्रकरण में दिलाना चाहूंगा और मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज समक्ष अधिकारी को ही दिया जाए जिससे नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा आम व्यक्ति की मूलभूत की जरूरतों के कार्य समय रहते किए जा सकें।

आपसे अनुरोध है कि नगरपालिका क्षेत्र में 500 मीटर परिधि का नियम बना हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट निर्देश नहीं दिया हुआ है ऐसा अधिकारी कहते हैं कि जिस राजस्व चक/ग्राम में आप कृषि भूमि का 90A

करवाना चाहते हैं उसी ग्राम की आबादी होनी चाहिए। ऐसा नियम में नहीं लिखा हुआ है।

500 मीटर परिधि नियंत्रण नगरपालिका का नियम बनाया हुआ है उसमें 500 मीटर में 90A करवाने के लिए 500 मीटर की आबादी में आबादी का ही राजस्व चक मान्य होगा या अन्य राजस्व चक मान्य होगा या नही, जिसका स्पष्ट पूछना चाहता हूं। यह पीलीबंगा का मामला है। ऐसे मामलों का समाधान किया जाये ताकि समस्या का समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वन्यजीवों की तादात लगातार कम होने का कारण यह है कि आये दिन शिकारियों द्वारा पिछले कई दिनों से शिकार करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं हमेशा वन्यजीव के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले विश्नोई समाज का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने वन्यजीवों को बचाने के लिए हमेशा ही अपनी शहादतें दी हैं। मैं ऐसे बिश्नोई समाज को नमन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव जाखड़ावाली के पास एक ढाणी में दिनांक 13 मार्च, 2023 को चिंकारा हिरणों के शिकार की सूचना बिश्नोई समाज के लोगों द्वारा वन विभाग की टीम को दी गई। महोदय, विभाग की टीम द्वारा उस ढाणी में दबिश दी गई तो एक चिंकारा हिरण मृत व जिंदा हिरण व काफी मात्रा में चिंकारा हिरण का मांस पाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस घटना की पूरी जांच हो कि चिंकारा हिरण का मांस कहां सप्लाई किया जाता है। इस पूरे मामले में दोषी लोगों पर सरकार कड़ी कार्यवाही करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो और वन्यजीव अपने आपको सुरक्षित महसूस करें।

सभापति महोदय, आगे लगातार गर्मी में नहरबंदी आ रही है। मैं आपके माध्यम वन विभाग की टीम को कहना चाहता हूं कि बारानी क्षेत्रों में वन्यजीवों को पीने के पानी की खेलियां बनाकर राहत प्रदान करें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कैचियां (गोलूवाला) मुख्य हाईवे पर एक रेस्क्यू सेन्टर खोला जाए जिससे वन्यजीवों के घायल होने पर उन्हें तुरन्त उपचार मिल सके क्योंकि कैचियां (गोलूवाला) क्षेत्र में यदि कोई घटना होती है तो उस वन्यजीव को पीलीबंगा टीम रेस्क्यू करने आती है जिसकी दूरी 40 कि.मी. है। इस कारण वन्यजीवों को सही समय पर उपचार नहीं मिलने से उनकी मृत्यु हो जाती है।

(4) मुख्य मंत्री बजट घोषणा में नगरपालिका क्षेत्रों में सड़क के बराबर नाली निर्माण नहीं करने व सड़क की सीमित चौड़ाई सीमित रखने से हो रहे आर्थिक नुकसान के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा पिछले तीन बजट में क्रमशः बजट 2021-22 में 10 किलोमीटर रोड नगरपालिका राशि 4 करोड़, बजट 2022-23 में 15 किलोमीटर नगरपालिका राशि 4.5 करोड़, बजट 2023-24 में 20 किलोमीटर रोड नगरपालिका राशि 6 करोड़ जारी करने के आदेश मुख्य मंत्री कार्यालय से जारी हुए हैं।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा जनता को लालीपाप देते हुए बजट घोषणा का मजाक बनाकर छोड़ दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि वर्ष 2021-22 में 10 किलोमीटर रोड 4 करोड़ की लागत से बननी तय की गई, 2022-23 में 15 किलोमीटर 4.5 करोड़ रुपये सरकार के मापदंडों द्वारा बननी तय की गई।

सभापति महोदय, सबसे मजेदार बात यह है कि इस दौरान RUIDP द्वारा पिछले 4 वर्षों से निर्धारित SOR 2017 में वृद्धि करते हुए SOR 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकार ने खुद माना कि निर्माण सामग्री की रेटों में वृद्धि हो गई और दूसरी तरफ 2021-22 में 15 किलोमीटर रोड का 4.5 करोड़ रुपये में बनाने का आदेश दे दिया।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान बजट 2023-24 पर केंद्रित करना चाहूंगा जिसमें सरकार ने तुगलकी आदेश फरमाते हुए मात्र 6 करोड़ रुपये में 20 किलोमीटर रोड बनाने के आदेश जारी कर दिए। समझ में यह नहीं आ रहा कि वर्ष 2021-22 में 10 किलोमीटर रोड जो 4 करोड़ की लागत से बन रही थी, निर्माण सामग्री में, रेटों में वृद्धि होने के बाद भी मात्र 6 करोड रुपये में रोड बन रही है।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा धरातल पर काम करने की बजाय वाहवाही लूटने का प्रयास किया है और यदि बात तकनीकी पैमाने की की जाए तो सरकार द्वारा उक्त रोड की चौड़ाई 3.75 निर्धारित की है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर शहरी क्षेत्रों में रोड की चौड़ाई कम से कम 30 फीट रखने के आदेश जारी कर रखे हैं, दूसरी तरफ मुख्य मंत्री कार्यालय से रोड की चौड़ाई मात्र 3.75 मीटर बनाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और ऊपर से रोड के समानांतर नाली निर्माण पालिका द्वारा अपने स्तर पर बनाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

सभापति महोदय, कारपेट सड़कों के समानांतर यदि नाली निर्माण नहीं किया जाए तो उक्त रोड पर नालियों का गंदा पानी आने के कारण 15 दिन में रोड टूट जाती है और बड़े-बड़े खड्डे हो जाते हैं जिससे रोड की हालत निर्माण से पूर्व से भी बदतर हो जाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बजट घोषणा के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा की गई निकाय क्षेत्रों में रोड निर्माण की घोषणा में चौड़ाई के किसी भी प्रकार के मापदण्ड ऊपरी स्तर पर तय करके न भेजे जाएं। सामग्री स्थिति के अनुसार ही स्थानीय निकायों द्वारा भेजे गए चौड़ाई व लंबाई के अनुसार बजट घोषणा के अनुसार की गई लम्बाई की रोड निर्माण की जाए व निकायों के भेजे गए तखमीना रोड्स के अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाए। उक्त रोड्स के समानांतर नाली निर्माण के आदेश जारी किये जाएं जिससे रोड बनते ही टूटे नहीं और सरकार को आर्थिक नुकसान न हो।

(5) राजस्थान में निकायों में पार्षदों के अधिकारों के हनन होने से निकायों का संचालन सही ढंग से न होने के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, राजस्थान में निकायों में नगरपालिका अधिनियम, 2009 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निकाय पर नहीं लगाया जा रहा है जिससे मुख्य नगरपालिका अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा खुला भ्रष्टाचार नगरपालिका के टेंडर प्रक्रिया व आम आदमी की मूलभूत जरूरतों जैसे कि पट्टा, बिजली, पानी की NOC में किया जा रहा है।

सभापति महोदय, अपने मनचाहे व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा पट्टे वितरण किये जा रहे हैं। नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकों का आयोजन करना अनिवार्य है। सभापति महोदय, बात यदि मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका रावतसर व पीलीबंगा की करूं तो मेरे द्वारा पिछली विधान सभा में प्रश्न के जवाब में मुझे पता लगा कि नगरपालिका, पीलीबंगा द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में मात्र एक बजट बैठक के अलावा एक साधारण बैठक का ही आयोजन किया गया व नगरपालिका, रावतसर द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में एक बजट बैठक व एक साधारण बैठक का आयोजन किया गया। मेरे द्वारा प्रश्न में यह पूछे जाने पर कि नगरपालिका अधिनियम के अनुसार बैठक नहीं बुलाने पर अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी तो विभाग द्वारा उत्तर देना ही उचित नहीं समझा गया।

सभापति महोदय, 'प्रशासन शहरों के संग' में एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में बोर्ड की कुछ शक्तियां कमेटी को दी गईं, परन्तु स्थानीय निकायों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए साधारण बैठक बुलाना उचित नहीं समझा जाता, जिसका दुष्प्रभाव यह होता है कि निकाय क्षेत्रों में निर्वाचित होकर आए पार्षदों की बात राज्य सरकार तक नहीं पहुंचती व स्थानीय निकाय के अधिकारी पार्षद को जो कि निर्वाचित पद पर है, उसे महत्ता देना बन्द कर देते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि निकायों में हालत यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पीलीबंगा व रावतसर दोनों नगरपालिका में नगरपालिका चुनाव के बाद जो कमेटियां बनानी होती हैं, वे आज दिनांक तक नहीं बनाई गईं जिससे नगरपालिका में कमेटियां नहीं बनाने के कारण आम जनता का कार्य सही समय पर संपादित नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि निकाय क्षेत्रों में नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अनुसार कार्य के लिए पाबंद किया जाए व स्थानीय व जिला स्तर पर एक पार्षद विशेषाधिकार हनन की कमेटी बनाई जाए जिससे स्थानीय स्तर पर निकाय का संचालन सही ढंग से हो सके। मैं मांग करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों नगरपालिका पीलीबंगा व रावतसर में कमेटी बनाने के निर्देश जारी करें जिससे आम आदमी का कार्य सही ढंग से सम्पन्न हो सके।

श्री रूपा राम (मकराना)

महोदय, अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में नगर परिषद् की सभापति एवं आयुक्त अपनी भूमिका, जिम्मेदारियां व दायित्व प्रभावी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। राजकीय धन का दुरुपयोग एवं पदाधिकारियों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को गैरवाजिब लाभ पहुंचाने एवं अन्य अनियमितताओं के चलते मकराना नगर परिषद् भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है जो जांच का विषय है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जो निम्न हैं:-

1. यह कि मकराना नगर परिषद् की सभापति सम्माननीय महिला है। इनके पिता पूर्व विधायक हैं व इनके ससुर उप सभापति हैं। दोनों ही सभापति के करीबी रिश्तेदार होने के कारण नगर परिषद्, मकराना को

अपनी निजी संस्था बना रखी है व अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि दिनांक 05 जुलाई, 2022 को सभापति के पिता पूर्व विधायक का जन्म दिन की तिथि थी जिसके लिए कार्यालय नगर परिषद्, मकराना नागौर जिले के अखबारों में सम्पूर्ण पृष्ठ पर पूर्व विधायक की फोटो/विज्ञापन सहित असत्य घोषणाओं की अपील जारी की गई थी जिसका सम्पूर्ण भुगतान नगर परिषद् द्वारा वहन किया गया है। सबूत के तौर पर सम्पूर्ण अखबार की फोटो प्रति संलग्न है (पृष्ठ संख्या 5, 6 पर)

2. यह कि मकराना नगर परिषद् में वर्तमान सभापति नवम्बर, 2019 में सभापति पद पर बैठीं। इस समय से विगत वर्षों में नगर परिषद् बजट से अनगिनत व धार्मिक त्योहार एवं विकास कार्यों के नाम से अखबारों में विज्ञापन देकर राजकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेन्सी से करवायी जाए।

3. यह कि पूर्व विधायक के जन्मदिन 05 जुलाई, 2022 को रक्तदान शिविर का आयोजन बाबत दो बीघा में दो वाटर प्रूफ डोम बनाये गये थे जिनमें नगर परिषद्, मकराना की सम्पूर्ण मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था। (पृ.सं. 7 पर)

4. यह कि सभापति के ससुर नगर परिषद् कार्यालय में अपनी मनमर्जी से गलत हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसका उदाहरण दिनांक 16 जून, 2022 के दिन कलेक्टर की वी.सी. में एस.डी.एम. और कार्यवाहक सभापति तथा उपखण्ड अधिकारी, मकराना के मध्य जमकर बहस हुई थी। दोनों के मध्य खूब बहस हुई। एसडी.एम. ने नगर परिषद् के कार्मिकों द्वारा जनता की समस्या के समाधान की कार्यवाही समय पर नहीं करने की स्थिति में कठोर कार्यवाही अमल में लाने की बात कहते हुए 17 सी.सी.ए. का नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी थी। एस.डी.एम. ने मकराना नगर परिषद् प्रशासन की काम करने की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर, नागौर को सम्पूर्ण घटनाक्रम से अवगत करवाने की बात भी जन सुनवाई के दौरान कही थी। सबूत के तौर पर अखबार में प्रकाशित खबर की कतरन संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 8 पर)

5. यह कि नगर परिषद् मकराना में भ्रष्टाचार इतना फैला है कि दलालों के बिना किसी आम नागरिक का काम नहीं होता है। इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान को मिली थी। जिसकी जांच बाबत दिनांक 13 जुलाई, 2022 को इस्माइल खान ने शिकायत के सम्बन्ध में दस्तावेजों को खंगाला था एवं नगर परिषद् के कर्मचारियों के बयान भी लिए थे पर पता नही जांच का क्या हुआ। सबूत के तौर पर दिनांक 14 जुलाई, 2014 के राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर की प्रति संलग्न है (पृष्ठ संख्या 9, 10 पर)

6. यह कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में बन रहे पट्टों में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है और बगैर पैसे दिए किसी का भी पट्टा नहीं बन रहा है। प्रत्येक व्यक्ति से अखबार में विज्ञप्ति जारी करने के नाम से 2,400 रुपये लिए जा रहे हैं जबकि पट्टा आवेदनकर्ताओं की सूची सामूहिक रूप से एक ही पृष्ठ पर जारी होती है। इसलिए नगर परिषद्, मकराना में पट्टा बनाने वाली आम जनता एवं गरीब जनता का भयंकर रूप से शोषण हो रहा है, जो जांच का विषय है।

7. यह कि नगर परिषद् मकराना द्वारा जितने भी निर्माण कार्य करवाये जाते हैं उनमें तकनीकी अधिकारियों की सांठ-गांठ से भयंकर कमीशनखोरी हो रही है तथा निर्धारित मापदण्डों को दरकिनार कर निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग होने से कुछ ही दिनों बाद सड़कें टूट जाती हैं। इसके लिए किसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर से निर्माण एवं उपयोग में ली गई सामग्री की जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जावे।

8. यह कि मकराना में आज सम्पूर्ण शहर का बरसात का एवं गंदा पानी नगर परिषद्, मकराना, हास्पिटल और पंचायत समिति के सामने एवं कोर्ट के पास भर जाता है व पूर्व में डाली गई सीवरेज लाइन ओवरफ्लो होकर यहां पर गन्दा पानी 4-5 फीट भर जाता है। पूर्व में डाली सीवरेज लाइन नगर परिषद् के माध्यम से डाली गई थी। इसमें कुशल इंजीनियर की देखरेख में काम नहीं हुआ है। पहले डाली गई सीवरेज लाइन की वजह से पूरे शहर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगर परिषद् मकराना की है।

इसके लिए तकनीकी कुशल इंजीनियर्स की कमेटी बनाकर जांच करवानी चाहिए। पानी भराव की समस्या बनी हुई है फिर भी नगर परिषद् मूकदर्शक बनी हुई है। मैंने राजस्थान विधान सभा में दो बार प्रश्न लगाया था जिससे कुछ सुधार हुआ है।

श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त सम्पूर्ण बिन्दुओं पर आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर किसी अन्य निष्पक्ष जांच एजेन्सी से जांच करवाकर मकराना की आम जनता को राहत प्रदान करवायें। आशा है कि आप शीघ्र ही इस पर कार्यवाही कराकर मुझे भी की गई कार्यवाही से अवगत करवाने की कृपा करेंगे।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ में।

बोरावड- नगरपालिका

1. लुहारिया बेरा से बोरावड तक सड़क निर्माण।
2. कुडियों की ढाणी से बोरावड तक सड़क निर्माण।
3. चावंडिया रोड फाटक के पास बरसात के समय पानी भर जाता है। आवागमन बिलकुल बन्द हो जाता है।
4. बोरावड बाजार से सबलपुर रोड गीजा बाबा की ढाणी होते हुए 3 किमी. सड़क निर्माण।
5. एरिया रास्ते से माधाराम आवला की ढाणी तक 700 मीटर सड़क निर्माण।
6. नरपत जी आवला से खिलेरिया की ढाणी तक सड़क निर्माण।
7. पार्किग 2 व्हीलर व 4 व्हीलर।
8. ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने की बजट से खेत में पानी।
9. मेला व कचरा के वाहन।

ट्रक यूनियन से घाटी चौराहा तक निर्मित डामर सड़क 15 दिन में ही टूट गई।

मकराना नगर परिषद्

1. सीवरेज लाइन का ट्रीटमेंट संयंत्र बन्द है।
2. सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग से बनते ही सडकें टूट जाती हैं जैसे भी ट्रक यूनियन, मकराना से घाटी चौराहा तक बनाई गई सड़क 15 दिन में ही टूट गई है।

3. बजट में सडकें पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा मुख्य मंत्री को धन्यवाद।
4. नगर परिषद् क्षेत्र में सफाई नहीं होना।
5. सौन्दर्यीकरण के नाम से खरीद में घोटाला।
6. डीजल खर्चों में अनियमितता।
6. 3 वर्ष के उपरान्त भी नगर परिषद् मकराना की कमेटियां गठित नहीं की जा रही हैं।
7. बोर्ड मीटिंग के पूर्व में लैटर देने के उपरान्त भी मुख्य एजेंडे की सूची में पार्षदों के बिन्दुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
8. निर्माण ठेकेदारों की शिकायत उपरान्त भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
9. गारंटी पीरियड की सड़कों का दुबारा निर्माण नहीं करवा रहे हैं।
10. नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है।
11. नगर परिषद, मकराना का बोर्ड बनने के बाद से आज तक एक भी बोर्ड बैठक की प्रोसीडिंग की प्रतियां पार्षदों को उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। पार्षदों के मांगने पर आनाकानी करते रहते हैं।
12. रामकरण बावरी (बावरी मौहल्ला) से माताभर गौशाला तक निर्मित सड़क कब बनी है व कितनी दूरी की बनी है? आज इसकी क्या स्थिति है?
13. 3 साल के विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन किये गए समारोह व शिलान्यास पर लिखे नामों की जांच हो।
14. नगर परिषद् के 3 साल के विज्ञापनों के खर्चे व नामों की जांच हो।

वार्ड सं. 55 मकराना

वार्ड सं. 55 कालानाडा में फुटबाल स्टेडियम से लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक डामर रोड राशि 16.00 लाख की स्वीकृत हुई थी परन्तु आज दिन तक कुछ भी काम नहीं हुआ है और भुगतान उठा लिया गया है।

वार्ड सं. 51 से लेकर 55 तक 75 लाख रुपयों की सड़क स्वीकृति जारी की गई थी, परन्तु यहां पर कुछ काम नहीं किया गया और भुगतान पूरा उठा लिया गया है। इसमें नगर परिषद् सहायक अभियंता अनिल सैनी की मिलीभगत से घोटाला किया गया है।

वार्ड सं. 55 में 2.5 लाख के गेट बनाने बाबत स्वीकृति जारी की गई थी, परन्तु गेट अभी तक नहीं बने हैं।

वार्ड सं. 55 में 5.00 पांच लाख सौन्दर्यीकरण बाबत स्वीकृत किये गए थे, परन्तु यहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है।

वार्ड सं. 55 के वार्ड परिषद् की भी शिकायत है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

आपने मुझे मांग संख्या 40-स्वायत्त शासन विभाग पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार।

कोटा में दो प्रमुख सस्थाएं हैं जिनके माध्यम से कोटा शहर में विकास, नवनिर्माण, सफाई और ग्रीनरी आदि के कार्य किये जाते हैं जो हैं नगर निगम और नगर विकास न्यास।

कोटा नगर निगम का विभाजन

कोटा नगर निगम को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, कोटा उत्तर नगर निगम और कोटा दक्षिण नगर निगम। वर्तमान में कोटा उत्तर के पास भवन नहीं होने की दशा में एक ही स्थान पर दोनों नगर निगम का कार्यालय चल रहा है।

कोटा नगर निगम वर्तमान में दुर्दशा के उच्च स्तर से गुजर रही है। पहले तो दो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। दिल्ली जैसे महानगर में एक ही नगर निगम MCD से कार्य कराये जाते हैं। फिर अधिकारी-कर्मचारियों का असंतुलन कहीं कम कहीं ज्यादा।

उत्तर में सिर्फ बोर्ड बनाने हेतु आपने कोटा निगम का जो वार्डों का परिसीमन किया है उससे व्यवस्थाएं चौपट हो गईं, छिन्न-भिन्न हो गयीं। आप नगर निगम उत्तर का कार्यालय 40 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। नगर निगम बनाने का गलत निर्णय जब ठीक किया जाएगा तो जनता के 40 करोड़ रुपये की लागत से बना यह उत्तर निगम का कार्यालय किस काम आयेगा? व्यर्थ ही जनता के पैसों की बर्बादी होगी।

सफाई व्यवस्था

कोटा में सफाई व्यवस्था को लेकर निगम द्वारा 60 करोड़ का बजट लेने के बाद भी लोग परेशान हैं। स्मार्ट शहर कोटा में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी गन्दगी

से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। निगम इस ओर कोई ठोस योजना नहीं बना पा रहा। नाले, नालियां सड़ रहे हैं। गलियों में सड़कों पर कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। कचरे का ठीक प्रकार से संग्रहण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित कचरे की गाड़ियों में गीला व सूखा कचरा ठीक से इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। वार्डों में पर्याप्त सफाईकर्मी नहीं हैं।

कोटा में ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे के ढेर जमा हैं। जमा कचरे से आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र में जल, वायु और थल प्रदूषित हो रहा है जिससे कोटा में प्रदूषण बढ़ रहा है। कई बार तो संवेदक द्वारा कचरा जला कर निस्तारण किया जाता है जिससे आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। नालों की सफाई के दौरान निकले मलबे का ठीक प्रकार से निस्तारण नहीं हो पाता और परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी कोटा, दोनों नगर निगम स्मार्ट सिटी स्वच्छता की रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा है।

लाइटें

शहर में सडकों, गलियों व पार्कों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। कोटा नगर निगम क्षेत्र में 40 हजार रोड लाइटें लगी हुई हैं जिनमें से अधिकांश लाइटें बन्द पडी हैं।

निगम की गौशालाएं

हिन्दू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजते हैं, परन्तु कोटा नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला में गायों की बहुत बुरी दुर्दशा है। इस गौशाला में गायों को पर्याप्त आहार नही मिल पाता और इस गौशाला में गायों को रखने की भी क्षमता कम है। गायों को इस गौशाला में ठूंस-ठूंस कर रखा जा रहा है। घायल गायों का इलाज भी ठीक प्रकार से नही होता है।

स्ट्रीट डाग

स्ट्रीट डाग का आतंक इतना है कि छोटे-छोटे बच्चे आये दिन गम्भीर घायल हो रहे हैं। नित्य इन स्ट्रीट डाग्स द्वारा किसी वृद्ध, महिला व बच्चों पर हमले कर गम्भीर रूप से घायल कर रहे हैं।

निगम पार्क

कोटा दक्षिण निगम में पार्क बदहाल पडे हैं। पार्कों में पर्याप्त झूले व बेंचें नहीं हैं न ही योग भवन हैं। पिछले कार्यकाल में माली पार्कों को सहजते थे। आज पार्कों की दुर्दशा बुरी हो गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 से अधिक पार्क हैं जो बिना देख-रेख के उजड़े पड़े हैं।

स्टाफ व सफाईकर्मी

दक्षिण नगर निगम कोटा में उत्तर के मुकाबले में स्टाफ कम है। वर्तमान में पर्याप्त अभियंता भी नहीं हैं न ही सफाईकर्मी। 50 से भी अधिक कर्मचारी इसी महीने सेवानिवृत्त हो जायेंगे। आयुक्त भी स्थाई पद पर पदस्थापित नहीं है।

प्रत्येक वार्ड में सफाईकर्मी भी कम हैं।

समितियां महापौर की शक्तियां व कार्य विभानजन

कोटा नगर निगम दक्षिण में महापौर को शक्तिविहीन बना रखा है, कोई अधिकार नही दिए गए।

आपके द्वारा नगर निगम दक्षिण में कार्य विभाजन के लिए समितियों का गठन किया गया, परन्तु समितियों के पास कोई अधिकार नहीं हैं और कोटा नगर निगम उत्तर में तो आज तक समितियों का गठन ही नहीं हुआ।

बजट

नगर निगम की बैठक में वार्डों में निर्माण कार्य हेतु 120 करोड़ के निर्माण कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव लिए गये, परन्तु आपकी स्वीकृति के बिना सम्पूर्ण विकास ठप पड़ा है।

वार्डों में मात्र 1 करोड़ की घोषणा

आपके द्वारा प्रत्येक वार्डों में 1-1 करोड़ रुपये के कार्य करवाये गए, जिसमें कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी की अनुशंषा पर 50 लाख के कार्य करवाये गये। यह कौनसा नियम है? आप आपके विभाग में मनमाने तरीके से नया नियम बनाकर कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान में पाषदों का मानदेय बढाने की आवश्यकता है।

नगर विकास न्यास, कोटा

विकास कार्यों ने ली बलियां

कोटा में विकास कार्यों के चलते सैकड़ों लोगों को इस विकास के बदले में बलि चढ़ानी पड़ी है। इन अव्यवस्थित और जल्दबाजी के विकास कार्यों के चलते कोटा शहर में वर्ष 2022 में 444 सड़क हादसे हुए जिनमें 111 लोगों की मौत हुई जबकि वर्ष 2021 में 365 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और 75 लोग अकारण काल का ग्रास बने। ऐसे विकास कार्य से कई महिलाएं विधवा हो गईं और कई बच्चे अनाथ हो गये, वृद्ध बेसहारा हो गये।

फ्लाई ओवर, अंडरपास की गलत डिजाइनिंग

नगर विकास न्यास द्वारा स्मार्ट सिटी के करोडों रुपयों को बर्बाद किया गया। वर्तमान में न्यास द्वारा बनाये गये फ्लाई ओवर अंडरब्रिज हैं जो तकनीकी रूप से सही नहीं हैं जिसमें हाल ही में एक 16 वर्ष के बच्चे की बलि चढ़ गई। लोगों की सुगम राहों को दुर्गम स्थलों में बदल दिया गया।

न्यास के अंडरब्रिजों में पानी भरा रहता है।

नगर विकास न्यास, कोटा केवल नई-नई कालोनियां काट कर राजस्व इकट्ठा करने का कार्य कर रहा है, परन्तु न्यास व निगम में हस्तांतरित की गई कालोनियों में लोगों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश कोटा के अधिकारियों के सामने बौने

राज्य सरकार द्वारा कोविड व अन्य आपदाओं के कारण प्लाट आवंटी राशि जमा नहीं करा पाये, उनको राज्य सरकार द्वारा ब्याज पैनल्टी में छूट दी गई है, ताकि लोग प्राकृतिक आपदा के बाद मूलधन जमा करा कर प्लाटों का आबंटन ले सके, परन्तु कोटा न्यास की हठधर्मिता के चलते राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। लोगों से ब्याज, पैनल्टी पूरी वसूली जा रही है, जिससे सरकार द्वारा दिया गया उचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

के.डी.ए.

आपके द्वारा पूर्व में कोटा विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा अधूरी पड़ी है।

कोटा डवलपमेंट अथोरिटी बनाने का वायदा बार-बार आपको याद दिलाया है। आपको आज जवाब में बताना चाहिए कि आपने के.डी.ए. की क्या रूप रेखा तैयार की है।

चौराहे बड़े कर दिये

आपने चौराहों का डायामीटर इतना बड़ा कर दिया कि ट्रैफिक में विजिबिलिटी नहीं रही। दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर में चौराहों को छोटा कर आवागमन को सुगम किया जा रहा है। आज कोटा में जाम की स्थिति नजर आने लगी है। इन चार वर्षों में लोगों की मूलभूत सुविधाओं का कोई ध्यान नही रखा गया।

स्ट्रीट वेंडर

आपके द्वारा फुटकर व्यापारियों के लिए स्थायी जगह आबंटित नहीं की, न ही इस ओर सार्थक प्रयास किये गए। अतिक्रमण हटाने के नाम पर खुली लूट चल रही है।

रिवर फ्रंट

आपके द्वारा चम्बल के सौंदर्यीकरण का तो कार्य करवाया जा रहा है, परन्तु चम्बल शुद्धिकरण के कार्य के लिए सार्थक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। आज भी कई गंदे नाले चम्बल नदी में गिर कर चम्बल नदी के पानी को गंदा कर रहे हैं।

आपके द्वारा असत्य बातें बोली गईं कि बरसात के दिनों में बाढ़ आने से इस रिवर फ्रंट पर कोई असर नही होगा, परन्तु गत वर्ष बरसात के दिनों में किस तरह पानी से इस रिवर फ्रंट का बुरा हाल हुआ और कई जगह से इसकी क्षति हुई। दीवारें टूट गईं, फर्श उखड़ गया, जोधपुर का बेशकीमती पत्थर जगह-जगह टूटा पड़ा हुआ था तथा आज भी इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

सीवरेज लाइन

आर.यू.आई.डी.पी. व नगर विकास न्यास द्वारा सीवरेज की पाइप लाइनें डाली गईं। पाइप लाइनें डालते समय कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कई लोग अकारण मौत का शिकार हुए, परन्तु सीवरेज पाइप लाइन डालने में अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत व भ्रष्टाचार का खुला खेल है। ठेकेदार द्वारा जो सीवरेज पाइप लाइनें डाली हैं वो निर्धारित मापदंडों की उपेक्षा कर कम गुणवत्ता की पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने आंखें बन्द की हुई हैं। यह भी एक जांच का विषय है। करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सीवरेज को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कई सड़कें उखड़ी पडी हुई हैं। सीवरेज के ठेकेदार को पेमेन्ट नहीं दिया तो वह काम छोड़कर चला गया। लोग दुर्घटना ग्रस्त होकर अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं।

स्टाफ

नगर विकास न्यास, कोटा में जो अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं उनसे अधिशाषी अभियंता का कार्य करवाया जा रहा है।

श्री अविनाश (जैतारण)

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण नगरपालिका में खसरा नम्बर 1078/3 जो कि स्वीकृत मास्टर प्लान में खसरा नम्बर 103 परिधि नियंत्रण पट्टी में होते हुए भी आवासीय पट्टे जारी कर दिए गए जबकि परिधि नियंत्रण पट्टी व ग्रीन बेल्ट में आवासीय पट्टे जारी नहीं किये जा सकते। नगरपालिका में स्वीकृत मास्टर प्लान के सुपर इम्पोज किये गए नक्शे संलग्न हैं।
2. जैतारण नगरपालिका मास्टर प्लान 2009-2033 में स्पष्ट किया गया है कि परिधि नियंत्रण पट्टी में केवल कृषि, डेयरी, कुक्कुटशाला, फल सब्जी उगाना, नर्सरी को विकसित करने का प्रावधान है।
3. मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की नगरपालिका ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 फोरलेन नोबल चौराहा के समीप ही खसरा नम्बर 952 में स्वीकृत मार्गाधिकार से कम क्षेत्र में होटल व्यवसाय का पट्टा जारी कर दिया, जबकि न्यूनतम मार्गाधिकार 100 फीट है। राजस्थान भू राजस्व नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग के सड़क के मध्य बिन्दु से 40 मीटर के बाद आवासीय प्रयोजन हेतु पट्टे जारी किये जा सकते हैं और व्यावसायिक प्रयोजन हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 75 मीटर छोड़कर पट्टे जारी किये जा सकते हैं। खसरा नम्बर 952 में इस अधिनियम के परे जाकर नगरपालिका, जैतारण द्वारा सड़क सीमा में व्यावसायिक पट्टे जारी कर दिए गए। जारी पट्टे किये गए मास्टर प्लान की फोटो प्रति संलग्न है।
4. पालिका ने नगरपालिका क्षेत्र की स्वीकृत खसरा नम्बर 882/8 में मां अन्नपूर्णा नगर नाम से कालोनी के स्वीकृत प्लान अनुसार प्लाट संख्या 143 से 145 तक इन्फोर्मल मार्केट के पट्टे जारी किये हैं, जबकि नियमानुसार स्वीकृत प्लान में इन्फोर्मल मार्केट के लिए स्वीकृत क्षेत्र के पट्टे हेतु व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नक्शा पुनः स्वीकृत कराया जाना होता है। ऐसे पट्टे केवल कालोनाइजर के नाम से ही जारी किये जा सकते हैं, जबकि पालिका ने न केवल पुनः संशोधित प्लान स्वीकृत कराया बल्कि किसी अन्य के नाम से जारी कर दिए गए जो नियम विरुद्ध हैं तथा मानचित्र में दर्शित संशोधन के अनुसार आरक्षित सुविधाजनक दुकानों की भूमि का मानचित्र नियमानुसार पृथक से अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही किये जाने का निर्देश होने के बाद भी सीधे ही व्यावसायिक पट्टे जारी कर दिए गए, जो नियम विरुद्ध हैं। पट्टे की प्रति संलग्न।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर)

मांग संख्या 40

स्वायत शासन विभाग

मेरे द्वारा दिए गए कटौती प्रस्ताव को टेबल कर रहा हूं।

1. सादुलशहर में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर की आबादी लगभग 50 हजार से ऊपर हो चुकी है। शहर में सीवरेज की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।
2. नगरपालिका, सादुलशहर को क्रमोन्नत करें एवं सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जावे।
3. शहर के भगत सिंह मार्केट की छत के ऊपर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि दुकानें साइज में काफी छोटी एवं वहां के दुकानदारों को दुकान का सामान रखने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
4. सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव साहुवाला की ग्राम पंचायत की जमीन पर कई नई कालोनी बस गई हैं। इन कालोनियों में आवश्यक नागरिक सुविधा का अभाव है, क्योंकि पंचायत के पास प्राप्त संसाधनों का अभाव है और गंगानगर शहर की नगर परिषद् एवं यू आई टी इन कालोनियों में विकास नहीं करा रही हैं जिससे मूलभूत सुविधाओं का अभाव निगम कालोनी सद्भावना नगर, अम्बिका एनक्लेव, सुख सागर कालोनी, शालीमार बाग, अम्बिका हाइट, खालसा नगर आदि में है।
5. मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की ग्राम पंचायत साहुवाला में शालीमार कालोनी के दक्षिण में कचरा पाइन्ट बनाया हुआ है और शहर का कचरा वहां पर डाला जाता है। वहां कई नई कालोनियां बस गई हैं जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोग आये दिन आंदोलन करते हैं और कलेक्टर, गंगानगर के पास यह प्रकरण विचाराधीन है, जिसका समाधान किया जावे।
6. सादुलशहर के टाउन हाल का निर्माण करवाया जाये।